राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 05] पन्द्रहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का इक्यासीवां दिवस [संख्या: 05

सोमवार,

02 नवम्बर 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

कृषि सम्बन्धी तीन विधेयकों पर एक साथ विचार व उसकी प्रवृत्ति

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृषि सम्बन्धित जो तीन बिल हैं, वे एक साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। जिन माननीय सदस्यों ने जनमत के लिये प्रस्ताव रखा है वे भी उन तीनों बिलों पर एक साथ अपनी बात अभिव्यक्त करेंगे। पांच बजे प्रतिपक्ष के नेता माननीय कटारियाजी अपना भाषण देंगे। बाकी समय के बीच में यह निर्णय किया है कि पहले वक्ता, जो प्रतिपक्ष के हैं, वे समय ज्यादा लेंगे। अन्य वक्ता 10 मिनट में, 7 मिनट में खतम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पांच बजे कटारियाजी बोलेंगे, उसके बाद सरकार की तरफ से रिप्लाई आएगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए, क्योंकि गम्भीरता इस दृष्टि से है कि सारे देश में चर्चा चल रही है। कुछ मुद्दे संवैधानिक हैं, कुछ कृषि और कृषकों के हित के हैं। आप और हम, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस सदन में अपनी डिबेट करके, तर्क के आधार पर अपनी बातों को जनता के सामने रखें। मैं आशा करूंगा कि जो क्वालिटी आफ डिबेट है, वह इस तरह की होगी ताकि अन्य पूरे प्रदेशों में भी एक मैसेज जाए कि राजस्थान प्रदेश में जो विधान सभा के सदस्य हैं, उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी, जिससे इस देश के किसान इससे लाभान्वित हो सकें और संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत हम इस देश में कृषकों के हितों के लिये काम कर सकें, यह मेरा निवेदन है। मैं आशा करता हूं कि जो मेरी भावना है, उसको समझेंगे और तर्कसंगत आप डिबेट करेंगे।

अनुरोध एवं मांग

गुर्जर समाज के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही प्रारम्भ हो, इससे पहले मैं निवेदन करूंगा, पूरा राजस्थान चिंतित है। लम्बे अंतराल के बाद गुर्जर समाज के लोग 48 घंटों से रेल की पटरी पर बैठे हैं। दिल्ली-कोटा-मुंबई रेलमार्ग बंद पड़ा है। नेशनल हाईवे अजमेर-कोटा बंद पड़ा है। अजमेर में जगह-जगह जाम है। राज्य सरकार ने इंटरनेट की सेवायें स्थगित कर रखी हैं। मेरी मांग है, मेरा निवेदन है, चूंकि राज्य सरकार के मंत्रिमंडलीय उप समिति के साथ दो बार समझौता हुआ, कौनसी परिस्थिति रही कि समझौतों का क्रियान्वयन नहीं हुआ, किस कारण से प्रक्रियाधीन भर्ती में उनको पांच परसेंट आरक्षण आप नहीं दे रहे हैं? पूर्व के अन्दर जो उनके 1252 पद थे, जिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नियमित भर्ती हो चुकी थी, उनको नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं और देवनारायण योजना आपने क्यों बंद कर दी, ये सारी मांगें हैं। राजस्थान चिंतित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समय जाया नहीं करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाए। आज हालत क्या है, आज भी रेल मार्ग पर गुर्जर समाज के हजारों लोग कर्नल बैंसला के नेतृत्व में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इसकी संवेदना समझनी चाहिए और इस पर अपना वक्तव्य देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, ...(व्यवधान) माननीय मदनजी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। Please, I will not allow it. यह गलत परम्परा है। किसी का कम्पीटीशन है क्या? सदन के ध्यान में ले आये हैं। सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि तीनों बिल पास होने के बाद सरकार इसके सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दे।

श्री महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 19)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(डा. महेश जोशी)

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने सोमवार दिनांक 02 नवम्बर 2020 को निम्नांकित कार्य सदन में लिये जाने का निर्णय लिया:

सोमवार, दिनांक 02 नवम्बर 2020	1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 2. कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 3. आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 4. सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, एवं 5. राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, अधिसूचनाएं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की निम्नांकित 22 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.05.2020 जिसके द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस डीजीज 2019) को सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.05.2020 जिसके द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस डीजीज 2019) के प्रकोप की रोकथाम हेतु व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किये जाने बाबत विनियम विरचित किये गये हैं;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.05.2020 जिसके द्वारा हैड कानिस्टेबल से अनिम्न रैंक के समस्त पुलिस अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर कारित किसी अपराध के संबंध में कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 03.05.2020 जिसके द्वारा समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को कोविड-19 महामारी के संबंध में अपराध के शमन किये जाने के संबंध में, उन्हें अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्राधिकृत किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 12.05.2020 जिसके द्वारा सहायक पुलिस उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारियों को अपराधों का शमन किये जाने हेतु अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्राधिकृत किया गया है;

(6) आदेश संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 13.05.2020 जिसके द्वारा राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए समस्त प्रवासी, जिन्होंने हाल ही में राज्य में प्रवेश किया है अथवा आगामी दिनों में आने वाले हैं, के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं;

(7) आदेश संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 20.05.2020 जिसके द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13.05.2020 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 21.05.2020 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 03.05.2020 में संशोधन किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 21.05.2020 जिसके द्वारा राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर निगम/पालिका/परिषद् के समस्त अधिकारियों को उनकी अधिकारिता के भीतर, जारी आदेश/विनियम के उल्लंघन पर कारित किसी अपराध के शमन किये जाने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 21.05.2020 जिसके द्वारा राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर निगम/पालिका/परिषद् के समस्त अधिकारियों को उनकी अधिकारिता के भीतर, जारी आदेश/विनियम के उल्लंघन पर अलग-अलग कारित किसी अपराध के शमन किये जाने हेतु शास्ति लगाये जाने के संबंध में प्राधिकृत किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 26.05.2020 जिसके द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 में संशोधन किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 26.05.2020 जिसके द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.05.2020 में संशोधन किया गया है;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 26.05.2020 जिसके द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.05.2020 में संशोधन किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 26.05.2020 जिसके द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 में संशोधन किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 18.06.2020 जिसके द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(16) आदेश संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 29.06.2020 जिसके द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13.05.2020 के संबंध में कोविड-19 हेतु निर्देश जारी किये गये हैं;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 29.06.2020 जिसके द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 में संशोधन किया गया है;

(18) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 27.07.2020 जिसके द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(19) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 27.07.2020 जिसके द्वारा जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक तथा रीको के इकाई प्रमुख को, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर जारी आदेश/विनियम के उल्लंघन पर कारित किसी अपराध के संबंध में शमन करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है;

(20) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 27.07.2020 जिसके द्वारा जिला परिषद् के समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, कारित अपराधों के शमन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

(21) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 27.07.2020 जिसके द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के सभी महाप्रबन्धकों और रीको के इकाई प्रमुखों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, जारी आदेश/विनियम के उल्लंघन पर कारित किसी अपराध के संबंध में शमन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है; एवं

(22) अधिसूचना संख्या: एफ.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 27.07.2020 जिसके द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और जिला परिवहन अधिकारियों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर जारी आदेश/विनियम के उल्लंघन पर कारित किसी अपराध के संबंध में शमन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

आबकारी विभाग

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2020पार्ट-I दिनांक 28.10.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.03.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2020पार्ट-I दिनांक 28.10.2020 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है; एवं

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)वित्त/आब/2020पार्ट-I दिनांक 28.10.2020 जिसके द्वारा होटल बार, क्लब बार एवं रेस्टोरेंट बार संचालित करने वालों को लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु लाइसेंस फीस में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास कल्ला।

ऊर्जा विभाग

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनि.128 दिनांक 05.03.2019 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा स्रोतों- पवन तथा सौर ऊर्जा के लिए टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014 (इसके पश्चात् 'मुख्य विनियमों' के रूप में निर्दिष्ट) में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि.आयोग/सचिव/विनियम-133 दिनांक 22.01.2020 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत लोकपाल द्वारा विवादों का निपटारा) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 विरचित किये गये हैं;

(3) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम-134 दिनांक 28.01.2020 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सौर तथा पवन उत्पादन स्रोत के पूर्वानुमान, शिड्यूलिंग, विचलन, व्यवस्थापन और सम्बद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 विरचित किये गये हैं;

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

(4) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम-135 दिनांक 04.02.2020 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा बाध्यता) विनियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: रा.वि.वि.आ./सचिव/विनियम/स.136 दिनांक 28.02.2020 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 विरचित किये गये हैं;

(6) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम-137 दिनांक 11.05.2020 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (सेवा) (छठा संशोधन) विनियम, 2020 विरचित किये गये हैं; एवं

(7) अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम दिनांक 18.06.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: राविविआ/सचिव/विनियम-137 दिनांक 11.5.2020 के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल।

उद्योग विभाग

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उद्योग विभाग की निम्नांकित एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या: आरएफसी/एफ.पीए-23(16)/241 दिनांक 09.06.2020 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम एम्पलॉइज पेंशन रेग्यूलेशन्स, 1990 को दिनांक 21.06.2004 से निष्प्रभावी किया जाकर उक्त रेग्यूलेशन्स के अन्तर्गत आने वाले समस्त कर्मचारियों के लिये दिनांक 21.06.2004 से राजस्थान वित्त निगम एम्पलाइज भविष्य निधि रेग्यूलेशन, 1995 को अनिवार्य रूप से प्रभावी किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश चौधरी।

राजस्व विभाग

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्नांकित 7 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री हरीश चौधरी)

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.6(34)राज-6/2014/67 दिनांक 25.08.2020, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.6(26)राज-6/14/70 दिनांक 09.09.2020, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.6(32)राज-6/20/71 दिनांक 09.09.2020 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.1(43)राज-6/16/77 दिनांक 18.09.2020, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के राजस्थान कैडर (बैच-2019) के कतिपय परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सहायक कलक्टर (प्रशिक्षण) के पद पर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर जिलों में पदस्थापित किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.6(6)राज-6/92पार्ट/82 दिनांक 21.09.2020, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.6(26)राज-6/14पार्ट/89 दिनांक 13.10.2020, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है; एवं

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.1(43)राज-6/16/91 दिनांक 14.10.2020, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के राजस्थान कैडर (बैच-2019) की परिवीक्षाधीन अधिकारी को सहायक कलेक्टर (प्रशिक्षण) के पद पर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर भीलवाड़ा जिले में पदस्थापित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री लालचन्द कटारिया, कृषि मंत्री।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

(श्री लालचन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस पवित्र सदन में भारत सरकार ने जो तीन किसान विरोधी कानून बनाये हैं, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, मैं राजस्थान सरकार की तरफ से इनका पुरजोर विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हम सभी को मालूम है कि इस कोरोना महामारी में देश और दुनिया के जो हालात हैं और जो बने हुए हैं, उसके अन्दर भारत सरकार ने किसान विरोधी ये तीन कानून लाकर किसान परिवारों पर, देश की एक बहुत बड़ी आबादी पर, एक प्रकार से कुठाराघात किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रदेश का हर व्यक्ति, पक्ष का या विपक्ष का, इस सदन में जो बैठा है, वह किसान परिवार से जुड़ा हुआ है किसान से जुड़ा हुआ है। लगातार किसानों के हित की बातें यहां उठती हैं, राजस्थान के विकास की बात उठती है, देश के विकास की बात उठती है, पर जिस प्रकार के कानून भारत सरकार ने बनाये, आने वाले समय में ये गरीब किसान, जो मेहनत और मजदूरी के बलबूते अपने परिवारों का और देश के परिवारों का, इतनी बड़ी आबादी के पेट पालने का काम करते हैं, इन बिलों से जो आघात पहुंचा है, आने वाले समय में वह किसान मजदूर बनकर रहेगा। बड़ी-बड़ी कम्पनियां आयेंगी और वे कम्पनियां अनुबंध के आधार पर किसानों की जमीन लेकर अपने मनमाने तरीके से उसी किसान को मजदूर बनाकर, जो किसान अपने खेत का मालिक हुआ करता था, उसको ठेके पर लेकर बड़ी-बड़ी कम्पनियां खेती करवायेंगी। जैसा वे चाहेंगी, वैसा बाजार भाव होगा। उसकी कोई समय-सीमा तय नहीं है। मंडियां खतम कर दी गई हैं। देश की आजादी के बाद में चाहे कोई भी सरकारें आई हों, प्रगति के साथ-साथ में किसान को अपना माल बेचने का हक मंडी के माध्यम से मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी तकलीफ का विषय है कि इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर है, जहां पर मंडी बोर्ड बने हुए हैं, किसान अपने खेत में जो भी पैदा करता है, उसको वहां पर लेकर आता है, बाकायदा उसकी खुली बोली लगती है और उस बोली के आधार पर आढ़तिया उससे पूछता है कि आपकी यह रेट लगी है, आप चाहो तो मैं बेचूं या नहीं बेचूं? तो किसान की इच्छा होती है तो उस भाव को देखकर वह उस आढ़तिया

(श्री लालचन्द कटारिया)

को कहता है कि आप बेच दीजिए और यदि उसके मन माफिक नहीं रहता है तो वह यह कहता है कि मैं दो-चार दिन इंतजार कर लूंगा। लेकिन, जिस प्रकार का यह कानून बनाया गया है उसमें मंडियां खतम होंगी और मंडियों के साथ में किसानों को जो सुविधाएं मिली हुई हैं मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से विपणन के माध्यम से, गरीब किसान जो खेत में काम करता है, कभी उसकी करंट से मृत्यु हो जाती है, कभी सांप काटने से मृत्यु हो जाती है। रात को बारह बजे लाइट आये तो किसान को खेत में खड़ा रहना पड़ता है और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में मीडिया के माध्यम से जो ख़बरें हम पढ़ते हैं, देश के जो आंकड़े आते हैं कि जी.डी.पी. और विकास दर में और हर क्षेत्र में कमी आयी है, पर जिस प्रकार से किसान ने इस विकास दर को संभाला, देश को ताकत दी, प्रदेश को ताकत दी तो आज इस कोरोना काल में भी यदि विकास की गति को कोई आगे बढ़ा रहा है तो वह खेत में खड़ा हुआ किसान बढ़ा रहा है।

यह जो बिल आये हैं इनमें एम.एस.पी. का कोई अता-पता नहीं है। एम.एस.पी. का क्या रहेगा, इसका कोई खुलासा नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार लागू करती है और आज दिन तक इस बात का पता नहीं है कि यह किस तरह से लागू रहेगी। मंडी में जो व्यापार हो रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आंकड़े बताऊं, मुझे यह अच्छी तरह से पता है, मैं आढ़त का काम चांदपोल मंडी के अंदर कर चुका हूं। मैंने कल ही वहां पर मालूम किया कि आज की तारीख में वहां पर सात हजार व्यापारी लाइसेंसधारी हैं और आप अंदाजा लगाओ कि यदि एक दुकान पर दस व्यक्ति भी काम करते हैं तो सत्तर हजार के आस-पास लोग पर-डे वहां पर अपनी रोजी-रोटी करते हैं। उसमें पल्लेदार भी हैं, चाय वाला भी है, टायर पंक्चर वाला भी है, यह दलाल भी है जो बोली लगाते हैं और दूसरे प्रदेशों में माल भेजते हैं, उनकी रोजी-रोटी भी जुड़ी हुई है और जो मालिक है वह अपने परिवार के साथ वहां पर बैठता है, किसान वहां पर आता है, ढाबे पर खाना खाता है, उसके साथ में कचोरी भी खाता है, वह लोग भी उस धंधे के साथ में पल रहे थे। इन सब लोगों को यदि जोड़ें तो पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, बड़ी-बड़ी कम्पनियां आएंगी, वह

(श्री लालचन्द कटारिया)

गांवों में माल खरीदेंगी। PAN Card के माध्यम से आपने उनको अलाउ किया है। मेरे यह समझ में नहीं आ रही है कि आज गांव का आदमी जो पचास साल से उस आढ़त की दुकान से जुड़ा हुआ था, ऐसी-ऐसी मंडियां हैं जहां पर आदमी, व्यापारी और किसान का तालमेल इतना बढ़िया है कि साल में दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह लाख उधारी का लेकर किसान अपने परिवार में शादी-विवाह करता है और जब फसल आती है तो आढ़तिया को ब्याज सहित वह पैसा चुकाता है। रात को यदि हारी-बीमारी हो और किसी प्रकार की पैसे की यदि आवश्यकता हो गयी तो एक चलता फिरता ए.टी.एम. का काम आढ़तिया करता है। वह सेठजी के यहां जाकर पैसे मांगता है कि फसल आएगी जब कटवा दूंगा। मेरे इमरजेंसी हो गई, मेरे घर में बीमार है या परेशानी है तो वह आढ़तिया उसकी मदद करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी-बड़ी कम्पनियां आएंगी तो कहां तो इस प्रकार का यह ए.टी.एम. होगा? उनका जो एग्रीमेंट होगा, जो अनुबंध होगा, संविदा पर जो ठेका होगा उसकी लिखा-पढ़ी कैसे होगी? किसान तो वैसे ही अनपढ़ है। वह कहां पर उस एग्रीमेंट को पढ़ेगा और कहां उसको पढ़ाने जाएगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जिस प्रकार से सब प्रदेशों के अंदर जो पलायन हुआ है, पढ़ने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, मैं तो ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं दूंगा पर आप कोटा का ही हाल देख लीजिए। कोटा में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे, वह सब गांवों में जाकर खेती कर रहे हैं और खेती के प्रति उनका रुझान भी बढ़ा है, यह आठ-नौ महीने के अंदर मैंने भी देखा है। वह लोग खेती में रुचि लेने लग गये। उनको यह मालूम चला कि हो सकता है कि समय और भी खराब आए, कोरोना कितने दिन और चलेगा, पता नहीं तो उन्होंने घर पर जाकर खेती का काम संभाला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पशुधन भी जुड़ा हुआ है। इस बिल में कहीं पर भी इस बात का अता-पता नहीं है कि इस खेती के साथ में जो पशुधन है उसका क्या होगा? सब स्टेट्स में को-आपरेटिव के माध्यम से, किसान खेती के साथ में पशुधन भी पालता है। उस दूध को ले जाकर डेयरी के बूथ में देता है और उस बूथ से जब कलेक्शन होकर दूध आगे जाता है, चाहे मदर डेयरी हो, अमूल हो, सरस हो, हर स्टेट की अपनी अलग-अलग

(श्री लालचन्द कटारिया)

डेयरी और अपनी को-आपरेटिव सैक्टर की डेयरीज बनी हुई हैं और अमूल का तो पूरे देश के अंदर नाम है, दुनिया के अंदर नाम है। मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन किसानों के साथ में उस पशुधन का क्या होगा? किसान तो ठीक है, मजदूरी वहां पर कर लेगा। बड़े-बड़े गांव के गांव जब अनुबंध में हो जाएंगे तो मजबूरन किसान को अपने पशु बेचने पड़ेंगे और यदि वह पशु बेचता भी नहीं है तो उसको चारा उन बड़ी कम्पनियों से वापस खरीदना पड़ेगा, जो मूल्य है, उसको वह तय करेंगे, उसमें वह अपने पशुधन को पालने का काम करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता है कि भारत सरकार यह जो बिल लेकर आयी है, उससे पहले न तो राज्य सरकारों से पूछा गया है, न सामाजिक संगठनों से पूछा गया है, न किसान संगठनों से पूछा गया है, न व्यापारिक संगठनों से पूछा गया है। बहुत बड़े तबके के व्यापारिक संगठनों के लोग मेरे पास आये थे, उन्होंने यह कहा कि आपकी सरकार विरोध नहीं कर रही है, हम ठगे से महसूस कर रहे हैं, हमारी दुकानें खाली हो जाएंगी। किसान का और हमारा जो तालमेल था, वह खतम हो जाएगा और जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, वह गांवों में जाकर मनमाने रूप से किसान का अनाज खरीदेंगी। भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। एफ.सी.आई. जैसी बड़ी कम्पनी है, जो आज भण्डारण करती है, उसका क्या होगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर यह बिल जो भारत सरकार लेकर आयी है, उससे ऐसा लगता है कि यह आनन-फानन में लेकर आयी है और कोरोना काल का फायदा उठाया गया है, किसान अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहा है। अनेक प्रदेशों की सरकारें और वहां के किसान संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन लगातार जारी है पर भारत सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।

मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है कि किसानों की आय दुगुनी करने वाली सरकार ने आज किसानों पर जिस प्रकार का बिल लेकर कानून बनाया है, निश्चित तौर से आने वाले समय में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और किसान कमजोर होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में डैथ हो जाती है तो आज

(श्री लालचन्द कटारिया)

मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से हम उसको दो लाख रुपये देते हैं और यदि अंग-भंग हो जाता है तो पांच हजार रुपये से पचास हजार रुपये सरकार देने का काम करती है, उसका भी इस बिल में लेखा-जोखा नहीं है। जिसके चार बोरी गेहूं होती है, छोटा सीमांत और लघु काश्तकार है, जिसके केवल दो-चार बोरी ही होती है, वह गरीब किसान कहीं अपनी दो बोरी को बेचकर अपना काम चलाता है। जब यह बड़ी-बड़ी कम्पनियां आएंगी तो कहां तो वह माल बेचने जाएगा और यदि वह माल बेचने के लिए किसी को गांव में कहेगा तो लोग यह कहेंगे कि फलां कम्पनी का बड़ा अधिकारी यहां पर बैठा है, उससे आप बात कर लो तो वह अपनी मनमानी रेट लगाएगा और मजबूरन उसको उस रेट पर माल बेचना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह मंडियों को खतम करने का काम, व्यापारियों को खतम करने का काम, मजदूरों के बारे में तो बिलकुल भी नहीं सोचा गया और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि आज जितनी भी बड़ी-बड़ी मंडियां हैं, हर मंडी के अंदर बैंक की शाखाएं हैं और सब राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और ग्रामीण बैंक हैं। ऐसी कोई मंडी नहीं है, जहां पर इन बैंक की शाखाएं नहीं हो, वहां के कर्मचारी फालतू हो जाएंगे, बैंक डूब जाएंगे, बैंकों में जो लेन-देन है, वह बंद हो जाएंगे तो वह शाखाएं बंद हो जाएंगी, जहां से किसानों और व्यापारियों का रोज का लेन-देन होता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह जो बिल भारत सरकार लेकर आयी है, मैं राजस्थान सरकार की तरफ से इसका पुरज़ोर विरोध करता हूं और यह निवेदन सदन के माध्यम से करता हूं कि इस कानून को वह वापस ले जो किसान विरोधी है और किसान को कमजोर करने वाला है और यदि देश में किसान कमजोर होगा तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि आने वाला समय देश और प्रदेश के लिए और भी कठिन होगा। इस कोरोना काल के अंदर जो महामारी चल रही है, आम आदमी का जीना वैसे ही दूभर हो गया है। जितनी मौतें इस कोरोना काल में हुई हैं उसमें किसान अभी बचा हुआ है क्योंकि वह गांव में मेहनत कर रहा है। शहरों में इसका प्रभाव ज्यादा है और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि इसका विरोध इनकी पार्टी के, भारत सरकार के साथ में जो लोग थे, उन्होंने भी विरोध किया है। जो इनकी पार्टी के साथ संबद्ध थे, उन लोगों ने भी इस्तीफे दिये हैं।

(श्री लालचन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है इस सदन के माध्यम से कि भारत सरकार इस पर पुनर्विचार करे और यह जो किसान विरोधी बिल लेकर आये हैं इसको वापस ले। यही बातें कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं सबसे यह अपील करना चाहूंगा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम सब लोग किसान परिवारों के लोग हैं, इस पर विचार करें और आज जो प्रस्ताव विरोध में राजस्थान सरकार लेकर आई है, उसका समर्थन करें। जय हिन्द। नमस्कार।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, अचानक समाचार-पत्रों में यह पढ़ा कि देर रात को मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई और सदन आहूत करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन उस समय आहूत हो रहा है, जिस प्रकार से कृषि मंत्रीजी ने यह कहा कि राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमित लोगों की संख्या दो लाख के आंकड़े को छू रही है। आज राजस्थान के अंदर 19 हजार से ज्यादा एक्टिव केस हैं और लगभग दो हजार लोग काल-कवलित हो गये।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन उस वक्त आहूत किया गया है जब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट चीख-चीखकर यह कह रही है कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था जर्जर हो गयी है। पिछले वर्ष की तुलना में 24.49 प्रतिशत क्राइम बढ़े हैं। यही नहीं, कृषि मंत्रीजी जिस बात की चिन्ता करते थे बेरोजगारी की, कृषि मंत्रीजी, आपकी जानकारी के लिये बता रहा हूं। सेंट्रल फोर मॉनिटरिंग इंडिया का ताजा सर्वेक्षण आया है। पूरे देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी 15.3 प्रतिशत राजस्थान में है। यह राजस्थान की तस्वीर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, ये तीन बिल जो आपने विचारार्थ लिये हैं, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020; कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020; अध्यक्ष महोदय, इनके उद्देश्य और कारणों को मैंने पढ़ा और मैंने अभी कृषि मंत्रीजी के लचर और बेतुके तर्कों को भी सुना। मैं समझता हूं कि कुल-मिलाकर अगर इन तीनों बिलों के उद्देश्य और कारणों को पढ़ें और कृषि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्रीजी, आपकी दलील सुनें तो सिर्फ राज्य सरकार का मकसद एक है कि केन्द्र सरकार ने देश में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संविधान प्रदत्त अधिकारों के अनुसार किसान कल्याण के लिये, किसान उत्थान के लिये, देश की खेती आत्मनिर्भर हो और खेत में किस प्रकार निवेश बढ़े। इसके साथ ही दशकों पुरानी मांग, अध्यक्ष महोदय, पढ़ते थे तब भी सुनते थे कि धरती का सीना चीरकर किसान अन्न पैदा करता है, पर जब वह किसान अपनी फसल लेकर बाजार में जाता है तो ढेरी लगाकर एक, दो, तीन करके नीलामी होती है और उसके लिये भी कृषि उपज मण्डी की दीवारों में जाना पड़ता है। उन दीवारों से मुक्ति के लिये ही, कृषि मंडी की जंजीरों से इस किसान को मुक्त करने के लिये, किसान कल्याण के लिये, किसान की बहबूदी के लिये जो तीन बिल केन्द्रीय सरकार लेकर आयी है, राजस्थान की सरकार का मकसद एक है, एक असंवैधानिक कृत्य करके उन बिलों के प्रचलन को राजस्थान में रोकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं 52 वर्षों तक हिन्दुस्तान और राजस्थान के अंदर आपका एकछत्र राज था। उस वक्त आपने किसान की बहबूदी को सोचा नहीं और कानून की जकड़ में आपने किसान को रखा। आज जब लाइसेंस राज और इंसपेक्टर राज से किसान मुक्त हो रहा है, तब आप दिल्ली में बैठे अपने हुक्मरानों के एक इशारे पर, क्योंकि दिल्ली में बैठे आपके नेताओं ने कह दिया इसलिये आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, 24 सितम्बर को महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों केन्द्रीय बिल आज पूरे देश में प्रचलित हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस केन्द्रीय बिल को किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, जिसको देश की लोक सभा और राज्य सभा ने पारित किया, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये। उनको अगर पढ़ें, शायद मंत्रीजी पढ़कर नहीं आये, यह बिल किसान को अपनी फसल बेचने का वैकल्पिक अधिकार देता है। यह कोई अनिवार्य बिल नहीं है। किसान चाहे तो आज भी मंडी में जाकर, मंडी टैक्स देकर अपनी उपज को बेच सकता है, पर उसको वैकल्पिक अधिकार दे दिया। मंडी के बाहर बिना किसी टैक्स के, बिना किसी कर के, बिना किसी फीस के किसान अपनी फसल को बेच सकता है। यह बिल किसान को इंसपेक्टर राज और लाइसेंस से मुक्त करता है। यह बिल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किसान की फसल के विक्रय को राज्य सीमा के बंधन से मुक्त करता है। यह बिल इस बात का प्रावधान भी करता है कि किसान की फसल बिक गयी तो उसको तत्काल रसीद देनी पड़ेगी और तीन दिन में किसान की फसल का भुगतान, मैं समझता हूं यह ऐतिहासिक कार्य यदि आप पढ़ लेते, क्योंकि किसानों को, आपने खुद ने कह दिया कि आप आढ़त के व्यापारी भी रहे हैं तो आप मेरा समर्थन करते, मुझे पूरी उम्मीद थी।

अनुबंध खेती की बात आपने कही। अध्यक्ष महोदय, अनुबंध खेती फसल बोने से पहले करार किसान चाहे तो करें, किसान चाहे तो नहीं करें और उसको ग्रांटेड मूल्य मिले, इसका प्रावधान किया गया है और विवाद का निपटारा, विवाद हो जाये तो उसका एक मैकेनिज्म तय किया गया है। मैं समझता हूं इस पूरे खेती संविदा के अंदर, जमीन पर कहीं जोखिम नहीं, जमीन नीलाम नहीं हो सकेगी, जमीन पर किसी तरह का खतरा नहीं और ए.टी.एम.सी. एक्ट, जो अब चालू है, मंत्री महोदय, यथावत है। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं। यह एक नवाचार है।

आपने सही कहा कि पहली बार देश के अंदर किसी ने सोचा। इस देश के मालिक किसान की भी आमदनी दुगुनी होनी चाहिए। एक रोडमैप बना। देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोड मैप बनाया और उस रोडमैप के आधार पर इन बिलों को लेकर आये हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार नहीं है। यह नवाचार किसान को अपनी फसल को बेचने का अधिकार मिले, अन्तरराज्यीय सीमाएं समाप्त हों। यह नवाचार की पहली बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पहले भी इस पर बहस चली। यू.पी.ए. सरकार के अंदर भी इस पर बहस चली। यह दूसरी बार है। उस समय पालिसी पैरालाइज गवर्नमेंट थी, निर्णय नहीं कर पायी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 09 अप्रैल, 2005 को इस हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर कृषि पर शिखर सम्मेलन हुआ। ख्यातनाम कृषि वैज्ञानिक इकट्ठे हुए कृषि विशेषज्ञ आये और पूरे देश के राज्यों के कृषि मंत्री आये और उसमें तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी ने जो वक्तव्य दिया, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 09 अप्रैल, 2005, नई दिल्ली, मुझे आज सुबह कृषि शिखर सम्मेलन, 2005 में आने पर बहुत खुशी हुई। मैं उसका आपरेटिव भाषण सुनाना चाहता हूं। हमारी सरकार एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

घरेलू बाजार को एकीकृत करना चाहती है। अब समय आ गया है हम पूरे देश को कृषि उत्पादों के लिये एक समान एकल बाजार मानें। हमें आन्तरिक नियन्त्रणों और प्रतिबंधों को व्यवस्थित रूप से हटाना होगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री कह रहे हैं। हमें किसान और गैर-संगठन सहकारी समितियों और निजी कम्पनियों के बीच में प्रत्यक्ष विपणन सक्षम बनाने के लिये कार्यवाही करनी होगी। यह प्रतिबद्धता थी। आपके उस समय के प्रधान मंत्रीजी थे और इसी के बुनियाद पर जो आपके उसमें पालिसी पैरालाइज सरकार को चलाने वाले प्रधान मंत्री नहीं कर सके, वह 56 इंच सीने वाले प्रधान मंत्रीजी जब हमारे नरेन्द्र मोदीजी ने कर दिया तो आपके पेट में तकलीफ हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम चुनाव में उतरते हैं, जन-घोषणा पत्र की चर्चा होती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। इस तरह से डिबेट नहीं होगी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक दल अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर जन-अदालत में जाते हैं और घोषणा-पत्र उनके शासन का आधार बनता है। राजस्थान की हुकूमत ने भी जन घोषणा-पत्र को शासन के आधार की बात दर्जनों बार कही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपका यह घोषणा पत्र, जो लोक सभा के चुनाव में आपने जारी किया। हम निभायेंगे वादे। इस घोषणा-पत्र के पहले पृष्ठ पर आपके राहुल गांधीजी के हस्ताक्षर हैं, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वह घोषणा पत्र जारी करने से पहले क्या लिखते हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कांग्रेस जो वादा करती है, उसे निभाती है। नीचे मुस्कुराते हुए फोटो और राहुल गांधीजी के हस्ताक्षर और इसी घोषणा पत्र के पेज 7 को आप पलटकर देखिये। आपके पास नहीं हो तो मुझसे ले लेना। शीर्षक है - किसान और कृषि श्रमिक। उसके बिन्दु संख्या-11 में लिखा है, कांग्रेस कृषि उपज मंडी के अधिनियमों में संशोधन करेगी। सुनो मंत्रीजी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अन्तरराज्यीय विक्रय पर प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा, यानी एक देश में 'एक देश एक बाजार' की अवधारणा आपके घोषणा पत्र में दी, उसी के आधार पर कानून आ गया तो आप यू-टर्न मार रहे हो।

दूसरा, आपने लिखा है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, यह बिन्दु

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संख्या-12 में लिखा है, कांग्रेस गांव, बड़े कस्बे में किसान बाजार स्थापित करेगी, जहां बिना किसी प्रतिबंध के किसान अपनी फसल को बेच सकेगा। यही बात किसान कृषि उपज मंडी के दायरे से बाहर निकलकर गांवों में भी फसल बेच सके। जहां चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे किसान फसल बेच सके। इस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये अगर केन्द्रीय सरकार बिल ले आयी तो आपके पेट में मरोड़ी आने लग गयी।

तीसरा, जो आपने वादा किया, जो बिल आज आ रहा है, जिसमें आप संशोधन लेकर आये हो, यह बिन्दु संख्या-21 पर आपने लिखा है। आपके राहुल गांधीजी ने लिखा है और मैं आपकी शिकायत करूंगा जाकर राहुल गांधीजी को। उसमें लिखा है, कांग्रेस आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को बदलकर जरूरतों के संदर्भ में नया कानून बनायेगी, जो विशेष आपात स्थिति में लागू रहेगा। यही अमेंडमेंट केन्द्रीय सरकार लेकर आयी है। इन्हीं भावनाओं के आधार पर आज असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर सरकार ने अपना अमेंडमेंट किया है।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, 2006 में आप शासन में थे, नेशनल कमीशन आफ फार्मर्स पर एक कमीशन बना। उसकी सैकण्ड रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़कर मैं सुना रहा हूं। उसने सिफारिश की कृषि उत्पादों में सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को हटाया जाए। यह न केवल उपभोक्ताओं की कीमत को बढ़ाते हैं बल्कि किसानों को मिलने वाले मूल्य को कम करते हैं। यही फ्रेट रेट की बात को लेकर आज सरकार का अमेंडमेंट है। यह दीगर बात है, आपने क्या किया है? बड़े किसान के हितैषी बन रहे हो, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, आज आप जो बिल, संशोधन लेकर आये हैं न, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, उसके सैक्शन 6 में आप क्या संशोधन लेकर आये हो, केन्द्र कानून ने किसान की फसल के विक्रय को सभी प्रकार के कर से, फीस से, सेस से मुक्त किया, आप उन पर इस सैक्शन के माध्यम से दोबारा टैक्स लगा रहे हो, यह आपका असली चेहरा है।

इसके अलावा, आन्तरिक व्यापार की बाधाएं हटाएंगे। यह मैं नहीं कह रहा, यह नेशनल कमीशन आफ फार्मर्स कह रहे हैं, यू.पी.ए. सरकार के समय बने और उन्होंने यह लिखा, आजादी के समय मंडियों की आवश्यकता थी, अब नहीं है क्योंकि इनके काम में पारदर्शिता नहीं है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यही नहीं, 2003 में कृषि उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री व खरीद की अनुमति के लिए केन्द्र सरकार माडल एक्ट लेकर आयी कि नहीं, बताओ मेरे को, किसकी सरकार थी? 2007 में यू.पी.ए. सरकार राज्यों में ए.पी.एम.सी. एक्ट की समानता के लिए माडल एक्ट लेकर आयी। अध्यक्ष महोदय, उसका आधार क्या था? उसका आधार था कृषि उत्पादों में अन्तरराज्यीय व्यापार को बढ़ाने का। 2014 में यू.पी.ए. सरकार की पहल पर पहली बार फल और सब्जी ए.पी.एम.सी. एक्ट के दायरे से बाहर गये, यह आपने किया।

अभी आपने बहुत सी बातें कहीं। आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बातें भी कहीं। मंत्री जी, आपको ध्यान होगा, इस देश में वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की बहस चल रही है। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना, 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आयी और उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर आपने धूल भी नहीं झाड़ी। यह कमाल है देश के प्रधान मंत्री का, मुझे कहते हुए गर्व है जिन्होंने, अध्यक्ष महोदय, 2018-19 के यूनियन बजट में, पहली बार केन्द्रीय बजट में कहा कि राष्ट्रीय लागत मूल्य की सिफारिश पर, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर 22 फसलों का, एक दो नहीं, 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार जारी करेगी और करके आये।

आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे कि वो नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं कि आपको मालूम होगा, आप तो खुद आढ़तिया हो। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने जारी किया कि नहीं किया 225 रुपये बढ़ाकर 5100 रुपये प्रति क्विंटल? सरसों का जारी किया कि नहीं किया 225 बढ़ाकर 4650 रुपये? मसूर का जारी किया कि नहीं किया 300 बढ़ाकर 5100? गेहूं का 1975, जौ का 1600, यह दूसरी बात है, मंत्री जी, धान की एम.एस.पी. 1880 रुपये है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में धान पैदा होता है। आपने केन्द्र सरकार में अभिशंसा नहीं भेजी, एक पाई धान की भी इस बार खरीद नहीं हो रही, यह आपकी सरकार है।

अगर मैं देखूं, आप आपके पिछले दो वर्षों के आंकड़े देखोगे, केन्द्र सरकार की पहल पर, राजस्थान की बात कह रहा हूं, 38 परसेंट एम.एस.पी. पर अनाज की खरीद ज्यादा हुई है, इसकी वाहवाही चाहे आप ले लो, चाहे हम ले लें। जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार की आप बात कर रहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो, उसने भी यह ही सिफारिशें की थीं। उसने कहा था कि अनिवार्य मंडी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए, एक राष्ट्र एक बाजार होना चाहिए। संविदा खेती का मार्केट से लिंकअप स्थापित होना चाहिए। अनाज और व्यावसायिक सौदों पर अप्रत्यक्ष करों का ऋण प्रणाली को रिव्यू किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि आप एक संशोधन लेकर आये हैं कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, इसमें धारा 5 में परन्तुक लेकर आये हैं, किसी फसल के विक्रय या क्रय के लिए कोई कृषि करार तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कृषि उपज के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रचलित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर नहीं होगा। स्वागत की बात है, अच्छी बात है। इसमें यह लेकर आओ न, केन्द्र सरकार जिन अनाज की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद रही है उससे बचे हुए सारे अनाज पर राज्य सरकार अपने बजट से क्रय करेगी। आपने अपने बजट से एक पाई, जब से आप हुकूमत में आये हो, अगर आपने एम.एस.पी. पर खरीद की हो, केन्द्र सरकार करती है वो आप करते हो, आप अपने बजट से एम.एस.पी. पर खरीद की बात कहो तो हम आपका स्वागत करते।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारी की सारी बात वैकल्पिक कानून को है, यह बाध्यकारी नहीं है। अभी आपने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से पूछा नहीं, अभी 20 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने भी ऐसा ही काम किया है जो आप आज करने जा रहे हो। उनके विधान सभा के घोषणा-पत्र में भी उन्होंने कहा था कि कृषि के उत्पाद के लिए इन्टरस्टेट बिक्री होनी चाहिए। उन्होंने खुले मार्केट की बात कही।

मैं समझता हूं कि आप यह जो बात कर रहे हो कि किसी ने पूछा नहीं, अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग में कृषि सुधारों पर जब ये बिल लाये जाने थे तब एक बड़ी बहस हुई और मुख्य मंत्रियों की एक समिति बनी। 15 जून, 2019 को नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की पांचवीं बैठक में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। उस समिति के सदस्य कौन थे? मुख्य मंत्री पंजाब, मुख्य मंत्री महाराष्ट्र; मुख्य मंत्री कर्नाटका; मुख्य मंत्री हरियाणा; मुख्य मंत्री अरुणाचल; मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश; मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश उस समय कमलनाथ जी थे, वो, केन्द्रीय कृषि मंत्री, और उसने क्या रिकमण्ड किया? मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ये खुद नहीं कह रहा, आप जो आरोप लगा रहे हो, या तो पढ़कर आया करो, तैयारी से आया करो। पूरी सरकारों से नीति आयोग ने बैठकर और एक कमेटी बनायी, जिसमें ये-ये मुख्य मंत्री थे। उन्होंने क्या कहा, माडल ए.पी.एम.सी. एक्ट को अपनाया जाना चाहिए। मंडी यार्डों की सीमा तक, सिर्फ मंडी यार्डों की सीमा तक ए.पी.एम.सी. की शक्तियां सीमित होनी चाहिए। पूरे राज्य में मंडी पर एकल बिंदु लेवी होनी चाहिए। कृषि क्षेत्र में कारपोरेट क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए बाजार सुधार, संविदा कृषि अधिनियम का उपयोग किया जाना चाहिए, उसी संविदा खेती का ये विरोध कर रहे हैं। उसके साथ-साथ उसने यह भी लिखा कि कृषि के लिए संविदा खेती का प्रावधान करने के लिए अपेक्षित विधान अन्य उपाय करने चाहिए। ये सारी बातें यह सिद्ध कर रही हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा, मुझे दूसरी बात भी कहनी है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय, आप बिना जानकारी के, अचानक आपको कह दिया और आपने एक लचर सा भाषण पढ़कर सुना दिया।

अध्यक्ष महोदय, दो संशोधन आये हैं। मैं संवैधानिक प्रावधानों के साथ यह सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि आज एक खोटा संविधान की ये विधान सभा साक्षी बन रही है एक गैर संवैधानिक कृत्य की और। अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर दो संशोधन बिल हैं राजस्थान सरकार के, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण), मैं समझता हूं कि इनमें आपने जो भाषा इनके उद्देश्यों और कारणों में लिखी है, यह लगता है कि केन्द्र सरकार पाकिस्तान की सरकार है। इस प्रकार के केन्द्रीय बिल के लिए इस प्रकार की भाषा। आपने क्या लिखा है इनके उद्देश्यों और कारणों का कथन में पेज नम्बर 19 और 21 में, कापी पेस्ट किया है बाकी, दोनों में कोमा फुलस्टाप का फर्क नहीं है। आपने लिखा है कि संसद द्वारा कृषि उपज के व्यापार और वाणिज्य की नई व्यवस्था का उपबंध करने के लिए कृषक उपज व्यापार के लिए जो अधिनियम अधिनियमित किया गया है, उससे क्या हो रहा है, कृषकों, कृषि श्रमिकों और फलों तथा सागभाजी इत्यादि सहित कृषि उपज के संचालन और विक्रय में सम्मिलित सभी लोगों में असाधारण रोष है। फिर क्या लिखते हैं, नये व्यापार तंत्र से कारपोरेट हितों द्वारा किसानों के साथ छल-कपट और असुरक्षा होगी। फिर क्या लिखते हैं आप, केन्द्रीय अधिनियम में किसान का शोषण रोकने का कोई उपबंध नहीं है। फिर आप क्या लिखते हैं, केन्द्रीय अधिनियम से न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र निष्प्रभावी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो जायेगा। मैं समझता हूं न्यूनतम समर्थन मूल्य से इन बिलों का क्या लेना-देना है? लोक सभा में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस देश में खरीद आज भी हो रही है, कल भी होगी और भविष्य में भी होगी। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब आप असाधारण रोष की बात कर रहे हो। मंत्री जी, आपने पूरा जोर लगाया, बिड़ला आडिटोरियम में किसान सम्मेलन किया, बड़ी-बड़ी गाड़ियां लगाईं, आप 500 किसान भी नहीं बुला पाये, ये किसानों का रोष है, पूरी सरकार लग गई और एम.एस.पी. का तीनों बिलों से कोई वास्ता नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया।

अध्यक्ष महोदय, आज जिन बिलों पर चर्चा हो रही है वो बिल 17.09.2020 को लोक सभा में और 20.09.2020 को राज्य सभा में पारित हुए और 24 सितम्बर, 2020 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर करके पूरे देश में प्रचारित कर दिये। आप किस आधार पर देश की लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जारी किये बिलों को रोकेंगे?

आपने क्या कहा, आप बिल कैसे लेकर आये हैं? उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपने कहा, सातवीं अनुसूची है उसमें स्टेट लिस्ट है, जो दूसरी लिस्ट है, दूसरी सूची कहते हैं, उसकी एण्ट्री 14, 18 और 28 है, और तीसरी अनुसूची जिसको कान्करेंट लिस्ट कहते हैं, उनकी एण्ट्री 33 सहपठित एण्ट्री 27 में कृषि भूमि, बाजार, माल उत्पादन, प्रदाय और वितरण का उल्लेख किया है और आपने कह दिया आर्टिकल 254(2) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आप यह बिल लेकर आये हैं। यह सही है, अध्यक्ष महोदय, संविधान ने आर्टिकल 246 के अन्दर सातवीं अनुसूची के अन्दर एक सेन्टर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कान्करेंट लिस्ट की बात कही है। उस सेन्टर लिस्ट में 97 एण्ट्री हैं संसद कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में 66 हैं और कान्करेंट लिस्ट में 47 हैं जिन पर स्टेट और केन्द्र दोनों कानून बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने हवाला दिया 254 का। मैं आपकी अनुमति से 254 पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आर्टिकल 254 ए, 'यदि राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि का उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि जिसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्‌यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्‌ध है तो खण्ड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, संसद द्‌वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्‌वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या विद्‌यमान विधि, अभिभावी होगी और उस राज्य के विधान-मंडल द्‌वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। क्यों बना रहे हो आप? क्या अधिकार है आपको? आप यह जो लेकर आये हैं concurrent list की एंट्री 33, उसमें उत्पाद और माल का लिखा है, जिसमें केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। 33 (ए) के (ख) के अंदर खाद्‌य तेल और तिलहन हैं, 33 (ग) में पशुओं के संबंध में है। सैन्ट्रल लिस्ट आपने पढ़ी नहीं होगी। सैन्ट्रल लिस्ट की एंट्री 42, संयम जी, पढ़ लो आप। उसमें अन्तरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप जानते हो? भारत सरकार जो लाई है उसमें यह उल्लेख किया है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: संयम लोढ़ा जी, माननीय सदस्य, गलत परम्परा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: आज अलाउ नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। आपको मौका मिले तब बोलें। बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे। गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। राठौड़ साहब। प्लीज बैठें आप, अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठें, नीचे बैठें। सीनियर आदमी हैं आप। काहे के सीनियर हैं? आप क्या एग्जाम्पल सैट कर रहे हैं? माननीय सदस्य, आप प्रोवोक नहीं करेंगे किसी सदस्य को। आप अपनी बात चेयर को देखकर कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं निरीह प्राणी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी सुरक्षा के कारण ही खड़ा हूं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आर्टिकल 254 यह स्पष्ट करता है कि concurrent list के किसी विषय पर अगर कानून बनता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून, विधान सभा द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर प्रभावी होगा। उस पर विधान सभा को कानून बनाने का कोई हक नहीं है। 254 (2) में जिसका उल्लेख आपने किया है, मैं आपको वह भी पढ़कर के सुना देता हूं। कल्ला जी, 254 (2) में 'राज्य के विधान-मंडल द्वारा समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद द्वारा पहले बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है तो यदि ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा और उनकी अनुमति मिलने पर प्रभावी होगा'।

अध्यक्ष महोदय, मैं अगर आपकी 254 (2) की बात भी मान लूं तो आप इसको महामहिम राज्यपाल के पास भेजोगे, महामहिम राष्ट्रपति के पास जायेगा। राष्ट्रपति जी ने केन्द्र बिल पर जो इसी 24 सितम्बर को हस्ताक्षर कर दिए, तो वह कैसे प्रभावी होगा? यह मेरी समझ के बाहर है। आप बिना मतलब सदन का समय जाया कर रहे हैं।

अगर इसी के साथ ही आप 254 (2) का परन्तुक पढ़ लेते तो शायद आप लेकर के ही नहीं आते। कल्ला जी, आप 254 (2) का परन्तुक पढ़ लें। 'कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है, जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी'। सोवर्न पावर है पार्लियामेंट को। उसके बाद भी आप लेकर के आए हैं। मंत्री जी, इसके साथ ही आप आर्टिकल 249 भी पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर भी विधि बनाने का संसद को अधिकार है। यह सारी बातें इस बात को प्रमाणित करती हैं, यह संविधान के प्रावधान इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आपकी नीति और नीयत में खोट है। आप आज यह खोटा काम इस विधान सभा में करवा रहे हो।

अध्यक्ष महोदय, फैडरल सिस्टम आफ गवर्नमेंट है। हमारे संविधान के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पार्ट 8 में भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ के भाव लिखे हैं। हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत में एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करेंगे। हम किस ओर जा रहे हैं? यह मेरी समझ के परे की बात है। मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को सोचना चाहिए। फैडरल सिस्टम पर चोट करके, संविधान की आत्मा पर चोट करने का काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो बिल आप लेकर के आए हैं, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, मंत्री जी, अब मैं इस पर बात करुंगा। आप इसकी धारा 6 देखो, इसमें केन्द्र कानून क्या कहता है, किसी राज्य की कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम या अन्य कोई विधि के अधीन कृषक, व्यापारी, इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म में किसी भी अनुसूची, कृषि उपज में व्यापार या विक्रय के लिए फीस, उप कर चाहे किसी भी नाम से हो, नहीं ली जा सकती है। यह केन्द्र सरकार का संशोधन है। आप क्या ले रहे हो? आप क्या संशोधन लेकर के आए हो? समय-समय पर किसी व्यापारिक क्षेत्र में किसी व्यापारी या पंजीयक प्लेटफार्म, सम्व्यवहारी, फसल विक्रय के लिए लाई जाएगी तो कृषि उपज मंडी फसल पर फीस, उपकर, सेस अधिरोपित कर सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, आज आप किसान की बात कर रहे हो। यह किसान पर आप टैक्स लगाने का संशोधन लेकर के आए हो। यही नहीं, यह टैक्स भी 2.6 परसेंट है। पिछली बार हंगामे में चला गया। आप एक बिल लेकर के आ गए थे। वह कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक, 2020, आपने 1961 वाले में संशोधन किया 17 में। उसमें आपने क्या कहा? अध्यक्ष महोदय, विडम्बना देखिए, राजस्थान की किसी कृषि मंडी के अंदर किसान कोई फसल लाएगा, "लाएगा" शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो वह कृषि उपज मंडी टैक्स के दायरे में आ जाएगा। आप क्या करना चाहते हो? फिर आपने कह दिया कि कितनी फीस होगी, यह अधिसूचित करेंगे कि कितनी फीस होगी। यह अधिकार भी आपने ले लिया। आज पूरे देश के अंदर कृषि मंडी टैक्स राजस्थान में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है, 2.6 परसेंट है।

अध्यक्ष महोदय, इसी अधिनियम में सैक्शन 8 के अंदर, संविदा खेती जब किसान करेगा, करारकर्ता और किसान में विवाद हो गया तो विवाद के निपटारे का एक मैकेनिज्म है। एसडीएम के पास आवेदन होगा। दो किसान के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रतिनिधि होंगे और दो व्यापारी के प्रतिनिधि होंगे। एसडीएम एक प्रतिनिधि मुकर्रर करेगा और समझौता हो जाएगा। 30 दिन में विवाद का निर्णय होना जरूरी है। आप क्या कर रहे हो? कृषि उपज मंडी अधिनियम अंतर्गत विवाद का निपटारा होगा। पढ़ा आपने कि कृषि उपज मंडी अधिनियम में विवाद के निपटारे के लिए क्या-क्या लिखा है?

इसी तरह आपने सैक्शन 14 के अंदर, क्या लेकर के आए हैं? कोई भी विधि जानने वाला व्यक्ति, मैं देख रहा हूं, ऊर्जा मंत्री जी के चेहरे पर आने वाले भावों को देख रहा हूं। इनको पीड़ा हो रही है। यातायात मंत्री जी, कोई भी पढ़ा-लिखा आदमी इसको सुनेगा तो कहेगा कि किस प्रकार का कानून है? राज्य सरकार द्वारा पारित अब तक के सभी कानूनों को ओवर राइडिंग इफैक्ट होगा। केन्द्र का कानून पहले है। आप किस प्रकार केन्द्र के कानून को ओवर राइडिंग इफैक्ट करोगे? आप फैडरल सिस्टम पर कितनी चोट करोगे?

अध्यक्ष महोदय, इसी में सैक्शन 15 के अंदर, अब केन्द्र ने कानून पारित किया, सिविल कोर्ट की अधिकारिता को समाप्त कर दिया। आपने कह दिया कि विवाद को निपटाने में सिविल कोर्ट को अधिकार होगा। आपको मालूम है, नेशनल जुडीशियल डाटा ग्रिड को मैं देखकर आया था, 16,78,213 मुकदमे राजस्थान में दिसम्बर, 2018 तक लम्बित थे।

इसी तरह से आप एक और संशोधन ले आए। किसान को परेशान करेगा तो सज़ा दे देंगे। कौनसे कानून में सज़ा दोगे? कहां एफआईआर दर्ज होगी? कौनसे एक्ट में एफआईआर दर्ज होगी? परेशान की डेफिनेशन तो बताते कहीं पर। उसके बाद 16 (क) में नियम बनाने की शक्तियां, संविधान के अंदर नियम बनाने की शक्तियां आपमें हैं ही नहीं तो आप कैसे बना रहे हैं, यह मेरी समझ के परे की बात है।

अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा बिल लेकर के आए हैं, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार, इसमें क्या लेकर के आए हो? इसको आपने पढ़ा नहीं। पढ़ना चाहिए था, कृषि मंत्री हो। धारा 5 में एक परन्तुक जोड़ा है आपने। परन्तुक जोड़कर के क्या किया है? केन्द्र सरकार की जो धारा 5 है, 5 (ए) में लिखा है कि संविदा खेती में किसान और करार कर्ता में करार होगा तो गारंटेड मूल्य का प्रावधान होगा, फसल चाहे खराब हो, अच्छी हो। अगर संविदा खेती में करार होगा तो जो गारंटी मूल्य तय होगा, वह मिलेगा। उसके अंदर 5 (बी) में यह भी कर दिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि उसको अगर कोई बोनस भी मिलेगा, बोनस का प्रावधान है तो वह भी मिलेगा। आपने क्या जोड़ दिया? आपने कहा कि एमएसपी या एमएसपी से अधिक कीमत अदा होगी। एमएसपी का इससे क्या संबंध है? मंत्री महोदय, यह वैकल्पिक कानून है। किसान चाहेगा तो वैकल्पिक कानून के आधार पर इस कानून को अपनाएगा, चाहेगा तो नहीं अपनाएगा। मैं समझता हूं कि जब देश के प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री जी ने, मैंने पहले कह दिया और अब आप किस प्रकार से कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 7 में आप फिर एक अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। आपका भगवान ही मालिक है। केन्द्र सरकार ने कहा कि किसान की फसल, विक्रय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप फिर कर लगाने का प्रस्ताव ले आए। किसान पर मंडी टैक्स लादने का प्रस्ताव ले आए। आपकी आत्मा में दर्द नहीं होता क्या?

इसके साथ ही आपने एक बात और कही। अब मंत्री जी आप पर बात आएगी। आप आढ़तिया हो न? अब जो टैक्स होगा, उसमें क्या लिखा है, सरकार लाइसेंस व्यापारी, आढ़तिया, एजेंट जो किसान के लिए फसल का विक्रय करेगा और टैक्स लेगा, वही इसका प्रायोजक है, वही इस टैक्स को भरेगा। यह क्या है? कैसे भरेगा? प्रायोजक की क्या डेफिनेशन है? इन सभी को डाल दिया। वह टैक्स कलेक्ट करेगा, टैक्स कहां से आएगा? किसान की जेब से आएगा न।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको क्योंकि आप आढ़तिया का व्यापार भी करते हो। यह जो 7 (2) के अंदर संशोधन लेकर के आए हैं, केन्द्रीय अधिनियम में असेंशियल कमोडिटी एक्ट में स्टाक सीमा पर, यह तो केन्द्र सरकार ने समाप्त कर दिया। आप इसको भी लागू करना चाहते हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैं मेरी समय सीमा में ही हूं। मैं जल्दी ही पूरा कर लूंगा। सैक्शन 13 के अंदर केन्द्र सरकार ने मध्यस्थता से निपटारे का एक मैकेनिजम तैयार किया। आप मंडी समिति के अधिनियम के अनुसार करना चाहते हो। यह क्या है? आपने सैक्शन 19 के अंदर, (व्यवधान) आपको तकलीफ है? मैं तो इनको देख रहा हूं, आपको देख ही नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपको देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं है। आप लार्डशिप हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी पुरानी दोस्ती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरे को बड़ी-बड़ी आंखों से डरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप उधर देख क्यों रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं तो डीरेल हो गया।

श्री अध्यक्ष: उधर देखेंगे तो डराएंगे। आप उधर देख क्यों रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं डीरेल हो गया न?

श्री अध्यक्ष: आप मेरी तरफ देख कर बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 19 के अंदर फिर से सिविल कोर्ट को अधिकार दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, मैं समझता हूं कि सारे कानून, अगर दोनों कानूनों को पढ़े तो निश्चित तौर पर भाव यह निकलेगा कि ये संवैधानिक प्रावधानों को धता बताकर इस कानून को लेकर आए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 में संशोधन, वाह, क्या उपबंध है? यह आप लेकर आए हैं, इसमें आपने किया क्या है कि इसमें एक तो धारा 3(1क) उपधारा (1) में संशोधन किया है और नई धारा 5, 6, 7 जोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 27 सितम्बर, 2020 को, 65 वर्ष के बाद केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया है और इसके आधार पर आलू, टमाटर, प्याज, तिलहन, दाल, कृषि जिंस की स्टाक लिमिट समाप्त कर दी। ये आपके घोषणा पत्र का भी हिस्सा है, जो मैंने पढ़कर सुनाया है। आपका अपने घोषणा-पत्र से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र से आपका सम्बन्ध दूर-दूर का नहीं। इसमें केन्द्र सरकार ने धारा 3(1) में जो किया, उसमें असाधारण परिस्थितियों में स्टाक सीमा लगाई जा सकती है, जिसमें प्राकृतिक आपदा आ गई, युद्ध हो गया, अकाल हो गया, असाधारण कीमत वृद्धि हो गई, ठीक इसी तरह का है। आप लेकर आ गए, जरूरत क्या थी, एक शब्द का हेरफेर नहीं, इन्हीं असाधारण परिस्थिति में राज्य सरकार स्टाक सीमा लगा सकती है। ये लेकर आ गए आप। वो समय था जब देश में खाद्यान्न कम थे, 1955 में, देश की आजादी के बाद में, आस्ट्रेलिया से गेहूं आया करता था, हम में से कई साक्षी हैं इस बात के, आज देश में अनाज उत्पादन, जिस तरह से आपने कहा कि निश्चित तौर पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

धरती का सीना चीरने वाले किसान ने कमाल ही कर दिया, हमारा बुवाई का रकबा बढ़ता जा रहा है, अनाज का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जो अनुभव हुआ कि कृषि जिंस में किसी स्टेट में मांग और आपूर्ति का आंकड़ा कम रहा, किसी में ज्यादा रहा। किसान को भंडारण के लिए आधुनिक सुविधा मिले, इसके लिए 5 जून, 2020 को कोरोना के विशेष परिस्थिति में अनुभव को देखते हुए आर्डिनेंस केन्द्र सरकार लाई और मैं समझता हूं कि अब जिस प्रकार आप लेकर आए हो, केन्द्र सरकार के संशोधन के ठीक वैसे के वैसा, 3(1क) में एक द्वितीय परंतुक के अलावा एक और परंतुक लगाकर आप कोई असाधारण परिस्थिति, अकाल और उसकी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून और आपने देखा होगा कि केन्द्र सरकार का आप अभी कह रहे थे। आपको मालूम है कि इस बार का बजट कितना है? 2020-21 का 1 लाख 34 हजार करोड़ का बजट है कृषि का, यूनियन गवर्नमेंट का। आपके समय में, 2009-10 में 12 हजार करोड़ रुपये था। कभी सुना आपने? 70 हजार करोड़ रुपये हर वर्ष किसान के खाते में प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना में जाते हैं। आपको अपना कालखण्ड याद होगा, 2008 में आपने एक बार 55 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए थे, उसकी तूती बजाते रहे। उसमें कितनी अनियमितताएं हुईं?

आज आत्मनिर्भर भारत में कृषि की संरचनाओं को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आज आप लोग सहकारिता को भी देखते होंगे, ढाई करोड़ किसान जो जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में नहीं आ रहे थे उनको किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में जोड़ने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार इस समय जो मैंने कहा, राजस्थान के अंदर विषम परिस्थितियां हैं, आज पूरा राजस्थान दहशतगर्दी की जिंदगी में जी रहा है। अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू हैं। विशेष सत्र बुलाकर आप नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर चर्चा करते, विशेष सत्र बुलाते आप। आपके सेंटर फोर मॉनिटरिंग आफ इंडियन इकोनोमी में जो बेरोजगारी के आंकड़े दिए हैं, उनके लिए आप विशेष सत्र बुलाते। आप सदन का समय जाया करते हैं। इस प्रकार का कानून जो संवैधानिक तौर पर, जिस कानून को रोकने की आप कोशिश करते हो, आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर नहीं सकोगे, हिन्दुस्तान का किसान आपसे जवाब मांगेगा। किसान के कल्याण के लिए, किसान की बहबूदी के लिए, किसान की उन्नति के लिए जो कानून देश की सरकार लेकर आई है, नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में निश्चित तौर पर 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी होगी, आप जितने रोड़े अटकाना हो, अटकाना। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीश चौधरी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे से पूर्व वक्ता की भाषा में अहंकार, उनकी भाषा के अंदर जो राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया, जनता पार्टी, कल्याण सिंह कालवीजी के संरक्षण से लेकर आज आरएसएस के संरक्षण के अंदर वे भूल गए अपनी जड़ें, जब ये खुद डंकल के खिलाफ कल्याण सिंहजी कालवी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर विरोध करते थे। मैं जानता हूं इनकी मजबूरी, राजनीतिक तौर पर अपने आपको रेलेवेंट रखने के लिए ये सब भाषा का उपयोग करना पड़ रहा है। ये मन में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बिल जो केन्द्र सरकार लेकर आई है, कितने किसान के पक्ष में है और कितने अडानी और अम्बानी के पक्ष में है, परंतु इनकी विवशता भी मैं जानता हूं जिसके कारण ये खड़े होकर अपनी जड़ों को भूलकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इस सदन के अंदर प्रकट कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो तीन बिल केन्द्र सरकार लेकर आई है, लम्बा-चौड़ा इनका नाम था, ज्ञानी सदस्य ने उनका नाम भी लिया, एक साधारण किसान उनके नाम न तो याद रख सकता है न ही उसको उच्चारण कर सकता है। अगर एक साधारण किसान के नजरिये से मैं तीनों बिलों का देखना चाहता हूं तो साधारण तौर पर इन तीनों बिलों की अगर परिभाषा नजर आती है तो पहला बिल, जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति बिल, जिसको ये कह रहे हैं कि हमने स्वतंत्रता दे दी। दूसरा बिल, जिसकी ये बात कर रहे हैं, साधारण भाषा में मंडी तोड़ो और एमएसपी छोड़ो बिल के तहत हम लोग साधारण किसान के रूप में देख सकते हैं। तीसरा बिल, बंधुआ मजदूर बनाने के लिए, बंधुआ मजदूर कानून के तहत।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भूल गए हैं, हम लोग मजदूर हुआ करते

(श्री हरीश चौधरी)

थे। ये आज 65 साल का उल्लेख कर कर रहे हैं, 65 साल के अंदर वह दिन भी था, इस सदन के अंदर 15 अक्टूबर, 1955 जिस दिन हमको इस कांग्रेस सरकार ने, उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने मजदूर की जगह किसान बनाया। हमारे विरोधी जो आज हमारे सामने बैठे हैं, उन्हीं के साथ बैठने वाले कई लोगों ने विरोध भी उसका किया, इस सदन के अंदर वो रिकार्ड भी इस बात का है। उस वक्त कई विरोधी पक्ष के लोगों ने विरोध किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि किसने इस बिल की मांग की? किसने मांग की? किसी किसान ने मांग की? किसी किसान संगठन ने मांग की केन्द्र सरकार से? हमारे चार पीढ़ी में किसी ने मांग की? किसी ने मांग नहीं की। जोर जबर्दस्ती यह कह रहे हैं कि किसान हित के लिए ये बिल लेकर आए, किसान हित के लिए बिल लेकर आए। उनके खुद के पार्टी के अंदर भी किसने इसकी मांग की? किसी ने मांग नहीं की। चार पीढ़ी के अंदर किसी ने मांग की हो तो बताएं? एक सहयोगी दल, अकाली दल ने तो इनका साथ छोड़ दिया। दूसरा सहयोगी दल, जो दुष्यंत चौटाला का है, उनकी मजबूरी हमारे इन वरिष्ठ सदस्य की मजबूरी की तरह है कि वे इस किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनके परदादा, चौधरी देवीलालजी ने यह मांग की? उनके दादा, ओमप्रकाश चौटालाजी ने मांग की? उनके पिता, चाचा, अभय, अजय चौटाला ने मांग की या दुष्यंत चौटालाजी ने मांग की? चार पीढ़ी के अंदर किसी ने मांग नहीं की, फिर भी जोर जबर्दस्ती ये कह रहे हैं कि किसान की स्वतंत्रता, किसान हित के अंदर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यंग्य के लिए तो इन्होंने जरूर तीन-चार दफा यह उल्लेख किया कि हमारे सम्मानित कृषि मंत्री आढ़तिये हैं। आज हम लोग मजदूर से किसान बने हैं और किसान से अगर व्यापारी, आढ़तिये और सरकारी नौकर बने तो आपके पेट में मरोड़े आ रहे हैं? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, इससे किसको तकलीफ हो सकती है? इस बिल के माध्यम से लम्बा-चौड़ा भाषण देने वाले, एक तरफ तो ये बात करते हैं, आपदा में अवसर, ये आपदा में अवसर किसको दे रहे हैं? किसान को तो आपदा में अवसर नहीं दे रहे हैं, उन अडानी, अम्बानी को आपदा में अवसर दे रहे हैं। सिर्फ उनके हितों को मजबूत करने के लिए ये बिल लेकर आए हैं केन्द्र सरकार की तरफ से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल जो केन्द्र सरकार लेकर आई है वह

(श्री हरीश चौधरी)

हम लोगों को कह रहे हैं कि पढ़ा नहीं, हां, हम किसान लोग कम पढ़े-लिखे हैं, आप लोगों की पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, हम कम पढ़े लिखे हैं, पर नादान हम भी नहीं है। हम लोगों के अंदर भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा? ये बिल जो केन्द्र सरकार लेकर आई है, वह सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यूएसए, यूरोप और अमेरिका के जो वहां के कानून थे, उनको कट पेस्ट करके यहां देश में लेकर आए हैं। वहां वॉलमार्ट जैसे बड़े पूंजीपतियों की ताकत बढ़ाने के लिए उन देशों ने यह व्यवस्था की और यहां आप लोगों ने अडानी और अम्बानी के लिए की। आप उसको खुद पढ़ लो और उसकी तुलना कर लो, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। आप इन दोनों की तुलना करो और आप खुद ही इसका उत्तर ढूंढ लो।

(12.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, आज अमेरिका में 60-70 साल पहले जो व्यवस्था थी, ये कह रहे हैं किसानों की आजादी, ओपन मार्केट, किसानों को किसने बंधुआ बना रखा है?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कांग्रेस ने।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): यह तो आपकी मजबूरी है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। यह आपका मुख बोल रहा है, आत्मा नहीं। अध्यक्ष महोदय, जिस जिले से मैं आता हूं बाड़मेस्जैसलमेर से, हम वहां जीरे की फसल करते हैं। हमें किसी ने नहीं रोका। हमें राजस्थान में उपज के सही दाम नहीं मिल रहे थे। हम ऊंझा की मण्डी में जाकर बेच रहे थे, किसी ने नहीं रोका। देश में कोई भी किसान कहीं भी जाकर बेचे। आज बिहार का किसान अपने धान पंजाब और हरियाणा में बेच रहा है। कोई भी नहीं रोक रहा। किस रुकावट की ये बात कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों नागौर गया। वहां मैंने किसानों से पूछा, क्या आप अपनी उपज सीधे व्यापारी को बेच सकते हैं या नहीं? हमारे देश की एक नामी कम्पनी है एमडीएच, आपने भी देखा होगा, वे मूंछों वाले बुजुर्ग जो उनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन्हें बेचने के लिए उनका खुद का खरीद सैंटर नागौर में है। उस खरीद सैंटर पर सीधा बेचने के लिए किसान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जयपुर से बाहर निकलकर आप नागौर में पता कर लें, हनुमानगढ़ जाना तो आप भूल गये, पर नागौर जाकर आप यह चीज देख लें। वहां सीधे बेचने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है।

(श्री हरीश चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, आज अमेरिका में क्या स्थिति है? इस तरह के फ्री मार्केट की ये जो बात कर रहे हैं, हमारे देश के कृषि विशेषज्ञ देवेन्द्र शर्मा जी ने इस बात का उल्लेख किया कि उन्हें अमेरिका के एक किसान ने बताया कि आज वह जो मक्का बेच रहा है, उसे उसकी 1972 से भी कम कीमत मिल रही है जिस पर उस समय उसके पिताजी ने बेचा। यह है अमेरिका की स्थिति। क्या आप उसी स्थिति पर भारत के किसान को ले जाना चाह रहे हैं? अमेरिका के किसानों की क्या स्थिति है? क्या भारत के पास उनके जैसी आर्थिक ताकत है? आज अमेरिका के किसानों में 31.68 लाख करोड़ रुपये बैंकरप्सी है। यह अमेरिकी माडल आप हमारे यहां लाना चाहते हैं? इस अमेरिकी माडल से हमारी तुलना करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, इस अमेरिकी माडल में सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी के आधार पर किसान खेती करते हैं, दूसरा कोई आधार नहीं है। वहां सब्सिडी प्रत्येक किसान प्रत्येक वर्ष 44 लाख रुपये है, भारत में प्रत्येक किसान प्रत्येक वर्ष 15 हजार रुपये से कम सब्सिडी है। आप हमें सब्सिडी ड्रिवन व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारे किसान के साथ क्या होगा?

दूसरा उदाहरण हमारे खुद के देश का मैं बताना चाहता हूं। बिहार में 2006 में एपीएमसी व्यवस्था खतम कर दी गयी। आज बिहार के किसानों की क्या स्थिति है? हम थोड़े कम पढ़े-लिखे जरूर हैं, पर आप ज्यादा पढ़े-लिखे लोग आज के इंडियन एक्सप्रेस में इस आर्टिकल को पढ़ लें कि बिहार में किसानों की आज क्या स्थिति है। बिहार के किसान आज भी यह मांग कर रहे हैं कि हमें पंजाब जैसी मण्डी की व्यवस्था चाहिए। यदि आंकड़ों की आप बात करते हैं, आंकड़ों का खेल आप खेलते हैं तो इसमें यह उल्लेख है कि पूरे देश में लगभग 390 लाख टन की खरीद होती है। उसमें बिहार में जो आप एपीएमसी का आदर्श माडल बता रहे हैं, 5 हजार टन, मात्र 5 हजार टन। आप किस व्यवस्था की ओर लेकर जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, आज बिहार में किसानों की स्थिति कहां पहुंची हुई है? आज उन्हें विवश होना पड़ रहा है कि अपना धान पंजाब और हरियाणा में बेचें। इन्होंने लम्बी-चौड़ी बात की, किसानों के दर्द की बात की। राहुल गांधी से शिकायत की बात की। हां, हमारे यहां व्यवस्था है। राहुल गांधी के पास जाकर पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी जाकर अपनी बात रख सकता है। हमारे यहां आप जैसी स्थिति नहीं है कि आप अपने स्वयं के नेतृत्व के पास अपनी भावना तक भी नहीं रखना चाहते।

(श्री हरीश चौधरी)

मैनिफैस्टो की बात की गयी। इन्होंने पूरा मैनिफैस्टो नहीं पढ़ा। अगर पूरा मैनिफैस्टो लाइन से पढ़ते तो इन्हें अच्छी तरह से पता चल जाता कि किसानों के हित के लिए उन्होंने क्या बात की है। मैं कम पढ़ा-लिखा जरूर हूं, पर मुझे अच्छी तरह से पता है, मैनिफैस्टो मैंने भी पढ़ा है। मेरा डीएनए अहंकार का नहीं है। मेरा डीएनए संघर्ष से आकर यहां तक पहुंचने वाला है। जो कुछ भी हम कहेंगे, उसमें कमी बेशी भी हो सकती है, विनम्रता से आपकी बात सुनेंगे और यदि उसमें कमी होगी तो उसे सुधारने का डीएनए है। हमारा डीएनए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जो बोल दिया, पढ़ दिया, वही सत्य है।

अध्यक्ष महोदय, क्या-क्या चोट इन्होंने नहीं पहुंचायी? जैसे ही सरकार में आये, नरेन्द्र मोदी जी ने सबसे पहला फैसला लिया भूमि अधिग्रहण बिल का। राहुल गांधी जी, जिनका आपने सदन में उल्लेख किया, उन्होंने भट्टा परसोल में पदयात्रा की। उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून के माध्यम से किसानों की जो ताकत सरकार के पास, कारपोरेट के पास थी, वह वापस किसान को दी। उसके विपरीत इन्होंने एक बार नहीं, कई दफा भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन लाकर उसके तहत कारपोरेट को ताकत देने का प्रयास किया, पर अंत में इन्हें हारना पड़ा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अंत में किसान जीतेगा और आप लोगों की सोच, आप लोगों का फैसला हारेगा। इतिहास इस बात का गवाह है। आज इस सदन में आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। आखिर में किसान जीतेगा। आज जरूर आप उन्हें भूल गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये आस्ट्रेलिया के गेहूं की बात कर रहे हैं। हमारे पास दो समय का अनाज नहीं था, रोटी नहीं थी, भूखे सोते थे हम। आज हमारे पास तन पर कपड़ा है। वे दिन हम नहीं भूले, जब हमारे परिवारों को भूखा सोना पड़ता था। ये बोल रहे हैं कि 65 साल में हुआ क्या है? मेरा निवेदन है, जो किसान हरित क्रांति लेकर आये और हमें आत्मनिर्भर बनाया, उनकी बात तो जरूर बोल देते। अपवादस्वरूप ही वह बात बोल देते, पर उनका भी उल्लेख नहीं किया। जैसे कि इस देश में 65 साल में कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, वह अब हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आज हम पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को भूल रहे हैं। जिस समय हमारा परिवार भूखा था, उस समय संसाधन भी नहीं थे। उन्होंने रात-दिन हरित क्रांति लाकर

(श्री हरीश चौधरी)

आत्मनिर्भर बनाया। हमारा पेट उनके खून-पसीने से की गयी मेहनत से भरा। हमारे परिवार में दो समय की रोटी नहीं हुआ करती थी। अनाज नहीं मिलने के कारण खेजड़ी की छाल, अमेरिका से आयात किया हुआ अनाज हमने खाया, हमारे परिवार के कई सदस्यों को जो हमारी देसी भाषा में कहते हैं रतौंधी जैसी बीमारियां हुईं। पंजाब, हरियाणा इन सब किसानों ने हरित क्रांति के माध्यम से देश को इस स्थिति में पहुंचाया। आज उन्हें भूल गये।

अध्यक्ष महोदय, किसान के लिए जमीन क्या होती है? व्यंग्य में तो हम किसान के लिए कुछ भी बोल लेते हैं, किसान के लिए जमीन उसकी मां होती है। उस मां की कोख में उन्होंने जहर डालकर हमें भूखा सोने से बचाया है। जिन स्वामीनाथन जी की बात ये कह रहे थे, उन्हीं स्वामीनाथन जी ने उस समय यह बात की कि ये पूरे के पूरे आप खाद, पैस्टीसाइड्स, इनका उपयोग करें, तब जाकर हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। उन किसानों ने अपनी मां की कोख में जहर डालकर हमें भूखा सोने से बचाया है। आज हम उन्हें भूल रहे हैं। लोक सभा में उनकी संख्या कम है, यह पैमाना करके कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी जगह से हम भरपाई कर लेंगे। इस सोच से आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज किसान के लिए ये क्या कर रहे हैं? आज कोरोना के समय में जब देश का किसान अपना आलू एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, अपना प्याज एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो उनके एक्सपोर्ट्स पर उन्होंने पाबंदी लगा रखी है। कोरोना के कारण देश के पशुपालकों के पास अपना दूध बेचने में कमी आयी है। उनके पास एक विकल्प था कि वे मिल्क पाउडर बनाकर अपने खुद के पास उस दूध के माध्यम से जो आर्थिक ताकत थी, उसे रख सकें। अध्यक्ष महोदय, उसमें इन्होंने क्या किया, देश में मिल्क पाउडर ला सकें, उसका इम्पोर्ट कर सकें, इस तरह का इन्होंने फैसला किया।

आज ये बात कर रहे हैं 56 इंच के सीने की। अध्यक्ष महोदय, कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी देश में कि देश का कोई 56 इंच के सीने का प्रधान मंत्री किसान को प्रत्यक्ष तौर पर कोई ताकत दे रहा है, उसके खिलाफ फैसला करें। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री पद पर आये, उन्होंने फैसला किया कि एमएसपी के ऊपर कोई भी राज्य सरकार बोनस नहीं दे सकती। यह फैसला किया या

(श्री हरीश चौधरी)

नहीं किया, यह उनको अच्छी तरह से पता है, देश को अच्छी तरह से पता है। ऐसा फैसला भी कोई कर सकता है? बात जरूर कर रहे हैं किसानों की आमदनी दुगुनी करने की पर फैसला उसके बिल्कुल उलटा। पिछली दफा अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने एमएसपी के ऊपर गेहूं में बोनस दिया था अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य अगर हनुमानगढ़ में किसी से सम्पर्क में रहते हैं तो उनको भी पता था कि हनुमानगढ़, गंगानगर के किसानों को भी 200 रुपये बोनस मिला था। उसको किसने रोका? उसको 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति ने रोका। उस 56 इंच के सीने का देश के लिए, किसान के लिए नहीं होकर कारपोरेट, अडानी और अम्बानी के लिए उपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो शांताकुमार की रिकमंडेशन है उसके माध्यम से एफसीआई को खतम करें, एमएसपी को खतम करें और पीडीएस की व्यवस्था की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले वाले हमारे सदस्य ने कम समय लिया तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा समय इनकी बातों का जवाब देने के लिए दें। जो पहला बिल फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड के सम्बन्ध में था, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ये मण्डी है किसकी? इन लोगों को पता नहीं कि मण्डी है किसकी? मण्डी हमारी है, मण्डी किसानों की है। मण्डी किसी सरकार की नहीं है। मण्डी समिति के अन्दर किसान के प्रतिनिधि बैठते हैं। कहने के लिए तो ये सर छोटूराम जी की बात करते हैं पर सर छोटूराम जी की यह सोच थी जिसके तहत भारत को ये मण्डियां मिलीं। ये लोग कथनी और करनी में बहुत अन्तर रखते हैं। भगत सिंह जिन्दाबाद करते हैं पर मेरा निवेदन है कि एक बार आप पढ़ लोगे कि भगत सिंह जिन्दाबाद करने के बाद आपको आरएसएस की विचारधारा से कितनी सहमति होगी, कितनी असहमति होगी, पर कहने के लिए जो अच्छा लगता है उसके लिए ये सब करते हैं।

आज ये बात कर रहे हैं कि मण्डी के अन्दर किसी किसान का विवाद होगा तो क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि किसान का मण्डी के अन्दर किसी आढ़तिये, व्यापारी से विवाद हुआ तो उसके 100 प्रतिशत मण्डी समिति के अन्दर ही पूरे फैसले हुए हैं। एक भी केस यहां डायरेक्टर, मण्डी बोर्ड के अन्दर नहीं आया। यह इसलिए हुआ कि वह निर्णय की किसान के पास ताकत है। वह ताकत आप एसडीएम और कलेक्टर के पास लेकर जाना चाहते हो तो वहां किसान के साथ न्याय होगा, अन्याय होगा, यह

(श्री हरीश चौधरी)

अच्छी तरह से जानते हैं अध्यक्ष महोदय। किसानों को बाजार के हवाले कर दिया तो उनकी उपज की वाजिब कीमत नहीं मिलेगी। सरकार धीरे-धीरे कृषि मण्डी को बिहार की तर्ज पर खतम कर एमएसपी पर खरीद भी बन्द कर देगी।

अध्यक्ष महोदय, कम समय है इसलिए मैं ज्यादा तो इस सम्बन्ध में नहीं बोल सकता हूं। दूसरी बात, ये फार्मर्स के सन्दर्भ में कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये किसानों के हितों की बात कर रहे हैं तो मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, इनका गुजरात से बहुत ज्यादा लगाव है, गुजरात में पेप्सीको और गुजरात के किसानों के बीच में विवाद हुआ तो गुजरात के किसानों के आलू की खरीद में क्या स्थिति हुई? आज पंजाब के अन्दर जो व्यवस्था पेप्सीको और आलू के किसानों की थी कि जब भाव ज्यादा था उस समय तो आलू खरीद लिया और भाव कम थे तो क्या तर्क दिया कि आलू की साइज कम है इसलिए हम खरीद नहीं सकते। उनकी पीड़ा आप जाकर देखो।

अध्यक्ष महोदय, इस कानून के अन्दर इन्होंने क्या उल्लेख किया, गुणवत्ता। अध्यक्ष महोदय, किसान गुणवत्ता के सम्बन्ध में कितनी जानकारी रखता है, यह अच्छी तरह से पता है। मैं हनुमानगढ़ और गंगानगर गया, कम से कम 10 जगह हम लोगों ने जन-संवाद किया। आज ये व्यंग्य कर रहे हैं कि 500 जने उस हाल में नहीं हैं। इनके खुद के गृह जिले हनुमानगढ़ के नोहर के अन्दर जाकर पता कर लेना कि रात को 12 बजे किकराली के अन्दर 5 हजार किसान इस बिल के सम्बन्ध में खड़े थे, नहीं तो मैं आपको उसका वीडियो शेयर कर लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, गुणवत्ता के अन्दर जो गेहूं के प्रोटीन का पैमाना है, गंगानगर, हनुमानगढ़ के किसान से मैंने पूछा कि किसी को पता है क्या कि गेहूं की गुणवत्ता का क्या पैमाना है तो किसी को पता नहीं है। ये बड़े लोग जब खरीदना होगा तब तो खरीद लेंगे और नहीं खरीदना होगा तो कह देंगे कि गुणवत्ता के अन्दर प्रोटीन कंटेंट ठीक नहीं है इसलिए हम खरीद नहीं सकते। बाड़मेर के किसानों के साथ अन्याय हुआ। बाड़मेर के किसान फसल बीमा योजना के तहत, जिसका बहुत महिमामंडन किया गया, 1200 करोड़ रुपये का हम लोगों का क्लेम सैटल हुआ प्रतिपक्ष के नेता महोदय। टाटा एआईजी, जो एल-1 होने के कारण दिल्ली में कृषि मंत्रालय में इसी तरह की कमेटी के सामने गई और जिस पैमाने पर गई उस पैमाने के बिलकुल उलट उन्होंने

(श्री हरीश चौधरी)

फैसला किया कि नहीं, यह 1200 करोड़ का क्लेम नहीं हो सकता और 450 करोड़ से कम बाड़मेर के किसानों को वह क्लेम मिलेगा। राजस्थान सरकार उससे ऊपर वाली कमेटी के पास गई कि हम लोगों को न्याय नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, किस किसान के पास ताकत है जो अपने हित के लिए हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? आपके पास ताकत जरूर है, हम लोगों के पास ताकत नहीं है कि वहां जाकर फैसला करवा सकते हैं। यह स्थिति है किसानों की। आज किसानों और जो बड़े कारपोरेट्स हैं उनके बीच में अनुबन्ध होगा, तो जो 20-20, 25-25 पेज का जो अनुबन्ध होगा उसको कोई किसान पढ़ सकेगा? लीगली क्या वह लड़ सकेगा? सबको अच्छी तरह से पता है कि वह लड़ नहीं सकेगा। उसके बावजूद भी ये स्थितियां कर रखी हैं।

अध्यक्ष महोदय, अंत में इन्होंने असेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में बात की। ये किसकी मदद करना चाहते हैं? ये कालाबाजारी कर आप किसकी मदद करने की मन्शा कर रहे हैं? 2015 के अन्दर जिनकी इन्होंने मदद की है, वापस उनकी ही मदद करना चाहते हैं। ढ़ाई लाख करोड़ रुपये की आपने उन लोगों को घोटाले के माध्यम से ताकत दी, जिस दिन 2015 में आपने 45 रुपये किलो की दाल का आयात किया और देश के आम उपभोक्ता को 250 रुपये में बेची। यह आपका मकसद है, उन्हीं कारपोरेट अडानी, अम्बानी को आप मदद करना चाहते हैं। आम उपभोक्ता की मदद के लिए यह कानून नहीं है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार जो बिल लेकर आई है उसके अन्दर ये बात कर रहे हैं कि क्या दिया राजस्थान सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने बहुत दिया है, आप लोगों जैसे नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, अभी लम्बी चौड़ी घोषणा प्रधान मंत्री ने की और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने की और उस घोषणा के अन्दर किसानों के साथ क्या अन्याय किया? उन्होंने ब्याज सबके लिए माफ किया पर सिर्फ और सिर्फ किसान को ट्रैक्टर की खरीद के ऊपर। फसल के ऊपर ब्याज माफी से वंचित रखा, यह उन लोगों की मन्शा अपने फैसलों के वक्त रही है। आज राजस्थान सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने एमएसपी के ऊपर बोनस दिया। आप लोगों ने तो फसल बीमा का स्टेट हैड के अन्दर जो पैसा था वह पैसा सरकार में रहते वक्त आपने विज्ञापनों पर खर्च किया और वह पैसा किसानों को नहीं दिया। आपको अच्छी तरह से पता था कि आपका नहीं

(श्री हरीश चौधरी)

दिया हुआ पैसा भी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कृषि मंत्री और उनके मंत्रालय को कि कहां से लेकर आये, वह उसी फण्ड से लेकर आये, जिस फण्ड की आप यहां बात कर रहे हो मण्डी टैक्स के सन्दर्भ में। अध्यक्ष महोदय, जो कानून के अन्दर हम लोगों को अधिकार मिला उसके अन्दर भी इनको तकलीफ है। हमारे साथ अहित होगा तो किसी भी अहित करने वाले को मण्डी के सम्बन्ध में उनको सज़ा का प्रावधान है इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि खेत के अन्दर अगर कोई भी कब्जा कर लेगा तो वहां के एसपी को पाबन्द किया गया है कि वह 24 घंटे में पुलिस मुहैया कराकर छोड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम एक चीज के लिए तो ये धन्यवाद दे देते कि 5 एकड़ से कम जमीन की अब राजस्थान में कोई भी कुर्की नहीं कर सकता। इसके लिए तो धन्यवाद देते, इसके लिए तो आपके पेट में मरोड़े नहीं आते।

अध्यक्ष महोदय, ये जो ताकत की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या खेल खेला, वह पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। मण्डी टैक्स के माध्यम से वह ताकत हमको मिलती है। हमारे परिवार के किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो वह ताकत हमारे लिए काम में आती है। मण्डी के अन्दर किसान जाता है उसके लिए होता है, सड़कों के लिए होता है, खालों के लिए होता है।

जो आपने पैट्रोल, डीजल के अन्दर खेल खेला है, सैस के माध्यम से किसानों से लूट रहे हो, जीएसटी, वैट का अगर करते हैं तो किसी राज्य सरकार को उसके अन्दर भागीदार बनाना पड़ता है पर सैस के माध्यम से आपने जो ताकत ली है पर उन कारपोरेट्स के लिए 3-3 लाख करोड़ रुपये तक का टैक्स लेना तो किसान से है और देना कार्पोरेट्स की जेब में है, यह इनकी मन्शा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख हुआ कि किसान के लिए आज यहां महाभारत वाली स्थिति है, यहां दो तरफ में से एक तरफ आपको रहना पड़ेगा, कौरवों या पाण्डवों की तरफ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड-अप करें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): या तो अडानी, अम्बानी की तरफ रहना पड़ेगा या आपको किसान की तरफ रहना पड़ेगा। मेरा वापस निवेदन है कि आप अपनी आत्मा से जुड़कर फैसला कर लो कि आपको किसान की तरफ रहना है या नहीं। अंत में अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूं

(श्री हरीश चौधरी)

जिस समय यह बिल लाने की कोशिश किसी ने भी की, मैंने एमपी के तौर पर, अपनी पार्टी के प्लेटफार्म के ऊपर भी उसका विरोध किया। मैं आज यही निवेदन करता हूं कि उसी तर्ज के ऊपर आप भी अपनी पार्टी के अंदर उसका विरोध करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार जो ये तीन कृषि सुधार संबंधी संशोधन बिल लाई है, मात्र केन्द्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए ये बिल लाई है। इस बिल का अध्ययन किया और मुझे इसमें किसानों के हितों के ऊपर कुठाराघात के अलावा, कुछ लगा नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पर आप केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20 की धारा 7 में जो संशोधन करने जा रहे हैं। इसमें केन्द्र सरकार ने मंडियों पर टैक्स खतम कर दिया और इस बिल के माध्यम से टैक्स को इधर-उधर घुमाकर व्यापारी से टैक्स वसूल करने की बात, इस बिल के अंदर कही गई है। जब कम्पनी टैक्स लेगी तो वह कम्पनी किसानों से ही टैक्स वसूल करेगी तो इसमें किसान का भला कहां होने वाला है। राजस्थान में जब मंडियों के ऊपर टैक्स लगेगा तो कम्पनियां नहीं आएंगी और जिन स्टेटों के अंदर टैक्स नहीं लगेगा, वे कम्पनियां वहां जाएंगी और इस कारण से हमारे यहां प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार किसानों की जो उपज है, उसकी लागत का मूल्य कैसे चुकाएगी।

आज जो ये केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20 की धारा 3 में संशोधन करने जा रहे हैं, उसमें केन्द्र ने कहा था कि कम्पनी और किसान के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसमें आर्थिक दंड का प्रावधान किया था, जबकि राजस्थान सरकार जो यह बिल ला रही है, इसके अंदर तीन से सात साल के कारावास की सज़ा, 5 लाख से कम जुर्माना और उस कम्पनी के सभी डायरेक्टर या भागीदार के ऊपर सज़ा का प्रावधान किया है तो ऐसी स्थिति में सज़ा भुगतने के लिए कौनसी कम्पनी राजस्थान में आएगी और किसानों का भला होने वाला है।

केन्द्र जो कृषि सुधार बिल लाया है, इसमें कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल जोर-जोर से यह हल्ला मचा रहे हैं कि किसानों की जमीन का मालिकाना हक,

(श्री नारायण सिंह देवल)

कम्पनी बन जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी लागू नहीं होगा आदि-आदि कई भ्रम फैला रहे हैं, जबकि केन्द्रीय कृषि सुधार बिल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सुझाव है कि आज जो बिल ला रहे हैं, इसमें जेल की सज़ा का जो प्रावधान है, उसको हटाया जाए। आप आज सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 2020 लेकर आ रहे हैं।

अभी रेवेन्यू मंत्री जी कह रहे थे कि पांच एकड़ की जमीन की कुर्की या नीलामी नहीं होने देंगे, यह अच्छी बात है। पर, इसके आगे भी आप सोचें कि अगर जमीन कुर्क, किसान बैंक से लोन लेता है और लोन अगर नहीं भरेगा तो बैंक उसको री-लोनिंग नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में सरकार इसके ऊपर क्या प्रावधान करेगी, कैसे किसान को लोन देगी, इस बिल में कहीं न कहीं इसका उल्लेख कर देते तो अच्छा है। केन्द्र सरकार जो कृषि सुधार विधेयक लाई है, इसमें करोड़ों किसानों को फायदा होने वाला है। हमारे रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अंदर टमाटर, अनार, पपीता, खजूर और प्याज की फसल होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े आढ़तिए होते हैं और बड़े एक्सपोर्टर होते हैं। वे जब फसल बुवाई होती है, तब एक सर्वे करते हैं कि कितने हैक्टेयर में कौन सी फसल बोई है और कितनी मांग है। अगर मांग के अनुरूप उपज ज्यादा है तो वे हमेशा भाव नीचे कर देते हैं। इस कारण से किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है।

(12.25 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

जब ये फसलें निकलती हैं, किसान के पास रखने के लिए संसाधन नहीं होते हैं तो इनको कम दामों के अंदर बेचना पड़ता है और कई बार हमारे यहां जैसे टमाटर की फसल होती है और जब टमाटर बोते हैं तो टमाटर की कीमत बाजार के अन्दर करीब 15 से 20 रुपये होती है और जब टमाटर निकलता है तो एक-डेढ़ रुपया, दो रुपया में टमाटर बिकता है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी टमाटर की फसल को ट्रैक्टर के माध्यम से खतम कर देता है। केन्द्रीय कृषि सुधार बिल के माध्यम से अगर कोई टमाटर बनाने वाली सॉस कम्पनी आती है तो निश्चित तौर से उस किसान को फायदा होगा। केन्द्र सरकार ने जो बिल में कान्ट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही है। इससे किसान की आय की अनिश्चितता खराब होगी।

(श्री नारायण सिंह देवल)

अभी मैं कृषि मंत्री जी का भी भाषण सुन रहा था और राजस्व मंत्री जी का भी भाषण सुन रहा था। मंत्री महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश में अबकी बार सबसे अच्छी बारिश होने के कारण, अच्छा बाजरा पैदा हुआ है और साढ़े चार हजार क्विंटल बाजरा पैदा होने का अनुमान है। बाजरे की एमएसपी 2150 रुपये क्विंटल है। हमारे जालौर जिले और रानीवाड़ा के अंदर भी बहुत ही अच्छा बाजरा निकल रहा है। आप अगर किसानों के हितैषी होते तो बाजरे को एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज देते, नहीं तो किसानों को 1100 से 1200 रुपये क्विंटल बाजरा बाजार के अंदर बेचना पड़ रहा है। एक हजार रुपये क्विंटल बाजरे का नुकसान हो रहा है।

आपने किसान कल्याण कोष का गठन कर दिया और गुपचुप तरीके से दो परसेंट आपने मंडियों के ऊपर टैक्स लगाया। मंडी व्यापारी, आढ़तिए और हमारी पार्टी ने विरोध किया, तब आपको वह फैसला वापस लेना पड़ा। केन्द्र सरकार 22 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। अगर राजस्थान की सरकार किसानों की हितैषी है तो 22 फसलों के अलावा जो फसलें बच रही हैं, उनको आप समर्थन मूल्य पर क्यों नहीं खरीदते हो? पूरा सदन जानता है कि आप किसानों के कितने हितैषी हैं।

जोधपुर के अंदर 21 जुलाई, 2020 को 21 सूत्री मांग को लेकर एक किसानों का महापड़ाव हुआ, जिसमें पुखराज नामक एक किसान की मौत हो गई और आपकी पार्टी फाइव स्टार होटलों के अंदर आराम फरमा रही थी, नाना प्रकार के व्यंजन आप जीम रहे थे और फाइव स्टार होटलों में आप लोग गाने सुन रहे थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा था, अभी वीसी भी हुई। उसमें यह कहा गया कि हम पांच साल बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। आज जो बिल आ रहे हैं, किसानों के हाथ में जो बिल जा रहे हैं, वह राशि देखकर करंट लग रहा है। ऐसा पूरे राजस्थान का किसान महसूस कर रहा है। आपने फिक्सड चार्ज और फ्यूल चार्ज के नाम से 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। आपकी कथनी और करनी में रात-दिन का अंतर है, ये पूरे राजस्थान का किसान जानता है। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान के अंदर मिलती है, यह आप लोग भी जानते हैं परंतु आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जोधपुर में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि कोरोना काल है, टिड्डी का हमला है, ओलावृष्टि है, उस कारण से 6 महीने के बिजली के बिल आप माफ करें और पिछली भारतीय जनता पार्टी के समय में

(श्री नारायण सिंह देवल)

जो 833 रुपये की सब्सिडी दे रहे थे, वह आप वापस लागू करें। आपने बिजली के बिल माफ करना तो दूर की बात रही, पैनल्टी लगाने का काम किया और किसानों के कनेक्शन काटने के आदेश आप लोगों ने जारी किये। जब इसका भारतीय जनता पार्टी ने जगह-जगह विरोध किया, आंदोलन हुए तो आपको भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेकने पड़े और पैनल्टी आपने माफ की और कनेक्शन नहीं काटने का आपने आदेश जारी किया।

पिछली बार जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जले हुए ट्रांसफार्मर 72 घंटे के अंदर देते थे। अब बिजली मंत्री को मैंने एक कागज भी लिखा और मैंने निवेदन भी किया कि ये क्या स्थिति है। आज जले हुए ट्रांसफार्मर 15-15, 20-20 दिन में आप दे नहीं पा रहे हैं और किसान आज ठगा-सा महसूस कर रहे हैं।

अभी रबी की फसल की बुवाई का समय है। किसान सुबह जाता है और दिन भर अपने एईएन आफिस, एक्सईएन आफिस के बाहर लाइन लगाकर शाम को निराश होकर घर जाता है तो इस स्थिति को आप सुधारें।

प्रदेश के 22 लाख किसान आज भी कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं और जो सहकारी समितियों से लोन मिलता है उसमें भी आपने राइडर लगा दिया और जिसकी लिमिट लाख रुपया है उसको 15,000 रुपये लोन देकर आप इतिश्री कर लेते हैं। पिछले विधान सभा सत्र के दौरान डिफाल्टर किसानों को जो लोन नहीं दे रहे थे, उस बारे में मेरा प्रश्न लगा हुआ था। माननीय सहकारिता मंत्री जी ने आदेश तो निकाल दिया और आदेश पहुंच भी गया परंतु अभी तक आपके पोर्टल में संशोधन नहीं हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): इसलिए इस संशोधन को करके डिफाल्टर किसानों को आप लोन देने की व्यवस्था करें। सहकारिता मंत्री जी, आपके आदेश केवल कागजी आदेश हैं। आप आज ही अधिकारियों से बात करके किसानों को लोन देने की व्यवस्था करें। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अंजना जी उदयलाल।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो 3 संशोधन माननीय कृषि मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं, उसके पक्ष में मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कृषि मंत्री कृषक भी हैं और मंडी के आढ़तिये भी हैं। दोनों तरफ का अनुभव जितना मंत्री

(श्री अंजना उदयलाल)

जी को है उतना शायद सदन के किसी और सदस्य को नहीं होगा। चाहे बड़े वक्ता कितने भी आरोप-प्रत्यारोप लगाएं लेकिन जो यथार्थ है उसका चित्रण माननीय कृषि मंत्री जी ने किया और इसीलिए संशोधन लेकर आना पड़ा है। जब भी कानून देश में बनते हैं तो उसका विरोध राजनीतिक दल अपने-अपने स्वार्थ और अपने हिसाब से करते आये हैं लेकिन ये विधेयक जो भारत सरकार ने पारित कराये हैं, आनन-फानन में उनका विरोध राजनीतिक दलों द्वारा नहीं किया जा रहा है उनका विरोध किसान वर्ग और किसान संगठनों द्वारा किया जा रहा है। यहां की भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसान संगठन भी इसके विरोध में हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने वाले जैसा कि पूर्व वक्ता हरीश जी चौधरी ने कहा कि उनके सहयोगी दल जिस दिन बिल पारित हुआ, उस दिन इनका साथ छोड़कर चले गये। इतनी जल्दी में इस बिल को लाकर के किसानों का कौनसा भला यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली से करना चाहती है। अगर किसानों के मन की बात करनी थी तो किसानों को पहले विश्वास में लेते, अपने जो संगठन के सहयोगी साथी हैं उनको विश्वास में लेते, उसके बाद अगर किसानों के हित में होता तो कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार भी उसका विरोध नहीं करती। लेकिन उसको किस प्रकार से बढ़िया भाषण देकर लीपापोती करके भारत सरकार द्वारा किये गये काम को अंजाम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसके नतीजे बहुत ही विपरीत होंगे।

किसान तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अंग्रेजों के राज में बिहार में नील की खेती कराई जाती थी और किसानों को बंधक बनाकर के काम कराया जाता था और उसका आंदोलन हुआ, वैसी के वैसी ही स्थिति छोटे किसानों की हिन्दुस्तान में होने वाली है और जिसका किसान जबरदस्त विरोध करेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। यह आपको सामने दिख रहा है कि पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान किस प्रकार से आग की ज्वाला में जल रहे हैं और किसान किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। कोई आपसे छुपा हुआ नहीं है।

आज जो आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी उसके लिए भी आपने 2017 में एक विधेयक लाकर के पारित कराया था जिसे व्यापार संवर्धन कहा गया था, जिसको पंजाब के साथ अन्य सरकारों ने भी उसका समर्थन किया। अगर इसी प्रकार से किसानों की आय दोगुनी करने के हिसाब से या किसानों को लाभ देने के हिसाब से कोई आता तो इतना विरोध

(श्री अंजना उदयलाल)

नहीं होता। लोग आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पर हैं लेकिन भारत सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। इसलिए राजस्थान सरकार को और पंजाब सरकार को इस प्रकार से सदन बुला करके अपनी बात कहकर जनता को मैसेज देना पड़ा। मैं तो आप साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इसके पारित होने के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास चलें और साइन करा करके इसको लागू करें ताकि किसानों के साथ अन्याय नहीं हो सके। आज हम 60 प्रतिशत किसान वर्ग के लोग हैं और मेरे अंदाज से मैं सोचता हूं कि 60 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग किसान वर्ग के यहां बैठे हुए हैं। अगर हम अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकेंगे, हमारे भाइयों की रक्षा नहीं कर सकेंगे, हमारी भावी पीढ़ी जो किसान है उन बच्चों को संरक्षण नहीं दे सकेंगे तो हमारा यहां बैठना व्यर्थ रहेगा इसलिए सभी साथियों से यही निवेदन है कि बिना मतलब की ऊपर की बातों में नहीं आ करके जो सत्य बात है, वह भारत सरकार को और आपके उच्च नेतृत्व को भी आपको बतानी चाहिए। जैसा हरीश जी ने कहा कि जब इस प्रकार का बिल हमारे शासन में मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी लाने का प्रयास किया जा रहा था तो हमने पार्टी के प्लेटफार्म पर इसका विरोध किया। यह क्षमता आप में भी होनी चाहिए ताकि हम किसानों के साथ न्याय कर सकें। आज सामान्य बात यहां आ रही है मूंगफली की खरीद के मामले में समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हिन्दुस्तान में किसान आग की ज्वाला में जल रहे हैं। ऐसे समय में मूंगफली को समर्थन मूल्य में खरीदने पर भी भारत सरकार ने रोक लगाई। क्या यह एमएसपी बंद करने का रास्ता नहीं था? वह तो वापस विरोध हुआ पूरे राजस्थान में और मांग की गई बार-बार, तब जाकर के मूंगफली खरीदने का मामला हुआ है। अभी तो ताजा मामला है इस कारण से सब चुप हैं लेकिन धीरे-धीरे एमएसपी खतम हो जाएगा तो इस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय होगा। अगर किसानों की आय दोगुनी करनी है तो जो कानून बनाया है उसमें पहले से ही संशोधन करना चाहिए था कि जो भी जिंस किसान पैदा करता है उन सभी का समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए और समर्थन मूल्य से एक रुपया भी नीचे एक दाना भी बाजार में कहीं नहीं बिकना चाहिए। मंडी में बोली ही उस स्थान से शुरू होनी चाहिए जो समर्थन मूल्य है क्योंकि समर्थन मूल्य फसल की कोस्टिंग निकालकर भी नहीं लगाया जाता, अनुमान से लगाया जाता है जैसे 5,200 रुपये का समर्थन मूल्य है मूंगफली का तो अगले साल 5,300 रुपये कर दो। उसकी लागत क्या आ रही है, किसान को

(श्री अंजना उदयलाल)

महंगी कितनी पड़ रही है। बिजाई, बीज, खाद वगैरह और लागत के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए और सेंट परसेंट जितनी भी किसान की उपज है वह खरीदनी चाहिए। अगर बाजार में कम पड़ रहा है तो किसान की किस प्रकार से भरपाई करेंगे? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल का विरोध करने की बजाय समर्थन करके पारित कराकर राष्ट्रपति महोदय के पास चलें और उसको पारित कराएं।

आज मंडियों में इस प्रकार से बाहर व्यवसाय होने से निःसंदेह मंडियों की हालत खराब हो जाएगी। मंडियों में जो आज आवक है, उस आवक से सीसी रोड बन रहे हैं, मंडियों में व्यवस्था सुधर रही है, किसानों के लिए आरामगृह बन रहे हैं, उचित मूल्य पर खाना मिलता है। व्यापारियों और किसानों का सामूहिक संगठन देखरेख करता है। अगर यह लागू नहीं होता है और मंडी शुल्क में अगर घाटा होता है तो भारत सरकार को यह चाहिए कि जिस प्रकार से चुंगी नाके के अंदर जब चुंगी समाप्त की गई थी नगरपालिकाओं की तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाती थी। उसी प्रकार भारत सरकार को यह आश्वासन भी देना चाहिए कि अगर मंडियों की आय कम हुई तो उसकी भरपाई भारत सरकार करेगी ताकि मंडियां सुचारु रूप से चल सके क्योंकि मंडी एक ऐसा स्थान है जहां सही मायने में मूल्यांकन हो सकता है जिंस का और किसान को वाजिब दाम मिल सकता है। घर बैठे अगर कोई व्यापारी खरीदने आएगा, कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पर काम करेगा तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा और जिस प्रकार से सभी वक्ताओं ने बताया है कि लिटिगेशन होने पर वह कोर्ट में भी नहीं जा सकता और जिस पार्टी की सरकार है, उसी के एसडीएम और कलेक्टर बैठे रहते हैं वह कितना न्याय दे पाएंगे, यह हम राजनीतिक दलों से कुछ छुपा हुआ मामला नहीं है। इसलिए इस पर आपको विचार करना चाहिए और इसका समर्थन करके राष्ट्रपति जी के सामने जाकर के अपने को इस कानून को पारित कराकर के किसानों को राहत देने का प्रयास करना चाहिए ताकि राजस्थान का किसान आपको दुआ देगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा में सरकार कृषि सुधार बिल के नाम पर तीन बिल इसलिए लायी है कि केन्द्र सरकार जो बिल लाई है वह रुक जाए, लेकिन मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि जो केन्द्र सरकार बिल लायी है वह किसानों की

(श्री मदन दिलावर)

आय को दोगुना करने में मील के पत्थर साबित होंगे और इसलिए साबित होंगे कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे और उसी रास्ते को प्रशस्त करने के लिए तीनों बिल लाये गये हैं और इससे पहले आपने देखा होगा कि इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है, समर्थन मूल्य कैसे तय करें इसका फार्मूला तय नहीं था। इनकी मनमर्जी से कभी 25 रुपये बढ़ा दिये, कभी 50 रुपये बढ़ा दिये लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं भारत के प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेंद्र जी मोदी को कि उन्होंने इसका फार्मूला तय किया और कहा कि जो लागत आएगी किसान की, उससे डेढ़ गुना समर्थन मूल्य होगा और वह डेढ़ गुना समर्थन मूल्य तय करने से आपने देखा होगा कि समर्थन मूल्य कई जगह 25 परसेंट बढ़ा, कुछ फसलों पर 30 परसेंट बढ़ा, 100 परसेंट तक बढ़ा है। मैं समझता हूं ऐसा पहली बार हुआ है और जो यह बिल किसान की आय को दोगुना करने के लिये मार्ग प्रशस्त कर रहा है लेकिन इसमें रोड़ा अटकाने का प्रयास कांग्रेस सरकार कर रही है। कांग्रेस वाले भी इससे सहमत हैं कि जो कृषि सुधार बिल केन्द्र सरकार लाई है, वह ठीक है लेकिन इनके नेता ने भाषण दे दिया कि गलत है इसलिए उसको उचित ठहराने के लिये, उसके इशारों पर नाचने के लिये, कांग्रेस शासित मुख्य मंत्री हैं, कांग्रेस शासित सरकारें हैं, वह कठपुतली की तरह नाच कर और अपने विरुद्ध जाकर भी इस कानून को ला रहे हैं। मन से वह नहीं चाह रहे हैं लेकिन उनकी मजबूरी हो गई है। वह तो +++ कठपुतली हो गये इसलिए उनको मजबूरी में यह सब कुछ करना पड़ रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं। स्किप इट।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, इन बिलों में गड़बड़ कहां है, इतना ही तो कहा है कि किसान जो अपना माल कृषि उपज मंडी में बेचता है, अपनी उपज को बेचता है, उसको वह बाहर भी बेच सकता है और केन्द्र सरकार ने कहा है कि जो बाहर बेच सकता है, उस पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा तो फिर उन्होंने कहा कि मंडियों को बंद करने का षड्यंत्र चल रहा है, मंडिया कहां बंद हो रही हैं? मंडियों में भी अगर किसान चाहेगा कि उसको अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छी सुविधा है तो बेच सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन वह बाहर भी बेच सकता है। बाहर बेचने के

(श्री मदन दिलावर)

फायदे यह होंगे कि व्यापारियों की संख्या बढ़ जाएगी। व्यापारियों की संख्या इसलिए बढ़ेगी कि जो पेन धारक है, वह भी व्यापारी बन सकता है। उसको कृषि उपज मंडी का लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। छोटे से छोटे मजदूर आदमी को भी अगर 50-100 क्विंटल अनाज खरीदना है तो भी वह खरीद सकता है। किसान को मंडी में अच्छा भाव मिलता है तो वह वहां जाए, लेकिन एक फायदा किसान को यह होने वाला है कि मंडी में टैक्स लगेगा और मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा। मंडी में अभी भी 2.6 परसेंट टैक्स राजस्थान सरकार ले रही है। 3.6 परसेंट कर दिया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण से मजबूर होकर उनको 2.6 परसेंट करना पड़ा। इसका अर्थ समझते हैं यह। यदि एक बोरी गेहूं मंडी में बिकता है तो 52 रुपये टैक्स लगेगा, आड़त लगेगी 50 रुपया, कुल 102 रुपया और आने जाने का भाड़ा अलग होगा। यानी एक बोरी अनाज बेचने पर कम से कम 102 रुपया लगेगा और यदि वह 10 बीघे का गेहूं लेकर आता है और एक बीघा में 10 बोरी गेहूं निकलता है तो 10 हजार रुपये से ज्यादा टैक्स लगेगा और इसी अनुपात में यदि दूसरी फसल निकलती है तो किसान से 20 हजार रुपये का टैक्स यह सरकार लेना चाहती है इसलिए बाहर नहीं बेचने देना चाहती और इसीलिए इस कानून में संशोधन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, बाहर बेचने वाले पर भी मंडी टैक्स लगेगा। इसका मतलब 10 बीघा के काश्तकार से जबरदस्ती 20 हजार रुपये प्रति वर्ष वसूले जायेंगे। यह क्या है? यह कह रहे हैं पंजाब की तर्ज पर ला रहे हैं। पंजाब की तर्ज का नाम लेकर यहां साढ़े आठ परसेंट टैक्स लगायेंगे यह। साढ़े आठ परसेंट का मतलब क्या होगा, लगभग 300 रुपये एक बोरी पर यह सरकार टैक्स लेगी। यह किसानों को लूटने का षड्यंत्र कर रही है या उनको राहत देने का काम कर रही है? यह किसानों को लूटने का षड्यंत्र कर रही है। इनको यही पता नहीं है। इन्होंने कह दिया करार करेंगे तो बहु त बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और उनकी जमीनों पर कब्जे कर लेंगे। केन्द्र सरकार का जो कृषि सुधार बिल है, उसमें प्रावधान है कि जो उनका करार होगा वह फसल पर होगा, जमीन पर नहीं होगा। इसलिए किसी भी कीमत पर दुनिया की कोई ताकत उसकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती है। यह कांग्रेस के लोग किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यह सफल नहीं होंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि जो

(श्री मदन दिलावर)
व्यापारियों की संख्या बढ़ जायेगी और बेचने वाले वही होंगे तो किसान को दो पैसा ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा और जब बाहर व्यापारी को मंडी टैक्स नहीं लगेगा तो वह दो पैसा किसान को ज्यादा देगा या नहीं देगा, देगा लेकिन यह इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। इनके पेट नहीं भर पाएंगे न, इनके भ्रष्टाचार नहीं हो पाएंगे इसके कारण से इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। यह कह रहे हैं किसान बर्बाद हो जायेगा, कैसे बर्बाद हो जायेगा?

कांट्रेक्ट फार्मिंग में किसान को स्वतंत्रता दी है कि वह किसी भी कंपनी से या खरीद समूह से भी करार कर सकता है। करार यह कर सकता है कि जब मेरी फसल पैदा होगी तो मैं इस भाव में बेचूंगा। व्यापारी चाहेगा तो उससे करार करेगा और उसने करार कर लिया और बेचते समय भाव बढ़ गया तो व्यापारी खरीदने के लिये मजबूर होगा क्योंकि सरकार ने ऐसे प्रावधान किये हैं कि यदि वह नहीं लेगा, पीछे हटता है तो जितनी उसकी फसल है, उसका डेढ़ गुना जुर्माना होगा, शास्ति देनी पड़ेगी और उससे भी आनाकानी करेगा तो 5 लाख रुपया उसको और दंड देना पड़ेगा तो व्यापारी क्या सोचेगा कि मेरा ज्यादा नुकसान होगा इसलिए वह खरीदेगा। इसमें दूसरा पहलू देख लीजिए, यदि व्यापारी ने करार कर लिया और भाव बढ़ रहा है तो किसान फसल को करार किये हुए भाव में बेचने के लिये मजबूर नहीं है। उसको यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह कह सकता है कि भाव बढ़ गया, जिस भाव में मार्केट में बिक रहा है उस भाव में आपको लेना है क्या? यदि वह चाहेगा तो लेगा, नहीं तो खुले मार्केट में बेच सकता है, यह भी प्रावधान किया गया है। क्या इनको यह अच्छा नहीं लग रहा है? जिस प्रकार से यह किसान के हित की बात कर रहे हैं, यह किसान के विरोधी हैं। किसान को जिस प्रकार की स्वतंत्रता मिल रही है, उसमें यह रोड़ा अटकाना चाहते हैं। इसलिए यह किसान की आय को दोगुना करने वाला है। किसान के बच्चों के चेहरे पर, किसान के चेहरे पर, किसान की महिलाओं के चेहरों पर चमक लाने वाला है। वह भी अच्छी ड्रेस पहन सकते हैं, वह भी अच्छी स्कूल में पढ़ सकते हैं, वह भी अच्छा भोजन कर सकते हैं। पर ऐसा होगा तो इनके पीड़ा होती है क्योंकि इनके खर्चे कहां से चलेंगे। बड़े व्यापारियों से इनकी सांठगांठ है, इसलिए इस प्रकार का षड्यंत्र करके इस बिल में रोड़ा अटकाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब केन्द्र में इन्हीं की सरकार के मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि कृषि सुधार बिल लाएगे, उसमें संशोधन करेंगे और कृषि मंडियों के कानून में भी संशोधन

(श्री मदन दिलावर)

करेंगे। यह भी खुद अपने घोषणा पत्र में कहते हैं, फिर यह थूक कर क्यों चाट रहे हैं? इनको असत्य बोलने की आदत कैसे पड़ गई? राजस्थान के लोगों को गुमराह करने की आदत इनको कैसे हो गई? क्या यह राजस्थान के किसानों को बेवकूफ समझते हैं? अब राजस्थान का किसान पढ़ा लिखा होने लग गया है, अपना नफा नुकसान समझने लग गया है। वह सब समझता है इसलिए आपके भुलावे में आने वाला नहीं है। यह जो आंदोलन हो रहे हैं, यह प्रायोजित हैं। आप भी जानते हैं किसके प्रायोजित हैं? यह इनके प्रायोजित हैं, यह किसानों के खिलाफ षड्यंत्र है। यह जो किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं, उसमें यह रोड़ा डालना चाहते हैं। यह लगातार हल्ला करते थे, हम भी मांग करते थे, किसान मांग करते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो। स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, उसको लागू करो। उसको भारत सरकार ने यानी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लागू किया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। पहले क्यों कह रहे थे, पहले क्यों मांग कर रहे थे, अब क्यों मुकर रहे हो, ऐसी क्या परेशानी आ गई, कारण तो बताना चाहिये।

मेरे सामने अभी तीन मंत्रियों ने अपने भाषण दिये हैं। कोई तार्किक भाषण नहीं, कोई तर्क नहीं और कौनसी बात को खंडित करना चाह रहे हैं, उसका उल्लेख नहीं, ऐसे ही दे रहे हैं। कोई समझ ही नहीं है, कोई पढ़कर ही नहीं आये हैं, कोई जानकारी ही नहीं है। यह कह रहे हैं एमएसपी, करार पर जो सौदा होगा उसमें तो एमएसपी लागू करना चाहते हैं, मंडी में क्यों नहीं करना चाहते? मंडी में जो अनाज बिकेगा उस पर एमएसपी क्यों नहीं लागू होनी चाहिये। यह लोग यह क्यों नहीं बोल रहे हैं, इनके मुंह सिल गये क्या? क्या इनकी जुबान पर लकवा मार गया कि मंडी में तो एमएसपी लागू न हो, लेकिन करार पर लागू हो। इनका यह दोहरा चरित्र क्यों है? इनको यह राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसानों को बताना पड़ेगा और इनको चाहिये कि जो भारत सरकार एमएसपी पर नहीं खरीदती किसानों की, वह सारी की सारी उपज राजस्थान सरकार अपने पैसे से उसको समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, क्यों नहीं कहना चाहते यह? क्या हो गया इनको? यह बात इनको कहना चाहिये लेकिन कहना नहीं चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, यह किसान के विरोधी हैं, किसान को लूटना चाहते हैं इसलिए इस प्रकार की चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, बाजरे का समर्थन मूल्य तो तय है,

(श्री मदन दिलावर)

इन्होंने क्यों नहीं भारत सरकार को पत्र लिखा कि हम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदना चाहते हैं। क्या हो गया इनको? आज किसानों से लूटपाट क्यों कर रहे हैं? समर्थन मूल्य से कम पर बिक रहा है, इसकी चिंता इनको क्यों नहीं है? माननीय सभापति महोदय, आपको मुझे पर्याप्त समय देना चाहिए, क्योंकि मेरे से पूर्व कांग्रेस के वक्ताओं को आपने पर्याप्त समय दिया है।

श्री सभापति: सबको बराबर समय दिया गया है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): किसान मालिक बन रहा है, जिसे मजदूर कह रहे हो। मजदूर तो आपने बनाकर रखा है, किसान मालिक बन रहा है। करार करने के बाद उसको टैक्नोलोजी मिलेगी, उसको कृषि मशीनरी मिलेगी। सब कुछ मिलेगा, फिर इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है?

श्री सभापति: समय समाप्त हो गया, प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये कह रहे हैं कि 60 हजार व्यापारी हैं, हां इनको व्यापारियों की चिंता है, मैं समझता हूं, उसमें मजदूरों को भी जोड़ रहे हैं। चाहे कहीं भी माल खरीदा जाएगा तो बोरी भरी जाएगी, उसका लदान भी होगा, उसमें मजदूर भी लगेंगे। उसमें हम्माल भी लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे, वे कैसे बेरोजगार होंगे? यह क्या षड्यंत्र है? क्यों बहका रहे हो, क्यों भ्रमित कर रहे हो? मैं समझता हूं कि कोई बेरोजगार नहीं होगा, व्यापारियों को थोड़ी-सी पीड़ा होगी, लेकिन व्यापारियों को इसमें पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि वे भी अपना माल बाहर खरीदना प्रारम्भ करेंगे, वे भी किसान तक जाएंगे, उससे बात करेंगे और माल खरीदेंगे। हिन्दुस्तान में किसी को कोई पीड़ा है, लेकिन पीड़ा है, कांग्रेस के लोगों को है, कांग्रेस का है ...(व्यवधान) गांधी परिवार को तो है ही।

माननीय सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य बंद हो जाएगा। समर्थन मूल्य तो है, था और रहेगा, क्योंकि भारत सरकार गरीब लोगों को 2 रुपये में देने के लिए जो अनाज खरीदती है, वह खरीद तो जारी रहेगी, उससे ज्यादा खरीदेंगे, इसलिए खरीदेंगे कि जो नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 आ रही है, उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रावधान किया है कि मिड-डे-मील के अतिरिक्त भोजन भी हम बच्चों को देंगे तो जो अनाज होगा, वह भी तो खरीदा जाएगा। इसलिए समर्थन मूल्य पर खरीद बंद नहीं होगी। पहले से ज्यादा माल खरीदा जाएगा, किसान सशक्त होगा और किसानों के

(श्री मदन दिलावर)

चेहरे पर चमक आयेगी, इसलिए कांग्रेसियों का पेट दुख रहा है, इनको भ्रष्टाचार का पैसा नहीं मिलेगा। +++ तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए चारों तरफ हाहाकार हो रहा है।

श्री सभापति: व्यक्तिगत नाम को स्किप कर दें। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 का मैं समर्थन करता हूं। भारत सरकार ने कृषि का जो कानून पास किया है, वह किसान के अहित में है। एक व्यावहारिक रूप में जो काश्त करता है और काश्तकारी की आमदनी से गुजारा करता है, उसको व्यावहारिक रूप से बात करनी चाहिए और व्यावसायिक रूप से सुनकर तय करना चाहिए। किसान खेती की आमदनी के लिए कृषि मंडी में जाता है और वहां आढ़तियों के मार्फत पैसे से बाजार में चुकता करता है और घर के छोटे-मोटे कामों में पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए अनाज मंडी में रखता है और उस अनाज को बेचकर अपना गुजारा करता है। कृषि मंडी में खुलेआम बोली लगायी जाती है और उस भाव में मंडी में काश्तकार से अन्याय नहीं होता है। देश और दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति लोगों की सुविधा और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए खुले आम आज किसान की बिक्री होगी, किसान जिसको हजार रुपये की जरूरत पड़ेगी, वह हजार रुपये चार दिन उनको कौन देगा? किसान को 2 हजार रुपये की फसल को मजबूरन 500 रुपये में बेचना पड़ेगा। इस तरह किसान को बर्बाद करने का बिल इन्होंने लोक सभा में पास कराया। हमारी सरकार इस बिल में संशोधन के लिए जो बिल लायी है, वह राजस्थान के किसान की हित की बात है। किसान की असली समस्या समझने के लिए कोई गौर नहीं किया जाता है। कागजी कार्यवाही, अखबारी कार्यवाही से पढ़-लिखकर विधान सभा, लोक सभा में अच्छे-अच्छे भाषण जरूर देते हैं, लेकिन किसान की व्यावहारिक तकलीफ, किसान की व्यावहारिक सुविधा, किसान के लिए पैसे की आमदनी का इनको कोई ज्ञान नहीं है। अत: मैं यह निवेदन करता हूं कि राजस्थान सरकार जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 लायी है, उसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए और भारत सरकार के जो विधेयक पास हुए हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ...(व्यवधान) आप चाहें हमें कितना भी करंट दें, आपके बस में हम आने वाले नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के द्वारा जो तीन बिल पारित किये गये हैं, उन बिलों के विरोध में राजस्थान की सरकार उन तीनों के अंदर संशोधन बिल लेकर आयी है। मैं सरकार के नुमाइंदों से इतना जानना चाहता हूं कि क्या विधान सभा के द्वारा पारित किये गये ये बिल कानून का रूप ले पाएंगे? इस विधान सभा में तो आप बहुमत के आधार पर पारित कर लोगे, लेकिन क्या कानून का रूप ले पाएंगे? क्या महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से जब तब महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन नहीं होगा, तब तक क्या आप इसको कानून के दायरे में ला पाएंगे? आप क्यों राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? यह बिल जो आज राजस्थान की सरकार लेकर आयी है, यह सरासर संवैधानिकता के विरुद्ध है और ये कभी भी कानून का रूप नहीं ले सकते, इसलिए मैं इन तीनों बिलों का विरोध कर रहा हूं। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार, जैसे बचपन में मां कहती है कि बच्चा सो जा, नहीं तो हाबू आ जाएगा, उस हाबू के डर से बच्चे को सुलाने का प्रयास करती थी, वैसे ही यह राजस्थान की सरकार किसानों को इन बिलों के माध्यम से डर दिखाने की कोशिश कर रही है।

सभापति महोदय, मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूं और मैं वास्तविकता से अवगत कराना चाहूंगा कि अगर पैन बनाने वाली कंपनी है। अगर पैन की लागत 80 रुपये आ रही है, वह कभी भी 60 रुपये में नहीं बेचेगी। इसमें लागत का पूरा खर्चा, मेहनत, पैसा लगाकर, प्रोफिट लगाकर फिर बेचने का काम करेगी, लेकिन इस देश के अंदर एकमात्र किसान ऐसा है, जो अपने द्वारा मेहनत और परिश्रम से उत्पादित की हुई फसल को दूसरों की मर्जी के ऊपर बेचने का काम करते हैं। सभापति महोदय, इतिहास भी इस बात का साक्षी है। मंत्री महोदय, आप राजस्थान सरकार के आंकड़ों में से एक मौत ऐसी बता दें, जो किसी आढ़तिये या व्यापारी ने की हो। गृह क्लेश से मौत हुई हो, वह बात अलग है। अन्य कारणों से मौत हुई, वह बात अलग है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से सिर्फ किसान ही राजस्थान के अंदर आत्महत्या करता है, कभी आढ़तिया और व्यापारी नहीं करते।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, वर्तमान में किसान की दशा सुधारने के लिए भारत सरकार जो तीन बिल लेकर आयी, उन तीनों बिलों के अंदर किसान का सर्वांगीण विकास है। पहले के अंदर ये कहा कि किसान को भी इस बात की आजादी मिले कि जहां उसको अच्छा भाव मिले, वहां वह बेचान कर सकता है, फिर ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मंडियां खतम हो जाएंगी। मंडियों के अंदर भी राज्यों की सरकारों के ऊपर छोड़ा है कि वे जैसा चाहे, वैसा ढांचा बनाए। वह टैक्स लगाना चाहे, टैक्स लगाये। टैक्स कम करना चाहे तो कम करे। समाप्त करना चाहे तो समाप्त करे। उसके ऊपर कोई परिवर्तन इन बिलों के अंदर नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, व्यापारियों से जब हमारी बात हुई तो व्यापारियों ने भी यही कहा कि हमें खरीद का अधिकार मिल गया है। बहुत से ऐसे किसान हैं जो छोटे-छोटे लघु उद्योग लगाकर अपनी आजीविका चलाने का काम करते हैं। वे अगर किसान से सीधा माल खरीदकर लाते हैं तो मंडी का सैक्रेटरी जाकर उनकी पैनल्टी की रसीद काटकर आता है। व्यापारी यह कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। अब हम सीधा किसान से माल खरीद सकेंगे। व्यापारी भी यह कह रहे हैं कि मंडी के अंदर सरकार टैक्स लेती है, उस टैक्स के अंदर कमी कर दे, वह छूट दे दे, हमें इन बिलों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह काम तो सरकार नहीं कर रही है और किसानों को गुमराह करने की कोशिश यह सरकार कर रही है।

सभापति महोदय, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ऐसे गुमराह करने की बात की, जैसे किसानों की बर्बादी पिछले 65 सालों के इनके शासन काल के अंदर नहीं हुई, बर्बादी अभी शुरू हो रही है। सभापति महोदय, 65 सालों से अगर किसानों के हित में ये कानून होते तो इनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। इनमें संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कम से कम आजादी के इतने साल बाद तो किसान को यह अधिकार दें कि अपनी मेहनत और परिश्रम की फसल को मनचाहे भाव में बेच सके।

(13.00 बजे)

दूसरी बात, ये गुमराह कर रहे हैं। इनके पास दो ही नाम हैं, अडानी जी का नाम लेंगे और अंबानी जी का नाम लेंगे। अगर अडानी और अंबानी से इतनी ही नफरत है तो राजस्थान की सरकार क्यों उनसे बिजली खरीद रही है? क्यों उनको भुगतान कर रही है? जरा एक बार कदम उठाकर तो देखो

(श्री रामलाल शर्मा)

लेकिन सिर्फ नाम लेने के लिए उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि काम तो ये भी उन्हीं से करते हैं। दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि बड़े-बड़े घराने आएंगे, किसानों की जमीन हड़प लेंगे। अभी कृषि मंत्री महोदय कह रहे थे कि किसान को मजदूर बनाकर छोड़ देंगे। इन बिलों के अंदर, जो भारत सरकार ने पारित किये हैं, कहीं पर भी जमीन का एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ फसल का एग्रीमेंट है और जब फसल का एग्रीमेंट है, जमीन का एग्रीमेंट है ही नहीं तो जमीन को आप किस तरीके से हड़पने की बात कर रहे हैं?

सभापति महोदय, अभी बहुत-सी बातें इस सदन में कही गयीं कि किसानों का सर्वांगीण विकास किया है तो हमने ही किया है। आज भी किसान अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है। जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ सरकार बड़े-बड़े वादे, सम्पूर्ण कर्जमाफी करेंगे, आपकी दशा सुधारने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आज किसान की हालत ऐसी है कि लाखों रुपये की वीसीआर भरने का काम सरकार कर रही है और सुनवाई का कोई अवसर नहीं। केवल लूट मचाने का काम कर रही है। लाकडाउन के दौरान दुकानें बंद रहीं, उद्योग बंद रहे, उनका मिनिमम चार्ज भी सरकार ने वसूल किया है। उसको भी माफ करने का काम नहीं किया और आज जिस तरीके से बिलिंग की जा रही है, बिजली कंपनियों की बिलिंग, जिन कंपनियों के माध्यम से हो रही है, उन कंपनियों ने मनमर्जी के बिल दे दिये और वे ही इनके अधिकारी वसूलने में लगे हुए हैं।

सभापति महोदय, मेरा सरकार के ऊपर सीधा-सीधा आरोप है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही है और इन तीनों बिलों के माध्यम से सिर्फ किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम रही है। तीसरा, जब 1955 के अंदर जो कानून बना था, उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, आज की परिस्थितियां अलग हैं। परिस्थितियों के अंदर भी आपदा की स्थिति के अंदर, गृह युद्ध की स्थिति के अंदर, उस कानून को लागू करने की बात केन्द्र सरकार कह चुकी। उसके बावजूद भी यह कह रहे हैं कि आप तो बिलकुल अनुचित और गलत कर रहे हैं। सीधी-सीधी बात जो इस कानून के दायरे में कही गई है, सीधी-सीधी बात आप बता दें

(श्री रामलाल शर्मा)

मंत्री जी, आपने कहा कि एमएसपी के ऊपर अगर कोई व्यापारी खरीद नहीं करेगा तो हम तीन साल से लेकर सात साल की सज़ा का प्रावधान रखेंगे। आपने इस बिल के अंदर यह भी कहा तो आप मुझे सीधे-सीधे बता दें कि कौनसा व्यापारी आपके राजस्थान के अंदर किसानों की फसल खरीदने के लिए आएगा? आप एक तरफ कह रहे हो कि मंडी के अंदर बोली लगाकर खरीद करें। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे वह खरीद नहीं कर सकता। आपने इस बिल के अंदर कहा कि मंडी के अंदर अगर किसान के साथ आपस में कोई कहासुनी भी हो गई तो विधि सम्मत जो कानून पहले से लागू हैं, उनके अलावा ये कानून भी लागू होगा। मंडी के अंदर तो कहासुनी अपने ट्रैक्टर को निकालने में, हटाने के अंदर और पार्किंग के मामले में भी हो जाती है। क्या उस कहासुनी के ऊपर भी आप ये एक्ट लागू करेंगे? तीन साल के लिए जेल में डालने का काम व्यापारी को करोगे? आप यह तो स्पष्ट करें कि किस आधार पर इस कानून को लागू करने का काम करेंगे? सभापति महोदय, फिर कौनसा व्यापारी राजस्थान के अंदर जेल जाने के लिए आएगा? वह फिर हरियाणा में जाएगा, गुजरात में जाएगा, मध्यप्रदेश में जाकर खरीद करेगा। राजस्थान में क्यों आएगा? या फिर आप ये कहें कि ठीक है एमएसपी से, अगर आप मंडी के अंदर आक्शन लगा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं, अगर 1600 रुपये के अंदर गेहूं बिक रहा है और एमएसपी अगर 2100 रुपये है तो क्या राजस्थान की सरकार 500 रुपये उस किसान को भरपाई करने के लिए दे? इस बिल के अंदर यह भी प्रावधान कीजिए कि आक्शन के अंदर जो भाव लगे हैं और एमएसपी के अंदर डिफरेंस है तो वह डिफरेंस का पैसा राजस्थान की सरकार किसान को देगी। आप यह प्रावधान करें, हम इसका स्वागत करेंगे लेकिन यह काम भी आप करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय, फिर एक बात इन्होंने और कही, जो अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर भी संशोधन हम कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि 5 एकड़ जमीन को न तो हम कुर्क होने देंगे, न उसको नीलाम होने देंगे। अब इसके अंदर आप यह भी कह दें कि क्या बैंक 5 एकड़ से कम वाले किसानों को लोन देगा? या आप यह कह दें कि 5 एकड़ से कम किसान ने कोई लोन ले रखा है और लोन नहीं चुकाएगा तो उसकी

(श्री रामलाल शर्मा)

जमीन को हम कुर्क नहीं करने देंगे, न उसको नीलाम करने देंगे। हम उसका पैसा सरकार के खजाने से जमा कराएंगे। आप क्यों किसान को मरवाने का काम कर रहे हैं? आप कम से कम इस बिल के अंदर बात ये करो कि बैंक उसी तरीके से 5 एकड़ से कम वालों को भी लोनिंग करता रहेगा। जब बैंक को अधिकार ही नहीं रहेगा मोरगेज करने का, उसको कुर्क करने का तो कौनसा बैंक उसको लोन देने के लिए आएगा? मेरा सीधा-सीधा सरकार के ऊपर आरोप है कि सरकार गलत भावना से, गलत मंशा से जो बिल लेकर आ रही है, इन बिलों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं और आशा व उम्मीद करता हूं तथा सरकार से चाहूंगा कि कम से कम अपने आपको सुधारने का काम करे। एक सद्बुद्धि यज्ञ कराए, इनको सद्बुद्धि दे।

सभापति महोदय, ये ऐसे काम कर रहे हैं जैसे किसी राजा की नाक के ऊपर कोई मक्खी बैठ गई और उनके सेनापति उस मक्खी को उड़ाने की बजाय तलवार लेकर मक्खी की हत्या करना चाह रहे हैं। वह मक्खी तो उड़कर चली गई लेकिन राजा की नाक कट गई। मुझे लगता है कि इन तीनों बिलों से वही स्थिति होने वाली है। मक्खी तो उड़कर चली जाएगी, लेकिन किसानों का आप बहुत बड़ा अहित कर देंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार जो ये तीनों बिल लेकर आई है, इनको सरकार वापस ले। किसानों को गुमराह करना बंद करें। कम से कम किसानों के हित के अंदर निर्णय ले। अभी मेरे से पूर्व आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे बाजरे की आपको अनुशंषा ही तो करनी है, केन्द्र सरकार को अनुशंषा करके भेजो तो सही कि समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद शुरू करने के लिए राजस्थान की सरकार तैयार है। आप वह भी नहीं कर रहे हैं। 1200-1300 रुपये के अंदर बाजरा बिक रहा है। मंत्री महोदय, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कम से कम 2150 रुपये के अंदर समर्थन मूल्य पर। इस सदन के अंदर सबको पता है..

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सभापति महोदय, एक मिनट, रामलाल जी। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी पत्र भेज चुके हैं और अख़बार मैंने पढ़ा है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप पत्र की कापी दे दीजिए। अखबारों की न्यूज के आधार पर नहीं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सरकार की जिम्मेदारी है...(व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): साफ-साफ मना किया है राजस्थान सरकार ने।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय एमएलए साहब से निवेदन है 900 रुपये में मक्का बिक रही है ...(व्यवधान) आपकी विधान सभा में, मेरी विधान सभा में।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): लोग बर्बाद हो रहे हैं ...(व्यवधान) आप तो कम से कम दिल्ली के नजदीक रहते हैं।

श्री सभापति: आप सीनियर लीडर हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): सभापति महोदय, इनकी जिम्मेदारी है। ये ऐसे नहीं टाल सकते। एमएसपी की घोषणा प्रधान मंत्री करें।

श्री सभापति: आप इंटरप्ट न करें, प्लीज।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं मैं। ये अन्याय कर रहे हैं किसान के साथ।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने इनको मंत्री नहीं बनाया, उसमें मेरा क्या है ...(व्यवधान) मैं थोड़े ही मंत्री बनाऊंगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं?

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आप व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान) आपको पता है, सदन का सदस्य बनना सबको प्रिय होता है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): राजस्थान की सरकार इनकी नहीं सुनती, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इनके एक चीफ इंजीनियर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार उसकी जांच नहीं करवा रही, इसमें मैं क्या करूं?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वास्तव में सही कह रहे हैं। ये इनकी पीड़ा है।

श्री सभापति: माननीय श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, अंतिम। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि समर्थन मूल्य के ऊपर सिर्फ पूरे भारतवर्ष के अंदर 6 या 7 परसेंट खरीद होती है और उसमें भी 86 परसेंट सिर्फ हरियाणा और पंजाब के अंदर खरीद होती है तो कम से कम राजस्थान की सरकार यह तो कहे कि इन बिलों के अंदर हम यह भी प्रावधान करेंगे कि समर्थन मूल्य अगर किसान को नहीं मिल रहा है तो राजस्थान की सरकार देने का काम करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का काम सरकार कर रही है। किसानों के दर्द को समझने का और किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए ये

(श्री रामलाल शर्मा)

सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए इन तीनों बिलों का मैं पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री नरेन्द्र बुडानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को जो किसान के साथ जुल्म हो रहा था, राजस्थान के मुख्य मंत्री और उनकी सरकार किसान की पीठ के पीछे खड़ी हुई है। आज मैं सब साथियों, माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था। सार एक ही सामने आया कि केन्द्र की सरकार के बिल सही हैं, आप गलत लेकर आए हैं। जब केन्द्र सरकार के बिल सही हैं तो देश में किसानों के जितने भी संगठन है, 40 हैं, 45 हैं, वह सारे के सारे आंदोलित क्यों हैं? जब ये बिल सही होता, किसानों के हित में होता तो आज किसान संगठन आंदोलित नहीं होते। पंजाब हमारा एक ऐसा प्रदेश है जो 25 प्रतिशत गेहूं हमारे देश को देता है और 34 प्रतिशत धान देता है। आज वह सारा का सारा पंजाब आंदोलित है। कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो होगी जो किसान को ठेस पहुंच रही है। कोई तो बात होगी, आज उसको छिपाने की कोशिश क्यों हो रही है? सामने आना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये किसान के हित में नहीं है।

केन्द्र सरकार जो तीन बिल लेकर आई, वह तीनों के तीनों बिल किसान विरोधी हैं। पहला बिल कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन, सुविधा कानून लेकर आई। आप मुझे एक बात बताइये कि कहां इससे डर गये कि एमएसपी को कानून के रूप में क्यों ले जा रहे हैं। आज किसान यही तो बात कर रहा है, संगठन यही तो बात कर रहा है कि आप एमएसपी को कानूनी रूप दीजिए। मोदी जी जब मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने इसकी मांग की। एक कमेटी बनी थी, उसमें उन्होंने मांग की। जब वह मुख्य मंत्री थे, तब तो उनको यह कानून अच्छा लग रहा था। आज जब वह केन्द्र के अंदर आए हैं, बड़े-बड़े व्यापारियों की वजह से, उनकी सहायता से, उनकी मदद से, तो आज उनको यह बुरा लगने लग गया कि एमएसपी का जिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आज एमएसपी की चिंता लगी हुई है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस देश में कुछ साल पहले जियो कम्पनी आई थी। रिलायंस की जियो कम्पनी है। जियो कम्पनी ने क्या प्रचार

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

किया कि हम हैंडसैट फ्री देंगे, इतना जीबी फ्री देंगे। उन्होंने देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया कि हर आदमी जियो की तरफ बढ़ने लगा। जब पूरे देश में उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, तो उनको लगा कि अब देश की जनता हम पर निर्भर है, तो आज देखिए कि उसकी कितनी लागत है। हैंडसैट कहां गये, फ्री में देने की बात कहां गई। आज सबसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो जियो के लोग चार्ज कर रहे हैं। यह किसान बिल भी जियो है। ऐसा ही होने वाला है, इसलिए किसान और किसान संगठन आंदोलित हैं।

आज बात कर रहे हैं कि किसान फसल कहीं भी बेच सकता है। कैसे बेच सकता है, किसान बेचने के लिए कैसे जाए। आपने वहां जाकर किसान की फसल नहीं ली तो किसान क्या करेगा। उसके बहुत मायने निकल रहे हैं। उसको ग्रेडिंग करानी पड़ेगी। ग्रेडिंग के बाद भी इन्कार कर दिया तो क्या होगा, किसान सड़क पर होगा। अपनी फसल को औने-पौने दामों पर बेच कर आएगा, इसलिए सरकार को डर है। इसलिए यह किसान के खिलाफ है। सारी मण्डियां खतम हो जाएंगी। आज मण्डियों के अंदर हमारा इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं, सारे बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। आज कह रहे हैं कि बिचौलिए खतम कर देगे, बिचौलिए कैसे खतम कर दोगे, बताओ तो सही? एक को खतम करोगे तो चार आ जाएंगे। छोटा किसान है, छोटा व्यापारी है, वह अपनी फसल बेचने कहां जाएगा, वह बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। बड़ा किसान उससे खरीदेगा और खरीद कर बड़े व्यापारियों को देगा, इसलिए दूसरे लोग पैदा हो गये, इसीलिए यह बिल राजस्थान के किसानों के खिलाफ है। जनता इसका विरोध कर रही है। में पूर्णतया इसकी खिलाफत करता हूं।

दूसरा बिल मूल्य आश्वासन संरक्षण सशक्तिकरण, समझौता कानून लेकर आए। यह कांट्रेक्ट फार्मिंग की बात की गई है। कांट्रेक्ट फार्मिंग तो हमारे हजारों-हजारों सालों से चल रही है। आज मैंने मेरा खेत पिछले बीस साल से कांट्रेक्ट पर दे रखा है, कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि कांट्रेक्ट पर लेने वाले एक दूसरे से मिलने वाले हैं। कोई विवाद होता है तो घर में बैठकर सलटा लेते हैं। सभापति महोदय, लेकिन जब बड़े लोग आकर जमीन खरीदेंगे, बड़े लोग, बड़ी कम्पनियां आएंगी, गांव के गांव कांट्रेक्ट पर लेंगे, मनमर्जी की फसल उगाएंगे, जिस फसल में ज्यादा पैसा मिल रहा है, वह फसल उगाएंगे, वही पेस्टिसाइड डालेंगे, किसान की जमीन खतम हो जाएगी। वह पांच साल बाद छोड़कर चले जाएंगे। हमारा किसान क्या करेगा?

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

हमारे बहुत से साथी झगड़ा होने पर आज भी एसडीएम को डराते हैं कि हमारा राज आने वाला है। कलेक्टर को डराते हैं कि हमारा राज आने वाला है। हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, तो फिर किसान का क्या होगा, वह तो पूरी तरह से दबाव में रहते हैं। सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। सिविल कोर्ट को यह अधिकार देना चाहिए था, 1973 से पहले यही व्यवस्था थी, जो फेल हो गई। उसी के बाद यह सिविल कोर्ट के अंदर आया। माननीय सभापति महोदय, आप मेरी तरफ देख रहे हो, शायद मुझे टोकने वाले हो, लेकिन मैं पांच मिनट और लूंगा।

तीसरा बिल आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन है। इसमें स्टॉक सीमा को समाप्त कर दिया गया। आप बताइये कि जब हम स्टॉक सीमा समाप्त कर देंगे तो कितनी कालाबाजारी होगी, कितनी जमाखोरी होगी, इसका अंदाज नहीं लगा सकते। लोग सस्ते भाव में खरीदेंगे। बड़ी-बड़ी कम्पनियों के पास पैसा है, वह अपना स्टॉक करेंगे, स्टॉक करने के बाद जब अनाज महंगा होगा, भाव बढ़ेंगे, तब उन्हीं किसानों को बेचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता किसान है। इस देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता किसान है। वापस उसी को लूटने का काम किया जाएगा। यह इस बिल के अंदर है।

बहुत सोचसमझकर 1955 में यह बिल बनाया गया था। अनाज, दालें, तिलहन हैं, यह सारी चीज़ें आवश्यक वस्तु मानी गई हैं, इनके बिना काम नहीं चल सकता है। आज तो आलू व प्याज की भी सीमा हटा दी। आप मुझे बताइये कि आने वाले समय में इस देश के अंदर क्या होने वाला है, किस प्रकार से भाव बढ़ेंगे? यह बिल लेकर आए हैं, इसमें बड़े लोगों को कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने की पूरी तरह से छूट दी गई है, मेरा यह मानना है।

महोदय, मैं भी सुन रहा था, कांग्रेस की बात आ रही थी। कांग्रेस का घोषणा पत्र आ रहा था। मनमोहन सिंह जी की बात आ रही थी कि मनमोहन सिंह जी ऐसा करना चाहते थे। आज हमने कर दिया तो आपके पेट में दर्द आ गया। आ गया, यह सही है। आप मनमोहन सिंह जी के जमाने की बात करते हो, उसकी तुलना आप आज 2020 से कर रहे हो, क्या यह सही है? मनमोहन सिंह जी के समय देश की जीडीपी क्या थी, देश के बाज़ारों का क्या हाल था, किसानों का क्या हाल था? बाजार खुशहाल थे। मनमोहन सिंह जी जब

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

छोड़कर गये तब जीडीपी 6.9 प्रतिशत थी और 2014 के अंदर 8 प्रतिशत हो गई। अरूण जेटली जी आज इस दुनिया में नहीं हैं। उप नेता प्रतिपक्ष महोदय, उन्होंने खुद ने कहा था, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, हमारी जीडीपी जिस प्रकार से बढ़ी है, कभी मनमोहन सिंह जी को भूल नहीं पाएंगे। यह बात उन्होंने खुद ने कही थी और आप तुलना कर रहे हैं आज की। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज देश के अंदर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे बाजार बर्बाद हो गये। बाजार से संतुलन बनता है, कहां है बाजार, कहां है पैसा। किसी के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है, आपने फ़ैसले ही ऐसे किये। आप सबसे पहले नोटबंदी करके आए। नोटबंदी से इस देश को बर्बाद कर दिया। फिर आप गलत तरीके से जीएसटी लेकर आ गए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): बस दो-तीन मिनट और। ये सारी बातें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि उस समय को और आज के समय को जोड़ना सही नहीं है।

सम्राट अशोक की तुलना अगर हम आज ऐसे लोगों से करते हैं, तुगलक, ऐसे शासक रहे, उनसे करते हैं, तो मैं समझता हूं कि अच्छी बात नहीं है। राम राज की तुलना आप मोदी राज से कर रहे हो तो यह भी सही नहीं है।

महोदय, आज झगड़ा किस बात का है। यह झगड़ा इस बात से पैदा हुआ कि हमारे संविधान की समवर्ती सूची में कृषि विषय को डाल दिया। उस समवर्ती सूची में हमारे एन्ट्री नम्बर 33 है, एन्ट्री 33 के अन्दर केन्द्र सरकार यह बिल लेकर आई है। क्यों साहब, उसी में लेकर आये? तो आपके उस बिल के अन्दर आपने लिखा है, बताया है कि हमारे को ट्रेड करने का अधिकार उसमें दिया है। अब ट्रेड करने का अधिकार उसमें दिया है, तो आपको यह तो बताना पड़ेगा न कि कृषि ट्रेड है क्या? कृषि ट्रेड है क्या? यह तो फैसला करना पड़ेगा कि कृषि पेशा है कि ट्रेड है? यदि आप इसको ट्रेड मान करके यह संशोधन बिल लेकर आये हो, कानून लेकर आये हो तो गलत है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): यदि कृषि ट्रेड है तो क्यों नहीं आप इसको इनकम टैक्स के अन्दर डालते हैं? क्यों नहीं जी.एस.टी. के अन्दर डालते हैं? इनकम टैक्स में साफ लिखा है कि कृषि आय को छोड़कर। जब कृषि आय को छोड़कर आप कानून बना रहे हो इसका मतलब वह ट्रेड नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): वह पेशा है। वह पेशा है जो हजारों-हजारों साल से चल रहा है। आज किसान पर कुठाराघात मत करिये, किसान को मत मारिये। आज जो बड़े-बड़े विद्वान कह रहे हैं, इस देश की 130 करोड़ जनता 15 लोगों के लिए काम कर रही है। वे 15 लोग देश को खा रहे हैं, लूट रहे हैं, उन्हीं के लिए कानून बनाया है। महोदय, यह तकलीफ की बात है। इस तकलीफ को अशोकजी गहलोत ने समझा और ये तीन बिल लेकर आये हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, पिछले 70 वर्षों में किसान की इस प्रकार की स्थिति बन गई थी कि किसान के पास खेत तो था, पर कीमत नहीं थी। इसीलिए माननीय मोदी साहब कृषि सुधार के लिए, किसानों के हित के लिए तीन बिल लोक सभा में लेकर आये और उनको पास करके कानून बनाया। आज राजस्थान की सरकार, सत्ता पक्ष के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विरोध है, यह संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है।

हमारे देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्रीजी ने किसानों को उचित दाम मिले, किसानों को अपनी उपज का भरपूर लाभ मिले, उसके लिए लगातार, जब से वे प्रधान मंत्री बने हैं, वे प्रयास कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि ये बिल, जो केन्द्र सरकार लेकर आई है, इनका करीब-करीब सब लोगों ने स्वागत किया है।

यही नहीं, आज तक जो काम नहीं हुआ, वह माननीय मोदीजी ने करके बताया। 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को उन्होंने इंगित किया, इस बात को लिखवाया कि किसान की कीमत का, लागत का डेढ़ गुना दाम उसको मिलेगा। इस प्रकार की उन्होंने बजट में घोषणा की। बिचौलियों और दलालों से मुक्ति दिलाने के लिए, किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए, कृषि उपज के व्यापार के सम्बन्ध में, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य

(श्री प्रताप सिंह)

(संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 जैसा कानून बनाया। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बाजार के उतार-चढ़ाव से मुक्ति दिलाने के लिए कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 का कानून बनाया। इस कानून से किसानों को फसल बोने से पूर्व समझौता करके अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वह बिचौलियों के हाथों में चला जायेगा। जो उसकी जमीन जोतेगा, वही उसका मूल्य तय करेगा। किसान की मर्जी है कि मैं इस भाव में मेरी जमीन दूंगा, इस बीघा में मेरी जमीन दूंगा, इस फसल की यह कीमत लूंगा, तो उसका प्रोविजन उन्होंने इस एक्ट में किया है। इतना ही नहीं, किसान की खेती के काम में आने वाली जो भी चीज है, चाहे दवाई है, ट्रैक्टर है, खाद है, बीज है, इसका इंतजाम भी एग्रीमेंट जब करेगा किसान के साथ, उस पर डाला गया है। इसका मतलब यह है कि किसान अपनी शर्तों पर किसी से एग्रीमेंट करना चाहे तो एग्रीमेंट कर सकता है, और नहीं करना चाहे तो नहीं करे। किसान पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं है। यही नहीं, किसानों को अधिक दाम दिलाने के लिए, किसान को अधिक दाम मिले, इसलिए उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी कुछ सुधार किया है। इन कानूनों से किसान की उपज बेचने में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। किसान अपनी उपज को देश के किसी भी भाग में ले जाकर बेच सकता है।

यह बात सही है और अभी सत्ता पक्ष की तरफ से लोगों ने कहा कि किसान पर आज भी रोक नहीं है। वह अपना माल कहीं पर भी ले जाकर बेच सकता है, पर माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं, आप किसान परिवार से हैं, किसान को अपनी उपज स्टेट से बाहर ले जाने पर किस प्रकार की दिक्कत आती थी। कभी पुलिस वाले पकड़ लिया करते थे, कभी मंडी टैक्स वाले पकड़ लिया करते थे और कभी जो एजेंसियां अलग-अलग प्रकार के टैक्स लगाती हैं, वे उनकी फसल तक को जब्त कर लिया करते थे। इस प्रकार का किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। मैं समझता हूं कि ये सुधार करके केन्द्र की सरकार ने किसानों का भला किया है, भले की तरफ सोचा है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान न तो कांग्रेस का है न बी.जे.पी. का है। किसान सबका है। हम सब किसान की बहबूदी चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो कानून आप लेकर आ रहे हो, इसका पीछा छोड़ो। इसको वापस ले लें। यह किसानों के हित में रहेगा। किसानों के साथ

(श्री प्रताप सिंह)

किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। आप मात्र इसलिए कि कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए आलाकमान ने कह दिया कि इस काम का विरोध करना है और आनन-फानन में, जिस तरह से पंजाब में बिल लाये, छत्तीसगढ़ में बिल लाये, उसी तरह का बिल आप यहां पर ला रहे हो। मैं समझता हूं यह बिल लाकर आप किसानों के साथ अन्याय करेंगे।

यही नहीं, अभी मेरे से पूर्व कोई बता रहे थे कि भारत में जितना बाजरा पैदा होता है उसका 43 प्रतिशत बाजरा राजस्थान में पैदा होता है। भौगोलिक कारणों से राजस्थान में बरसात की कमी वैसे ही है। इसलिए किसान इस फसल की ज्यादा सोइंग करते हैं। इसको खरीदने के प्रोविजन के लिए केन्द्र सरकार को चिट्ठी राजस्थान सरकार को लिखनी थी, पर आज दिन तक वह चिट्ठी नहीं मिली। उसी का यह नतीजा है कि जिस प्रकार से श्री नारायण सिंहजी बता रहे थे कि इसका जो समर्थन मूल्य है, जिसकी अपन लागत आंकते हैं सोइल की वह 1473 रुपये है और बाजरा आज बाजार में 1100 से 1300 रुपये क्विंटल मिल रहा है, इससे किसानों को निश्चित रूप से हानि हो रही है, किसानों को घाटा हो रहा है, इस बारे में सोचना चाहिए और तुरंत चिट्ठी लिखकर भारत सरकार से यह परमिशन लेनी चाहिए ताकि यह खरीद केन्द्र चालू हो सके, बाजरे की खरीद चालू हो सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बाजरे का महत्व खाली खरीदने तक या किसान की फसल तक ही नहीं है। यह कोरोना जो महामारी चल रही है, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं, लोगों की माली हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, ऐसे समय में भी, कोरोना महामारी के समय में भी यह खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और इम्यूनिटी की हम अगर बात करें तो उसके लिए बाजरा बेहतर है और यही नहीं, इस बाजरे पर शोध करके हिन्दुस्तान के बाहर अमरीका में हृदय रोग विशेषज्ञ डाक्टर विलिमय डेविस ने बताया है कि यह ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में, ओबेसिटी में स्थायी मुक्ति बाजरे से हो सकती है। इसमें बाजरा भी शामिल है, ज्वार भी शामिल है, जौ भी शामिल है, चना इत्यादि को भोजन के रूप में खाने का परामर्श दिया है। इस संबंध में उन्होंने 2011 में Wheat Belly नामक पुस्तक भी लिखी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज हम आदमी की हैल्थ के बारे में चिंतित हैं तो उस लिहाज से

(श्री प्रताप सिंह)

भी हमको बाजरे की खरीद शीघ्र से शीघ्र चालू करनी चाहिए। केन्द्र द्वारा अधिसूचित फसलें जिनका समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है उन फसलों का भाव अगर समर्थन मूल्य से नीचे जाता है तो प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना के तहत फसल उत्पादन की 15 प्रतिशत खरीद राज्य सरकार कर सकती है, इस प्रकार का प्रावधान है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी करें। यही स्थिति मक्का की है। मक्का भी बड़े पैमाने पर होती है। मक्का की स्थिति भी आज इस प्रकार की है कि एम.एस.पी. 1850 रुपया है और वह 1300 रुपये में बिक रही है। जौ को तो एक तरह से अपन भूल ही चुके हैं। 1525 रुपये समर्थन मूल्य होते हुए भी इसकी खरीद की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं हुई है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, कन्क्लूड करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक मिनट, साहब। आप चने की स्थिति देख लीजिए। चना अभी मंडी में आया। चने की फसल के समय 3700 रुपये क्विंटल में हमारा चना बिका जबकि इसका समर्थन मूल्य अधिक था। चने को भी अगर हम चाहते तो 15 प्रतिशत तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट खरीद ही सकती थी और भारत सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है। 25 परसेंट खरीद का पैसा आपको पूरा का पूरा भारत सरकार देती पर आपने चना भी नहीं खरीदा। उसका कारण यह रहा कि किसान सड़कों पर ट्रैक्टर में अपना चना भरकर लगातार कई दिनों तक खड़े रहे और उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ा।

श्री सभापति: प्लीज, कन्क्लूड।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): यहां पर पंजाब की बात हुई। पंजाब में कृषि उत्पादन का 85 परसेंट एम.एस.पी. पर खरीदा जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): तो भी उन्होंने इस प्रकार का किसानों के विरुद्ध जो नया कानून लाया है, जो इस प्रकार का प्रोविजन किया है, उसकी नकल आप लोग कर रहे हो, उसकी जितनी निंदा की जाए, कम है कि उनको सज़ा का प्रोविजन किया है और अगर किसान अपने स्टेट से बाहर माल ले जाता है तो उस पर मंडी टैक्स देना पड़ेगा, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है।

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा। प्लीज, कन्क्लूड करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक मिनट, साहब, और है। मैं समझता हूं कि यह इसी प्रकार से दूसरी फसलें हैं, बाजरा, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, सरसों, इन फसलों में पंजाब जैसा प्रावधान किया जा सकता था। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा। प्लीज, कन्क्लूड करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल, यह कानून जो संसद ने बनाया है, उसमें कोई भी राज्य सरकार कैसे संशोधन कर सकती है? यदि संशोधन करती भी है तो यह गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यह लागू नहीं होगा, यह आप लोग भी जानते हो। मात्र आलाकमान को खुश करने के लिए इस प्रकार का कानून आप लाये हो। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने यह कहा है कि लोक सभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, यह विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेगा।
(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): आखिर में मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): एक मिनट, संयमजी।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। उनके, मतलब किसान। 'उनके पांवों में छाले और पैरों में बिवाई है, आपके चहरे पर रौनक किसानों के दम पर आयी है।' बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने देश की संसद में जो कानून पारित किये उसको लेकर राजस्थान की सरकार को यह नए कानून लेकर क्यों आना, पड़ा यह सदन के सामने विचार का सबसे बड़ा प्रश्न होना चाहिए। क्या संसद को कृषि पर कानून बनाने का

(श्री संयम लोढ़ा)

अधिकार था? क्या जब देश की संसद में यह कानून लाये गये, तब भारत सरकार ने यह बताया कि संविधान की सातवीं अनुसूची की कौनसी एंट्री के आधार पर यह कानून वह देश की संसद में लेकर आये हैं?

माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो यह देश का संविधान बनाया और विगत 70 साल में इस संविधान में अनेकानेक बार संशोधन हुए। जब-जब देश के हित में, जनता के हित में यह जरूरी समझा गया लेकिन ऐसी क्या आपदा आ पड़ी थी कि जब देश लॉकडाउन-वन का सामना कर रहा था, कोरोना के अंदर माननीय प्रधान मंत्री ने मार्च के आखिरी सप्ताह के अंदर लॉकडाउन-वन का एलान किया और ऐसा क्या हो गया कि पांच जून को अचानक आप एक आर्डिनेंस लेकर आये? भारत सरकार को ऐसी क्या जल्दबाजी थी? क्या भारत सरकार इस महत्वपूर्ण कानून को लाने के लिए मानसून सत्र का इंतजार नहीं कर सकती थी? आपकी सत्ता है, हुकूमत है आपकी और माननीय सभापति महोदय, हम ऐसे एक काल खंड से गुजर रहे हैं कि जब देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कमजोर हो रही है। क्या विधान सभा की विश्वसनीयता रह गयी है? क्या संसद की विश्वसनीयता रह गयी है? क्या कार्यपालिका की विश्वसनीयता रह गयी है और माननीय सभापति महोदय, जिस देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों को प्रेस कांफ्रेंस करके यह कहना पड़े कि देश का प्रजातंत्र खतरे में है, उस देश में सर्वोच्च न्यायालय की भी क्या विश्वसनीयता रह जाएगी? ऐसे दौर में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एग्रीकल्चर यूनियन लिस्ट में है? क्या एग्रीकल्चर कान्करेंट लिस्ट में है? नहीं।

आठ एण्ट्री, जिसमें नाम एग्रीकल्चर का लिखा गया है, वह सारी स्टेट लिस्ट के अंदर है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने अनेकानेक सुझाव दिये, अनेकानेक बातें कहीं। श्री राहुल गांधी के वक्तव्यों का भी उल्लेख किया, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि 2014 में आपने देश के किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, आज छह साल हो गये, भारत सरकार के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ने देश के किसान का फूटी कौड़ी का कर्जा माफ किया है? आप कहते हैं कांग्रेस इस बात की डुगडुगी बजाती है कि मनमोहन सिंहजी के वक्त में 85 हजार करोड़ के कर्जे माफ किये। आप भी डुगडुगी बजाइये। देश के किसानों का एक रुपये का कर्जा माफ करके तो दिखाइये और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या कहा था स्वामीनाथन आयोग ने? किस फार्मूले का आह्वान स्वामीनाथन

(श्री संयम लोढ़ा)

आयोग ने किया था? Comprehensive cost of production: includes A2+FL (Family labour + Comprehensive cost of production) क्या आपने उस आधार पर एम.एस.पी. का आकलन किया? क्या आपने उस आधार पर एम.एस.पी. के भाव प्रस्तावित किये? नहीं। आप किसानों को बेवकूफ बनाना चाहते थे इसलिए आपने जो भाव प्रस्तावित किये जिससे देश के किसान का कोई लाभ नहीं हुआ और 2015 में आपकी ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट दिया कि हम देश की सारी फसलों पर एम.एस.पी. नहीं दे सकते। यह रिकार्ड पर है। आपके कृषि मंत्रीजी, राधामोहन सिंहजी ने 2016 में कहा कि हमने कभी यह वादा नहीं किया कि हम किसानों को उनकी सारी उपज पर एम.एस.पी. देंगे। चुनाव के वक्त बातें कुछ और उसके बाद बातें कुछ।

माननीय सभापति महोदय, अत्यन्त खेद का विषय है कि हिन्दुस्तान आज एक कारपोरेट स्टेट बन गया है। 70 साल में जिन परिसम्पत्तियों का सृजन किया, अलग-अलग हुकूमतों ने, आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप रेलवे बेच रहे हैं, आप सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां बेच रहे हैं, आप होटलें बेच रहे हैं और अब तो किसान का खेत बेचने पर भी आप आमादा हो गये। वहां पर भी आप कारपोरेट का बोर्ड लगा देना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे पूर्व वक्ता ने जिक्र किया था कान्करेंट लिस्ट की 33 एंट्री का। मैं बताना चाहता हूं अशोक दलवाई, रमेश चन्द्र समिति ने यह सिफारिश क्यों की कि एग्रीकल्चर मार्केट को कान्करेंट लिस्ट में शामिल किया जाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कान्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 में जिस फूड स्टेंप का जिक्र किया गया है, वह भारत की पार्लियामेंट को एग्रीकल्चर पर कानून बनाने की शक्ति नहीं देता।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी शुरू के पूर्व वक्ता ने कहा स्वामीनाथन आयोग का, भारत सरकार ने खुद ने 5 मई, 2015 को लोक सभा में कहा कि राष्ट्रीय किसान आयोग, मतलब स्वामीनाथन आयोग ने एग्रीकल्चर मार्केट को कान्करेंट लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की। क्यों की? एग्रीकल्चर मार्केट को कान्करेंट लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश क्यों की? इसलिए की कि ट्रेड और इंडस्ट्री, जिसको आधार मानकर आपने यह बिल बनाया, उसमें भारत सरकार, भारत की संसद को एग्रीकल्चर पर बिल बनाने का अधिकार नहीं है। माननीय सभापति महोदय,

(श्री संयम लोढ़ा)

इतना ही नहीं, भारत सरकार से जब इस बारे में पूछा गया तो 27.05.2018 को भारत की लोक सभा में भारत सरकार ने जवाब दिया कि एग्रीकल्चर मार्केट को कान्करेंट लिस्ट में शामिल करने का कोई इरादा नहीं है।

ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। यह देश की हुकूमत ने समय-समय पर भारत की लोक सभा में कही है, लेकिन बहुत चालाकी के साथ। आप ताज्जुब करेंगे, हमारी विधान सभा हो, लोक सभा हो, यह सब्जी मंडी तो मत बनाइये सभापति महोदय। (व्यवधान) राजस्थान की विधान सभा है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सबके पीछे क्या खेल है। 2014 में आपने शांताकुमार कमेटी बनायी। उसने क्या सिफारिश की? ए.पी.एम.सी. को खतम कर दिया जाए और यह सब क्यों? फूड कारपोरेशन आफ इंडिया...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह बैठे-बैठे बातें कर रहे हैं। सारे हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं और कोई रोका-राकी नहीं है।

श्री सभापति: मैंने कह दिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया का 4 लाख करोड़ का घाटा है। उस घाटे को खतम कैसे किया जाए, इसी परपज से शांताकुमार कमेटी बनायी गयी और अभी तो भारत सरकार के कानून अस्तित्व में आये नहीं और आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अडानी ने कहां-कहां पर अपने स्टोरेज का निर्माण कर दिया। मतलब भारत सरकार कौनसा निर्णय कब करने वाली है, देश के उद्योगपतियों को इसके बारे में पहले से पता होता है और यह नहीं समझना चाहिये, माननीय सभापति महोदय, कि हम दिल्ली की हुकूमत में बैठे हैं तो हमारे लिए संविधान कुछ नहीं है। हमारी यह सारी शक्तियां असीमित हैं, बेलगाम हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर ऐसे अनेक निर्णय किये हैं, जब यह बताया है कि स्टेट की पावर्स क्या है और सेंटर की पावर्स क्या है। कोई भी संविधान का अगर ढंग से अध्ययन करेगा तो एक साधारण विद्यार्थी भी यह समझ सकता है कि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है और जिस पर भारत की संसद को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं खाली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक छोटा-सा पोर्शन कोट करूंगा जो ए.के. राय बनाम यूनियन आफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है - "The Constitution Assembly therefore conferred upon the executive the power to legislate, not of course intending that the said power should be used recklessly or by imagining a state of affairs to exist when, in fact, it did not exist; not, indeed, intending that it should be used malafide in order to prevent the peoples' elected representatives from passing or rejecting a Bill after a free and open discussion, which is of the essence of democratic process" अब आपने क्या किया? भारत की राज्य सभा में 245 की क्षमता में आपके पास सिर्फ 107 वोट थे। आपके पास बहुमत नहीं था। आपके सहयोगी दल भी भाग रहे थे। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया था। आप अपने सहयोगी दलों को ही नहीं समझा पाये कि यह कानून किसानों के हित में है और अभी-अभी राजस्थान में मेरे पड़ोस में बैठे विधायक इनकी पार्टी ने भी इनका साथ छोड़ दिया इसी कानून के ऊपर। आपके पास वोट नहीं थे। आपने चर्चा नहीं करवायी। आपने बात कहने का मौका नहीं दिया और शोरगुल के बीच में आपने उस कानून को पारित कर दिया। माननीय सभापति महोदय, ऐसा कौनसा आसन के पास में यंत्र लगा हुआ है कि इतना शोर हो रहा हो और जिसमें आसन यह पता कर ले कि ध्वनिमत इधर पक्ष में है या ध्वनिमत इधर पक्ष में है और उस बिल को पारित कर दिया। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि तमाम विपक्षी दल के लोग भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास जाकर विनती करके आये हैं, लेकिन इसके बाद भी उस बिल को पारित कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, यह संविधान की आत्मा के खिलाफ है, यह संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार है, यह संघीय ढांचे पर हमला है और देश की प्रजातंत्र की आत्मा के ऊपर हमला है। आप इस तरीके से इतने इम्पोर्टेंट आप करोड़ों देशवासियों का भला चाहने का जिसको बताते हो और इस तरीके से बिना चर्चा के, बिना संवाद के, बिना बातचीत के आप कानून थोप देते हैं और इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, बहुत प्रसिद्ध केस है एस.आर. बोम्मई का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य और केन्द्र अपने-अपने अधिकारों का स्वतन्त्रता से प्रयोग करें। मैं इसका छोटा-सा कोट आपको पढ़कर

(श्री संयम लोढ़ा)

सुनाऊंगा - "The fact that under the scheme of our Constitution, greater power is conferred upon the Centre vis-à-vis the States does not mean that States are mere appendages of the Centre." खाली आप पर निर्भर नहीं है, स्टेट के भी अपने पावर हैं जो संविधान में दिये हुए हैं "Within the sphere allotted to them, States are supreme. The Centre cannot tamper with their powers. More particularly, the courts should not adopt an approach, an interpretation, which has effect of or tends to have the effect of whittling down the powers reserved to the States." (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) राज्यों की भी अपनी शक्तियां हैं। (व्यवधान) कोर्ट में भी गये हैं लोग, जाएंगे और ये राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत भी एक कोर्ट ही है, माननीय सदस्य, जहां अपनी बात रखने का और आप जैसे मेरे पड़ौसी के माध्यम से मैं अपनी बात देश के प्रधान मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं आपसे मेरी विनती है।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि यहीं तक नहीं, जो मामला कान्करेंट लिस्ट में है, उसके मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है, जो स्पष्ट रूप से कान्करेंट लिस्ट में है कि जनहित में वह अधिकार भी रद्द किया जा सकता है।

मैं आपके सामने निवेदन करूंगा आई.टी.सी. लिमिटेड बनाम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एण्ड अदर्स का 2002 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कृषि उत्पादन में विपणन से जुड़े राज्य कानूनों को सही माना है और केन्द्रीय तम्बाकू बोर्ड एक्ट को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कच्चा माल और उससे जुड़ी गतिविधि इंडस्ट्री में शामिल नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सूची की एण्ट्री 28 के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने राय दी और केन्द्र के यूनियन लिस्ट के 58 और समवर्ती सूची के 33 के तम्बाकू को लोकहित में, उन्होंने बताया कि इसको लोकहित में संशोधन के नियंत्रण में रखा गया है इसलिए उन्होंने राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कनक्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप मेरा टाइम देख लो, आप मेरी टाइम लिमिट चैक कर लीजिए।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, टाइम देख लिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, स्टेट आफ राजस्थान बनाम जी. चावला का जो 1959 का फैसला है जिसमें "Pith and Substance" a legal doctrine आया कि अगर दोनों सूचियों में ओवर लेपिंग हो तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 1959 में स्पष्ट राय दी है लेकिन कारण क्या है, माननीय सभापति महोदय, कि जिन्होंने संविधान बनाया, ये तो वे लोग थे जिन्होंने 25 जनवरी, 1950 को, 26 जनवरी को तो संविधान लागू हो रहा था और 25 जनवरी, 1950 को अपने मुख पत्र में संविधान के खिलाफ आर्टिकल छापा था और इनको संविधान सभा में क्या चर्चा हुई, कौनसा अमेंडमेंट किस माध्यम से आया, वह भी जानकारी नहीं है और इन सब कारणों से देश को आज ये स्थिति देखनी पड़ रही है।

माननीय सभापति महोदय, अब चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं तो मैं दो-तीन बातें और कहकर अपनी बात खतम करूंगा।

अभी मेरे कुछ विद्वान मित्रों ने जिक्र किया किसान सम्मान निधि का, क्या हाल है किसान सम्मान निधि का? राजस्थान में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 66 लाख 40 हजार किसानों को प्राप्त हुई और आज छठी किस्त मात्र 24 लाख 88 हजार किसानों को प्राप्त हुई। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? राजस्थान की जनता ने 25 लोक सभा सदस्य जिता करके भेजे, हर बार हर किस्त के मामले में जितने योग्य कृषक रजिस्टर होते हैं, 20 से 25 फीसदी किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा।

आपने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत में क्या है? आप बैंक लोन दे रहे हैं, उसमें एक सिवाय ब्याज अनुदान के क्या है? क्या आप कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत में? जो माइक्रो इर्रिगेशन फंड आपने बनाया, उसके क्या हालात हैं? आपने उसको नाबार्ड से लिंक कर दिया और अगर स्टेट ने जो उसकी उधार लेने की लिमिट है उसका दूसरी जगह उपयोग कर लिया है तो माइक्रो इर्रिगेशन फंड में स्टेट 5 रुपये भी उसके अन्दर नाबार्ड से प्राप्त नहीं कर सकता। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों के हिस्से का प्रीमियम देने के बाद शेष रहे प्रीमियम में पहले आधा-आधा पैसा देते थे, अब आपने क्या

(श्री संयम लोढ़ा)

कर दिया? देश की ये किसानों की हितैषी सरकार और उसके प्रधान मंत्री ने सिंचित जिलों के लिए 25 परसेंट और असिंचित जिलों के लिए 30 परसेंट और ज्यादा हो तो सारा पैसा स्टेट अदा करे। अभी खरीद 2020 में केन्द्रांश कितना है, 1618 करोड़ और राज्यांश कितना है 1755 करोड़, मतलब 137 करोड़ रुपये आपके सरकार के उन बदले हुए फैसलों के कारण राजस्थान को ज्यादा देना पड़ेगा।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं, कटारिया साहब 1977 से आते हैं, उनको पता है, 80: 20: के रेशो में केन्द्र परिवर्तित योजनाएं चलती थीं। उनको पता है 70: 30: के रेशो में केन्द्र परिवर्तित योजनाएं चलती थी। अब आपकी सरकार ने क्या किया, उसको घटा करके 60: 40: के रेशों मे ले आये। 2015-16 में 66 केन्द्र परिवर्तित योजनाएं थीं, 2016-17 में आपने घटा करके उसको 28 कर दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): समाप्त ही कर रहे हैं, सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक आखिरी बात निवेदन कर रहा हूं। 2006 में बिहार ने यह काम किया था ए.पी.एम.सी. एक्ट को खतम करने का, क्या हुआ? वहां आधारभूत ढांचा जर्जर हो गया, कोई भण्डारण के सोर्स डवलप नहीं किये जा सके, किसान अपनी फसल रखने की स्थिति में नहीं रहा और तत्काल पैसे की जरूरत के कारण औने-पौने दामों में उसको फसल बेचनी पड़ी। एम.एस.पी. दर सरकारी खरीद का, मैं राजस्थान और बिहार का एक फीगर कोट कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, 2019-20 का। एम.एस.पी. पर गेहूं की सरकारी खरीद राजस्थान में 29.8 लाख हैक्टेयर भूमि पर कृषि हुई 93.1 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ जिसमें 14.11 लाख मैट्रिक टन गेहूं की एम.एस.पी. पर खरीद हुई। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बिहार में जहां इनकी मिलीजुली सरकार है वहां क्या रहा, 20 लाख हैक्टेयर भूमि पर खेती हुई 61 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ और एम.एस.पी. पर खरीद कितनी हुई, 30 हजार मैट्रिक टन। यह सब इसी तरह के फैसलों का नतीजा है कि वहां ए.पी.एम.सी. एक्ट को आपने खतम कर दिया और प्राइवेट सैक्टर के लिए दरवाजे खोल दिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मक्के का क्या है बिहार में, 1850 रुपये बिक रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कनक्लूड ही कर रहा हूं, सभापति महोदय।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने सारी बातें आपके माध्यम से रखी हैं। यह विषय राजनीति का विषय नहीं है। मैं बी.जे.पी. के हमारे मित्रों से अनुरोध करूंगा कि सरकार जो यह प्रस्ताव लेकर के आयी है, जो बिल लेकर के आयी है, आज आपको भलीभांति ज्ञात हो गया होगा कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय संविधान के प्रावधान के विपरीत है, किसानों के हितों के विपरीत है इसलिए आप सभी अपने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव को वापस लेते हुए सरकार के आये हुए इन बिलों का समर्थन करिये और मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, आज राज्य सरकार किसानों के अहित को समझते हुए जो बिल लायी है, हमारे भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जो तीन बिल पेश किये, वाकई में ये बिल किसान के हित के बिल थे। आज हमारे कृषि मंत्री जी हमारे बीच में हैं और हम और आप सभी इस बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, हम किसानों के हित के लिए चिंतित हैं।

अगर कोई कारखाना है, कोई दवाई उत्पादन करता है, कोई कपड़ा उत्पादन करता है, कोई पैन का उत्पादन करता है उसकी रेट फिक्स होती है लेकिन किसान जब दिन-रात मेहनत करके, खून-पसीना बहा करके कड़ी धूप में, सर्दी में और बरसात में फसल पैदा करता है और उसकी फसल का जो मूल्यांकन, सौदा एक दलाल करता है या एक व्यापारी दलाली के माध्यम से होता है, उस बात को लेकर के हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधान मंत्री जी को जिन्होंने किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय किये।

जहां तक हमारी सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं वह भी इसे मान रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री जी भी एक किसान हैं। उनको भी पीड़ा है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो फैसला किया, कैबिनेट ने जो फैसला किया, उस बात को रखकर आप यह बिल लाये हैं। उसका मैं पूरा विरोध करता हूं।

(श्री अमृतलाल मीणा)

सभापति महोदय, मैं जनजाति एरिये से आता हूं। वहां छोटे-छोटे खेत हैं। पहाड़ी इलाके के बाग़ हैं। वहां मक्का बहुत अधिक होती है। लेकिन वहां की मक्का का आज तक भाव तय नहीं हुआ। बाजरे की चिंता कर रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा पैदा होता है।

यह जो बिल आप लाये हैं, वह केवल उच्च स्तर के नेताओं को खुश करने के लिए लाये हैं। हमने लोक सभा में बोल दिया। यहां बोल दिया। बाहर बोल दिया। पंजाब विरोध कर रहा है। राजस्थान में भी विरोध करना है। छत्तीसगढ़ में भी करना है।

आज किसान बहुत परेशान है। बिजली को लेकर बहुत परेशान है। उसको समय पर बिजली नहीं मिल रही है। किसानों की फसल खराब हो रही है। समय पर बिजली नहीं आने के कारण किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अगर इस बात की चिंता करते तो यह बिल स्वागत योग्य होता।

सभापति महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी मंडी में 50 व्यापारी हैं तो वहां 500 व्यक्ति अन्य काम करते होंगे। एक व्यक्ति अगर एक मंडी का लाइसेंसधारी होगा तो उसी मंडी में खरीद-फरोख्त कर सकता है लेकिन इससे लाइसेंस राज समाप्त होगा। इंस्पेक्टर राज समाप्त होगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। किसान भी स्वतंत्र रूप से एक गांव, एक जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेगा। आजाद होकर के व्यापार पूरे देश में कर सकेगा।

सभापति महोदय, इसमें यह भी लिखा है कि मंडी का कोई भी कानून किसान को 3 दिन में पेमेंट की गारंटी नहीं देता है। लेकिन कानून पास करके हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो 3 दिन में पेमेंट करने का किया है, बिल पास किया है। उसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं।

अब हमें बार-बार यह सुनने में आ रहा है कि कृषि बिल का विरोध किया जाए। प्रदेश सरकार यह भी चाहती है कि प्रदेश में बिल के विरोध का प्रस्ताव पास करके अपने नेताओं को खुश किया जाए, लेकिन यह नहीं देखा जा रहा है कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में, हमारे डा. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, उन्होंने भी यह बात कही थी।

सभापति महोदय, दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष भर में 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा भारत सरकार के खजाने से निकालकर किसानों

(श्री अमृतलाल मीणा)

की जेब तक पहुंचा है। ऐसा काम दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आज तक 92 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार के द्वारा किसानों के खाते में जमा हुए हैं। किसान उन्नत हों, किसान ताकतवर हों, किसान संगठित हों, किसानों को किसानी के लिए तकनीकी समर्थन मिले, इस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने प्रावधान किया है। उसका हमें समर्थन करना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी संयम लोढ़ा जी हैं, नहीं। आपने अभी स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। अगर यहां राज्य सरकार किसी तरह से किसानों के हित की बात करती, भलाई की बात करती तो अच्छा होता। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार का किसानों के प्रति क्या हाल है? एक किसान को 3 करोड़ 71 लाख 61 हजार का बिल भेज दिया। यह किस तरह की संवेदनशीलता है? यह बहुत बड़ी बात है। यह अखबारों में आया है। पोटली भरकर हमने उसको भेजा। इससे पता चलता है कि यह सरकार कितनी किसानों की हितैषी है। किसानों के हितैषी तो तब होते, जब कि आप किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देते। किसानों के लिए कोई सही योजना बनाते। किसानों के लिए वेयरहाउस बनाने की योजना बनाते। सब्जी मंडी, मार्केट बनाने की बात करते। आप जिस तरह से केन्द्र का विरोध कर रहे हैं, उसको मैं उचित नहीं मानता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): आदरणीय सभापति महोदय, जो 3 बिल पेश हुए हैं, उन पर बड़ी रोचक, ज्ञानवर्धक चर्चा चल रही है। किसानों के हित की बातें हो रही हैं।

सभापति महोदय, आखिर कृषि विधेयकों पर देश में भ्रम क्यों पैदा हो रहा है? विरोध क्यों हो रहा है? उसके विपक्ष में क्यों बोला जा रहा है? यह बहुत अहम बात है। क्या मंडी व्यवस्था जो चालू की गई थी, वह खराब हो चुकी है? क्या ये कारपोरेट किसानों के ज्यादा हितकारी हैं? सरकार की मंशा क्या है?

सभापति महोदय, कृषि उपज विपणन अधिनियम जब बना था, तब यह पता नहीं था कि बिचौलिये पैदा हो जाएंगे। यह कानून भी साफ है। आपने पढ़ा होगा, आप तो कृषि मंत्री भी रहे हैं। हमारे छबड़ा के विधायक कहीं चले गए हैं। वह बिचौलियों की बात कर रहे थे। मैं साफ करना चाहता हूं कि जो

(श्री रामनारायण मीना)

किसान हैं, करीब-करीब किसी भी किसान के परिवार का आदमी बिचौलिया नजर नहीं आएगा। सदन में जो बिचौलिये की बात करते हैं, उनके रिश्तेदार बिचौलिया मिलेंगे। उनके रिश्तेदार व्यापारी मिलेंगे। माननीय उप नेता महोदय, आटा मील और दाल मील के व्यापारी कभी भी किसान को सही भाव नहीं देना चाहेंगे। यह भारत सरकार के किस एक्ट में लिखा है, किस नियम में लिखा है कि एमएसपी स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो खरीद की जाएगी। यह हिन्दुस्तान में प्रधान मंत्री जी का दिया हुआ वादा है। वादा करके अगर कोई बदले तो यहां मैं नहीं कहना चाहूंगा, सदन का मामला है लेकिन हम बचपन में कहा करते थे कि देख, थूक करके मत चाट। थूक करके चाटना पड़ेगा।

सभापति महोदय, किसी देश का प्रधान मंत्री वादा करे कि हम किसान को वाजिब मूल्य देंगे। उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। हालांकि मुझे प्रधान मंत्री का पता नहीं है कि उनका व्यवसाय क्या है। वह खेती करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरे तो बाप, दादाओं ने खेती भी की है और मैंने भी कभी न कभी खेती की होगी। इस कारण मैं इस तकलीफ को समझता हूं।

सोयाबीन की खेती करने का खर्चा ज्यादा बता रखा है और पैडी का खर्चा कम बता रखा है। यह तो भारत सरकार का नमूना है। आप उसको उठाकर देख लीजिए जो भारत सरकार ने पेश किया है। उनको यह तो ज्ञान नहीं है। पैडी जो कि चावल की फसल है, वह सस्ती मार्केट में जा रही है। किसने कहा कि राजस्थान में मत खरीदो, मध्य प्रदेश में मत खरीदो। किसी स्टेट में मत खरीदो। वहां की स्टेट गवर्नमेंट कहेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान में रबी की फसल के टाइम पर भी मुख्य मंत्री ने पत्र लिखा और अभी भी एक पत्र लिखा है। आप जाकर रिकार्ड में जांच कर लीजिए। आपने अख़बार में पढ़ा होगा। मैंने तो अख़बार में पढ़ा है। मेरी बात नहीं हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? भारत सरकार ने गेहूं का, 1975 का वादा कर रखा है। वह 1500 में जा रहा है। उसको कौन खरीद रहा है? बिचौलिया, मील मालिक खरीद रहा है। मील मालिक जिस पार्टी के साथ ज्यादा है, जिस पार्टी को वोट देते हैं, उनका हित कौन चाहता है, इस बारे में तो जानकारी आप करें लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा हमारे साथियों से, पक्ष और विपक्ष दोनों से, मेरी पार्टी से, दूसरी पार्टी से, यदि राजस्थान के किसान के साथ अन्याय हो रहा है तो हम सदन में बैठे हैं। यह हमारा अधिकार है कि दस परसेंट है या बीस परसेंट, जो भी हैं, सदन को बुलाएं,

(श्री रामनारायण मीना)

किसान के साथ अनजस्टिस हो रहा है तो पक्ष उसका प्रस्ताव पेश करे या नहीं करे, विपक्ष के नेता यहां विराजमान हैं, वे तो प्रस्ताव पेश कर देंगे। पुराने आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, बहुत नेकनीयत आदमी हैं, तो वे भी कानून पास कर लेते हैं, एक स्टेट में, किन्तु मैं धन्यवाद दूंगा कि आपकी बात दोनों पार्टियां सुनती हैं। उदयपुर में बाहर का आदमी नौकरी नहीं करे, जब यही कानून आपने पास कर लिया और राजस्थान सरकार के मंत्रालय से आर्डर जारी हो चुके तो फिर यह कानून पास करने की क्या जरूरत है, कानून पेश करने की कहां जरूरत है कि किसानों के लिए भारत सरकार ने जो एमएसपी लागू की है, उसको किसी भी सूरत में खरीदा जाए, यह सदन की मंशा है। आप चाहें तो सदन को पेश कर दें, हम उसका समर्थन करते हैं, दोनों पक्ष उसका समर्थन करते हैं। किसान के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए हमको, गरीब के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहिए, किसान निधि में दे दिया, किसान को सहयोग दे दिया, किसान कभी भीख मांगने वाला नहीं होता है। किसान कभी भीख नहीं मांगेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी तो भूखा सो जाएगा, वह भीख नहीं मांगेगा। किसान तो चाहता है कि 28 परसेंट जो केन्द्र सरकार ने जीएसटी ट्रैक्टर पर लगाई है, वह 28 परसेंट क्यों लगाया? हीरे पर 0.25 परसेंट, नियम में नहीं है, 25 नया पैसा आपने सौ रुपये पर लगा रखा है, जेवरात पर मात्र 3 परसेंट लगा रखा है तो फिर किसान ने क्या बिगाड़ा था आपका? ये कानून की जो विडम्बना है, आपके मन की जो भावना है, किसान को बरबाद करने का तरीका है, कारपोरेट को गिरवी रखने का तरीका है और बरबाद करके, जैसे पुराने राजा महाराजाओं के जमाने में हुआ करता था, दरोगा और कौनसी-कौनसी श्रेणी देना चाहते हो, कृपा करके इस श्रेणी में किसान को ले जाने की कोशिश न करें।

माननीय सभापति महोदय, आपसे अर्ज कर रहा था कि जो यह बिल है, मैं तो कहता हूं, मैं तो धन्यवाद देता हूं, राजस्थान के मंत्रिमण्डल को और सरकार को कि इन्होंने सही समय पर सही बात की है। ये ब्रिटेन का बिल उठा कर देख लीजिएगा, बिलकुल उससे भी घटिया स्तर का बिल है। आप बैठकर सदन के दोनों पक्ष के नेता कमेटी बैठाकर कम्पेरिजन कर लीजिएगा। यह जो स्थितियां पैदा हो रही हैं सम्माननीय, आज जिस प्रकार से बिल में है, प्राधिकारी निर्णय करेगा, कोर्ट में नहीं जा सकते, तो साफ कह दो कि हम

(श्री रामनारायण मीना)

जमीन पर कब्जा करना चाहेंगे। आज जिस प्रकार से निर्णय होते हैं कोर्ट के, अभी कोर्ट के बारे में कहा जा रहा था, मैं कोर्ट का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि रात के बारह बजे हाई कोर्ट के जजेज के ट्रांसफर हों माननीय सभापति महोदय, क्या कोर्ट इंडिपिडेंट रहेगा? इलेक्शन कमीशन जिस तरह से निर्णय करे, क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे? बात तो सही है कि आपने छह लाख से भीलवाड़ा से पार्लियामेंट में हरा दिया पार्टी को, छह लाख से भीलवाड़ा में हार सकती है क्या? मैं सोफ्टवेयर के खेल की बात नहीं कर रहा हूं। एक अजीब तजुर्बा मुझे जो हुआ है आप ही के समय के राज में राजनीति में जो अजीब-अजीब बातें हो रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि अनुदान कौनसा नहीं दिया जा रहा? खाद-बीज में नहीं दिया जा रहा? किसमें नहीं दिया जा रहा? कृषि मंत्रीजी, आप विराजमान हैं, आपने भारत सरकार को लिखा या नहीं लिखा लेकिन कृषि मंत्रीजी, इस साल किसान के साथ बहुत अन्याय हुआ है। न चना मिला उसको अनुदान का पूरी मात्रा में और न गेहूं मिला, न दूसरा बीज मिला। यदि भारत सरकार आपको इजाजत नहीं देती, सब्सिडी में पैसा नहीं दे सकती तो चुप नहीं बैठना चाहिए। आप तो किसान के पुत्र हो, आपने तो बड़े-बड़े लोगों के साथ काम किया है। हम आपमें किसान का चेहरा ही नहीं देखते, आपको किसान हितैषी मानते हैं, इसलिए कृपा करके ऐसी बातों पर हमारे जैसे साधारण विधायकों से भी कभी-कभी जरूरत पड़े तो कंसल्ट कर लीजिएगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें हैं आप देखिये कि कितनी अच्छी गवर्नमेंट है भारत सरकार, बड़ी थम्पिंग मैजोरिटी से जीतकर आई है। दवाई पर 12 परसेंट जीएसटी, कृषि उपकरणों पर 18 परसेंट जीएसटी, हम तो आपसे कहते हैं कि सद्बुद्धि दो, जीएसटी किसान से खतम कर दो। न हमें अनुदान चाहिए, न कोई दूसरी चीज चाहिए, न हमारे को ऋण की माफी चाहिए। कृषि उत्पादों और कृषि उपकरणों में आप जीएसटी खतम कर दो, कम कर दो, कम से कम आपने जो प्रीशियस स्टोंस हैं, उसमें जब 0.25 परसेंट आज की तारीख में लगी हुई है, वही कर दो, जेवरात पर 3 परसेंट है, वही कर दो। ऐसा कभी नहीं

(श्री रामनारायण मीना)

सोचा था कि आप लोग राज में आओगे तो हमारे साथ इतना अनजस्टिस होगा।

माननीय सभापति महोदय, समस्या क्या आ रही है, आज हमारे बीच में नेहरूजी नहीं हैं, हमें फख्र है कि देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय जवाहर लाल नेहरू ने एक सोच पैदा की थी, किसान की उपज खरीदी जाए, जो भी उपज हो, 1964 में और 1966 में, 1965 के दिसम्बर में और 1966 के प्रारम्भ में फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया का बिल आया और वह सारी उपज खरीदने लगी, मंडियों की पूरी की पूरी उपज उठाने लगी, आज जिस प्रकार से खेल कर रहे हो। आपने 27 पीएसयूज बेच दिए, अण्डरटेकिंग्स बेच दिए, हमारे पास 168 ही तो हैं, आपने तो नहीं बनाए थे। क्यों बेचे जा रहे हैं? 168 में से आपने 27 बेच दिए, कितना बचा, 141, दस-पांच और बेच दोगे। हम तो यह जानते हैं कि किसान एक बीघा जमीन बेचेगा तो उसकी आत्मा तकलीफ में आएगी। ऐसा क्यों कर रहे हो कि आप फूड कारपोरेशन आफ इंडिया बेच रहे हो, भारत पैट्रोलियम बेच रहे हो, आपने तो जिंक स्मेल्टर बेच दिया 400-500 करोड़ रुपये में जिसमें कच्चा माल ही हजारों करोड़ रुपये का पड़ा हुआ था। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पैडी का, गेहूं का, बाजरा का, मक्का का और जिस प्रकार से चल रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मुझे लगा है कि अभी तो दो-तीन मिनट ही हुए हैं। (व्यवधान) कभी-कभी अच्छे लोगों की घड़ी भी कमजोर हो जाया करती है।

श्री सभापति: बोलिये प्लीज।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं घड़ी नहीं बांधता हूं लेकिन अंदाजा मेरा सही मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, बिलकुल, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आप ब्याज पर ब्याज ले रहे हो, कामर्शियल बैंक हमसे ब्याज पर ब्याज ले रहे हैं। नेहरूजी के जमाने में ब्याज पर ब्याज का कोई सिद्धांत नहीं था, आप कोआपरेटिव एक्ट उठाकर देख लीजिएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से सदन के माननीय सदस्यों से और कृषि मंत्रीजी से विशेष तौर पर अनुरोध करना चाहूंगा कि

(श्री रामनारायण मीना)

हमारे संविधान के अनुच्छेद 38, जिसमें हमें अधिकार दिया हुआ है, जिसके तहत आप बिल लाएं हैं, इनका थोड़ा आप ध्यान रखें। अपनी बात को आपने रखा उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं चूंकि नेता प्रतिपक्ष यहां पर विराजमान हैं इसलिए मैं उनको याद दिलाता हूं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता कि कितना पूरब पश्चिम का अंतर है, कहां अटल बिहारी वाजपेयी, कहां राजा भोज और कहां माननीय नरेन्द्र मोदी। उन्होंने कहा था, एक कविता थी उनकी। माननीय सभापति जी, मैं निवेदन कर दूं, उन्होंने कहा था,

उठो द्रोपदी वस्त्र संभालो अब गोविन्द न आएंगे,
कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से।
कैसी रक्षा मांग रही हो, दुःशासन दरबारों से,
उठो द्रोपदी वस्त्र संभालो अब गोविन्द न आएंगे।
स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचायेंगे,
उठो द्रोपदी वस्त्र संभालो अब गोविन्द न आएंगे।
कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है,
होंठ सिल दिए जनता के, कानों पर भी पहरा है,
तुम्हीं कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे,
उठो द्रोपदी वस्त्र संभालो अब गोविंद न आएंगे।
छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो,
जाल बिछाये बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे,
उठो द्रोपदी वस्त्र संभालो, अब गोविन्द न आएंगे।

मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप गटर की स्वच्छता का अभियान चला रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): गटर में गरीब का बच्चा मर जाता है उसको तो नहीं, सचिन तेंदुलकर को आप सफाई का अभियान दे रहे हो, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि संभलिये...

श्री सभापति: कविता से तो कंक्लूजन होता है, माननीय।

श्री रामनारायण मीना: और सभापति महोदय, ये जो राज्य सरकार की ओर से बिल पेश हुए हैं, इन्हें तो स्वीकार किया जाए, केन्द्र की भावना की भर्त्सना इस सदन में की जानी चाहिए। आपका बहुत-बहुत आभार, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने कृषि से सम्बन्धित तथाकथित तौर पर किसानों के हित के लिए जो तीन बिल पेश किये हैं, उन पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। बहुत वरिष्ठ आदरणीय सदस्य ने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता से समापन किया है। अटल जी ने कविता लिखी है तो किसके लिए लिखी होगी, किन लोगों को इंगित करके लिखी होगी, आप समझ सकते हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): उन्हें पता था आप राज में आएंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): वह पूरी की पूरी कविता आप पर, आपके दल पर और आपके नेताओं पर लागू होती है। आपने अपने आपको ही आईना दिखा दिया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय विद्वान सदस्य, वे बहुत विद्वान हैं, संविधान हाथ में लिये घूमते हैं, भगवान जाने उस डायरी में संविधान है या और कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन वे उसे बार-बार दिखाते रहते हैं कि इस विषय पर भारत सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। थोड़ी-बहुत जानकारी मैं भी करके आया हूं। संविधान का अनुच्छेद है 246, जिससे सातवीं अनुसूची गवर्न होती है। उसमें संघ सूची में लिखा है, ''अन्तरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य'', ये संघ की सूची में है। भारत सरकार को इन पर कानून बनाने का अधिकार है। यह एक असत्य धारणा सत्ता पक्ष के द्वारा फैलायी जा रही है कि कृषि के लिए कानून बन रहे हैं। ये कानून कृषि के लिए हैं ही नहीं। ये कानून कृषि विपणन के लिए हैं। कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए, व्यापार के लिए हैं ये कानून। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाना है या देश से बाहर माल जाना है, उस पर कानून बनाने का, नियम बनाने का पूरा अधिकार भारत सरकार को है और उस अधिकार में दखल करके आप लोग संविधान के खिलाफ जा रहे हैं।

मैं ट्रैजरी बैंच के सदस्यों को याद दिलाना चाह रहा हूं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी दस साल तक आपके प्रधान मंत्री रहे, उन्होंने संसद में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

भाषण दिया था। जो कुछ उन्होंने बोला था, हूबहू वही चीज लागू की है वर्तमान प्रधान मंत्री ने। उसमें आपको तकलीफ है। 2019 के लोक सभा चुनाव से पहले का अपना घोषणा पत्र याद करें, उसमें आपने जनता से वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आये, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, पर वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आये तो यह कानून बनाएंगे। वही कानून मोदी जी आज ला रहे हैं। उसमें भी आपको तकलीफ है।

आप कान्ट्रेक्ट फार्मिंग के लिए बार-बार उत्तेजित हो रहे हैं। कान्ट्रेक्ट फार्मिंग का फार्मूला, प्रयोग इस देश में सबसे पहले कहां हुआ? मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। जब यह लागू हुआ तो दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थीं। उसका आप विरोध कर रहे हैं। अपने गिरहबान में झांक लिया करें थोड़ा-बहुत, आईना देख लिया करें, उसके बाद बोला करें। किसानों के भले के लिए इस कानून का आपने बार-बार जिक्र किया है- राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 का। इसे किसानों के भले के लिए लाये थे आप। 1961 में आप लाये थे, हम उस समय नहीं थे। उसके माध्यम से आपने कितना भला किया किसानों का?

उस मण्डी में जो विशाल यार्ड आपने बना रखे हैं, विशाल दुकानें बना रखी हैं, चबूतरे बना रखे हैं, बड़े-बड़े व्यापारी वहां बैठते हैं, बड़े-बड़े अफसर आपके वहां बैठते हैं, बड़े-बड़े सरकारी भवन वहां बने हुए हैं, लम्बा-चौड़ा टैक्स आप वसूल करते हैं, उस मण्डी में किसानों की हालत क्या है? एक सुई बनाने वाला निर्माता भी यह तय करता है कि यह सुई पांच पैसे में बिकेगी या दस पैसे में बिकेगी। उससे कम पर वह बेचने को तैयार नहीं होता। किसान जो अपने खून-पसीने की मेहनत से अपनी उपज लेकर मण्डी में आता है, उसके हाथ में नहीं होता कि वह गेहूं क्या भाव बेचेगा और मूंग क्या भाव बेचेगा। वहां के व्यापारी तय करते हैं और कैसे तय करते हैं? सिरोही से आने वाले माननीय विधायक कहीं चले गये, शिवगंज की सब्जी मण्डी मैंने देखी है। बचपन से मेरा आना-जाना है वहां, पिछले साठ साल से वह मण्डी देख रहा हूं। मान लीजिये, मैं किसान हूं, दस किलो टमाटर लेकर मैं आया हूं और वहां ढेरी लगाता हूं, फिर खरीदने वाले आते हैं। दस किलो टमाटर हैं, बाजार में भाव पचास रुपये किलो है, पांच सौ रुपये के होने चाहिए। खरीदने वाला वहां आकर भाव लगाता है- 100 रुपये में देना है क्या? दूसरा बोलेगा- 105 रुपये में देना है क्या? तीसरा बोलता है- 110 में देना है क्या? इस तरह से वह 500 रुपये

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

का माल 150, 200, 250 रुपये में बेचकर अपने घर जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाता कि इतना कम पैसा क्यों दे रहे हैं।

यह आज भी हो रहा है। 1961 में आपने कानून बनाया था कि किसान को अच्छी मण्डी, अच्छा व्यापार देंगे, अच्छा प्लैटफार्म देंगे, अच्छी कीमत उसे मिलेगी, इसके लिए बनाया था। उसके बावजूद आपकी मण्डियों में किसान की यह हालत है। वह अपनी तरफ से कोई भाव नहीं लगा सकता। आप बार-बार कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीद नहीं होनी चाहिए। इस नये कानून के तहत 1961 से आपकी मण्डियों में किस दर से खरीद हो रही है? क्या समर्थन मूल्य वहां आवश्यक रूप से लागू है? क्या वहां बैठे व्यापारी समर्थन मूल्य से कम दर पर नहीं खरीद रहे?

आप देख रहे हैं, साठ साल से आपका वह कानून लागू है, साठ में से चालीस साल आपने राज किया है और आपकी आंखों के सामने आपकी नाक के नीचे यह हो रहा है कि समर्थन मूल्य से औने-पौने दामों पर किसान अपनी उपज उन व्यापारियों को मण्डी में बेचकर जा रहा है। आपके अफसरों के सामने आपकी नाक के नीचे। तब आपको किसान का भला नहीं सूझा? फिर आप कह रहे हैं कि समय पर भुगतान होना चाहिए। प्राइवेट मण्डी से बाहर यदि माल बेच दिया तो उसका समय पर भुगतान होना चाहिए। मण्डियों में पैसा समय पर मिलता है क्या? मण्डियों में पेमेंट कब आता है, जब वह व्यापारी उस चबूतरे पर माल रखवा देता है, रेट उस दिन की तय कर लेता है और उसके बाद पर्ची पकड़ा देता है, घर जा। व्यापारी महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद वह सारा माल बाजार में ऊंची दर पर बेचने के बाद उसका पेमेंट करता है।

भारत सरकार को पाबन्द कर रहे हैं आप, आप क्या कर रहे हैं, वह आपको समझ में नहीं आ रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में विलम्ब कौन करता है? गेहूं और चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती होगी, बाकी चीजें तो आपके हाथ में हैं, आप क्यों नहीं समय पर घोषणा करते? किसान का सारा माल जब मण्डी में पहुंच चुका होता है, व्यापारियों के गोदामों में पहुंच चुका होता है उसके बाद आप किसान हितैषी बनते हैं और कहते हैं कि यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य और इससे कम पर माल नहीं बिकेगा। माल तो बिक चुका साहब। माल तो जा चुका।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उसके बाद आप समर्थन मूल्य घोषित करते हैं। यह आपकी पालिसी रही है हमेशा। समर्थन मूल्य घोषित हो जाए तो सरकार उस मूल्य पर खरीद कब करती है? आपने बाजरे का समर्थन मूल्य तय कर रखा है। वर्तमान में बाजार में क्या भाव बिक रहा है बाजरा? मक्के का आपने समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है। वर्तमान में क्या भाव बिक रहा है मक्का? आप क्यों नहीं खरीद रहे? इतनी चिंता है आपको किसानों की। भारत सरकार को आप उपदेश दे रहे हैं। आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभा रहे हैं? खरीद क्यों नहीं रहे आप मक्का-बाजरा को समर्थन मूल्य से? किसने रोक रखा है आपको, पर आप अपना काम नहीं करेंगे। नुक्ताचीनी करना और दूसरों पर अंगुलियां उठाना, यह सारी परम्परा आपने बना रखी है। पिछले छह साल से परम्परा बनी हुई है।

आप किसानों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। आपने आंदोलन किया राजस्थान में। कितने किसान आये आपके साथ? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छोड़कर एक किसान आपकी जाजम पर नहीं आया। किसान को कोई तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ है, राजनीतिक तकलीफ है। मैं भी किसान हूं। छोटा हूं पर किसान हूं। मेरे पिताजी भी किसान थे और मेरे दादाजी बागवान थे। हमने भी खेती की है। हम अब भी कर रहे हैं। हम भी किसानों के बीच में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई हवा में घूम रहे हैं और आप जमीन पर घूम रहे हैं। हवा में आप लोग उड़ रहे हैं। किसान की भावना भारत सरकार द्वारा पास किये हुए कानूनों के खिलाफ बिलकुल नहीं है। आप लोग यह वातावरण बना रहे हैं कि इससे किसान को नुकसान हो जाएगा। किसान को अच्छा भाव मिलने वाला है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है।

मुझे याद है, 1988-1989 में जालौर जिले में बड़ा आंदोलन हुआ था। जालौर ईसबगोल की उपज का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जीरा बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है। रायड़ा बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है। हमारे ईसबगोल और जीरे को राजस्थान की मण्डियों में भाव नहीं मिलता था और गुजरात की धांधेरा, थराद, पालनपुर और ऊंझा की मण्डियों में बहुत शानदार भाव मिलता था। हमारा किसान खुद का माल बेचने वहां जाता था तो उसे चोर की तरह रोका जाता था। तस्कर की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता था। उस समय बड़ा

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आंदोलन हुआ था 1988-89 में, तब आप लोग सत्ता में थे। उस समय से किसान जिस चीज की मांग कर रहा था, वह अब लागू हो रही है। किसान अपनी उपज का मालिक बन रहा है, अपनी इच्छा का मालिक बन रहा है। अपनी इच्छा के भाव में माल बेचने का उसको अधिकार मिल रहा है। आपके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, उठने ही हैं। इसलिए उठ रहे हैं कि आपकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ एक मिनट और लूंगा सर। आप लोग इनका विरोध कर रहे हैं और राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं जो करिये। आपके इस विरोध के कारण और ये सारे बिल लाने के बाद भी किसान को कुछ भला होने वाला नहीं है और राजनैतिक रूप से आपकी पार्टी का भी कोई भला नहीं होने वाला है। इससे बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, भारत सरकार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं बियोंड पार्टी जाकर राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आप लोगों से कहा कि यह कानून लाओ। आपका नेता कह रहा है कि भारत सरकार ने ये जो तीन कानून बनाये हैं वे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप आज जो कानून ला रहे हैं ये आपको भविष्य में सत्ता में आने से रोकेंगे इसलिए मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने आपको कहा है। भगवान उनको लम्बी उम्र दे, उनके किये गये प्रयासों के कारण हम उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग नीचे जाते जा रहे हो, यही आपका हश्र होने वाला है, यही आपका अन्तिम परिणाम होने वाला है। निश्चित रूप से भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए कानून बनाये हैं और वह हित होता दिखेगा, 60 साल तक आपके इस कृषि उपज मण्डी वाले कानून के आधार पर, हित के इंतजार में काश्तकार बैठा रह गया और भारत सरकार को आप 60 महीने भी नहीं देना चाह रहे हैं, इतना समय भी कानून के लागू होने के परिणाम को नहीं देना चाह रहे हैं यह आपकी राजनैतिक अपरिपक्वता का निशान है।

सभापति महोदय, मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि यह संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे तब माननीय अशोक जी गहलोत संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्य मंत्री थे और

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

प्रधान मंत्री आवास के सामने जाकर धरना दिया था। यह संविधान का उल्लंघन नहीं था? संविधान की मर्यादाओं का हमेशा आप लोगों ने उल्लंघन किया। 1975 की इमरजेंसी से लेकर आज तक आप लोगों ने किया और अब भी आप कर रहे हो। अपने प्रधान मंत्री, अपने मंत्रिमण्डल द्वारा बनाये गये बिल को आपकी पार्टी का महामंत्री प्रेस के सामने फाड़ता है तो संविधान की मर्यादा को तो आप वहां उल्लंघन कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि विधेयकों पर आज सदन में चर्चा हो रही है। आजादी के बाद पहली दफा केन्द्र सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटने का प्रयास किया है। इस देश में फैडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है। शिड्यूल 7 में एंट्री 14, 18, 28 और 33 की चर्चा की गई है। सेपरेशन आफ पावर का प्रोविजन इस संविधान में है और जिस तरह से केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अधिकार पर कुठाराघात कर कृषि के कानून बनाये हैं वे बिलकुल गैर संवैधानिक हैं।

माननीय सभापति महोदय, संविधान की व्याख्या, संविधान की चर्चा मेरे पूर्व वक्ता ने बड़े विस्तार से की, आर्टिकल 252, 254 की भी चर्चा की। मैं आपके माध्यम से इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर, 1992 को जब यू.पी. की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और मस्जिद टूटी थी, तब लोकतंत्र का गला नहीं घोंटा था क्या? संविधान की उल्लंघना तब किसने की थी? इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए।

कृषि कानून की चर्चा हो रही है और इस देश के किसान जो 5 हजार साल से खेती कर रहे हैं, जो इस देश की आबादी का 65 परसेंट है और 65 परसेंट आबादी का 84 परसेंट किसान, जिसकी 5 एकड़ से कम जमीन है, जिसमें वह अपना जीवन-यापन कर रहा है। इस सरकार की यह आखिरी कील थी इस किसान को बर्बाद करने के लिए जिसकी मिसाल आपके सामने है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे लिए कानून बनाओ। किस तरीके से

(श्री जगदीश चन्द्र)

हरियाणा और पंजाब में इन बिलों के खिलाफ जन-आंदोलन हुआ है और लोग सड़कों पर, पटरी पर बैठे हुए थे और किस तरीके का वातावरण इस देश में हुआ है यह अपने आपमें महसूस कर रहे हैं। हमारे विपक्ष के साथी किसान परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। महसूस तो यह भी कर रहे हैं कि फैसला तो केन्द्र सरकार ने गलत कर दिया है लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है। कभी अन्तर-आत्मा से सोचो कि किस तरीके से कारपोरेट हाउसेज के जरिये इस देश के किसान को बर्बाद करने का जो प्रयास किया है उसके लिए इस देश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे।

2016 में जब यू.पी. के बरेली में एक मीटिंग में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम 2022 में किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि आज 2020 खतम होने को है और 2022 में करीब एक-डेढ़ साल बचा हुआ है पर ये किसान की आमदनी दुगुनी नहीं कर रहे हैं। किसान को बर्बाद करने का तरीका इन्होंने यह ढूंढ लिया है। इन्होंने एफसीआई का सहारा लिया। शांताकुमार कमेटी ने जनवरी, 2016 में एक रिपोर्ट सब्मिट की जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री थे। यह पहली बार ऐसी कमेटी थी जिस कमेटी में एक भी किसान प्रतिनिधि नहीं था, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लोगों के साथ नहीं हो सकता। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि देश का एफसीआई 4 लाख करोड़ के घाटे में है और हर साल 30 से 40 हजार करोड़ रुपये उसका घाटा होता है, उस एफसीआई को खतम करने का एक वाया-मीडिया निकाला गया। उस शांताकुमार कमेटी ने कहा कि इस देश के 6 प्रतिशत किसान हैं जिनकी फसल एमएसपी पर बिकती है और 23 ऐसी क्रोप्स हैं जो एमएसपी के दायरे में आ रही हैं। यह शांताकुमार कमेटी की रिपोर्ट थी।

अभी स्वामीनाथन कमेटी की चर्चा कर रहे थे। स्वामीनाथन कमेटी ने क्या कहा, इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। डा. स्वामीनाथन ने यह नहीं कहा था। आप याद करो 1960 के दशक में जब इस देश में खाद्यान्न बाहर से मंगाया जाता था, तब पण्डित नेहरू ने एमएसपी की व्यवस्था की और देश के किसान को एंश्योर किया कि आप फसल पैदा कीजिये, आप अनाज पैदा कीजिये, सरकार उस फसल की खरीद करने की गारंटी देगी। एफसीआई को खतम करने का मायना इस देश के एमएसपी को खतम करना, इस देश के पीडीएस सिस्टम को खतम करना और इस देश का जो भंडारण का सिस्टम इमरजेंसी, कंटींजेंसी प्लान के

(श्री जगदीश चन्द्र)

तहत है, उसको खतम करने का एक प्रयास किया जा रहा है ताकि इससे बड़े-बड़े बिजनसमैन आएंगे, उस अनाज को अपने यहां स्टोर करेंगे और यह एक वाया-मीडिया तरीका निकाला गया था।

माननीय सभापति महोदय, जयंत वर्मा वर्सेज यूनियन आफ इण्डिया के केस में क्लियर कहा गया है कि कृषि राज्य का विषय है और सुप्रीम कोर्ट केसेज में साइट किया गया है जिनमें क्लियर किया गया है कि कृषि राज्य का विषय है, केन्द्र सरकार कानून नहीं बना सकती। केन्द्र सरकार अपनी यूनियन लिस्ट में ही कानून बना सकती है लेकिन इस देश की अलग-अलग डाइवर्सिटीज हैं, कहीं चार फसल होती है, कहीं दो फसल होती है, कहीं बरसात से फसल पकती है, कहीं नहर के पानी से फसल पकती है पर किसान की वास्तविक स्थिति के बारे में इस दिल्ली की सरकार ने कभी महसूस ही नहीं किया। जिन लोगों ने फैसला किया है वे किसान से सम्बन्ध नहीं रखते हैं, किसान के बारे में जानते नहीं हैं इसलिए जो फैसला किया है वह पूंजीपतियों के हिसाब से, इस देश के बड़े-बड़े उद्‌योगपतियों को फायदा देने के लिए इन्होंने किया है।

कांट्रेक्ट फार्मिंग की बात की गई है। 1920 के अन्दर जब पहली दफा इस देश के अन्दर आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती की कांट्रेक्ट फार्मिंग की गई थी। बंगाल के अन्दर अफीम की कांट्रेक्ट फार्मिंग को खेती का दर्जा दिया गया था। ये दोनों के दोनों फार्मूले फेल हो गये हैं और आज इस देश के अन्दर जो कांट्रेक्ट फार्मिंग का फार्मूला है इससे जो छोटे-छोटे किसान हैं और जिन मुल्कों में कांट्रेक्ट फार्मिंग का फार्मूला अपनाया गया, अमेरिका में, ईरान में, चीन में, वहां फेल हो गये हैं क्योंकि छोटे-छोटे किसान हैं और कांट्रेक्ट फार्मिंग में बड़े किसान को तो फायदा हो सकता है लेकिन छोटे किसान के पास न तो साधन हैं और न वह कांट्रेक्ट फार्मिंग देने की स्थिति में हैं इसलिए वह किसान बर्बाद हो जाएगा और बेरोजगारी पैदा होगी इसलिए, माननीय सभापति महोदय, यह फैसला बिलकुल गलत है।

दूसरा, कृषि उपज मण्डी के माध्यम से इस राजस्थान के अन्दर और राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों में हमारे गांव का जो आधारभूत ढांचा है, गांव की सड़कें हैं, नहरों की पुलियाएं हैं और कृषि उपज मण्डी के माध्यम से जो काम होते हैं वे सारे के सारे काम बन्द हो जाएंगे। यह प्रयास किया गया है और बिल के अन्दर यह कहा गया है कि किसान को फ्री कर दिया गया है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

किसान तो पहले ही फ्री था, किसान को फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल इस बात का है कि जो कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सरकार को एक परसेंट, दो परसेंट टैक्स मिलता था जिससे डवलपमेंट की बात होती थी वह बन्द हो जाएगा। बाहर किसान की फसल मनमर्जी के भाव से खरीदी जाएगी, बड़े-बड़े लोग होंगे और अगर किसान में डिसप्यूट होगा तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह पहली दफा यह व्यवस्था की गई है कि एसडीएम उनके डिसप्यूट को सुलझाएगा, एसडीएम की अपील कलेक्टर के यहां होगी, कलेक्टर की अपील गवर्नमेंट आफ इण्डिया के सैक्रेटरी के यहां होगी तो किसान दिल्ली अपना डिसप्यूट सुलटाने के लिए जाएगा? यह न्यायपालिका की व्यवस्था थी, न्यायपालिका के माध्यम से किसान के फैसले होते थे पर उस व्यवस्था को इस सरकार ने बदला है, वह बिलकुल गैर संवैधानिक है और वह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक फैसला इन्होंने और किया है कि कांट्रेक्ट फार्मिंग के माध्यम से जब बड़े-बड़े प्लेयर इसके अन्दर आएंगे तो वे अपनी मनमर्जी से बीज लेकर आएंगे, मनमर्जी से किसान के उस खेत में खाद डालेंगे जिससे आने वाले 5-7 साल में वह जमीन बंजर हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। इस बर्बादी के लिए जो सरकार ने फैसला किया है वह गलत फैसला किया है और हम इसका विरोध करने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं कांट्रेक्ट फार्मिंग का एक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं कि केरल की एक किसान अम्बिका देवी थी जिसके साथ मूसली की खेती का एक कांट्रेक्ट विदेशी फर्म ने किया। वह मूसली की खेती ज्यादा हो गई तो उस फसल को उस कम्पनी ने लेने से मना कर दिया। वह किसान सुप्रीम कोर्ट में आया और वह केस आज तक डिसाइड नहीं हो पाया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरीके के जो फैसले हैं, वे किसान के हित में नहीं हो सकते। किसान, वह अन्नदाता, जो सबके लिए अनाज पैदा करता है, आज उसके हाथ में एक कटोरा दे दिया गया है। एक कहावत है पंजाब की कि 'खा लो, पी लो लायेदा, बाकी अब्दुले शाहे दा'। जो खा लिया, पी लिया, वह अपना, बाकी लूटपाट के ले जाएंगे। ईस्ट इंडिया कम्पनी का उदाहरण आपके सामने ही है। वह आपसे दूर नहीं है 72 साल लगे थे, ईस्ट इंडिया कम्पनी, जो इस देश को बर्बाद करके गयी थी। यही ईस्ट इंडिया कम्पनी का

(श्री जगदीश चन्द्र)

ट्रेडिंग हाउस है, इस देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से.

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि असेंशियल कमोडिटी एक्ट में, जो दिल्ली में बदलाव किये हैं, केन्द्र सरकार ने, वह बिलकुल वाजिब नहीं है। स्टाक मार्केट बढ़ेगा, बड़े-बड़े प्लेयर्स आएंगे और महंगाई बढ़ेगी और जमाखोरी बढ़ेगी, जिस पर चैक और बैलेंस का कोई आधार नहीं रखा गया। मैं राजस्थान सरकार के मुखिया को अशोक गहलोत जी को और इस प्रदेश के कृषि मंत्री को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप जो कानून लेकर आये हो, जो संशोधन आप तीनों बिलों के खिलाफ, निश्चित तौर पर राजस्थान का किसान इस बात को महसूस करने लगा है कि हमें कोई सुरक्षा देने वाला व्यक्ति है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान में महसूस करते हैं, खुद किसान हैं लेकिन, मुझे अफसोस इस बात का है, जिस तरीके के भाषण दिये गये विपक्ष के नेताओं के द्वारा, जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट दिये गये बिलों के पक्ष में, वे आर्ग्यूमेंट बिलकुल वाजिब नहीं है। ये बिलकुल लोकतंत्र का गला घोंटने की तैयारी की है, किसान को माध्यम बनाया गया है। माननीय सभापति महोदय, जो किसान को जो माध्यम बनाया है, वह माध्यम बिलकुल ठीक नहीं है।

श्री सभापति: माननीय समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): एक मिनट, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी पर स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे घोषणा पत्र में भी थी और माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था कि जब एमएसपी की बात आएगी तो राजस्थान पहला स्टेट होगा हिन्दुस्तान का, जहां एमएसपी पर फसल खरीद करने की हम गारंटी करेंगे। उस गारंटी के विरुद्ध जब-जब भी केन्द्र सरकार ने जिस फसल पर एमएसपी तय किया था, हमने बार-बार चिट्ठी लिखी और ज्यादा से ज्यादा एमएसपी पर खरीद करने के प्रयास किये गये और सात फसलों का राजस्थान सरकार तय करने जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, जहां नरमे और कपास की सबसे ज्यादा फसल होती है, वह फसल

(श्री जगदीश चन्द्र)

किसान की रीढ़ की हड्डी है, कृपा करके एमएसपी का जब दाम तय हो, एमएसपी की जब लिस्ट बनती है तो नरमा, कपास को उसमें शामिल किया जाए।

माननीय राजेन्द्र राठौड़ चूरू के रहने वाले हैं। ये जानते हैं कि किसान की स्थिति क्या है। ये खुद भी उस बात को महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी दलील इन्होंने दी है संविधान की, आर्टिकल्स की, दलील देकर जस्टिफाई करने की कोशिश की है सदन को। मैं इनसे भी आग्रह करना चाह रहा हूं आप कृपा करके किसी मंत्री से चर्चा करें और नरमे और कपास की जो फसल है, उसमें शामिल करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किसान आपकी तरफ देख रहा है। आपकी तरफ भी देख रहा है, आप जब दुबारा चूरू जाओगे तो लोग इस बात को महसूस करेंगे कि आपने किसान के लिए क्या आवाज उठाई।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): अभी एक सदस्य कह रहे थे कि किसान आंदोलन राजस्थान में नहीं हुआ। हमारी मर्यादा है, हमने मर्यादा के तहत काम किया। हमने कोविड का खयाल रखा है, आपने कोविड का खयाल नहीं रखा। पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं थी और पार्लियामेंट बुलाकर ये तीन बिल आपने पास कर दिये।

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती। तीन बिल में भी, आपके लोग छोड़कर चले गये और देश के सबसे बड़े किसान नेता थे। जो 25 साल से आपके पार्टनर थे, अकाली दल के लोग, वे भी आपको छोड़कर चले गये। आपको इस बात को महसूस करना चाहिए कि वे क्यों छोड़कर गये हैं। कोई न कोई ऐसी बात है, जिसकी वजह से वे आपको छोड़कर जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, तीन बिल जो संशोधन किये हैं, मैं समर्थन करता हूं और मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाह रहा हूं कि इसके साथ-साथ सीबीसी में आप जो अमेंडमेंट करने जा रहे हो, उस अमेंडमेंट के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उस गरीब किसान का

(श्री जगदीश चन्द्र)

पांच एकड़ तक का, जो बैंक का कर्जा था, प्राइवेट कम्पनियों का कर्जा था, उसकी जमीन एक्वायर करने का, जो आप कानून लेकर आ रहे हो, आपने सज़ा का जो प्रावधान किया है, उसके लिए सरकार का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे कृषि बिलों पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस देश के अंदर पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप लगाना, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के किसानों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 60-65 वर्ष तक इस देश में राज किया और किसान का जो भला हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। चाहे भाव की बात हो, चाहे किसान को और बढ़ावा देने की बात हो, हर समस्या का समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा पर आप घंटी मत बजा देना, मैं लाइन से हट जाऊंगा। मेरा कहने का यह भावार्थ है कि आज मैं स्वयं किसान होने के नाते अपने आपको प्रसन्न महसूस करता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार ने, जो देश में कृषि क्षेत्र का भविष्य निर्धारण करने के लिए, किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिए, जो पिछले पांच साल में लगातार प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों को अधिक गति देने के लिए सरकार ने 23 मेजर रिफोर्म्स पास किये हैं, छोटे-छोटे, जैसे बीमा और अनेक योजनाएं, सिंचाई योजना।

सभापति महोदय, जैसे नहर पक्की करने, मोदी सरकार ने किसान की आय बढ़ाने के लिए, नहर पक्की करने और खालें पक्के करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है, ताकि उनकी आमदनी दुगुनी हो। सभापति महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष सच्ची बात, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। उदाहरण के तौर पर ये सामने वाले लोग कहते हैं कि दुगुनी आय कैसे होगी? आज से सात-आठ वर्ष पहले चने की फसल बिलकुल ही होने से रह गई थी, चाहे नहरी हो, चाहे बारानी हो और मोदी जी का बीज आने के कारण, बताऊं, एक चने का बीज है, जिसका नाम तो मैं भूल गया, गणेश, पता नहीं

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कौनसा है। सभापति महोदय, उस चने के आने के बाद में नीचे से नीचे चार क्विंटल से लेकर के दस क्विंटल तक उपज हो रही है और गेहूं तीस मन बीघे से ज्यादा नहीं हो रहा था। आज बीज के कारण 60 मन बीघे का गेहूं पैदा हो रहा है। आमदनी दुगुनी ऐसे होगी, प्रयास करने से होगी, बातों से नहीं होगी।

सभापति महोदय, कुछ लोग खेती के साथ, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। हम राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं, हमारी विचारधारा भी अलग-अलग हो सकती है पर हम सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि पूरा देश समृद्ध और सम्पन्न भारत बनना चाहिए, इसकी तरफ हमारी सोच होनी चाहिए, न कि राजनीतिक। इतिहास गवाह है कि हमारा देश पूर्व में सोने की चिड़िया कहलाता था, दूध-दही की नदियां बहती थीं। यह बात पूर्वज कहते हैं। किसान समृद्ध था, दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में आज से सौ साल पहले, आजादी से पहले, भारत का एक सिंगलफिकेट पार्सल था, जिसमें पचास प्रतिशत से ज्यादा अकेला भारत का कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि भारत का किसान समृद्ध था। तभी भारत का सितारा पूरे विश्व में बुलन्द था। अंग्रेजों की नीति के कारण हमारे देश में यह परिस्थिति बनी। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1960 में तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री, उन्होंने इस देश की जनता से आह्वान किया कि हफ्ते में एक दिन का व्रत रखो। किस कारण से कहा, इस देश में अनाज की कमी थी और आज हमारे भंडार अनाज से भरे पड़े हैं। ये भंडार कोई बातों से नहीं भरे, ये भंडार प्रयास करने से भरे हैं। अब आप इस तरह के बिल राहुल जी के दिशा निर्देश पर ले आए। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कुछ लोग जिनको कृषि के बारे में ये भी पता नहीं है कि कौनसी वस्तु का बीज बीघे में कितना पड़ता है, कौनसी फसल को किस-किस तरह से नुकसान होता है, आंकड़े देख लेते हैं, पढ़े-लिखे पूरे हैं। मेरे जैसे अनपढ़ व्यक्ति, प्रैक्टिकली ज्ञान तो हमें जरूर है पर किताबी ज्ञान नहीं है। धारा इतनी और इसमें संशोधन, मेरा तो मोटा-मोटा इसमें कहना है कि इन बिलों के कारण किसान का अहित नहीं होने वाला है। सभापति महोदय, मेरे सामने बैठने वाले लोगों का नुकसान जरूर हो रहा है और अगर नुकसान हो इन बिलों से तो मैं भी आपके साथ रहूंगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं। फालतू की बातें इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। आप यों करो अगर आप व्यापारियों के और मजदूरों के हितैषी हो तो मंडी टैक्स वगैरह सब समाप्त करो और उनके बराबर वह खरीद करने का काम करें। अगर आपमें

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कहीं भी दम है, माद्दा है तो यह करके दिखाओ। अपने आप बराबर खरीद होगी और आप बार-बार प्रचार कर रहे हो न्यूनतम समर्थन मूल्य खतम करेंगे। कैसे खतम करेंगे? मैं इतना ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं हूं, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूं।

सभापति महोदय, जो बिल पेश किये हैं, उन बिलों के अंदर हर साल भाव बढ़ाने पड़ते हैं, उसमें कोई स्थाई कीमत तो है नहीं जो एक वर्ष में लगा दी। हर वर्ष बिल पास कराये तो हर वर्ष बिल पास कराये, जैसे राजस्थान सरकार कर्ज माफी का नारा देकर और बेरोजगारी भत्ता देने का नारा देकर सत्ता में आ गई, इस तरह से अगर सत्ता बदली तो वह बिल भी बदल जाएंगे। हर वर्ष बिल को पास करवाना न्यायसंगत बात नहीं है और आपको इन बिलों में कोई त्रुटि लगे तो मुझे समझा देना, मैं भी आपके साथ में रहूंगा। अगर आपको वाकई में भला करना है तो कृषि उपज मंडी का जो टैक्स है, उसके ऊपर आप पिछले 2 वर्ष से नाग की तरह कुंडली बनाकर बैठे हो, कोई रोड का निर्माण नहीं हो रहा है, कोई मंडी क्षेत्र के अंदर कार्य नहीं हो रहा है, कोई गांव के अंदर पुलिया नहीं बन रही है। आप किसानों का भला करने की बात कर रहे हो। आप देखो अपने कृषि विभाग के कृषि विपणन बोर्ड का रिकार्ड, उससे पता चल जाएगा।

सभापति महोदय, अकेले भारत के अंदर किसान समर्थ था तब भारत सितारे पर था, विश्व में बुलंद था। अंग्रेजों की नीतियों के कारण हमारे देश में परिस्थितियां बनीं। मैं 1960 की बात कर रहा था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने व्रत करने के लिए कहा था, उस अन्न की कमी को किसानों ने पूरा किया है। सभापति महोदय, गरीब लोग भोजन कर सकें, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, उनको पता है, एहसास होगा इस देश में मैक्सिको, अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया अपनी बागड़ी भाषा में कहते थे आस्ट्रेलिया की बिजली वाली कणक आ गई, वह लाकर खाते थे। आपको याद है क्या? अगर आप किसानों का भला करते तो वहां से क्यों लानी पड़ती? इस देश के लोगों का पेट भरने के लिए गेहूं आयात किया जाता था। अभिनंदन करना चाहता हूं आज सब किसानों के चरणों में, आप सबके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। देश के किसान, देश के अन्नदाता ने अपने खून पसीने से खाद्यान्न की कमी दूर की है। सभापति महोदय, आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत का जो एग्रीकल्चर ट्रेड चार लाख करोड़ का था, हम देश से चार लाख करोड़ का

(श्री रामप्रताप कासनियां)

निर्यात करते हैं जो भारत के किसानों की जी तोड़ मेहनत से ही सम्भव हो पाया है। आज पूरे विश्व में मुख्य 10 देशों की श्रेणी में हम आते हैं जो निर्यात करते हैं लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि देश का किसान आज भी उसी दर्द से गुजर रहा है। क्या हमने सोचने की कोशिश की कि यह परिस्थितियां देश के किसान के सामने क्यों आयी हैं? मैं आप सबके सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जो किसान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वह जब सत्ता में थे तब उनको बदली हुई परिस्थितियों में पॉलिसी प्लानिंग करनी चाहिए थी। जिस तरह परिवर्तन करने थे वह नहीं किये और स्वामीनाथन की रिपोर्ट अपने तकिए के नीचे रखकर सो गये। 'बाबा जी खुद सांदा मारे और लोगों को प्रमोद सिखाये।'

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं घंटी नहीं बजा रहा हूं, मैं वैसे ही इंडिकेट कर रहा हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): हां, सर। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आप भी लागू कर सकते थे। अपने परिवारजनों का और अपना हित सोचते रहते थे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इस कारण से वह निर्णय नहीं ले पाए। उनकी ऐसी पालिसी के तहत आज किसान की यह बदहाली और मार्केट की जो कंडीशन है उसके अनुरूप है। यदि पारदर्शिता से प्लानिंग नहीं होगी तो कभी भी उस देश का किसान व्यापारी सर्वाइव नहीं कर सकता है। अटल जी की सरकार बनी। अटल जी ने किसान के इस दर्द को समझा। उन्होंने देश के जो सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक थे उनको साथ लेकर हरित क्रांति का सूत्रपात किया। उनका नाम था डाक्टर स्वामीनाथन। अटल जी ने स्वामीनाथन आयोग बनाया। स्वामीनाथन आयोग ने अक्टूबर, 2004 में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की और आखिरी रिपोर्ट उन्होंने दिसम्बर, 2006 में पेश की। स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट आई फरवरी, 2007 में यूपीए सरकार में, तत्कालीन कृषि मंत्री आदरणीय शरद पवार साहब ने घोषणा की कि नेशनल एग्रीकल्चर पालिसी होगी। भारत को राष्ट्रीय कृषि नीति ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय कासनियां जी, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, यह पुलिंदा तो सारा ही रह गया। एक दो बातें और हैं सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार किसान का अगर भला करना चाहती है, उसकी आमदनी बढ़ाना

(श्री रामप्रताप कासनियां)

चाहती है तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं। मैं किसान की आय बढ़ाने की बात कह रहा हूं। मेरे क्षेत्र में डैजर्ट एरिया के अंदर हजारों ट्यूबवैल लगे हुए हैं। आय कैसे हो, लाइट नहीं मिलती है, 6 घंटे में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सभापति महोदय, 20 बार कट लगते हैं। मोटर जलती है बार-बार। इस हाउस में 2 वर्ष से लगातार प्रयास कर रहा हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 6 घंटे बराबर बिजली मिल रही है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): नहीं मिल रही है 6 घंटे बराबर।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपने आज तक कोई शिकायत नहीं की है और मैं अभी जिले की मीटिंग लेकर आया था। कभी मेरे से शिकायत नहीं की है। अभी लेकर आया हूं जिले की मीटिंग। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं आप बुरा मत मानो। मैं कहना चाहता हूं कि किसान बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। किसान वाकई में ही पीड़ित हैं, यह कोई राजनीतिक बात नहीं है। अगर आप उस समस्या का समाधान करो तो लाखों मन अनाज डैजर्ट में पैदा होगा।

श्री सभापति: माननीय कासनियां साहब।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): और कनेक्शन पैंडिंग पड़े थे उनको आपने करने के आदेश दिये उसके लिये मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति: माननीय, समाप्त कीजिये। प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): साहब, आज तो कुछ...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री रामलाल जी जाट।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, आज कृषि बिल पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कृषि एक ऐसा विषय ही नहीं अपितु हिन्दुस्तान के किसानों का जीवनयापन करने का एक साधन है। हिन्दुस्तान की नींव किसान ही है। इसमें किसी बहस की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने जो बिल बनाये

(श्री रामलाल जाट)

हैं माननीय सभापति महोदय, उसमें कई खामियां रहीं हैं। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया जी ने जब कहा कि इसमें कुछ संशोधन किया जाये। तमाम विपक्षी पार्टियों ने जब ये चीजें कहीं, लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार किया। आज हालात यह बने कि एनडीए के समर्थन वालों ने जो सरकार में थे, खुद ने एनडीए से समर्थन वापस लिया। उनके मंत्री जी ने जब बिल पेश हुआ उस समय इस्तीफा तक दिया। अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करती तो चुनाव में उस चीज को ले जाकर भुनाती है। अगर भारत सरकार ने इतना अच्छा कृषि बिल बनाया है तो बिहार के चुनाव में कृषि के इस बिल के ऊपर वोट मांगती, लेकिन वैक्सीनेशन पर वोट मांगा जा रहा है कि हम दवाई तब देंगे जब आप हमें वोट दो। पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहा है। जहां-जहां चुनाव हो रहे हैं वहां इस बिल के माध्यम से वोट नहीं मांगे जा रहे हैं। इन चीजों से यही लगता है कि कृषि बिल में कई खामियां हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने इन किसानों की पीड़ा को समझा है।

(15.00 बजे)

आज यह कोविड महामारी है अन्यथा हर जगह कई आंदोलन होते लेकिन राजस्थान में किसानों को इसका विश्वास है कि अशोक गहलोत जी वह बिल लेकर आये हैं। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था 'जय जवान जय किसान'। आप कुछ समय से हालात देख रहे हैं, जवान के क्या हालात हुए, जगह-जगह उसके नाम पर वोट मांगा गया, पहले मुठभेड़ें नहीं होती थीं, फर्जी मुठभेड़ें करवाई गईं और उस पर वोट मांगा गया। आज वही स्थिति किसान के साथ हो रही है। माननीय सभापति महोदय, विपक्षी पार्टियां इस बिल के समर्थन के साथ प्रधान मंत्री जी को भी कहें कि इसमें दुबारा संशोधन करें। किसान को भारत माता के जवान से अलंकृत किया गया, पुरस्कृत किया गया, उस किसान को जो गांव में मेहनत करके रोजी रोटी कमाता है, उसके मन में असंतोष पैदा होता।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने 1946 में एक चीज कही थी कि भूखे आदमी को रोटी मिल जाये तो वह भगवान मानता है। उन्हीं पद चिह्नों पर 18 नवम्बर, 2004 को यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी ने एक किसान आयोग का गठन किया। उसके गठन के साथ ये निर्देश दिये गये

(श्री रामलाल जाट)

कि पूरे हिन्दुस्तान के किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जाए। उस किसान आयोग का अध्यक्ष एसआर स्वामीनाथन जी को बनाया जिसका जिक्र अभी सभी माननीय सदस्य कर रहे हैं। वे केवल आयोग के अध्यक्ष ही नहीं बने, वे हरित क्रांति के जनक थे। पूरे हिन्दुस्तान में किस तरह के किसानों के अग्रिम संगठन थे, विपक्षी पार्टियों के लोग थे, मंडियों के अध्यक्ष थे, तमाम लोगों से, चाहे दूध की मंडियां हो, चाहे साग सब्जी की मंडी हो, चाहे फसल की मंडी हो, उन सबसे सलाह मशविरा करने के बाद एक सारगर्भित रिपोर्ट पेश की। माननीय सभापति महोदय, आप खुद भी थे।

एनडीए के पिछले कार्यकाल में पूरे पांच साल में 50 रुपये समर्थन मूल्य माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी के टाइम में बढ़ा करते थे, लेकिन जब स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पेश हुई तो उस समय मनमोहन सिंह जी ने 250 रुपये एक ही साल में समर्थन मूल्य में बढ़ाने की घोषणा की। उसमें कई शर्तें लागू हुई लेकिन कई शर्तें आज भी बकाया हैं। प्रधान मंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की अगर सोच सही होती तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पेश किया होता। उस पर बिल बनाया होता। उसके जो महत्वपूर्ण सात सुझाव मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस पर बहस होती तो निश्चित रूप से किसान का भला होता। कृषि को राज्य की सूची से निकालकर समवर्ती सूची में लाया जाए ताकि केन्द्र व राज्य दोनों मदद के लिये आगे आएं। माननीय सभापति महोदय, तब जाकर किसान का सही भला हो पाता।

दूसरा पाइंट उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज कम दाम पर उपलब्ध कराया जाए ताकि फसल की लागत का 50 परसेंट से ज्यादा लाभ मिले।

तीसरा पाइंट कहा गया कि किसानों की जागरूकता के लिये विलेज नालेज सेंटर या ज्ञान चौपाल की स्थापना की जाए ताकि गांवों में जागृति हो, लोगों को कानून के बारे में सारी जानकारी मिल पाए जिससे वह अपनी फसल का अच्छा दाम ले पाए। महिला किसानों के लिये क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाए, यह भी उस रिपोर्ट में कहा गया।

चौथा, अतिरिक्त जमीन को भूमिहीनों में बांट दिया जाए। इसके अलावा कारपोरेट सैक्टर के लिये गैर कृषि कार्यों को लेकर मुख्य कृषि भूमि व वनों का डाइवर्जन न किया जाए। यह सब महत्वपूर्ण सुझाव स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में दिये लेकिन उसका किसी ने कोई जिक्र नहीं किया।

(श्री रामलाल जाट)

माननीय सभापति महोदय, पांचवां पाइंट दिया, किसानों के लिये कृषि जोखिम फंड बनाने की सिफारिश की ताकि प्राकृतिक आपदा से किसान को मदद मिल सके। इन चीजों पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया।

छठा, छोटे मंझले किसानों को खेती के लिये सरकार कर्ज की व्यवस्था करे ताकि गरीब किसानों को दिक्कत न हो।

सातवां पाइंट दिया, किसान अगर कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनकी वसूली पर रोक लगाई जाए। माननीय सभापति महोदय, यह कुछ पाइंट थे, इनको राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने पिछले समय 2008-13 में भी समझा। किसान को कृषि सेवा सहकारी समिति में बिना ब्याज ऋण देने का काम किया। केवल यही नहीं, उस समय गेहूं का जो समर्थन मूल्य था, उस पर बोनस के रूप में 150 रुपये क्विंटल अलग से राजस्थान की सरकार ने दिया। यह स्वामीनाथन की रिपोर्ट का असर था। उस चीज को राजस्थान की गहलोत सरकार ने समझा और वह काम किया।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, उस समय जो पशुपालन का व्यवसाय करते थे, गाय पर दो रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने का काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। 2013 के बाद जब इनकी सरकार आई तो लोगों को सब्ज बाग़ दिखाये गये कि हम 6 रुपये प्रति लीटर देंगे। इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है और जब सरकार ने शपथ ली तो वह 2 रुपये लीटर भी बंद कर दिये गये। वह तो भला हो राजस्थान की जनता का जो उन्होंने दुबारा कांग्रेस को मौका दिया। किसानों के लिये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। किसान को बाजार मूल्य के अलावा दो रुपये जो सब्सिडी दे रहे हैं, वह वापस चालू की। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने किया।

माननीय सभापति महोदय, आज बहुत बड़ी-बड़ी बातें सदन में हो रही हैं। हम बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बिल में संशोधन कर रही है कि आप इसमें ये चीजें और जोड़ें। मुख्य तीन बिल हैं जिनमें समर्थन मूल्य की बात है, भंडारण की बात है जो हमेशा होता है। माननीय सभापति महोदय, जो व्यापारी अधिक माल स्टाक करता है और मुसीबत के समय में लोगों को, व्यापारियों को बाजार में माल उपलब्ध नहीं होगा तो बाजार में भी महंगा बेचेगा और किसान से सस्ता खरीदेगा, ऐसा बिल लेकर भारतीय जनता पार्टी आई। माननीय सभापति महोदय, उसमें संशोधन करने का काम राजस्थान की

(श्री रामलाल जाट)

सरकार कर रही है। मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दूंगा कि किसान के हित में इस तरह के काम किये जा रहे हैं। आज इन सब लोगों को एक साथ होकर इस बिल का समर्थन करना चाहिये।

यह कांट्रेक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, पंजाब में जो इनकी पेप्सिको कंपनी थी, जिसने किसानों पर कई करोड़ों के मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। वहां की सरकारें आगे आईं और मुकदमा विदड्रा करने के लिये उस कंपनी को पाबंद किया जा रहा है। अगर यह कानून होता तो उन किसानों का क्या होता। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य गौड़ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई केस चल रहे हैं जो अभी तक फाइनल नहीं हो पाये। ऐसे ही पंजाब में हुआ, यही हालत कांट्रेक्ट फार्मिंग में की जाएगी तो आने वाले समय में किसानों की और ज्यादा दुर्गति निश्चित रूप से होगी। इसलिए यह बिल किसानों की उस दुर्गति को रोकने का काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, बिहार में 2006 से ही कांट्रेक्ट फार्मिंग का काम किया जा रहा है। आज वहां पर उस पर वोट नहीं मांगा जा रहा, उसके खिलाफ वोट पड़ रहे हैं। पहले 1973 में एसडीएम, डीएम के पास मंडी के पावर हुआ करती थी। उसके बाद उस समय की तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उस कानून को बदला और जुडीशियल में भी जाने का अधिकार दिया और आज उसी चीज को यह वापस ला रहे हैं। इस कानून से वापस अफसरशाही को हावी करने का काम यह कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसलिए इन सभी को जो केन्द्र सरकार ने बिल पास किया है, उसमें संशोधन कराना चाहिये और राजस्थान के बिल का समर्थन करें।

माननीय सभापति महोदय, कहने को कई चीजें हैं। कुछ सदस्यों ने जनता में समर्थन मांगने के लिये इसे भेजे जाने की मांग की। मैं उन सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अशोक गहलोत सरकार जो कृषि बिल लेकर आई है, उसके समर्थन में खड़े हों, इसमें और कोई सुझाव दें, इसमें कमी हो तो और सुधार करें कि इसमें यह सुधार हो। उसके लिये मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार तैयार है।

जब कांग्रेस सरकार की शपथ हुई तो पिछली बार भी और इस बार भी, अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता बोल रहे थे कि बिजली के दाम बढ़ा दिये। घरों के कनेक्शनों में जरूर दाम बढ़े हैं, किसानों को पूरा भरोसा और विश्वास दिलाया कि पांच साल तक कांग्रेस की सरकार में एक फूटी कौड़ी भी बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी। इस चीज को पिछली बार भी

(श्री रामलाल जाट)

निभाया और इस बार भी वादा किया। आज भी किसान के खेती के बिजली के बिल में एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मैं खुद भी एक किसान हूं, गांव में आज भी खेती है। मैं भीलवाड़ा जिले से आता हूं। पहले जो हमारे रात को लाइट आती थी, आज 6 घंटे दिन में लाइट आ रही है। किसान का भला करने का काम राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज यू-ट्यूब के माध्यम से सब जगह बात जा रही है, जो आदमी सुन रहा है वह आराम से जाकर पता कर सकता है। भीलवाड़ा जिले के हमारे विपक्ष के विधायक भी बैठे हैं, किसी भी गांव-ढाणी में किसान को खेती के लिये दिन में लाइट आती है, नाइट में बिजली नहीं आती। ऐसे कई फैसले लिये हैं। अभी किसानों को नये बिजली कनेक्शन देने की भी बात आई। वे भी जारी किये हैं। दिसम्बर, 2012 तक जारी हो चुके हैं और उसमें कुछ और कोविड की वजह से दिक्कत आ रही है। बिजली मंत्री जी भी बैठे हैं, आने वाले समय में उसमें और बढ़ोतरी करें। आप सौर ऊर्जा के माध्यम से और ज्यादा बिजली जनरेट कर रहे हैं तो लंबी कतार लगी हुई है, उनको भी कनेक्शन मिल सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और विपक्षी भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप भी इसका समर्थन करें। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक चीज और इसके साथ। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने जैसा काम किया। हमारे यहां मेवाड़ी में कहावत है 'धन खेती, दुरग चाकरी, धन-धन व्यापार। खेती को धन के रूप में बताया गया है, नौकरी को दुरग चाकरी के रूप में बताया गया है और व्यापार को धन-धन, दो बार धन कहा गया, लेकिन आज किसान की हालत उस धन में नहीं रही है, आज उस किसान की दुर्गति हो रही है। इसलिए हम सभी मिलकर जो पुरानी कहावत है, उसको सही ढंग से कैसे लागू करें, यह चीज देखने की बात है। उस समय जो फैसले किये हैं जैसे पहले नोटबंदी का किया, जीएसटी का किया, वन नेशन वन टैक्स। अभी किसान के लिए कह रहे हैं। छोटी जोते हैं, राजस्थान भी कई भागों में बंटा हुआ है। कहीं हाड़ौती है, कहीं मेवाड़ है, कहीं मारवाड़ है, कहीं शेखावाटी एरिया है, कहीं छोटी जोत है, कहीं पम्पसैट या नहर से पिराई होती है। कहीं पांच एचपी की मोटर चाहिए, कहीं पच्चीस एचपी की चाहिए। एक नियम से राजस्थान को नहीं हांका जा सकता है। आज 82 प्रतिशत किसान पांच एकड़ जमीन से नीचे हैं और उसमें 2 एकड़ के काफी किसान हैं। बिजली

(श्री रामलाल जाट)

के कनेक्शन में भी आप उनको प्राथमिकता दें। आज एसटी वर्ग की जब बात आती है, माननीय कल्ला साहब बैठे हैं, जो भील जाति है, एससी भाइयों को तो कनेक्शन में प्रायोरिटी मिली हुई है, लेकिन भील भाइयों को इसमें प्रायोरिटी नहीं मिली है। इस बिल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी आप सुधार करें। निश्चित रूप से जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको भी मिलेगा। अगर आप भारत सरकार की तरह आय दुगुनी वाली बात करें तो जैसे कि एक मां अपने बच्चे को कहती है। माननीय सभापति जी, भारत सरकार के प्रधान मंत्री किस जुमले के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गांव में किसान के छोटे बच्चे को उसकी मां, जब वह रोता है, गांव में चाकलेट या कुल्फी वाला आता है तो बार-बार पैसे मांगता है, तो मां दे नहीं पाती है। एक बार कहती है कि तेरे दांत खराब हो जाएंगे, मत खा। फिर वह मां के आंचल में लिपटता और दुबारा रोता है कि नहीं मां, मुझे पैसे दे, मां उठाकर उसे संदूक में या जो पट्टी की टांड होती है, उसके ऊपर बैठा देती है तो वह अपनी चाकलेट या कुल्फी को भूल जाता और वह कहता कि मुझे नीचे उतारो। रोने लग जाता है तो वही काम भारत सरकार कर रही है। जो मेन मुद्दे को भुलाकर तरह-तरह की योजनाएं ला रही है, किसानों को बांटने का काम कर रही है। इसलिए इन सब चीजों में जिस तरह के छलावे किये जा रहे हैं, यह किसानों के साथ छलावा होगा। मैं आपसे पुरजोर मांग करूंगा कि आप इस बिल को पारित कराएं और विपक्षी भाई जो सुझाव देंगे, यदि वे अच्छे हो तो शामिल करें। यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। भारत के हृदय सम्राट प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश के आम जन, किसान, युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, वंचित वर्ग और गरीब के लिए जो लगातार काम किया जा रहा है, उसी कड़ी में किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम 17 सितम्बर, 2020 को लोक सभा में और 20 सितम्बर, 2020 को राज्य सभा में किसान बिल का पारित होना। यह ऐतिहासिक कदम इसलिए कि किसानों के लिए नये द्वार खोले जाएंगे और जिस तरह सम्माननीय सत्ता पक्ष और कांग्रेस की यहां पर पूरे देश में एक शैली बन चुकी है कि मोदी का और भारतीय जनता पार्टी

(श्री सुमित गोदारा)

की जो नीतियां लायी जा रही हैं, जिससे देश आगे बढ़ रहा है, उनका विरोध करना। चाहे सीएए हो, धारा 370 हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं चीफ इलेक्शन कमीशन, सीवीसी, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन पर आरोप हो या बालाकोट की स्ट्राइक पर आरोप हो और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में जो लोग सम्मिलित होते हैं, उनकी बड़ाई करना, ये आपका स्वभाव बन चुका है। जो आज हमें देखने को मिल रहा है और इसी स्वभाव के कारण पिछले दो लोक सभा चुनाव में आपका नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया लोक सभा में और आगे भी जनता नहीं बनायेगी, क्योंकि आप राष्ट्र विरोध और किसानों के विरोध में लगातार बातें उठा रहे हो। जो किसान बिल आये, आपकी खुद की सरकार तत्कालीन प्रधान मंत्री 9 अप्रैल, 2005 को दिल्ली में एग्रीकल्चर समिट में कहते हैं कि कृषि उत्पादों के लिए देश में हमें सिंगल मार्केट बनाना है। जब आप अपना घोषणा पत्र लाते हो तो पेज नंबर 17 पर बिंदु क्रमांक 11 पर कहते हैं कि कांग्रेस कृषि उपज मंडियों, समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिसमें अन्तरराज्यीय कृषि व्यापार में सभी प्रतिबंधों को समाप्त करेगी। यह आपकी भाषा है।

आपकी यूपीए सरकार दस साल रही है। स्वामीनाथन आयोग की बात मैं यहां सभी वक्ताओं से सुन रहा था तो दस साल में आपने क्या किया? वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले छह सालों में एमएसपी के प्राइस सभी जिंसों के डेढ़ गुना बढ़े हैं, जो आपकी सरकार दस साल में भी नहीं बढ़ा पायी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में आपका कृषि बजट 12 हजार करोड़ रुपये था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2020 में 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये का किसानों के लिए बजट बनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के खाते में आजाद भारत में पहली बार 92 हजार करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया। किसानों के खाते में सीधे पैसे गये। आप किसान हित की बात करते हैं। आजादी के बाद देश में किसान हित में यदि किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो हम गर्व से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। चाहे भैरोंसिंह जी शेखावत साहब की सरकार राजस्थान में थी तो पहली बार मरुस्थल क्षेत्र, जिसमें हम आते हैं, बीकानेर में ट्यूबवैल की किसी ने शुरुआत की, भैरोंसिंह शेखावत साहब के टाइम पर सरकार ने शुरुआत की, जिससे वहां पर ट्यूबवैल खुदने शुरू हुए। अटल बिहारी

(श्री सुमित गोदारा)

वाजपेयी जी की सरकार आयी, उससे पहले किसानों के क्या हाल थे? जहां गांव में गाड़ी नहीं होती थी, मोटर साइकिल छोड़ो, कुछ नहीं होता था, एक ऊंट गाड़ी होती थी, यह ज्यादा समय की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात है, पर सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आयी, जो बैंक के द्वार किसान के लिए बंद थे, वे बैंक के द्वार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोले। किसानों को सस्ता लोन मिलने लगा। आप किसानों की जमीन की बात कर रहे हो, कांट्रेक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हो। यदि केसीसी योजना नहीं आती तो किसानों के पास आज तक जमीन बची हुई नहीं होती। किसानों की जमीन बची केसीसी योजना से। किसान को जब भी आर्थिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी, वह सीधा बैंक गया, उसने अपना खाता खुलाया और न्यूनतम दर पर किसान को सुविधा मिलने लगी। मंडी में भी हमारे व्यापारी भाइयों ने भी उनकी मदद की, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसकी तुलना आप शहरों में करो, आप देखें कि शहरों में कितनी व्यवस्था खराब हुई है। सूदखोर पनप चुके हैं, जो दस-दस, बीस-बीस रुपये सैकड़े में देते हैं और क्राइम बढ़ रहे हैं तो उन्हीं सूदखोरों की वजह से। गांवों में हालात अच्छे इसलिए हैं, क्योंकि केसीसी ने किसान के द्वार खोले हुए हैं। आम आदमी के घर में जब भी शादी-ब्याह के लिए जरूरत पड़ती है, वह केसीसी के माध्यम से पैसा उठाता है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उस समय हम ऊंट गाड़ी पर जिंसें लेकर जाते थे, आज जो सड़कें गांव-गांव में पहुंची, वे भी किसानों के लाभ के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आये। ऐसी ही नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। मैं केसीसी योजना के बारे में बताऊं कि 7.15 करोड़ किसानों के पास केसीसी कार्ड हैं, जिसमें साढ़े चार लाख करोड़ के आस-पास के ऋण किसानों ने उठाये हैं। प्रधान मंत्री फसल योजना हो, नीम कोटेड यूरिया हो, ऐसी अनेक योजना लेकर आए। आपकी मनमोहन सिंह जी की सरकार दस साल रही। केसीसी योजना में एक जो छोटी-सी त्रुटि थी, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही मिटायी, 2016 में। केसीसी का जो रोलआवर सिस्टम था, जिसमें पूरी राशि किसान को जमा करानी पड़ती थी, मोदी जी की सरकार ने उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, किसान सिर्फ इंटरेस्ट जमा कराये, केसीसी में उसे पूरी रकम जमा कराने की जरूरत नहीं थी। ऐसे अनेक संशोधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसान हित में करती आयी है।

(श्री सुमित गोदारा)

आप इन बिलों को लेकर विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 86 प्रतिशत किसान जिनकी 2 हैक्टेयर से भी कम भूमि है, ज्यादातर किसान खेती से दूर हो रहे हैं। भूमि ऐसे ही पड़ी है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। यदि इस तरह की कांट्रेक्ट फार्मिंग आएगी तो किसानों को लाभ मिलेगा। बहुत-से वक्ता कांट्रेक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं। कांट्रेक्ट फार्मिंग का छोटा रूप तो हम कर ही रहे हैं। हम क्षेत्र में देखते हैं। मेरे खुद के भी खेत हैं, हमारे साथियों के भी हैं। हम गांवों में देखते हैं कि किसान अपना खेत आधमे या बंटाईदार, जो यहां कहते हैं, हमारे उधर आधमे कहते हैं। उस तरह देते हैं, तो वह भी एक कांट्रेक्ट फार्मिंग का ही हिस्सा है, जो लिखित में नहीं है। इस चीज का विरोध क्यों? पूर्व के बहुत-से वक्ताओं ने अडानी, अंबानी, कई नाम लिये। मुझे बड़ा दु:ख होता है जब किसी ने देश का नाम किया हो तो हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश के उद्योगपति कोई भी हो। जब राजस्थान के मुख्य मंत्री स्वयं इन व्यापार उद्योगों को जोधपुर ले जाना चाहते हैं, ऊर्जा के लिए, सोलर पावर के लिए, तब आप विरोध नहीं करते और आज आप यहां सदन में विरोध करते हो तो क्या संदेश देना चाहते हो? भारत का व्यापारी, कोई भी व्यक्ति ऊंचा उठे, हमें उस पर गर्व करना चाहिए, न कि उस पर कटाक्ष करना चाहिए। ये बात इसलिए कि आप इस कांट्रेक्ट फार्मिंग के लिए कह रहे हो कि सफल नहीं होगी, मैं कह रहा हूं कि जरूर सफल होगी। जिस तरह हमने देखा कि प्राइवेट डेयरियां गांवों में आयी हैं। आज से दस-पंद्रह साल पहले सिर्फ सरस, उरमूल डेयरी ही होती थी पर आप देखें कि गांव-गांव में प्राइवेट डेयरियां आयी हैं, दूध का संकलन कर रही हैं, उससे कम्पीटिशन बढ़ा है। किसान को दूध के भाव अच्छे मिलने लगे हैं और लोगों को रोजगार मिला है। जीपें लेकर युवा जा रहे हैं। दूध का संकलन कर रहे हैं। ऐसा इस तरफ भी होगा। हमारे बीएससी (एग्रीकल्चर) और एमएससी (एग्रीकल्चर) किये हुए लड़के वैज्ञानिक हैं, वे इसमें आएंगे, क्यों नहीं करेंगे, उनके लिए अवसर मिलेगा। वे भी खेती का नया प्रयोग करेंगे और जरूर देश में नई दूसरी हरित क्रान्ति लेकर आएंगे। परंतु इस तरह सिर्फ विरोध के लिए हम विरोध करें कि ये योजना क्यों लेकर आए, आप अपनी यह आदत बदलिए। देश की जनता ने आपको जवाब दे दिया है। राजस्थान में पिछली बार आपकी सीटें ऐसी आई थीं और इस तरह किसानों के विरोध में आप करते रहेंगे तो अगली बार आपका यहां पर क्या हाल होगा, यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री सुमित गोदारा)

अब विषय यह है कि राजस्थान में किसानों के हित में यदि आप इतना ही सोच रहे हैं तो ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, 831 रुपये का अनुदान किसान को मिल रहा था प्रत्येक माह, दस हजार रुपये साल का, वह आपने क्यों बंद किया? छोटा किसान, 5 एचपी हार्सपावर तक का, उसका लाइट का बिल फ्री हो रहा था। बहुत छोटा किसान है। आप इस सदन में बोलो, इतने किसान हित की सोच रहे हैं कि हां, आज हम आपके द्वारा, मुख्य मंत्री के द्वारा दस हजार किसान की घोषणा कराएंगे, तब हम मानें कि आप किसान हित की बात (समय समाप्ति सूचक घंटी) कर रहे हैं।

पंडित दीनदयाल योजना, आप ऊर्जा मंत्री हैं, बीजेपी सरकार में गांव-गांव में लाइटें लगीं किसानों के, पिछले दो साल-तीन साल में आपने कोई लाइटें नहीं लगाईं। इसका जवाब दो तो हम मानें। आप किसान का सोच रहे हैं। हम यह सोचें कि किसानों की बात हो रही है। वोल्टेज नहीं मिल रहा लाइट का, इसकी बात करते। आप यह बात करते कि इंदिरा गांधी नहर में पानी नहीं मिल रहा। हमारे बीकानेर में, लूणकरणसर में कंवरसेन लिफ्ट से किसानों को पानी नहीं मिल रहा, आप उसकी बात करते तो हमें खुशी होती कि आप किसानों की बात सोच रहे हैं। परंतु सिर्फ विरोध करने के लिए आप जो विरोध कर रहे हैं, राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी और भारत नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में आगे बढ़ रहा है और अनेक क्रांतिकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे प्रधान मंत्री पर जिन्होंने किसान हित में ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। देश का किसान आगे बढ़ेगा, राजस्थान का किसान आगे बढ़ेगा परंतु आपने जो अन्याय का, अधर्म का काम किया है, राजस्थान की जनता आपको इसका जरूर सबक सिखाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, 2020 पर बोलने का मौका दिया।

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूं। 1965 में जब भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक उससे पहले देश के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था 'जय जवान जय किसान' और मुख्य तौर पर उद्देश्य यह था कि देश के नौजवानों में, जवानों में और किसानों में जोश भरा जाए। नारे ने जोश तो भरा लेकिन किसानों की स्थिति जो थी, वह काफी दयनीय थी। 1960 के दशक में किसान परेशान था। अगर बम्पर फसल की पैदावार होती थी तो मार्केट में भाव कम मिलता था। अकाल पड़ता था, किसी कारणवश अगर पैदावार कम होती थी, बाजार में जो मूल्य है, कोई भी खरीदने जाता था तो महंगाई बढ़ जाती थी। इस महंगाई से हताश होकर तब किसान आंदोलन कर रहा था। उसी समय 1964 में एल.के. झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई और कमेटी के सुझावों पर सीएपीसी (कमीशन फार एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस) जिसका काम एमएसपी निर्धारित करना था, बनाया गया।

आज मैं इस सदन में सुबह से चर्चा सुन रही थी। सभी लोग खासकर विपक्ष के लोग कह रहे थे कि 60 वर्षों में क्या किया? अब पीछे मुड कर देखते हैं तो 60 वर्षों में जिस एमएसपी के लिए आज हम लड़ रहे हैं और 60 के दशक में हालात को देखते हुए उस समय सीएपीसी कमीशन जो बनाया गया था, एक्ट जो बनाया गया था, उसके तहत किसानों में सुधार लाने के लिए विशेष तौर से इस एक्ट को लागू किया गया था। मेरा यह मानना है कि इस कानून के तहत बहुत सारी प्रक्रियाएं जुडी हुई हैं। एफसीआई बना और एफसीआई के तहत जो फसल किसानों की खरीदी गई, भंडारण किया गया। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी कि पीडीएस भी जुड़ा हुआ है। यह अकेला किसान विरोधी बिल नहीं है। मैं कहना चाहूंगी यह बिल हमने जो खाद्य सुरक्षा बिल दिया था, उसको भी प्रभावित करेगा। आज उस गरीब की थाली से निवाला निकालने का काम माननीय प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। अकेला किसान ही नहीं, उस गरीब जनता से भी, उसकी थाली से भी निवाला निकालने का काम किया जा रहा है। पीडीएस सिस्टम के तहत लगभग पांच लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं जिनके माध्यम से हम जनता को रियायती दरों पर अनाज वितरण करते हैं।

सभापति महोदय, एक उदाहरण मैं जरूर देना चाहूंगी कि अभी दो

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

तीन वर्षों पहले जियो कंपनी द्वारा बहुत ही अच्छा और लुभावना आफर दिया गया था कि एक बार कनेक्शन ले लो और साल भर के लिए आपको फोन काल फ्री, डेटा फ्री। एक साल के लिए तो फ्री रहा, हमारे युवाओं को जब इसकी लत लग गई, जब वह डेटा 4जी के बिना काम नहीं चला सकता, कमाई के साधन रोजगार तो रहे नहीं लेकिन 700-800 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उसे डेटा जरूर चाहिए। ये बिल भी यही दर्शाता है कि हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे जिन मंडियों के ऊपर राज्य सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इतनी बड़ी कोस्ट हुई उनको डवलप करने के लिए, उसके माध्यम से इतने श्रमिकों को रोजगार दिया गया। आज अगर किसान मंडी में अपनी फसल नहीं बेचता है। उसे लुभावना कुछ आफर किया जाता है तो कुछ दिनों के अंदर ये मंडियां भी गौण हो जाएंगी, हमारा रोजगार भी समाप्त हो जाएगा और फिर समय के साथ किसान अपने आपको बेबस साबित करेगा। अपने आपको बंधुआ महसूस करेगा और तब उसे इनकॉरपोरेट जगत की कठपुतली बनना पड़ेगा। यह बड़े अफसोस की बात है। आज सुबह से जो चर्चा हो रही है, उसमें पक्ष द्वारा सिर्फ इतनी-सी ही तो मांग की जा रही है कि आप एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते हैं? एक सदस्य ने कहा कि प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं पहले भी खरीदी जा रही थी, अब भी खरीदी जाएगी, आगे भी खरीदी जाएगी। कहने में और लिखे हुए कानून में फर्क है। कहने को तो यह भी बोला गया था कि देश के अंदर जो काला धन है, वह वापस लेकर आएंगे और हर खाते में 15 लाख भी आएंगे। हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें लिखित में कानून चाहिए कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे मंडी के बाहर हो या मंडी के अंदर हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हम फसल खरीदेंगे, यह होना चाहिए। व्यापारी और ऊंचे दाम देना चाहता है, दीजिए। आज कौन मना करता है मंडी में आने के लिए? लेकिन मंडी में आप जाकर देखेंगे तो इनका शोषण अभी तक जिस तरीके से होता रहा है, उससे ज्यादा होगा। आप मंडी में जाएंगे किसान की फसल में हाथ डालकर व्यापारी कहता है इसमें धूल-मिट्टी ज्यादा है, इसका दाना है, वह टूटा हुआ है, इसका दागी दाना है, बारिश की वजह से खराब हो गया था। क्या ऐसी कंडीशन के अंदर केन्द्र सरकार यह नियम, यह कानून लागू नहीं करना चाहेगी? कोई विरोध की बात नहीं है। हम संशोधन इतना चाहते हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन

(श्रीमती कृष्णा पूनियाँ)

मूल्य की आप गारंटी लिखित में दीजिए। लेकिन बोला जाता है कि प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं तो हो जाएगा। जब 15 लाख खाते में नहीं आए तो यह कैसे हो जाएगा? मैं कहना चाहूंगी यह हमारे लिए बड़े खेद की बात है। वर्ष 2022 तक किसानों की दुगुनी आय का वादा करने वाली केन्द्र की सरकार, तानाशाही सरकार आज किसानों को बंधुआ बनाने पर आतुर है। पिछले दरवाजे से व्यापारियों, कारपोरेट जगत के लिए दरवाजा खोल दिया है ताकि वे किसानों को लूटें। आज कहने को कहते हैं कि हम दूसरे प्रदेश में जाकर अपनी फसल बेचें, 5 एकड़ जमीन है, वह मंडी तक लेकर आना उसके लिए मुश्किल है तो वह दूसरे प्रदेश में कैसे जाएगा? हमें उन छोटे-छोटे किसानों के हित को देखते हुए नियम-कानून बनाने चाहिए ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था और गरीबी रेखा में जी रहा जो व्यक्ति है, उसकी थाली से निवाला न निकले।

मैं कहना चाहूंगी कि जब रोजगार का पैमाना है अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, अत्यधिक कुशल, उनके लिए हमने एक पैमाना बना दिया तो किसानों के लिए ऐसा क्यों नहीं? जब वह फसल मंडी के अंदर लेकर जा रहा है, अगर छोटा दाना है, दागी दाना है तो उसकी भी क्वालिटी और उसका भी पैमाना बनना चाहिए और उसके लिए भी एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए ताकि किसानों का शोषण न हो।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी कि जब यह एमएसपी की योजना लागू हुई तो मंडियों से जो हमें आय होती है, हमारे कुछ साथियों ने बताया चाहे वह सड़कों का निर्माण हो या और भी जैसे निर्माण बताए, लेकिन इसके साथ-साथ किसान कलेवा योजना, कृषक कल्याण कोष आदि जो श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा सहारा है और जो समाप्त हो जाएंगे। रोजगार की तो मैंने बात भी की कि रोजगार खतम हो जाएगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह भी खराब होगा। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो बिल है इसमें हमारी मांग यह रहेगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए।

कांट्रेक्ट फार्मिंग, एक तरफ तो आप कांट्रेक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि जब स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी तो यह था कि कांट्रेक्ट फार्मिंग तभी लाभकारी है जब इसे किसान केन्द्रित करके बनाया जाए। केन्द्र सरकार क्या कर रही है, ठीक इसके उलटा। इसमें व्यापारी को केन्द्रित किया गया है, कारपोरेट जगत को केन्द्रित किया गया है,

(श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ)

तो इसमें भाव कौन तय करेगा, व्यापारी ही करेगा, किसान नहीं करेगा। किसान करेगा तो हमें कोई चिंता नहीं है, किसान करे। लेकिन किसान का शोषण हो रहा है तो शोषण पर भी हमें समर्थन मूल्य चाहिए कि हमें कम से कम यह तो मिलेगा। जब वह बाजार में जाए तो उसे समर्थन मूल्य मिले, यही तो हम कह रहे हैं। किसान का शोषण नहीं हो, किसान तय करे, हम किसान के लिए आजादी चाहते हैं। आप वह लिखित में क्यों नहीं देते हैं कि यह चीज रहेगी। (व्यवधान) आपसे नहीं, आप प्रधान मंत्री बनेंगे तो आपसे ले लेंगे हम। आप जब सदन की उस सीट पर बैठेंगे तो आपसे भी ले लेंगे। आप माननीय सदस्य हैं, आप इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं, आपको यह बातें शोभा नहीं देतीं, आप मुझसे काफी बड़े हैं। आपकी कोई दुविधा है तो आप खड़े होकर कहिए। मजाक मत बनाइये। यह किसान है, यह आपकी बात का जवाब देगा। आपको इस सदन में पहुंचाने के लिए किसान ने आपको वोट किया था। आप इस बात को मजाक में ले रहे हैं, वह आपका मजाक बनाकर छोड़ देगा। यह किसान विरोधी है, तभी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। किसान वर्ग का हंसी मजाक जिस तरह से आपने उड़ाया है, एक दिन आपका भी मजाक बनकर रह जाएगा, मैं यह कहना चाहूंगी।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो असीमित भंडारण है, किसान अपने घर में भंडारण नहीं रख सकता। इतनी बड़ी-बड़ी कम्पनियां जब भंडारण करेंगी, एक-दो वर्ष के लिए तो हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन बाजार में जब किसान की फसल आएगी, तो वह अपने भंडारण का दरवाजा खोलेंगे। जितना भंडारण, जितनी फसल, जितना अनाज देश के अंदर पर्याप्त रहेगा तो आपको मालूम है सभापति महोदय कि हमें दाम बहुत कम मिलेंगे। इतना बड़ा स्टाक अगर किया जाएगा, तो देश का इतना बड़ा कारपोरेट जगत है, वह उसके बस की बात है। फसल कम हो, उस समय उसके दाम बढ़ाए जाएंगे तो इसका नियंत्रण किसके पास रहेगा, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। किसानों का समय-समय पर शोषण होता रहा है। लेकिन इस तरह से शोषण करके आप देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नीचे ले जाने का काम करेंगे, मेरा यह मानना है।

खाद्य सुरक्षा बिल की मैंने बात की, उस वर्ग से आप निवाला निकालने का काम करेंगे। मैं यह कहना चाहूंगी कि आज इस बिल के माध्यम से अगर, आप कहते हैं कि 2022 तक उसकी आय दुगुनी हो जाएगी, तो मैं

(श्रीमती कृष्णा पूनियॉ)

यह पूछना चाहूंगी कि 2021 आने वाला है, हमारे किसानों की डेढ़ गुणा भी आय हुई, जो आप एक साल के अंदर-अंदर दोगुना कर देंगे, जो आप आठ वर्षों के अंदर नहीं कर पाए? आप यह बताइये कि एक साल में ऐसा क्या होगा जिससे आप दुगुनी आय कर देंगे?

किसान अपनी फसल उस समय बेचता है जब उसे अपने बच्चों की फीस भरनी होती है। जब उसे अपनी बच्ची की शादी करनी हो। जब कोई कठिन स्थिति आई हो। इस देश का किसान इतना बड़ा नहीं है, जिस तरीके से इतने बड़े-बड़े सपने दिखाने की यह बात कर रहे हैं। सपने 2014 में भी काफी दिखाए गए थे, फिर 2019 में भी दिखाए गए थे, परन्तु धरातल पर क्या रहा, क्या हमें वह रोजगार मिला, क्या हमें वह काला धन मिला? 56 इंच के सीने की बात करते थे, वह 56 इंच का सीना आज कहां है, वह जवाब क्यों नहीं देता है। जब चुनाव आते हैं तो मुद्दों से भटकाया जाता है।

सभापति महोदय, किसान वर्ग से आने के नाते मैं भी केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का पुरज़ोर विरोध करती हूं। साथ ही राज्य सरकार ने इस बिल में जो संशोधन किए हैं उसका मैं स्वागत करती हूं ताकि हमारे राजस्थान के किसानों को इस पीड़ा से न गुजरना पड़े। इस सराहनीय कार्य के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी, कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीया श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 एवं आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 तीनों पर ही जिस तरह से संशोधन के नाम पर कहीं न कहीं किसानों को गुमराह किया गया, विधेयक लाया गया, उसी के तहत मैं भी यहां पर अपनी बात रखना चाहूंगी और इस विधेयक का पूरा विरोध करना चाहूंगी।

21वीं सदी में भारत का किसान आज स्वतंत्र होकर खेती करेगा। खुद ही कीमत तय करके हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में जाकर अपनी फसल को बेच पाएगा, यह अधिकार देने का काम किया है तो देश के प्रधान मंत्री

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आदरणीय मोदी जी ने किया है। हम जानते हैं कि सुई से लेकर जहाज भी अगर कोई व्यापारी बनाता है, तो उसको भी अपनी कीमत तय करने का अधिकार होता है। उसको पूरा मेहनताना मिलता है लेकिन किसान दिन-रात मेहनत करके, हमारा अन्नदाता बनकर, हमारे लिए फसल तैयार करता है, उसके साथ क्या होता है, यह हम सब जानते हैं।

किसी जमाने में हमारा देश कृषि प्रधान था। आजादी के बाद कई सरकारें बनीं। 55 वर्ष तक लगातार जिस सरकार ने राज किया, भले ही हम आज दिखावे के लिए बातें कर ले, लेकिन उस समय किसान लगातार किस तरह से संघर्ष करता था। राजस्थान की धरती की हम बात करें, कितने किसानों ने अपनी जान गंवाईं, लेकिन उन्हें अपना अधिकार नहीं मिल पाया। हमें इस बात को नहीं नकारना चाहिए। भले ही हमारा दल अलग हो सकता है, राजनीतिक दिखावे के लिए हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें इस बात को स्वीकारना चाहिए कि केन्द्र सरकार तीन विधेयक लेकर आई है, उससे क्या किसान का नुकसान होने वाला है। किसानों को बरगलाकर, व्यापारियों को गुमराह करके, किसानों को सड़क पर लाने का विचार कर रहे हैं, क्या उससे किसान का भला होने वाला है, क्या हम सही कर रहे हैं? इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए।

हमने लगातार देखा है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, किसानों के प्रति सरकारों की जो उदासीनता रही है, उसके कारण भी हमारा किसान लगातार कमजोर होता गया। उसी का नतीजा रहा कि उसकी आय लगातार घटती गई। आखिर में अन्नदाता को इतना कमजोर बना दिया कि उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई। आज हम देखें तो किसान इतना परेशान है कि वह अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता। वह अपने बच्चे को डाक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता है, आखिर ऐसा क्या कारण है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वह अपने बच्चे को खेत से दूर रखने पर विवश हो गया, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए।

आज हम देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। केन्द्र सरकार का विगत पांच वर्ष का समय भी हमने देखा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं। ईमानदारी से अपनी आत्मा पर हाथ रखकर पक्ष भी बताए, विपक्ष भी बोलेगा, कि क्या हमने इस तरह से एमएसपी बढ़ते हुए देखा, न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

घोषित हुआ, कभी देखा था क्या, कभी नहीं देखा। मैं भी किसान वर्ग से आती हूं। किसान परिवार से हूं मैं किसान की पीड़ा को समझ सकती हूं। क्या हमने कभी देखा कि किसान सम्मान निधि योजना के मार्फत एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसान के खाते में जा सकती है? क्या हमने कभी देखा कि दस हजार किसानों का एफपीओ बनकर उन्हें सरंक्षण प्रदान कर सकता है? क्या हमने कभी देखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को लाभ मिल सकता है? क्या किसान बीमा हो सकता है? क्या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजना लाकर किसान को संबल प्रदान कर सकते हैं? हमने यह कभी विचार भी नहीं किया था। इन सभी योजनाओं का सीधा-सीधा अगर श्रेय जाता है तो निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी को जाता है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा।

अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे। वी.सी.आर. की भी बात कर रहे थे। किसी ने कहा रात को बिजली नहीं आती है। माननीय मंत्री महोदय, मेरे सामने ही उपस्थित हैं, विराजमान हैं। आप अभी फोन करके पता कर लीजिये कि मेरे करवर क्षेत्र के कुछ फीडर रात को ही आते हैं। कल भी मैंने बातचीत की। दूसरी बात, आखिर में हमने ऐसी क्या गलती कर दी, हम दोनों ही बूंदी जिले के विधायक यहां उपस्थित हैं, माननीय अशोक जी डोगरा साहब भी विराजमान हैं, मैं भी विराजमान हूं। हमारे मंत्री महोदय चांदना जी भी वहीं से विधायक आते हैं। एक विधान सभा क्षेत्र में तो वी.सी.आर. भरने के लिये अधिकारी पहुंच नहीं पाते। हम दोनों के विधान सभा क्षेत्र में आप पता कीजिये। एक महीने में, 15 दिन में, दो महीने में किस-किस किसान की कितनी वी.सी.आर. भरी। हम जीतकर आ गये, जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया, यह बहुत बड़ी गलती हो गई जनता की? क्या जनता को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। मैं बड़े दु:खी मन से इस बात को बोल रही हूं।

अभी कासनियां जी भाई साहब बोल रहे थे सम्माननीय सदस्य, वे बता रहे थे कि आखिर में देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उस समय देश के प्रधान मंत्री जी ने सप्ताह में एक दिन उपवास की अपील की। लेकिन अगर हमें मजबूत किया है, हमें अन्न निर्यात के लिये मजबूत किया, सक्षम बनाया तो हमारे देश के किसान ने बनाया है। इस बात के लिये भी हमें विचार करना चाहिए। उसी का नतीजा है कि आज चार लाख करोड़ का निर्यात हम लोग

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

करते हैं। यह एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगी कि किसान ने सफलता हासिल की है। इस सब का श्रेय हमें किसान को देना चाहिए।

इसी के साथ-साथ हम देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार तीन विधेयक, जो कृषि सुधार संशोधन विधेयक ला रही है, उसमें मैं मान सकती हूं कि कहीं न कहीं आपको केन्द्र सरकार को, कुछ भी करना होगा कि कुछ न कुछ तो हम करें। बाकी हम, मैं बात करूंगी कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 में आपने केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20 की धारा 7 का जो संशोधन किया है, केन्द्र सरकार ने तो सभी प्रकार के मंडी टैक्स खतम कर दिये थे, आपने इस बिल में राजस्थान में मंडी टैक्स को खतम नहीं करके केवल इधर से उधर किया है और अब किसान से न लेकर कम्पनी से लेंगे। जब कम्पनी से टैक्स लेंगे तो कम्पनी किसानों से ही टैक्स वसूलेगी तो किसान का, हम सोच सकते हैं कि क्या भला होने वाला है। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए, या फिर राजस्थान में मंडी टैक्स को देखते हुए कम्पनियां आयेंगी ही नहीं, और जब नहीं आयेंगी तो टैक्स फ्री स्टेट में जायेंगी। इससे जो स्टेट टैक्स फ्री हैं, वहीं पर कम्पनियां जायेंगी तो निश्चित तौर पर इससे भी हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।

आपने इस बिल में यह भी प्रावधान किया है कि प्रोसेसिंग यूनिट राजस्थान के इन संशोधनों के कारण नहीं आई तो क्या राज्य सरकार राजस्थान के किसानों को उनकी उपज में लागत का 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़ते हुए खरीदेगी? यह भी विचार हम लोगों को करना चाहिए। केन्द्रीय अधिनियम संख्या 20 की धारा 13 का जो आप संशोधन करने जा रहे हो, केन्द्र ने अपने बिल में, किसान और कम्पनी के बीच में कोई विवाद होता है तो उसके लिये आर्थिक दण्ड का प्रावधान किया है लेकिन हमने इसमें क्या किया। उन्होंने तो आर्थिक दण्ड का प्रावधान कर दिया जबकि आपने आर्थिक दण्ड के अलावा 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान भी इसमें किया है। सज़ा भुगतने के लिये कौनसी कम्पनी राजस्थान में करार करेगी। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। अगर हम सज़ा ही दे रहे हैं तो इस राजस्थान के अन्दर कौन-कौनसी कम्पनियां आयेंगी। वे अपने आप डरेंगी। हम इस बात पर सोचें कि क्या यह जो विधेयक लेकर आ रहे हैं, इससे किसान का भला होने वाला है? किसी भी हालत में नहीं। मेरा यह भी निवेदन है कि सज़ा के प्रावधान को

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आप हटाते हो तो यह बहुत अच्छा काम आप करोगे। अभी भी अपने पास समय है। इस बात पर आपको विचार करना चाहिए।

दूसरा जो आप सिविल प्रक्रिया संहिता, राजस्थान संशोधन अधिनियम, 2020 को लेकर आये हो, आपने इसमें 5 एकड़ तक की कृषि भूमि को कुर्क या उसको बेचा नहीं जायेगा, का प्रावधान किया है। ऐसी स्थिति में जो किसान बैंकों को लोन नहीं भरेगा, अगर किसान उस बैंक का लोन नहीं देता है, बैंक में ...(व्यवधान) जी, रीलोनिंग नहीं करेगा अगर, तो ऐसी स्थिति में किसान को रुपये की जरूरत पर क्या राज्य सरकार उसको लोन देने के लिये प्रावधान करेगी? इस बात पर भी आपको विचार करना पड़ेगा।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अभी रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बाजरे की इतनी फसल हुई है, बम्पर पैदावार हुई है। मेरे यहां भी मक्का की इतनी फसल हुई है। माननीय रामनारायण जी, इटावा के सदस्य यहां बोल रहे थे, आज किसान अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। वास्तव में बाजरे की जो हमारी फसल है, उसकी एम.एस.पी. से कम रेट पर आज हमारा किसान बेच रहा है। साथ ही साथ 900 रुपये में मक्का बिक रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरे जिले के अन्दर भी, क्या राज्य सरकार ने इस पर कुछ विचार किया? हम किसान को सम्बल प्रदान करना चाहते हैं, किसान को सक्षम बनाना चाहते हैं तो इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मुझे कितने मिनट दिये हैं, आप देख लीजिये। मैंने अपनी बात भी नहीं रखी।

साथ ही साथ हम लगातार बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि किसान कल्याण कोष का गठन करेंगे। उसके नाम पर मंडी टैक्स गुपचुप तरीके से, दो प्रतिशत जो कृषक कल्याण टैक्स आपने लगाया है, इसके लिये भी आप सबको मालूम है कि हम सब ने कितना सड़कों पर आकर विरोध किया। आखिर में उसमें भी कहीं न कहीं आपको सोचने के लिये जनता ने, किसानों ने मजबूर कर दिया। उसका जीता-जागता उदाहरण भी हम लोगों ने देखा है।

इसी के साथ-साथ मेरा यह भी सुझाव है कि जो फसलें केन्द्र सरकार एम.एस.पी. पर खरीद नहीं करती है, वह फसलें राज्य सरकार खरीदे ताकि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

किसानों को जो लाभ मिलने वाला है, वह उसको मिल सके, जिससे आपका किसान हितैषी जो चेहरा है, हम सब बात कर रहे हैं कि किसानों का भला हो, भला हो, अगर आप यह काम करते हो, निश्चित तौर पर किसान आपको दिल से दुआ देगा।

मैं, आज के दिन, समय आप बता रहे हो, वैसे मेरा कुछ मैटर और बचा हुआ है। बिजली के बिल की जो बात कर रही थीं मेरे से पूर्व माननीय सदस्या, इसके बारे में भी बताना चाहूंगी कि आपने फिक्स्ड चार्ज और सरचार्ज के नाम पर 15 से 20 प्रतिशत की जो बढ़ोतरी की है, सीधा-सीधा उसके बारे में भी हम बता सकते हैं कि हम आखिर में क्या करने जा रहे हैं। यह भी विचार करने का बिन्दु है। इस बात के लिये भी हमें विचार करना चाहिए। हमने यह भी देखा, आपने घोषणा पत्र में भले ही बोल दिया था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे लेकिन गुपचुप तरीके से इस काम को करने का जो प्रयास आपने किया है, आने वाले समय में, चाहे हमारे पंचायती राज चुनाव हों, उसमें भी आपको कहीं न कहीं झटका लगेगा, यह मेरा निवेदन है।

डिफाल्टर्स के लोन की घोषणा आपने की थी। लेकिन हम देखें कि डिफाल्टर्स को लोन देने के लिये आप क्या कर रहे हो। माननीय मंत्रीजी ने काफी कहा था, उस समय आश्वासन भी दिया था। इसमें पोर्टल पर आपने अभी तक कोई संशोधन नहीं किया है। अभी तक आपका संशोधन नहीं होने की वजह से डिफाल्टर्स को जो लोन मिलने वाला था, वह नहीं हो पाया है। इस पर भी आप लोग विचार करें। मैं इन संशोधनों का, दोनों ही संशोधनों का विरोध करती हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, आपने मुझे किसान बिल पर बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, आज जो सदन में चर्चा चल रही है, वह चर्चा केन्द्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा किसानों के विरोध में जो तीन बिल पारित कराये गये हैं, उनको बाई-पास करने के लिये, उनमें संशोधन करने के लिये चर्चा हो रही है। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी।

माननीय सभापति महोदय, सरकार जो संशोधन बिल लाई है, यह

(श्री किसनाराम विश्नोई)

सरकार उस पार्टी की है, जिस पार्टी को पूंजीपतियों के विरोध में पैदा होना पड़ा था। हमारे विरोधी साथी कह रहे थे, सुबह से मैं सुन रहा था कि इस 72 साल में 60 साल तक आपने राज किया, 65 साल तक राज किया। राज कोई यूं ही भूल में नहीं किया है। किसानों ने, मजदूरों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है इस पार्टी को। यह पार्टी हमेशा किसानों के प्रति समर्पित रही है, मजदूरों के प्रति समर्पित रही है। इस पार्टी की हमेशा किसानों के प्रति हमदर्दी रही है। इस पार्टी ने कभी मन की बात नहीं की, मनमोहन सिंह की नीतियों ने किसानों के प्रति, किसानों का भला किया।

यह पार्टी, यह सरकार जो संशोधन लाने वाली सरकार है। इस सरकार के, हमारी पार्टी के पूर्व प्रधान मंत्री ने 72 हजार करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया जो देश का आज तक का बहुत बड़ा रिकार्ड है, देश के आजाद होने के 72 साल के बाद का। पिछले प्रदेश की सरकार के समय 50 हजार रुपये का ऋण भारतीय जनता पार्टी ने माफ किया तो हमने 2 लाख का ऋण माफ किया। हमेशा किसानों के भले के लिए, किसानों के हित में काम करते रहे हैं।

इन लोगों ने, भारत सरकार के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भी किसानों के, इनकी किसानों पर हमेशा नजर रहती है। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, मैं उस परिवार से हूं, उस किसान वर्ग से हूं। धोरां धरती से आते हैं, पल-पल कर छोटी चड्डी से धोती पहनते हैं। ऊंट के पीछे हल चलाते खेत में काम करने वाले परिवार से आते हैं। यह विधेयक लाने वाले, भारत सरकार के विधेयक लाने वाले लोग पढ़-लिखकर आर.एस.एस. के कैम्प में ट्रेनिंग लेने का काम करते हैं, वह विधेयक ला रहे हैं। यह तीनों विधेयक किसान विरोधी विधेयक हैं, किसानों का गला घोंटने का विधेयक है। इनको बाईपास करने का, हमारी सरकार यह संशोधन प्रस्ताव लाई है, जिसका मैं समर्थन करता हूं।

यह विधेयक राजस्थान प्रदेश के अंदर जो कृषि मंडी की व्यवस्था है, उस कृषि मंडी की व्यवस्था को समाप्त करने का विधेयक है इसलिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए जो आज प्रदेश के अंदर, किसानों के जो अनाज बेचने की व्यवस्था है, वह व्यवस्था प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था है। कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों के अंदर व्यापारी बोली लगाकर जो

(श्री किसनाराम विश्नोई)

प्रतिस्पर्धा करके अनाज बेचता है, उससे किसान संतुष्ट होता है कि मेरी बोली आज ऊपर से चढ़ी है। अगर बोली कम होती है और वह संतुष्ट नहीं होता है तो वहां पर मंडियों के अंदर अनाज रखने की व्यवस्था होती है। दूसरे दिन भी वह अपनी बोली लगा सकता है, जिससे किसान संतुष्ट होता है।

माननीय सभापति महोदय, यह बिल आने से मंडी व्यवस्था समाप्त होगी। यह बिल के आने से किसानों की जो रोड का काम है, सम्पर्क सड़कों का काम है, वह ठप होगा। यह बिल के आने से किसानों की जो खेतों में काम करने की रुचि है, वह समाप्त हो जाएगी। यह बिल आने से व्यापारी, छोटे-छोटे व्यापारी खतम हो जाएंगे। 2014 में भी यह भूमि अधिग्रहण का बिल लाये थे, किसानों का गला पूरी तरह से घोंटने की इनकी नजर है। 2014 में भी यह भूमि अधिग्रहण का बिल लाये। सम्माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, सहयोगी दलों ने भी विरोध किया तो इनको बिल वापस लेना पड़ा। कोरोना महामारी के बावजूद भी आज धरने-प्रदर्शन पूरे देश में इन तीनों बिलों के खिलाफ हो रहे हैं और पंजाब में भी भारी विरोध हो रहा है। इस कोरोना महामारी के बावजूद भी जगह-जगह पर एजिटेशन हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): राजस्थान प्रदेश में आज हमारी सरकार तीनों बिलों को बाईपास करने के लिए, इन तीनों बिलों में संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव लाई, वह प्रस्ताव प्रदेश के किसानों के भले के लिए, प्रदेश के मजदूरों के भले के लिए, प्रदेश के छोटे व्यापारियों के भले के लिए, प्रदेश के आढ़तियों के भले के लिए जो हम्माल का काम करते हैं मंडियों के अंदर, उनको रोजी-रोटी देने के लिए यह बिल, संशोधन हमारी सरकार लाई है, हम इन संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज किसानों को उचित मूल्य इस बिल में, जो केन्द्र बिल लाई है, उसमें उनकी कोई निर्धारण की व्यवस्था नहीं है। बड़ी संख्या में मजदूर, छोटे व्यापारी, उनका सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। किसान को अपनी कीमत की निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बिल के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। खुली बोली की पूरी व्यवस्था इस बिल से समाप्त

(श्री किसनाराम विश्नोई)

हो रही है और एम.एस.पी. के लिए, आज देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी जब गुजरात के मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने यह मांग जब रखी थी कि एम.एस.पी. को कानूनी तौर पर पूरे देश के अंदर लागू किया जाए। आज एम.एस.पी. की व्यवस्था वह खुद ही समाप्त कर रहे हैं इसलिए यह तीनों बिल किसान विरोधी बिल हैं। आज पूरे देश के अंदर किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की सरकार इनका विरोध कर रही है। यह किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों का गला घोंटने का बिल है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसानों का शोषण करने वाला है। अभी छोटे-छोटे जो कोर्ट में किसानों के और व्यापारियों के आपस में विवाद हो जाते हैं, उनमें एस.डी.ओ. को पावर दिया गया है। पहले मंडी के सचिव स्तर पर इसका सारा विवाद का निपटारा होता था। एस.डी.ओ. के जाओ, एस.डी.ओ. आगे एक कमेटी बनाएगा फिर किसान भटकते-भटकते जितनी उपज, पैदावार होती है, उससे उसकी जेब पूरी खाली हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से तीनों बिलों को बाई पास करने का निवेदन करता हूं। चूंकि यह बिल पूरे देश के, प्रदेश के किसानों के अहित के लिए है। आज जिस तरीके से कहीं पर जोत छोटी है और कहीं पर जोत बड़ी है, छोटे व्यापारियों के लिए मंडी के अंदर जब माल ले जाते हैं, तब उसका भाव पूरा मिलता है। बड़े व्यापारी कहीं भी इसको पूंजीपतियों को चूंकि, 1955 में यह एक्ट जो लागू हुआ था, उस एक्ट को, यह समाप्त कर रहे हैं। इस एक्ट से इनको जो भंडारण की छूट दी जा रही है बड़ी कम्पनियों को, इसलिए फार्मिंग कांट्रेक्ट की इस तरह की व्यवस्था, यह किसान विरोधी व्यवस्था है। आने वाले समय में देश के किसान इन कम्पनियों के मजदूर बनकर रह जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि इस बिल को, जो संशोधन बिल है, इनको पारित किया जाए और सभी माननीय सदस्य जो किसान वर्ग से आते हैं, आज बाहर अपना अनाज ले जाने की कोई मनाही नहीं है। आज जीरा ऊंझा ले जाकर अपने राजस्थान के व्यापारी बेचते हैं। मूंगफली पंजाब ले जाकर बेचते हैं, वह भी छूट है। अपनी पैदावार को कहीं पर भी ले जाकर बेच दो, वह भी छूट है लेकिन मंडी की जो व्यवस्था समाप्त

(श्री किसनाराम विश्नोई)

की जा रही है, यह किसान के विरोध में है। किसान का गला घोंटने का काम है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज की मंडियों की व्यवस्था है, वह शानदार है। मंडियां जगह-जगह पर पूरे प्रदेश में हैं। हाल ही में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरीके से नई मंडियों की भी घोषणा की है, पूरे राजस्थान में मंडियों का जाल बिछा हुआ है। राजस्थान में सड़कों का मंडियों के माध्यम से जाल बिछा हुआ है। यह सारे काम रुक जाएंगे, इससे यह ठप हो जाएंगे और बड़े-बड़े व्यापारी, बड़ी-बड़ी बाहर की कम्पनियां आएंगी और किसानों को अपना मजदूर समझेगी, मजदूर बना देंगी इसलिए जिस तरीके से माननीय मनमोहन सिंहजी ने जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना व्यवस्था लागू करके इस देश के अंदर किसानों की जो परचेजिंग पावर बढ़ाई थी, जिससे किसान आज बहुत संभला है, किसान बिलकुल अपने सक्षम हुआ है, उसका कारण है सम्माननीय मनमोहन सिंहजी की योजना। हरित क्रांति की योजना की वजह से आज किसान सम्बल हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने डेढ़ लाख रुपये तक के बिना ब्याज के लोन देने की व्यवस्था की है। किसानों को, पशुपालकों को डेयरी में सब्सिडी देने की योजना की। 60 साल तक राज इसलिए किया कि पेस्टीसाइड, उर्वरक, खाद सब में कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सब्सिडी देने का काम किया, किसान के हित के लिए काम किया और किसान का, हरित क्रांति इस देश में कैसे लागू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों और चाहे डाक्टर मनमोहन सिंह जी हों, उन्होंने हरित क्रांति देश में लाने का काम किया तब आज किसान खुश है, किसान आज अनाज पैदा कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि आज अगर यह केन्द्र के कानून को आपने बाई पास नहीं किया, अपन सब लोगों ने बाई पास नहीं किया तो यह खाद्य सुरक्षा जो कानून माननीय मनमोहन सिंह जी के टाइम में, सोनिया जी गांधी द्वारा जो कानून, एक्ट बनाया गया था, वह एक्ट भी प्रभावित होगा। आज दो किलो राशन लोगों को मिल रहा है, वह भी नहीं मिल पाएगा। उससे आज जो गरीबों को चावल मिल रहा है, आज गरीबों को दो रुपये किलो गेहूं मिल रहा है, वह कार्यक्रम भी प्रभावित होगा इसलिए मेरा आपके माध्यम से आप सबसे यह निवेदन है कि इस संशोधन प्रस्ताव को

(श्री किसनाराम विश्नोई)

पारित किया जाए और केन्द्र के तीनों बिलों को बाई पास किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आजादी से पहले जमीन किसकी होगी? जोतने वाले की होगी, इस बात के नारे लगते थे। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद, एक दशक बाद देश में नारे लगने लग गये कि आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है।

(16.00 बजे)

सभापति महोदय, 1967 में हरित क्रांति हुई। देश के किसान ने अन्न पैदा किया। अन्न खरीदने के लिये सरकार आगे आयी। उन्नत खाद, बीज यह सारी मदद सरकार ने की। सभापति महोदय, सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किसान को सस्ते में कर्ज दिया। सरकारी कम्पनियां स्थापित की गयीं। रशिया की मदद से देश में उन्नत फार्म स्थापित किये गये। 1990 के दशक में आते-आते हिन्दुस्तान की ताकत यह बन गयी थी कि हम खाद्यान्न के बदले इराक से तेल लेने लग गये थे। उसी तेल की ताकत से हिन्दुस्तान में उद्योग आगे बढ़ा। 1991 के बाद विश्व बैंक की दादागीरी दुनिया में बढ़नी शुरू हुई। 1993-94 में हमारे देश के उस समय के विपक्ष के नेता जब अमरीका में गये तो यह कहकर आये कि जो नीतियां मनमोहन सिंह जी लागू कर रहे थे, यह तो हम लागू करने वाले थे। यह तीनों अध्यादेश, जो केन्द्र लेकर आया, जो कोरोना के संकट में लेकर आया है, जो रात के अंधेरे में लेकर आया है, जिसको बहुत-बहुत प्रचार करने की जरूरत थी, उस प्रचार के बजाय दबे पांव लेकर आ रहा है। यह तीनों अध्यादेश, जो कानून की शक्ल ले चुके। जिस अध्यादेश के बल पर यह बात कह रहे हैं कि हम देश के किसानों का भला करने वाले हैं। अभी बिहार में पता चल जाएगा, बिहार में इनका ट्रायल है। अध्यादेश पर बिहार में 2006 में ए.एम.सी. टूटी थी, अब बिहार में इलेक्शन भी है। इन तीनों अध्यादेशों से किसान का कितना भला होने वाला है, यह पता चल जाएगा। यह सिर्फ राजनीतिक बात ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, ये तीनों कानून कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार

(श्री बलवान पूनियां)

(राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 ये तीनों विधेयक एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, ये तीनों विधेयक अलग-अलग नहीं पढ़े जा सकते। यह विधेयक उस चीज का रिफ्लेक्शन है, जो एफ.डी.आई. से बाजार काबू में नहीं कर पायी केन्द्र की सरकार, पूंजीपति काबू में नहीं कर पाया। यह आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम तोड़कर बाजार पर काबू करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, मंडी से बाहर जो ग्राहक बता रहे हैं, किसी ने नाम नहीं लिया सुबह से कि ग्राहक मंडी के बाहर कितने किलोमीटर दूर खड़ा होगा, ग्राहक कौनसे भाव में खड़ा होगा, ग्राहक किसान की फसल खरीदने के लिये किसान के खेत जाएगा या उसके दरवाजे पर जाएगा या फिर गंगाजी के घाट पर जाकर खड़ा हो जाएगा और यह कहेगा कि मैं तेरी जिंस हजार रुपये क्विंटल में खरीदूंगा, देनी है तो दे, नहीं तो गंगाजी में डाल दे। यह आश्वासन आज तक जून से लेकर किसी ने दिया नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना के संकट में अगर देश में कोई चीज जिंदा थी तो वह थी कृषि और कृषि को आज वापस तेजी से ढहाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बड़बोले भाई कह रहे थे कि कृषि को उबारने का काम किया जा रहा है। नहीं, आप असत्य बोल रहे हो। 2015 में आपने सी.ए.डी. खतम की। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग खतम किया केन्द्र ने। आप असत्य बोल रहे हो कि कृषि को उबारने का काम कर रहे हो। आपने बोनस, जो राज्य की सरकारें देती थीं, खतम आपने किया है। आप असत्य बोल रहे हो कि किसान आगे बढ़ रहा है। किसान की आत्महत्या का आंकड़ा बताना बंद किया तो केन्द्र की सरकार ने बंद किया।

माननीय सभापति महोदय, खेती-खेती नहीं, यह जमीन भी बेचना चाहते हैं बड़े पूंजीपति के हवाले। इसलिए तीनों अध्यादेश यह साथ लेकर आये हैं। एक-दूसरे से यह चीज जुड़ी हुई है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि एम.एस.पी. पर खरीदेगा, बाहर भी कोई खरीदेगा तो, यह प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं तो प्रधान मंत्री जी तो अच्छे दिन भी आने का कह रहे थे, प्रधान मंत्री जी तो काला धन वापस आने की भी कह रहे थे, प्रधान मंत्री जी तो खाते में 15-15 लाख आने की भी बात कह रहे थे, प्रधान मंत्री जी तो दो करोड़ रोजगार की भी कह रहे थे। पर हुआ तो नहीं, कैसे मान

(श्री बलवान पूनियां)

लें? कागज से मानेंगे, कलम से मानेंगे, लिखित में मानेंगे और आप कह रहे हो आन्दोलन नहीं है। आप गलत कह रहे हो। पीपली का किसान पूरे देश में छाप छोड़कर गया है। आज हरसिमरत कौर इसीलिए इस्तीफा देकर चली गयीं कि उनकी पंजाब में राजनीतिक जमीन खिसकनी शुरू हो गयी थी। आप क्या सोचते हो कि राजस्थान में किसान सड़क पर क्यों नहीं आया। आएगा, राजस्थान में भी आएगा। मैं 25 सितम्बर को भादरा गया था मेरे विधान सभा क्षेत्र में, वहां पर पांच हजार किसान इकट्ठे हुए थे। गंगानगर-हनुमानगढ़ में लोग इकट्ठे हुए थे। राजस्थान में 800-850 मंडियां लगी थीं रबी की फसल की तुलाई में और 30 हजार टोकन कटे हुए रह गये, केन्द्र की सरकार ने बंद कर दिया था। राजफैड खरीद लेगी तो नेफेड इंकार कर देगी। अभी मूंगफली की खरीद में यह किया है। यह तो अध्यादेश पास कराने के लिये, सदन बुलाने के लिये बात आ गयी और विपक्ष के माननीय उप नेता ने यह प्रयास किये होंगे कि मूंगफली की खरीद शुरू करो तो केन्द्र ने हाथ उठाने शुरू कर दिये।

माननीय सभापति महोदय, इन कानूनों से न सिर्फ बड़े पूंजीपति बल्कि नये सरमायेदार पैदा हो रहे हैं और सरमायेदार जो सिर्फ अभी तक ऊर्जा में थे, सिर्फ पावर में थे, दूसरे संसाधनों में थे, वह एयरपोर्ट खरीद रहे थे, वह रेल खरीद रहे थे। वह लोग अब जमीन पर कब्जा करने के लिये यह कानून केन्द्र की सरकार से बनवाने में कामयाब हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, देश में सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रवीन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, सिर्फ इंकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता, सिर्फ सत्य और अहिंसा की बात करने से गांधी नहीं हो जाता। गांधी, टैगोर और भगत सिंह बनने के लिये तो त्याग और बलिदान की जरूरत है, उसकी कमी है। आज उस कमी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देश के किसान को आगे ले जाने के लिये जो तीन कानून संशोधन लेकर आये हैं, न सिर्फ हम यह कहना चाहते हैं कि यह कानून ठीक लेकर आये हो, लेकिन इस कानून में भी हम एक चीज और चाहते हैं कि आप भी यह लाइन लिखते कि एम.एस.पी. से नीचे मंडी में भी खरीद नहीं की जाएगी तो पूरे राजस्थान समेत पूरे हिन्दुस्तान का किसान कहता कि राजस्थान की विधान सभा में ऐसा कानून आया है, जो केन्द्र की सरकार को पटखनी देने वाला कानून बन गया है। मैं समझता हूं आप मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करें।

माननीय सभापति महोदय, यह मजाक नहीं है कि आप किसी आदमी

(श्री बलवान पूनियां)

से यह कह दो कि आपकी जमीन मैं ठेके पर लूंगा। जमीन ठेके पर ले ली और फिर उसको यह कह दो जैसे पेप्सिको ने पंजाब में कहा था कि आलू बोइये। आलू बो लिये एक साल, खूब खरीदे। दूसरी बार किसानों ने फिर आलू बोये, कांट्रेक्ट कर लिया। आलू ज्यादा पैदा हो गये। पेप्सिको खरीदना नहीं चाहती थी, एक कड़ा ले आये कि इस कड़े के अंदर से जो आलू गुजरेगा, हम तो सिर्फ वही खरीदेंगे। आलू सड़क पर गया, टमाटर सड़क पर गया। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खतम करने का परिणाम यह आयेगा कि 200 रुपये किलो आलू चला जाएगा, प्याज चला जाएगा, टमाटर चला जाएगा और मंहगाई आसमान छू जाएगी। इनके हाथ कट जाएंगे। जो कानून आप मंडी तोड़ने का लेकर आये हो, मंडी टूट जाएगी, खरीददार नहीं बचेगा और दर-दर की ठोकर खाएंगे। किसान के पास जब खरीददार नहीं होगा, जिंस कोई खरीदेगा नहीं तो उसका खेती से मोह भंग हो जाएगा। किसान से जमीन छुड़ाना चाहते हैं, लक्ष्य ही जमीन छीनना है। इस लक्ष्य को भेदने के लिये ही यह तीनों कानून राजस्थान सरकार लेकर आयी है, यह काफी नहीं है। इन कानूनों में और मजबूती की जरूरत है, और मजबूती से केन्द्र के कानूनों का विरोध करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र के उस आन्दोलन का गवाह रहा हूं, जो सिंचाई के पानी को लेकर हुआ था। मेरे पुरखे उस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जो जमीन छीनना चाहते थे। 1970 के किसान आन्दोलन के गवाह रहे हैं और जेलों में रहे हैं। सात-सात लोगों ने कुर्बानी दी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं केन्द्र की मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम जेलों की चक्कियों की रोटी खा-खाकर विधान सभा पहुंचे हैं। मजाक नहीं है जो आपके कानून लागू कर देंगे। आप कह रहे हो आन्दोलन नहीं है। आन्दोलन की बात कर रहे हो, रड़क पाड़ देंगे रड़क पर आपके काले कानून किसी भी रूप में लागू नहीं होने देंगे। जमीन उसी की होगी जो जमीन जोतेगा। जमीन अडानी और अंबानी की नहीं होगी। मंडी उसी की होगी, जो मंडी में काम कर रहा है। मंडी से बाहर दूसरी मंडी का जो सपना आप दिखा रहे हो, यह सब्जबाग हम आपका कामयाब नहीं होने देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं उस नहरी क्षेत्र का किसान हूं, जहां आज से 20 साल पहले सीएडी ने खाले बनाये थे। जब मैं सिंचाई मंत्रीजी से मिला कि हमारे खालों की मरम्मत करो तो उन्होंने कहा कि केन्द्र ने सीएडी

(श्री बलवान पूनियां)

बंद कर दी। हमारे लिये यह मौत का फरमान है। यह तीनों कानून भी मौत के फरमान हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ यही तीन कानून नहीं हैं, भविष्य के कानून और बता रहा हूं। नया बिजली का कानून लेकर आयेगा केन्द्र। सारे हिन्दुस्तान की पावर अडानी को सौंपने का मन बना रखा है। अंबानी को, अडानी को देश लुटाना चाहते हैं। एन.जी.टी. पर स्पेशल कानून लेकर आ रहे हैं, परवन पर कानून लेकर आ रहे हैं। परवन के नाम पर जो आसाम से पहले खोद नहीं पाये थे, उसके खिलाफ भी यह कानून लेकर आ रहे हैं। यह देश की सम्पदा को लुटाना चाहते हैं। यह असत्य बोल रहे हैं। एयरपोर्ट उनको दे दिये, रेल उनको दे दी, तेल उनको दे दिया। यह असत्य बोल रहे हैं। यह जल, जंगल और जमीन देना चाहते हैं। न सिर्फ राजस्थान की विधान सभा में मुखालफत करते हैं, सड़क पर करेंगे, लड़ेंगे, सीने पर गोली खायेंगे पर जमीन नहीं जाने देंगे। इंकलाब जिंदाबाद।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने जो सी.ए.डी. के खाले की बात उठाई है, बिलकुल सही है। आज से तीन साल पहले केन्द्र सरकार ने सी.ए.डी. के संदर्भ में जितनी भी स्कीमें थीं वे बंद कर दीं और यह बात की कि इसबिज (ISBIG) के नाम पर एक नई स्कीम लेकर आएंगे, तीन साल हो गये हैं कोई भी स्कीम इसबिज (ISBIG) के नाम से आगे जारी नहीं की गई है। यह कामरेड बिलकुल सही बोल रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय श्री भरत सिंह जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यही सही बोल रहे हैं और तो सब झूठ है? यही सही बोली न, और सब झूठ थी?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत सरकार ने पार्लियामेंट में जो गलत किया उसको सही करने के लिए हमारी सरकार आज जो यह संशोधन लायी है, मैं उसके समर्थन में कुछ बात कहना चाहूंगा।

माननीय सभापति जी, जब कृषक, किसान की बात होती है तो सब उसकी भलाई की बात करते हैं, विपक्ष भी करता है और हम भी करते हैं। कौन सही कह रहा है और क्या फार्मूला है, क्या तरीका है जिससे यह नापा जा सके कि आप जो योजना ला रहे हैं उससे इस आदमी का, किसान का भला होगा?

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

देश जब आजाद हुआ था 1947 में तो इस देश के फोरफ्रंट पर गुजरात के दो महान व्यक्ति थे, एक तो महात्मा गांधी जिनका इस देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ था, अनेक लोगों के हाथ थे और एक सरदार पटेल। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 1947 में देश को आजादी मिली और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि सरदार पटेल का 1950 में स्वर्गवास हुआ। आज 2020 में देश के फोरफ्रंट पर दो व्यक्ति गुजरात के हैं। 1947 में दो व्यक्ति थे और आज भी दो हैं, एक प्रधान मंत्री जी और एक गृह मंत्री जी। 2018 में अंत में जब चुनाव हुए और यह कांग्रेस की सरकार आयी, जो वर्तमान सरकार आयी, हमारे राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे थे और गवर्नर के अभिभाषण में आखिरी पन्नों में जो लिखा था उसका मैं एक पन्ना पढ़कर फिर अपनी आगे की बात करूंगा।

महात्मा गांधी ने कहा था, 'मैं तुम्हें एक जन्तर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ: "जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। हमारी सरकार महात्मा गांधी के इसी चिन्तन पर अमल करते हुए अपने प्रयासों से प्रदेश के गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद के लिये कार्य करेगी।"

इसी को सोचकर इस सरकार ने यह संशोधन इसमें लाने का विचार किया। यह मैं क्यों कर रहा हूं? माननीय सभापति जी, आजादी के बाद यह मंत्र और यह तंत्र पलट गया। आज सोच यह है कि आप जो भी योजना ला रहे हैं, देश के सबसे अमीर आदमी की शक्ल को देखकर कल्पना करो कि क्या इससे उसका फायदा होगा? और अगर उससे उसका फायदा होता है कि आप बिना संकोच के उस दिशा में बढ़ जाओ। बस यही भूल है, इसी रास्ते पर

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

हमारा देश चल रहा है। इसीलिए नोटबंदी हुई तो प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि गरीब आदमी हंसेगा और जो अमीर है वह रोयेगा। गरीब सड़क पर चला, वह बैंक में लाइन में खड़ा हुआ, वह लाइन में खड़ा-खड़ा मरा, पूरी बेरोजगारी-सी हो गई। जब यह लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में भी, देश जब आजाद हुआ था, जिस प्रकार से पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में लोगबाग सड़कों पर चले थे, उस व्यवस्था को इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उस गांधी जी के तंत्र को, जो उन्होंने दिया था कि उस गरीब आदमी के चेहरे पर देखो, उसकी जगह देश के सबसे बड़े अमीर आदमी को देख रहे हैं। आज जब कृषि की बात कर रहे हैं उस गरीब आदमी और गरीब किसान के चेहरे की बात नहीं कर रहे हैं, उस सबसे अमीर आदमी को फायदा होगा तो इस देश को फायदा होगा, यह सोच है हमारे लोगों की। यह दुर्भाग्य है और इसीलिए मैं खड़े होकर इसी बात पर कह रहा हूं कि इस कानून को, जो संशोधन यह ला रहे हैं इससे देश के उस गरीब आदमी का, जिसका भला होने की बात करते हैं, उसका सबसे ज्यादा भला होगा।

मैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल की बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी अभी 31 तारीख को उनके जन्म दिन पर गये थे, वह तो मूर्ति थी जिसको नमन किया था, अगर सरदार पटेल होते तो ठोकर मार देते। गरीबों के अहित का काम हो रहा है और इस सदन का, जो इसका विरोध कर रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं। बाकी सब बातें गौण हैं मगर उस गरीब आदमी की तरफ देखकर हमें कदम उठाने चाहिए। महात्मा गांधी सूट-बूट में वकालत करने गये थे, लंगोटी लगाकर आये हैं, यहां लंगोटी वाले सूट-बूट में आ गये। पूरी व्यवस्था, जो महात्मा गांधी करते थे बिलकुल उससे उलटा इस देश में हो रहा है और यह महात्मा गांधी का मुल्क है, यहां महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, उस रास्ते से हम भटक रहे हैं। इसलिए यह जो संशोधन लाये हैं यह किसान के हित में और जो दिल्ली में हो रहा है वह गलत है, समय बताएगा इस बात को। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बिहारीलाल जी।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, किसान हितैषी केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये तीनों बिलों पर राजस्थान की सरकार जो संशोधन लेकर आयी है और जिन बातों को कहकर उन बिलों का विरोध कर रही है, उस बात पर इस डिबेट में आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

ज्यादा कानूनी भाषा में बात नहीं करूंगा, माननीय सभापति जी। इस डिबेट को शुरू करते हुए उप नेता प्रतिपक्ष, माननीय राठौड़ साहब ने सारे कानूनी प्रावधानों का जिक्र किया कि सातवीं अनुसूची में क्या केन्द्र के विषय हैं, क्या राज्य के विषय हैं, कौनसे समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची का विषय, केन्द्र की सरकार ने समवर्ती सूची के विषय पर तीन बिल पास किये हैं जो राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर के बाद कानून बन गये, उन पर जिस तरह का बवाल कांग्रेस शासित एक-दो प्रदेशों में मचा और उनसे जुड़ते हुए हमारे शांतिप्रिय राजस्थान प्रदेश के जिलों में भी कुछ उत्पात की कोशिशें हुईं। लेकिन कौन किसान का हितैषी है, कौन किसान की बहबूदी के लिए काम करता है, कौन निःस्वार्थ भाव से काम करता है, यह हिन्दुस्तान का किसान जानता है इसलिए राजस्थान के किसान ने उनके साथ खड़े होने का काम नहीं किया। राजस्थान की विधान सभा में इन तीनों संशोधन बिलों को प्रस्तुत करते हुए, इन बिलों पर शनिवार को विशेष सत्र बुलाकर और इन बिलों के लिए जब शान्ती धारीवाल जी खड़े हुए तभी हमें लगा कि व्यापारी का बेटा बिल पेश कर रहा है, पुर:स्थापित कर रहा है तो निश्चित तौर पर यह ट्रेड और कामर्स का विषय है न कि एग्रीकल्चर का विषय।

आज जब डिबेट की शुरुआत हुई तो उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय कृषि मंत्री जी तैयारी के साथ नहीं आये, मेरा तो मानना है कि कृषि मंत्री जी ने बिल पेश करते हुए कैबिनेट की मीटिंग में भी निश्चित तौर पर इसका विरोध किया होगा वरना पुर:स्थापित करने की बात भी होती तो कृषि मंत्री जी करते क्योंकि उस दिन ये सदन में उपस्थित थे, इन्होंने वेटरिनरी यूनिवर्सिटी के संशोधन पर बिल पेश किया तो ये बिल भी ये पेश कर सकते थे। आज धारीवाल जी को बोलना था लेकिन बुलवाया कृषि मंत्री से गया कि कृषि का विषय साबित करने के लिए जबकि यह कृषि का विषय है नहीं, यह इन्टरस्टेट ट्रेड और कामर्स का विषय है, जिस पर भारत की सरकार को कानून बनाने का पूरा अधिकार है।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय सभापति जी, डिबेट की शुरुआत करते हुए कटारिया साहब ने कहा खेती का क्या होगा, पशुधन का क्या होगा, राज्य सरकारों से पूछा गया क्या? सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रियों की एक कमेटी ने जो सिफारिशें कीं वैसी की वैसी अक्षरश: इन बिलों में हैं। उन मुख्य मंत्रियों की कमेटी में पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जी भी थे। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री कमलनाथ जी, जो कि महिलाओं को आइटम कहते हैं, वह भी थे। उसी कमेटी में 2 और भी आपकी सरकारों के मुख्य मंत्री होंगे, जिनकी अनुशंसाओं को पूरी तरह से इन बिलों में शामिल किया गया है।

सभापति महोदय, अभी मेरे कामरेड साथी चीख-चीख करके कह रहे थे कि किसानों का यह हो गया, किसानों का वह हो गया। यही कामरेड साथी पहले भी चीखकर कहा करते थे कि केन्द्र की सरकारें किसान हितों की झूठी बातें करती हैं। डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करने का काम नहीं करती हैं। डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब आ गई? अंतिम रिपोर्ट 2006 में आ गई थी। तब कौन केन्द्र में सत्तारूढ़ था? लगातार 10 वर्ष तक डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए कांग्रेस की सरकार चल रही थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से किसने रोका? लेकिन जिस बात को वह 10 वर्षों में लागू नहीं कर पाए, उसको देश के मजबूत प्रधान मंत्री ने लागू करने का काम किया। किसानों के हित में करने का काम किया। इससे आज कामरेड रो रहे हैं कि जमीनें नीलाम हो जाएंगी। इनकी जमीनों पर नजर है। हमारी नजर के केन्द्र में देश का किसान है। उसका भला होना चाहिए।

सभापति महोदय, किसी ने न तो बिल पढ़ा, न ही किसी ने उस पर मनन किया, न ही किसी ने उस पर मंथन किया। केन्द्र सरकार का बिल पढ़िए, कांट्रेक्ट फार्मिंग में कहां जमीन पर, लैंड टाइटल पर इश्यू खड़ा हुआ है? लैंड टाइटल पर कोई इश्यू ही नहीं है। किसान के साथ व्यापारी का, किसी भी व्यक्ति का एग्रीमेंट होता है तो लैंड के टाइटल में कोई बदलाव नहीं होगा। सारी बातें जो यहां की जा रही हैं, जिन भी मेरे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बात की है, तकरीर की है, तहरीर की है, वे खुद ही अपनी बातों में अंतर्विरोध लेकर आए हैं।

(श्री बिहारीलाल)

गंगानगर से आने वाले साथी कह रहे थे कि उसका अभी तक सुप्रीम कोर्ट में निर्णय नहीं हुआ। तभी तो उन बातों का समाधान मोदी जी लेकर आए हैं। किसान को 3 दिन में तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। विवाद की स्थिति होगी तो 30 दिन में एसडीएम को निर्णय करना पड़ेगा। अगले 30 दिन में कलेक्टर को निर्णय करना पड़ेगा। सिविल न्यायालय को दूर इसलिए रखा गया कि लाखों कोर्ट केसेज पहले से ही पैंडिंग हैं। इस कारण ऐसे प्रावधान किए गए।

सभापति महोदय, असेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करें। यह तीनों बिल अपने आपमें एक दूसरे के पूरक हैं। सदन भी इसीलिए साथ में चर्चा कर रहा है। असेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात की गई तो रेवेन्यू मंत्री जी ने कहा कि किसने स्टाक लिमिट को हटाने के लिए कहा। आप जानते हैं, व्यापारियों ने राजस्थान 15-15 दिन तक बंद रखा है। पूरे देश भर की मंडियां बंद रही हैं। व्यापारियों की सबसे प्रमुख मांग अगर कोई थी तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट में लिमिट को हटाने की थी। यह मांग रही है बरसों से। इस लिमिट को हटाने के लिए गंगानगर में कई चौपालें मैंने की हैं। पंजाब, हरियाणा के किसानों के बीच भी मैंने चौपालों में भाग लिया है। गंगानगर में व्यापारी कहता है कि मेरी 50 हजार क्विंटल सरसों खरीदने की क्षमता है लेकिन मैं इस लिमिट की वजह से नहीं खरीद पाता हूं।

सभापति महोदय, मेरे बीकानेर में मोठ की बहुत ज्यादा पैदावार होती है। हमारी बरसों से मांग है कि मोठ को भी एमएसपी में शामिल किया जाए। यह सदन अगर आज यह कहता कि हमारी मोठ की फसल को एमएसपी में शामिल करने का प्रस्ताव लेकर आएंगे, केन्द्र को भेजेंगे तो किसान के हित की बात होती। मेरे मोठ का खरीददार नहीं मिलता क्योंकि स्टाक सीमा है। मेरा मोठ दिल्ली बिकने जाता है और वहां दिल्ली से मेरा भुजिया बनाने वाला कारखाना, व्यापारी उसको बीकानेर लेकर आता है। उसके बाद आपको तीखा नमकीन, भुजिया का स्वाद देखने को मिलता है। खाने को मिलता है। इन विसंगतियों को मिटाने का काम किया है।

सभापति महोदय, इसमें साफ प्रावधान है कि अगर कहीं भी आपात स्थिति होगी, गृह युद्ध की स्थिति होगी, युद्ध की विभीषिका होगी, किसी भी तरह की आपदा होगी तो पुन: यह बिल एनफोर्समेंट हो जाएगा। केन्द्र में

(श्री बिहारीलाल)

सरकार बैठी है। राज्यों में सरकारें बैठी हैं। यहां सरकारों का काम चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पुन: इसके नियम लागू हो जाएंगे। यह सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि परचेजर बढ़ें, व्यापारी आएं, इनवेस्टमेंट बढ़े और प्रोक्योरमेंट यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ें।

माननीय रेवेन्यू मंत्री जी ने देवीलाल जी का जिक्र किया। उप नेता, प्रतिपक्ष पर तंज कसा कि आप जब बात कह रहे थे तो उसमें अहंकार झलक रहा था। माननीय मंत्री महोदय, अहंकार में और स्वाभिमान में फर्क करना सीखिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने 55 में खातेदारी का अधिकार दिया। लेकिन उस वक्त राजेन्द्र राठौड़ की जगह जो व्यक्ति बैठे थे, उनको आप भूल गए। स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत, जो जिस पृष्ठभूमि से आते थे, जमींदारी का उन्होंने आपके साथ खड़े होकर विरोध किया। उस पाठशाला से निकले हुए राजेन्द्र जी राठौड़ हैं। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क करना सीखना होगा।

ताऊ देवीलाल के साथ रहकर राजनीति की हो। ताऊ देवीलाल जो मेरी नोखा की धरती से हरियाणा गए, चंडीगढ़ गए, दिल्ली गए। वह बहुत बड़े किसान नेता इस देश के हुए। वह उप प्रधान मंत्री बने। कृषि मंत्री बने। समय बहुत थोड़ा था लेकिन एक भानूप्रताप कमेटी का गठन, तब के उप प्रधान मंत्री चौधरी देवीलाल जी ने किया था। कम समय रहा। अगर उनको समय पूरा मिलता तो आज जो मोदी जी ने किया है, वह चौधरी देवीलाल जी करके दिखाते। उसी भानूप्रताप कमेटी की रिपोर्ट्स पढ़िए, सिफारिशें पढ़िए। आज जो 3 बिल केन्द्र सरकार लेकर आई है, वह उसी कमेटी की सिफारिशें हैं। माननीय मंत्री जी, कौन किसान हितैषी है और कौन नहीं है, यह किसान अच्छी तरह से जानता है।

सभापति महोदय, रानीवाड़ा से आने वाले विधायक जी ने जीरा और ईसबग़ोल की बात की। आपने भी जीरे की बात की। बहुत महंगी फसलें हैं। यह जो कृषक उपज व्यापार वाणिज्य समर्थन एवं सरलीकरण विधेयक है, इसको केन्द्र सरकार ने पास कर दिया। आप कहते थे कि कौन रोक रहा है किसानों को? पंजाब में किसान जा रहा है, कौन रोक रहा है? गुजरात में किसान जा रहे हैं, कौन रोक रहा है? हम तो कहते हैं, व्यापारी कहते हैं, व्यापारी की मांग है कि जाने क्यों देते हो। आपने मंडी टैक्स 3.6 प्रतिशत कर

(श्री बिहारीलाल)

दिया। पूरे राजस्थान में आपके खिलाफ माहौल बना। मंडियों में किसानों ने, व्यापारियों ने हड़तालें कीं। आपने एक प्रतिशत कम किया। अभी भी 2.6 प्रतिशत है। आप उसको 0.5 प्रतिशत तक लाइये न। आपका किसान, आपका व्यापारी आपके साथ है। आपकी मंडियों का मेंटिनेंस होगा।

माननीय मंत्री जी आप कह रहे थे कि कृषि उपज मंडियों से सड़कें बनती हैं। आप किस गलतफहमी में हो। आप अनुपात उठाकर देखिएगा। अगर सड़कें बनी हैं तो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में उस महामानव की बड़ी सोच थी, प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि आज हर जगह खेत, ढाणी कैसा भी रास्ता हो, कैसा भी उबड़-खाबड़ रास्ते हों, धोरे हों, वहां चारों तरफ रपटीली, काली सड़कें हैं। यह उस प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की देन है। उसके मुकाबले कृषि मंडी से कहां सड़कें बनी? आप 0.5 प्रतिशत तक मंडी का टैक्स कीजिए। आपका जीरा, ईसबग़ोल गुजरात नहीं जाएगा। आपकी जीएसटी का बचाव होगा। सरकार को करोड़ों रुपये का फायदा होगा। आपकी रूई, काटन पंजाब नहीं जाएगी। आपकी इधर की फसलें ग्वार आदि हरियाणा नहीं जाएगा। आपका चना हरियाणा नहीं जाएगा। इससे आपकी सरकार को तो रेवेन्यू मिलेगा और किसान को फायदा होगा।

सभापति महोदय, यह जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनमें व्यर्थ की बहस कर रहे हैं। कीमती समय को खराब कर रहे हैं। हमें चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि कोरोना में हमारा प्रबंधन कैसा हो रहा है? कानून व्यवस्था में हमारी क्या स्थिति है? एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, बलात्कार में राजस्थान एक नंबर पर, दलित उत्पीड़न में राजस्थान एक नंबर पर।

सभापति महोदय, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि अभी जो बातें की गईं कि बादल छोड़कर क्यों चले गए? यह सामने खिलजी की फौज बैठी है, यह सोच ले, समझ ले कि गोरा बादल की कहानी पढ़ी है न, बादल छोड़कर के चले गए तो उनका स्वार्थ होगा। उनकी परिस्थितियां होंगी लेकिन बादल छोड़कर चले गए, उसका मतलब यह नहीं कि हमारा नेता, हमारा कार्यकर्ता, हमारा प्रधान मंत्री किसान हित के लिए अपनी लड़ाई बंद कर देगा। यह गोरा बादल की धरती से आने वाले गुलाब चन्द कटारिया बैठे हैं और शेखावाटी से आने वाले राठौड़ बैठे हैं, किसान के हित की लड़ाई, वसुन्धरा के बेटे के मान और सम्मान की लड़ाई, किसान के स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी होगी तो पुरजोर तरीके से लड़ेंगे।

(श्री बिहारीलाल)

सभापति महोदय, इन संशोधनों का हम विरोध करते हैं। आप संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन बिलों को वापस लिया जाए। 6 महीने के लिए जनमत जानने हेतु भेजा जाए। यह तीनों बिल जो आए हैं, यह वैकल्पिक व्यवस्था है। यह किसान की इच्छा पर है। किसान इस पर एग्रीमेंट करे तो उसकी मर्जी, न करे तो उसकी मर्जी। इसमें कोई लैंड इश्यू नहीं है। 30 दिन में एसडीएम को निर्णय करना पड़ेगा, कलेक्टर को निर्णय करना पड़ेगा। हाथ इतने बांध दिए हैं कि किसान हित के अलावा कोई निर्णय कर ही नहीं सकता। इन सभी बातों को समझना होगा।

केन्द्र सरकार ने जो बिल पास किए हैं, वह किसान के हित में किए हैं। सिर्फ किसी व्यक्ति ने कह दिया, वह व्यक्ति चाहे मेरी पार्टी का हो या आपकी पार्टी का हो, उसके कह देने मात्र से उसके अहम को संतुष्ट करने के लिए हम राजस्थान की विधान सभा और 7 करोड़ लोगों के समय को बर्बाद कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। इन बिलों को सरकार वापस ले और जनमत जानने के लिए परिचालित करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान विधान सभा में केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन विधेयकों में संशोधन के लिए सुबह से जो डिबेट चल रही है, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जिस प्रकार से किसानों के प्रति हमदर्दी यहां पर दिखाई जा रही है लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में आजादी के पहले किसानों की क्या दुर्दशा थी, किसान की क्या परिभाषा थी और आजादी के इन सात दशकों में किसान का क्या स्तर हुआ है। आजादी के पहले कृषि की और किसान की जो वृद्धि दर थी वह 0.5 प्रतिशत थी लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधीजी ने, पंडित जवाहर लाल नेहरूजी ने, लाल बहादुर शास्त्रीजी ने, स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने या इसके बाद जितने प्रधान मंत्री रहे हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयीजी की बात करो चाहे एचडी देवेगौड़ाजी की बात करो, चाहे पीवी नरसिम्हारावजी की बात करो, जितने प्रधान मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहीं न कहीं देश के किसानों के बारे में सोचने का प्रयास किया, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2014 के बाद से इस देश को, इस देश के 130 करोड़ लोगों को भ्रमित

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

करने के लिए मुंगेरीलाल के सपने दिखाने के लिए हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने जो सपने दिखाये कि 2014 में एक 'विकास' नाम का बच्चा पैदा किया था। उस 'विकास' को लेकर पूरे देश में जिस प्रकार का ढिंढोरा पीटा गया लेकिन छह साल हो चुके हैं, छह साल में बच्चा पैदा होकर स्कूल जाने लग जाता है, लेकिन वह 'विकास' नाम का बच्चा पोलियोग्रस्त होकर किस प्रदेश की स्कूल में पढ़ रहा है, किसी को पता नहीं है। मुंगेरीलाल के सपने दिखाने वाले, जन धन खाता योजना लेकर आए, आज कितने खाते चालू हैं, मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय दोगुनी होगी और ये विधेयक लाकर आप किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। डीजल-पैट्रोल के भाव पर जिस प्रकार का भाषण आप 2014 के पहले दिया करते थे, केन्द्र सरकार को कोसा करते थे, देश के प्रधान मंत्री को कोसा करते थे लेकिन 2014 के बाद डीजल और पैट्रोल के भाव आपसे और हमसे छिपे हुए नहीं हैं, उसे क्यों नहीं बोलते प्रधान मंत्री महोदय? डॉलर की जब रेट बढ़ती थी तो कहते थे कि सोनिया गांधी की उम्र बढ़ रही है तो डॉलर की रेट बढ़ रही है। आज डॉलर पर प्रधान मंत्री महोदय क्यों नहीं बोलना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कुछ पीछे ले जाना चाहूंगा कि इस देश को आज जिस स्थिति में है उसको स्थापित करने वाली कांग्रेस पार्टी है, चाहे वह हरित क्रांति की बात हो, जिस देश में खाने के लिए गेहूं पैदा नहीं होता था, लोग गेहूं के लिए तरसते थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री की देन है कि आज हिन्दुस्तान गेहूं उत्पादन में आत्म निर्भर हो गया और विदेशों को भी निर्यात करने लग गया। संचार क्रांति लाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया और आज उस संचार क्रांति के माध्यम से पूरे देश को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का काम किया, यह हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी की देन है।

नरेगा योजना के माध्यम से जिस प्रकार से आपने बड़े-बड़े भाषण दिए, नरेगा लाकर कांग्रेस ने अपनी नाकामयाबी को छुपाने का काम किया लेकिन माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी को अपने 2014 के बजट भाषण में उस नरेगा योजना का बजट दोगुना करके उस योजना की सराहना करनी पड़ी। अगर यह कांग्रेस की असफलता का प्रतीक होता तो उसको बंद करना चाहिए था।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आप आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट योजना चालू की गई, यह किसकी देन है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इस देश में पूरी बैंकों का एकीकरण करके चाहे किसानों को या चाहे उद्योगों के क्षेत्र की बात हो, चाहे कृषि के क्षेत्र की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में बात हो, इस विधेयक के माध्यम से उन लोगों को सहायता देने का प्रयास किया गया है।

जमींदारी प्रथा की बात करूं। आप आज किसान की भाषा बोल रहे हो कि पांच एकड़ के ऊपर किसी की जमीन हो तो उसको नीलाम नहीं किया जाएगा या उसको ऐसा नहीं किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में 70 परसेंट लोग जो किसान हैं वो पांच एकड़ की परिधि में आते हैं, 30 परसेंट लोग होंगे जो बड़े-बड़े लोग होंगे। उन पांच एकड़ के काश्तकारों के बारे में आपने सोचा भी नहीं है।

आप कह रहे हो कि मंडियों को बंद करके पूरे देश में फसल बेचने जाएगा, वह पांच एकड़ की जमीन में जो फसल पैदा होती है, किसान उस एक ट्रैक्टर को लेकर क्या लन्दन जाएगा या अमेरिका जाएगा या मुम्बई जाएगा या दिल्ली जाएगा? उसको अपने पास में जो मार्केट है, जो व्यापारी होगा या मंडी होगी, वहां जाकर उसको बेचना पड़ेगा। आप जो संशोधन विधेयक लाए हैं, जो भारत सरकार ने विधेयक पास किया है कि काश्तकार अपनी फसल को फसल बोने से पहले उसका भाव निर्धारित कर देगा लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि कृषि योजना में किसान जब अपनी फसल को घर से मंडी लाता है और रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है तो वह सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसको आर्थिक सहायता दी जाती है लेकिन इसमें कहीं यह लिखा हुआ है कि जब किसान अपनी फसल को लेकर प्राइवेट कम्पनी के पास बेचने जाएगा और यदि उस किसान की बीच रास्ते दुर्घटना हो जाएगी तो उसको क्या आर्थिक रूप से मदद करने का इसमें प्रयास किया जाएगा?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधान मंत्री को भी निवेदन करना चाहूंगा और ईश्वर से कामना करना चाहूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे। जो काला कानून किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया है या अडाणी और अम्बानी को इस देश की अर्थव्यवस्था पर काबिज करने के लिए लाया गया है, इस देश में 2014 के

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

बाद हम लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से बीएसएनएल जो इस देश की संचार क्रांति की वाहक थी, उसकी क्या स्थिति है? वह वेंटीलेटर पर लगी हुई है और अम्बानी की जियो पूरे देश में इन्होंने सपना दिखाया था, जियो की फ्री सिम दी, छह महीने तक उनको फ्री चलाने दिया और आज जो जियो का रिचार्ज है वह 599 और 699 होता है। यही आज जिस प्रकार का सपना किसानों को दिखाया जा रहा है कि उसकी फसल का दोगुना दिया जाएगा, तीन गुना दिया जाएगा लेकिन दो साल, तीन साल, चार साल के बाद उस किसान की दिशा और दशा जो होगी वह आप और हमसे छिपी नहीं होगी। हम केवल भाषण दे सकते हैं, उनके प्रति हमदर्दी अर्पित कर सकते हैं लेकिन सत्यता को जानना होगा। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। कल आप इधर थे, हम उधर थे, आज हम इधर हैं आप उधर हो। कल दिल्ली में हम थे, आज दिल्ली में आप हो लेकिन हमें अपने जमीर को और अपने ईमान को और नीति को समझना होगा, हम जो कानून बना रहे हैं वह वास्तव में किसानों के हित में है या अहित में है। केवल चार-पांच लोगों को इस देश की पूंजी पर काबिज करने के लिए, आज आपने एयरपोर्ट बेच दिए, एक एयरपोर्ट आपने पिछले छह साल में बनाया हो तो बताओ। आपने रेलवे बेच दी, आपने कोई नई ट्रेनें चलाई हो तो बताओ। आपने न आईआईटी बनाई, न आपने मेडिकल कालेज बनाए, न चिकित्सा के क्षेत्र में आपने कोई काम किया। केवल आपने काम किया तो बेचने का काम किया ताकि जो पन्द्रह पूंजीपति लोग हैं जो देश पर शासन करना चाहते हैं और मोदीजी और उनकी पूरी कैबिनेट चाहे वह आरएसएस हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, जो अडाणी और अम्बानी कहते हैं वही आप लोग करते हो, चाहे वह कानून कैसा भी हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री सम्माननीय गहलोतजी ने और हमारे कृषि मंत्री सम्माननीय कटारियाजी ने और हमारे संसदीय कार्य मंत्री सम्माननीय धारीवाल साहब ने पूरा मंथन करके जिस प्रकार से आज राजस्थान की विधान सभा के पटल पर यह कानून रख रहे हैं, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना की बात कर रहे हैं ये। राजस्थान की जनता ने 25 सांसद दिल्ली में भेजे हैं। राजस्थान का हिस्सा चाहे वह जीएसटी हो चाहे वह हिस्सा जो भारत सरकार से राजस्थान सरकार को

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

मिलना चाहिए था, उन 25 सांसदों ने एक जुबान आज दिन तक नहीं खोली। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत साहब ने वित्तीय संसाधन सीमित होने के बाद भी हमारे चिकित्सा मंत्री रघु शर्माजी ने वित्तीय संसाधन कम होने के बाद भी जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में कोरोना पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में ही नहीं पूरे विदेश तक हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को करनी पड़ी। जिस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में कोरोना के लिए की गई, वह आपसे छिपी नहीं है। चाहे उसमें भामाशाहों की बात करो, सरकारी कर्मचारियों की बात करो, आईएएस, आईपीएस की बात करो, सामाजिक संस्थाओं की बात करो या राजनीतिक दलों की बात करो, सब लोगों ने जो बढ़-चढ़कर भाग लिया उसी की परिणति है कि कोरोना प्रबंधन के लिए राजस्थान को सब जगह वाहवाही मिली। मैं पुन: आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री राजकुमार गौड़।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 एवं आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020 पर बोलने का मौका दिया। मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, आजादी के बाद शायद यह पहली बार देखने को मिला है कि केन्द्र सरकार जिनके लिए बिल लायी है कि हम किसान के हित में बिल लाये हैं, व्यापारी के लिए बिल लाये हैं, मजदूर के हित में बिल लाये हैं, जिनके हित में बिल लाये हैं, वे सब चिल्ला रहे हैं। वे सब आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश के किसान, पूरे देश के मजदूर दु:खी हैं और हम कहते हैं कि हम तो आपके पक्ष में बिल लाये हैं, आपकी मजबूती के लिए बिल लाये हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

कोरोना काल में यदि अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत रह पायी तो केवल किसान के कारण रह पायी। आपके कल-कारखाने बंद हो गये थे। आपकी

(श्री राजकुमार गौड़)

दुकानें बंद हो गयी थीं। आपका व्यापार बंद हो गया था, परंतु किसान का माल मण्डी में आया, उसी वजह से गरीब का पेट पला, उसी वजह से व्यापारी का पेट पला। उसी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर रह पायी। जितनी प्रतिशत पर रह पायी, उस किसान की वजह से रह पायी।

आज वह किसान सड़कों पर है। मेरे बीकानेर डिवीजन के साथी जानते होंगे, बीकानेर डिवीजन पूरा बंद रहा। सारे जिले हमारे बंद रहे। दूसरे हमारे साथी कहते हैं कि ये तो केवल कांग्रेस के लोग जो हैं, वे विरोध कर रहे हैं। अच्छा है आपने सब किसानों को कांग्रेसी मान लिया। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को विरोध करना भी चाहिए। जो देश के हित में बिल नहीं है, किसान और मजदूर के हित में बिल नहीं है, उसके लिए लड़ना चाहिए हमें, परंतु बहुत देर हो गयी। हम बहुत देर के बाद समझ पाये। हम उस दिन को भूल गये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो पहला भाषण जो दिया माननीय प्रधान मंत्री जी ने, उसमें सबसे पहले जो बात कही, देश को मजबूत करने वाली कि कोई भी प्रदेश किसान को बोनस नहीं देगा। यह चेहरा था इस भारतीय जनता पार्टी का। उस दिन लोग समझ नहीं पाये थे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने डेढ़ सौ रुपये क्विंटल गेहूं के लिए दिये थे। एक किसान कहता था कि साहब मेरे घर तो 200 क्विंटल गेहूं हुआ और डेढ़ सौ रुपये के हिसाब से रात को यूं समझें जैसे मेरी दीवार के ऊपर से सरकार ने पैसे फेंक दिये हों। यह कांग्रेस सरकार की नीति थी। यह कांग्रेस सरकार की सोच थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी तो किसान के पक्ष में हमेशा से ही नहीं थी और यह बिल लाकर यह साबित कर दिया।

आज सुबह से मैं सुन रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब साथी कह रहे हैं कि ये जो संशोधन लाये हैं, इनका हम विरोध करते हैं। विरोध कीजिये, विरोध करना आपका हक है, परंतु आप बताएं तो सही कि किस संशोधन का क्यों विरोध कर रहे हैं आप। क्या किसान की पांच एकड़ भूमि की कुर्की नहीं हो तो आप उसका विरोध कर रहे हैं कि कुर्की हो? व्यापारी और किसान के बीच जो करार हुआ है, उस किसान को फायदा नहीं मिले, आप उसी बिल का विरोध कर रहे हैं? उनकी सुनवाई एसडीएम के पास नहीं हो, क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं? वह कमेटी नहीं बने, क्या आप

(श्री राजकुमार गौड़)

इसका विरोध कर रहे हैं? माल मण्डी में नहीं जाए, क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं? किन संशोधनों का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? यह हम भी जानना चाहते हैं और राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है। बार-बार किसान को एक ही चिंता है कि केन्द्र सरकार ने एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं किया। वह चिंतित है कि मेरा यह माल कैसे बिकेगा, मैं इसे कहां लेकर जाऊंगा। हम सब लोगों को मिलकर करना तो यह चाहिए था। आदरणीय कटारिया जी भी बैठे हैं और कटारिया जी के हर भाषण में मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि आप भी किसान की बात कर रहे हैं हम भी किसान की बात कर रहे हैं। बातों से कुछ नहीं होना, किसान को फायदा कैसे मिले, यह निर्णय इस विधान सभा में हो, तब तो किसान को लगे कि उसको कुछ फायदा हो रहा है।

सभापति महोदय, एमएसपी कुछ जिंस पर है। वह जिंस जब बाजार में आने की बात होती है तो वह किसान का बेटा चिल्लाने लगता है। वह आपको भी कहता है, मुझे भी कहता है, सब सदस्यों को कहता है कि जल्दी कीजिये, खरीद की घोषणा करे सरकार, एमएसपी पर खरीद हो। कोई भी जिंस समय पर नहीं खरीदी जाती। अभी भी आपने देखा होगा मूंगफली की बात आयी। हमारे मंत्री जी ने बात की। दिल्ली बात हुई। तय हुआ है कि 20 नवम्बर से रजिस्ट्रेशन होगा। आखिर क्यों? क्यों बार-बार किसान को यह मांगना पड़ता है हमसे। क्यों नहीं सरकार इसका इंतजाम करती कि जो जिंस हैं एमएसपी में, उनके लिए क्यों नहीं तारीख तय होती कि रबी और खरीफ की फसल में इस तारीख से खरीदे जाएंगे। इससे आगे हम क्यों नहीं बढ़ रहे? बाकी जो और जिंस बच गयीं, उन पर हम एमएसपी क्यों नहीं देना चाहते? हम सब्जियों को उसमें क्यों नहीं लेना चाहते? किसान का प्याज बिकता है दो रुपये किलो और हर तीन महीने के बाद आता है कि सौ रुपये किलो का भाव हो गया। हम क्यों नहीं सोचते कि उस किसान को एमएसपी के आधार पर सब्जी का भाव मिले। जिस किसान के उत्पादन की दुगुनी कीमत करने की बात हम कर रहे हैं, उसके कितने उत्पादन की कीमत हमने बढ़ा दी है, यह हम बताने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं हम सब मिलकर इस तरह का कानून बनाते कि जिससे उस किसान को फायदा हो।

(श्री राजकुमार गौड़)

हर साल उसे हमारे सामने यह कहना नहीं पड़े, गिड़गिड़ाना नहीं पड़े कि आप इसके दाम तय कीजिये, जल्दी इसकी खरीद हो। ऑनलाइन कीजिये, इसकी जल्दी खरीद हो और वह भी कौन-सा हम पूरा खरीद पाते हैं? क्या एमएसपी में जो जिंस हैं, उन्हें हम पूरा खरीद पाते हैं? जब भी चने और सरसों की बात आती है तो किसान हमें फिर कहता है कि साहब 25 क्विंटल का यह आदेश आया है केन्द्र सरकार से तो, राज्य सरकार करे, मुख्य मंत्री जी से कहिये। धारीवाल जी से कहिये कि वे 25 से 40 क्विंटल करें। जब अब तक हम पूरा माल ही नहीं खरीद पा रहे तो इन कानूनों को बनाने से क्या होगा? केन्द्र के इन कानूनों को बनाने से किसान राज़ी नहीं होगा। किसान के आंसू इससे नहीं पोंछे जाएंगे। किसान की तकलीफ को आप जब तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके बीच में बैठकर जब तक बात नहीं करेंगे और आप और हम सब उनकी बातों को जानते हैं, क्योंकि हम सभी ज्यादातर गांवों में से आते हैं। उस बात को पकड़कर हम मिलकर, कांग्रेस और बीजेपी को भूलकर बात करें प्रधान मंत्री जी से कि आप इन्हें एमएसपी में लीजिये, पूरा माल खरीदिये। कई बार मैं सोचता हूं, कटारिया साहब से निवेदन करूंगा कि आप जाकर बात करें, पर फिर सोचता हूं कि हमारे यहां से तो जीतकर 25 प्रतिनिधि गये हुए हैं। मैंने इन छह सालों में देखा है कि केवल मात्र जो मंत्री हैं, वे तो शायद प्रधान मंत्री जी से मिल लेते होंगे मीटिंग में, सभापति महोदय, मैंने एक एमपी का फोटो किसी अख़बार या टीवी में प्रधान मंत्री जी से मिलकर राजस्थान की समस्या उठाते हुए नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो आप बता दीजिएगा साहब, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे एमपी हमारे लिये गये। अपने प्रधान मंत्री से मिल नहीं पाते हमारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, किसान की दिक्कत कहां से दूर करवाएंगे? किसान की समस्या कहां से दूर होगी? आज कोरोना काल में आठ माह में क्या स्थिति रही? कितनी बार हमारे प्रधान मंत्री जी ने मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट से बात की? हमारे मुख्य मंत्री जी तो बात करते थे। नीचे सफाई कर्मचारियों से लेकर, एमएलए-एमपी तक सबसे बात करते थे। प्रधान मंत्री जी भी अगर बात करते, जिस तरह 'मन की बात' करते हैं तो अच्छा लगता।

महोदय, केन्द्र सरकार जो बिल लायी है, कृषि उपज मण्डी को खतम

(श्री राजकुमार गौड़)

करने का एक साधन बनाया है इसे। सर, कृषि उपज मण्डियां बहुत मेहनत से बनी हैं। आजादी के बाद कृषि उपज मण्डियां बनाने में बहुत ताकत लगी है। कृषि उपज मण्डी को किसान अपना घर समझता है और खेत से सीधा सामान निकालता है। अब वह जमाना गया जब 10 क्विंटल चना हुआ करता था, अब हजार क्विंटल चना होता है। कपास की ढेरियां लग जाती हैं। जब सीजन आता है तो अनाज मण्डी में पांव रखने को जगह नहीं होती, जिन्स ही जिन्स नजर आती है, गेहूं ही गेहूं नजर आता है, चने के सीजन में चना नजर आता है, सरसों में सरसों नजर आती है, कपास में कपास नजर आता है। क्यों? किसान के पास घर पर जगह नहीं है कि वह अपनी उपज को घर पर रखे। वह जैसे ही मशीन से खेत से निकालता है, उस उपज को कृषि मण्डी में लेकर आता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कनक्लूड करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): शेड के नीचे वह डाल देता है। सफाई वाला मजदूर सफाई करता है और उसकी रखवाली वह मजदूर और व्यापारी करता है। 5-7 दिन के बाद उसकी बोली होती है, बोली कृषि उपज मण्डी के अधिकारी करवाते हैं और बोली होने के बाद में व्यापारी उसको पेमेंट कर देता है। वह बड़ा सुखी है। वह इतना ही नहीं करता है, वह उसका माई-बाप भी है। वह किसान को कर्जा भी देता है, किसान को बीज खरीदने के लिए पैसा भी देता है, वह खाद खरीदने के लिए भी पैसा देता है। वह जो सफाई करने वाला कर्मचारी मण्डी में है उसकी अगर रात को वाइफ बीमार हो गई तो रात को हास्पिटल में जाकर संभालता भी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करिये।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): यह बहुत बड़ा व्यापारी, किसान, मजदूर, एक बहुत बड़ा यह संगठन है जिसमें लाखों लोग लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से केवल यही बात कहना चाहता हूं कि आप जो व्यवस्था मण्डी को खतम करने की कर रहे हैं, आप यह तो कह रहे हैं कि कोई भी खरीद सकता है, आज भी खरीद सकता है, आज भी हमारा माल पंजाब में जाता है, पंजाब का माल हमारे यहां आता है, परन्तु अगर वह किसान सीधे

(श्री राजकुमार गौड़)

का सीधा पूरा का पूरा खेत से लाकर उस मण्डी में ले आएगा, मण्डी में खड़ी करने के लिए जगह नहीं होगी तो कहां ले जाएगा वह माल? मैं मेरे साथियों से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि कौन मजदूर उसका माल साफ करेगा, कौन उसको पेमेंट देगा, कहां वह माल को तुलवायेगा? मान लीजिये बड़ा इण्डस्ट्रियलिस्ट है और उसने कहा कि मेरी फैक्ट्री में ले आओ। फैक्ट्री में 100 ट्राली चली गईं और 100 में से उसने 10 ट्राली खरीदकर कह दिया कि मैं तो अब नहीं खरीदूंगा तो क्या वह वापस ले जाने की स्थिति में है? क्या उस माल को वह वापस ले जा पाएगा? कौन उसको पैसा देगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): मजदूर जो मण्डी में हजारों की संख्या में हैं, मेरे मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं, वे मजदूर उस फैक्ट्री में हजारों की संख्या में नहीं होंगे और उस सेठ जी के पास केवल पांच मजदूर होंगे। उसकी अपनी फैक्ट्री में मशीन लगी होगी, वह मशीन से साफ करेंगे। मेरा इसमें मानना है कि अगर यह व्यवस्था शुरू हो गई तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक दुकान पर अकाउंटेंट, मुनीम, पानी पिलाने वाला, सफाई करने वाला होता है और एक दुकान पर दस से बीस लोग पलते हैं तो राजस्थान की मण्डियों में कितने लोग हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने मजदूर हैं, आप उनकी गिनती कीजिये, आप सोचिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। प्लीज फिनिश इट।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सर, मैं मेरी भावनाएं दो मिनट में प्रकट करना चाहता हूं। वे जाएंगे कहां? मैंने अभी बड़े-बड़े साथियों को सुना, बीजेपी के बड़े-बड़े लीडर फाइव स्टार होटल में प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, किसानों को बताना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। आप हमारे यहां आओ न। हमारे हरीश जी गये थे, मजदूरों से, किसानों से बात की थी। आप बुरा मत मानिये, मेरी बात सुनिये। यहां तो आप बैठे हो, मैं आपका वैलकम करता हूं। आप मेरे शहर में आइए, आप मेरे जिले में आइए और किसानों, मजदूरों, व्यापारियों के साथ चौपाल पर बैठकर बात कीजिये तथा फिर देखिए कि उनकी भावना क्या है, वह आपको बताएंगे। आप जिनको आज बिचौलिया कह रहे हो न, एक

(श्री राजकुमार गौड़)

साथी ने तो हमारे धारीवाल जी पर भी कह दिया है कि धारीवाल जी किसान नहीं हैं। आपने अंदाजा लगा लिया कि किसान नहीं हैं, आप ही किसान हैं केवल, आपने उनको किसान ही नहीं माना। वे मंत्री जी कह रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय राजकुमार जी, प्लीज, कनक्लूड करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): आप जिनको बिचौलिया कह रहे हो न, ये बिचौलिये ही थे आपको राज देने वाले और ये बिचौलिये ही आपसे हिसाब करेंगे। उनको आप बिचौलिया आज कह रहे हो, जिनको आज कह रहे हो कि आंदोलन केवल बिचौलिये कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समाप्त करें, प्लीज।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): बिचौलिये कर रहे हैं तो ये आने वाले समय में जरूर आपको जवाब देंगे। सर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार बिल लाई है वह किसान के हित में बिल है। इसमें इस तरह का कुछ नहीं किया जिससे किसान को या व्यापारी को या किसी को नुकसान हो रहा हो। अगर नुकसान हो रहा हो तो आप कहिये।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल। प्लीज।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): अन्त में, मैं यही कहूंगा कि इन बिलों का हम समर्थन करते हैं और केन्द्र सरकार ने यह जो काला कानून बनाने की कोशिश की है इसको राजस्थान का किसान, व्यापारी और मजदूर हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7.00 बजे तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020; कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन), विधेयक, 2020

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया। सरकार कृषि से सम्बन्धित जो ये तीन बिल लेकर आई है उसमें पहला बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, दूसरा बिल कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 और तीसरा बिल आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन), विधेयक, 2020 है।

माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने राजस्थान विधान सभा के इस पवित्र सदन में बहुत सारे वक्ताओं को सुना है और सुबह जब माननीय मंत्री महोदय ने यह बिल रखा तब मैंने आपकी बात को बहुत गौरपूर्वक सुना था। आपने बहुत सारी चीजें इस बिल को रखते समय कही जिनका न तो कोई आधार था, न कोई तर्क था और पूरी बातें कपोल-कल्पित थीं जिनका केन्द्र सरकार जो बिल लेकर आई है उनमें कहीं कुछ उल्लेख नहीं है। ऐसी बातें यहां रखी गईं और बहुत आत्मविश्वास के साथ में, बहुत दृढ़ता के साथ में रखी गईं। माननीय सभापति महोदय, मैं समझती हूं कि किसान वर्ग, जिसको आज तक 70 वर्षों में जिस राजनैतिक दल की सरकारें रहीं उसने उनको न तो शिक्षित होने का अवसर दिया, न आगे बढ़ने का अवसर दिया और आज भी कांग्रेस से आने वाले जन-प्रतिनिधि यह समझते हैं कि हम जो कुछ भी बोलेंगे, किसान के गले में हूबहू वह चीजें उतर जाएंगी क्योंकि उसी आधार पर इन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया, किसान को बेवकूफ बनाकर, उसको अशिक्षित रखकर आगे नहीं बढ़ने दिया। आप किसान के हित की बात करके यह बिल यहां लाये हैं पर जब मैं इसके उद्देश्यों की तरफ जाती हूं तो आप देखिए कि इसमें स्पष्ट रूप से जो बात कही है वह मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं। 'चूंकि इस केन्द्रीय अधिनियम का प्रत्यक्ष परिणाम न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र, जो कि समय की कसौटी पर खरा उतरा है, को निष्प्रभावी करना होगा और इससे कृषि और इससे संबद्ध समुदायों के गंभीर अहित और पूर्वाग्रह को संचालित करने वाली विभिन्न अन्य दुर्बलताएं और विकृतियां उत्पन्न होंगी।' अब इसमें

(श्रीमती अनिता भदेल)
न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र को निष्प्रभावी करने के लिए क्या वे बिल आये हैं क्या? ऐसा लिखा है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी, जो देश के प्रधान मंत्री हैं, जिनके एक-एक शब्द को, जिनकी बातों को यकीन से देश की जनता, लोग मानते हैं वे स्वयं सदन में और सदन के बाहर इस बात के लिए बार-बार कह चुके हैं कि इन बिलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को निष्प्रभावी करने का कोई उपबंध नहीं है। उसके बावजूद भी हम इतना बड़ा असत्य बार-बार बोल रहे हैं और उस +++ के कहने पर बोल रहे हैं जो रफाल के बारे में बार-बार असत्य बोलते रहे हैं और बाद में देश की जनता ने माना कि यह +++ रफाल के बारे में असत्य बोल रहे थे क्योंकि चुनाव आने वाला था।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, +++ का नाम बीच में लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति: यह डिलीट कर दीजिये। माननीय व्यक्तिगत आरोप न लगाएं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपने भी तो लिया है न नाम तो क्यों नहीं लेना चाहेंगे नाम? आपने भी तो लिया है नाम। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इन्होंने भी लिया है नाम। (व्यवधान) यह डिलीट नहीं होगा। सभापति महोदय, ऐसा मत करिये, डिलीट नहीं होगा। (व्यवधान) क्या चीज है +++? देश के प्रधान मंत्री का नाम लिया है। (व्यवधान) डिलीट नहीं होगा यह।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, जो सदन के मैम्बर नहीं हैं उनके बारे में बिना तथ्यों के बोलना..... (व्यवधान) आप नाम नहीं ले सकते। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, मैंने किसी को बोलते समय डिस्टर्ब नहीं किया है। मैं जो बात कह रही हूं, आप मना कर दीजिये कि राहुल गांधी जी ने इसका विरोध नहीं किया, मना कर दीजिये न आप। आप सीधे मना कर दीजिये कि नहीं, उन्होंने इसके विरोध में नहीं कहा है। कहा है तो पूरी जनता जानती है, पूरा देश जानता है सौ सवा सौ करोड़ लोग जानते हैं। वही बात

(17.00 बजे)

मैं कह रही हूं। कोई नई बात नहीं कह रही हूं। यहां पर अजीब बात नहीं कह रही हूं। हां, धारीवाल जी को सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे।

श्री सभापति: आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मना थोड़े ही कर रहे हैं। पर जो बात झूठ है, उस झूठ को सौ बार रखकर, आप सच बनाना चाहते हो, तो वह सच नहीं होने वाला। आपने कहा है, इन बिलों में आपने कहा है, देखिए मैं एक बार पुन: आपने जो उद्देश्य लिखे हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। जिस भाषा को कोई भी सरकार इस्तेमाल नहीं करती, केन्द्र सरकार चूंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा है, बीजेपी की सरकार बनाई है, एनडीए की सरकार बनाई है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है और आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि केन्द्र में जो कानून पास होता है, संघीय व्यवस्था है और आपकी यूपीए की चेयरपर्सन बार-बार कहती हैं, संघीय संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है, संघीय संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है। आप ये बिलों को लाकर कौनसी संघीय संस्थाओं पर प्रहार नहीं करना चाह रहे हैं, ये तो बताइये। सबसे बड़ा उदाहरण है, ये संघीय संस्थाओं पर प्रहार करना चाहते हैं। आपने कभी भी देश की एकता और अखण्डता को महत्व नहीं दिया, अपने स्वार्थों को महत्व दिया है। इसलिए यह नौबत आई है इस देश की, नहीं तो इस देश की यह नौबत नहीं आने वाली थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से ये बातें इस बिल में कही गई हैं कि केन्द्रीय अधिनियम भारतीय संविधान की इस अनिवार्यता और इस उद्देश्यों को ध्यान में रखने में विफल रहा है। अब कौनसी चीज को, किस उद्देश्य को ध्यान में रखने में असफल रहा है केन्द्रीय अधिनियम, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है।

एक बात और आप आगे चलकर कह रहे हैं कि कृषि भूमि और बाजार राज्य का प्राथमिक विधायी अधिकार क्षेत्र है। मान लीजिए, यह राज्य का प्राथमिक विधायी अधिकार क्षेत्र है तो अभी सभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, यदि राज्य का अधिकार क्षेत्र है तो राज्य तय करें आज ही कि हम बाजरे की 100 प्रतिशत खरीद राजस्थान में करने वाले हैं। चाहे केन्द्र से कितना भी प्रतिशत हमें आदेश मिले, कितने ही प्रतिशत केन्द्र निर्धारित करे, लेकिन चूंकि यह अधिकार हमारा है, किसान हमारे हैं, इसलिए हम केन्द्र के भरोसे नहीं रहने वाले हैं, हम 100 प्रतिशत बाजरे की खरीद, हम तिलहन की खरीद, हम सरसों की खरीद, राजस्थान की सरकार करने वाली है। तब तो मैं यह मानती हूं कि हां राजस्थान की सरकार का यह अधिकार क्षेत्र है और राजस्थान की सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में जाकर अपनी बातें की हैं और जब करने की

(श्रीमती अनिता भदेल)

बारी आती है तो अब हम नहीं करेंगे, तब तो हम केन्द्र पर डालेंगे और जब नहीं करना होता है तब हम कहेंगे कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र की बातें नहीं हैं। अभी मैंने बहुत सारे सदस्यों को सुना। एक माननीय सदस्य अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे, वे बोल रहे थे कि केन्द्र सरकार ने, जो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, सार्वजनिक सम्पत्तियों को बेचने का काम कर रही है और उन्होंने एक भी परिसम्पत्ति नहीं बनाई है। मैं आपको बताना चाहती हूं, आप इसी सदन में हैं, कोई बहुत पुरानी बातें मैं नहीं करना चाह रही हूं। अभी रघु शर्मा जी ने इतने सारे मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की, ये मेडिकल कालेज केन्द्र सरकार ने दिये हैं, तभी आप घोषणा कर पा रहे हो, नहीं तो आप घोषणा नहीं करते।

माननीय सभापति महोदय, ये साफ झूठ कैसे अंदर तक उतरेगा, आप खुद कल्पना कीजिए। जो चीजें हमारे सामने घटित हो रही हैं, उन चीजों को सीधे-सीधे ही मना कर रहे हैं, मतलब ये अंगुली पर से नाखून उड़ाने की बात है। एक कहावत है न कि अंगुली पर से नाखून तो मत उड़ाइये भाई, ऐसा तो मत करिये।

एक माननीय सभापति महोदय, बार-बार कह रहे हैं कि ये हम कृषि के हित के लिए लाये हैं। माननीय लालचंद जी मंत्री महोदय ने सुबह कहा कि मैं खुद आढ़तिया रहा हूं, इसलिए व्यापारी मेरे पास आये और उन व्यापारियों ने आपत्ति की, तो मुझे मंत्री महोदय इतना-सा समझा दीजिए, जब आप अपना जवाब दें तो इतना-सा समझा दें कि सिर्फ मंडी बंद करने की बात कहीं इन कानूनों में नहीं कही गई है। सिर्फ यह विकल्प दिया गया है कि किसान चाहे तो मंडी में बेचे और चाहे तो बाहर जाकर बेचे तो जो मण्डी में लाइसेंसधारी व्यापारी हैं, वे तो सीमित संख्या में ही हैं, ज्यादा संख्या में तो हैं नहीं, बाहर जो व्यापार करते हैं, उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था से, इस वैकल्पिक व्यवस्था से किसान को ज्यादा आप्शन मिलेगा या सीमित रहेगा? यदि किसान को ज्यादा ऑप्शन मिलता है, ज्यादा व्यापारियों को यह मौका मिलता है खरीदने का तो इससे तो किसान को लाभ है, पर आप किसान के लाभ की चिंता नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो मंडी में व्यापारी हैं, उनके लाभ की चिंता है और उनके लाभ की चिंता को करते हुए, आप किसान के लाभ को दरकिनार कर रहे हैं, किसान के सुख को दरकिनार कर रहे हैं, किसान के आप्शन को दरकिनार कर रहे हैं तो इसका सीधा-सीधा अर्थ यह जाता है कि आप किसान के हितैषी नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ व्यापारी के हितैषी हैं, पर नरेन्द्र मोदी जी जो ये बिल लेकर आये हैं, हमारे तोमर साहब जो बिल लेकर आये हैं, उसमें व्यापारियों का भी कहीं अहित नहीं है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मुझे आप 70 सालों का इतिहास बता दीजिए, जिस इतिहास में किसी ने व्यापार शुरू किया हो और उसको व्यापार में घाटा हुआ हो और उसने आत्महत्या की हो पर किसान की खेती उसका घाटे का सौदा रहा है, इसलिए हजारों किसानों ने आत्महत्या पहले भी की है और आपके समय भी होती रही है लेकिन व्यापारी ने कभी आत्महत्या नहीं की। दूसरे कारणों से उसको घाटा हो सकता है तो ऐसा क्या कारण रहा कि किसान तो आत्महत्या कर रहा है, किसान तो कभी करोड़पति नहीं हो पाया, लेकिन व्यापारी करोड़पति, अरबपति होता जा रहा है तो क्या कारण है इसका? तो इसलिए जो बिचौलिया है या जो व्यापारी है मंडी में, वे मंडी के व्यापारी कोई उत्पादन नहीं करते हैं, सिर्फ जिंस को खरीदकर आगे सप्लाई करने का काम करते हैं तो जो बीच का व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा है, उसको तो कमीशन के नाते से अच्छी आमदनी हो रही है, लेकिन जो वास्तव में मेहनत कर रहा है, वह भी परेशान और जो अंतिम उपभोक्ता है, माननीय सभापति महोदय, वह भी परेशान, क्योंकि बीच का बिचौलिया कमीशन की राशि ले जाता है। इसलिए खरीदने वाले को महंगी और बेचने वाले को सस्ती तो दोनों ओर से ही नुकसान है तो इन दोनों ओर के नुकसान को माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने खतम किया है तो मैं उनको बधाई देती हूं।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कांग्रेस के माननीय सभी सदस्यों से कि हर चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम लोगों के हित में है, जो मैक्सिमम किसान के हित में है, कम से कम उसकी समझ रखते हुए कि यह किसानों के हित में हैं और चूंकि यह बात स्वयं मनमोहन जी ने कही है, स्वयं कपिल सिब्बल जी का भाषण है और मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूं, लाइन जो उन्होंने लिखी है।

"माननीय सभापति महोदय, 9 अप्रैल, 2005 को दिल्ली में एग्रीकल्चर समिट हुआ, उस एग्रीकल्चर समिट में माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा, उन्होंने समिट को संबोधित कहते हुए कहा कि सभी वस्तु एवं सेवाओं के लिए स्थानीय मार्केट को एकीकृत किये जाने हेतु उनकी सरकार प्रतिबद्ध है।" इसके साथ ही चूंकि पहले आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र का उल्लेख कर चुके हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, इसलिए मैं दुबारा उसका उद्धरण नहीं करूंगी, पर मैं इतना कहना चाहती हूं कि सिर्फ विरोध के लिए राजनीति कब तक, कब तक

(श्रीमती अनिता भदेल)

विरोध के लिए राजनीति करोगे। ये जनता आपने देखा है, पहले भी मोदी जी के साथ खड़ी थी, अब भी मोदी जी के साथ खड़ी है और इस तरह से यदि विरोध के तरीके अपनाये जाएंगे तो अब चूंकि लोग समझदार हैं, लोगों में विवेक है, लोग पढ़े-लिखे हो गये हैं, पुराने जमाने के मतदाता नहीं रहे, आप जैसा कहोगे, हम प्रभावी भाषण दे लें, भाषण शैली हमारी अच्छी हो और हम कुतर्क दे लें तो उससे जनता को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मेरा इतना ही निवेदन है। सच्ची-सच्ची बातों को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये जो बिल आप लेकर आये हैं, इन बिलों को जनमत जानने के लिए जनता में, किसानों के बीच में रखना चाहिए, किसानों ने विरोध नहीं किया इस बिल का, इस बिल का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने ही विरोध किया है और कांग्रेस जनता को साथ नहीं ले पाई है। इसी प्रकार से जो एमएसपी की बात कर रहे हैं तो पहले वक्ताओं ने कहा और चूंकि आपको आंकड़े सब मालूम हैं माननीय को-ऑपरेटिव मिनिस्टर को यह आंकड़ा मालूम है, सिर्फ पूरे देश भर में सात प्रतिशत जो फसलें हैं, उनकी ही एमएसपी पर खरीद होती है तो बाकी की फसलें तो अभी भी बिकती हैं न, बाजार में बिकती हैं न, उनकी व्यवस्था आपने क्या की है?

श्री सभापति: माननीय कनक्लूड करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो ये 7 परसेंट फसल के लिए आप इतना हंगामा कर रहे हैं और बाकी की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी की व्यवस्था करें, नये उपबंध करें।

माननीय सभापति महोदय, किसान को जो बिजली की सब्सिडी मिलती थी, वह बिजली की सब्सिडी 800 रुपया आपने बंद की, कौन से किसान हितैषी आप कहलाते हैं। आपने कर्ज माफी की बात की, लेकिन कर्ज माफी नहीं हुई, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे आज भी हैं और अब माननीय सभापति महोदय, इन्होंने किया क्या है कि जो फसली ऋण काश्तकार को मिलता था, जो कृषि भूमि का मालिक होता था, उसको जो फसली ऋण मिलता था, अब आपने नई व्यवस्था की है कि एक परिवार में (समय-समाप्ति -सूचक घंटी) यदि दो लोगों के नाम अलग-अलग जमीन है, कृषि भूमि है तो आप दोनों को फसली ऋण नहीं देंगे। आप सिर्फ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को कर्ज माफी के बाद फसली ऋण देंगे तो यह कहां का न्याय है। राज्य को जो चीजें करनी हैं वह तो आप सीमित करते जा रहे हैं और केन्द्र ने जो किया, उसमें कमी निकालने की कोशिश करें।

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): तो यह गलत परम्परा है। इसलिए मैं इन बिलों का पुरजोर विरोध करती हूं और आपसे निवेदन करती हूं कि आप इन बिलों को वापस लें और जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: माननीय श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने मुझे केन्द्र सरकार जो तीन कृषक बिल लेकर आई और उस पर जो डिबेट हो रही है, उसमें भाग लेने का मौका दिया। सभापति महोदय, बचपन से ही पढ़ते भी आये और बुद्धिजीवियों से सुनते भी आये कि मेहनत का फल मीठा होता है। बचपन में जब अपने माता-पिता को, चाचा, ताऊ, पड़ोसी, गांव वाले किसानों को हाड़ कंपाने वाली सर्दी में पाणत करते हुए देखते, 48 डिग्री टैम्प्रेचर में मेहनत करते देखते तो हम सोचते थे कि सबसे ज्यादा मेहनत देश का किसान करता है तो शायद सबसे ज्यादा मीठा फल किसान को मिलता होगा और हमारे माता-पिता सबसे ज्यादा खुशहाल होंगे। धीरे-धीरे बड़े हुए तो हमने अपने माता-पिता को चिंता में देखा, अभाव में देखा, ग्रामवासियों को अभाव में देखा तो हम कन्फ्यूज हुए कि जब मेहनत का फल मीठा होता है तो भला इतनी मेहनत करने वाले लोग फिर भी क्यों चिंता में, क्यों अभाव में हैं, क्यों कर्जे में हैं। फिर हमने सोचा कि शायद जो नेता लोग हैं वह शायद इनके पक्ष के नहीं होंगे। थोड़े से बड़े हुए तो टीवी देखने लगे, अखबार पढ़ने लगे, चुनावों के पोस्टर देखने लगे तो टीवी पर जिस नेता को भी देखो चाहे वह केन्द्र का हो चाहे वह राज्य का हो, हर कोई नेता चीख-चीखकर कहता कि मैं किसान नेता हूं। चुनाव के वक्त पोस्टर पर लिखा रहता कि लोकप्रिय किसान नेता तो भी मैं कन्फ्यूज होता कि जब सारे नेता किसान नेता हैं, किसान हितैषी अपने आपको बता रहे हैं फिर भी यह किसान खून के आंसू रोता क्यों है। इस किसान की सुनवाई क्यों नहीं होती है। धीरे-धीरे बात समझ में आयी तो मैं समझा कि यह सब घड़ियाली आंसू बहाये जाते हैं और इस किसान को जो हिन्दुस्तान का किसान मेहनतकश, ईमानदार और इनोसेंट है, उसको सिर्फ ठगने के लिए यह बातें बोली जाती हैं बाकी चुनाव जीतने के बाद जो भी नीतियां बनती हैं, वह सब उन पूंजीपतियों के लिए बनती हैं, जो बड़ा भारी-भारी चंदा पोलिटिकल पार्टियों को देते हैं, नेताओं को देते हैं। वह बैठकर नीति बनाते हैं।

(श्री बलजीत यादव)

अभी जो केन्द्र में तीन कृषक बिल आये हैं तो सभापति महोदय, मैंने तीनों बिलों को पढ़ा। मैं पढ़ करके कन्फ्यूज हुआ कि पहला जो बिल था उसमें था कि कोई भी कहीं भी कितनी भी खरीद कर सकता है। कंपनी खरीद सकती है, व्यक्ति कर सकता है तो मैंने देखा यह तो कानून पहले से भी है। कृषि विपणन बोर्ड का डायरेक्टर है, उससे कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेकर के खरीद कर सकता है फिर इस बिल की कहां से आवश्यकता हो गई तो थोड़ी गहराई में गया तो समझ में आया कि उसमें एक लिमिट थी कि मिनिमम आपको बताना पड़ेगा कि इतना तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, उस लिमिट को हटा दिया गया है। फिर मैंने दूसरा बिल देखा कि कांट्रेक्ट पर खेती तो कांट्रेक्ट पर खेती तो पहले से ही हो रही है, फिर यह नया बिल क्यों लेकर आये हैं तो फिर उसकी गहराई में गया तो समझ में आया कि कान्ट्रेक्ट की जो खेती होती थी उसमें जो किसान संगठन थे, किसानों की मांग पर यह चीज हो गई थी कि इसके अंदर सजा का प्रावधान होगा उसमें अगर कान्ट्रेक्ट तोड़ता है कोई कंपनी या व्यापारी तो उसके खिलाफ एक्शन होगा तो उस चीज को हटाने के लिए यह बिल लाया गया है।

फिर मैंने तीसरे बिल को देखा कि यह तीसरा बिल किसलिये आया तो उसमें आया कि इसमें भंडारण की छूट दी जाएगी तो मेरा एकदम से सर उस चीज को लेकर चकरा गया कि भला मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह चीज क्यों हो रही है तो मुझे अच्छे से समझ में आया कि ये तीनों बिल लाये किसलिये गये हैं। 3 बिल तो अलग- अलग हैं बाकी यह सब एक ही बिल है, एक तरह से देखें तो और यह मैं अच्छे से समझ गया। मुझे समझ आ गया कि इस कोरोना में देश बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो गया। जब कहते थे घर बैठ करके खाना खिलाओ तो मेरे देश के किसान ने घर बैठे हुए हिन्दुस्तान की जनता को खाना खिलाया और सब के सब बर्बाद हो रहे हैं और यह अडानी, अंबानी की कई गुना सम्पत्ति क्यों बढ़ गई, यह मेरे को समझ में यह बिल देखकर आया कि यह इसलिये हुआ कि अडानी और अंबानी का पेट नहीं भर रहा है, उनका पेट इतना बड़ा हो गया है, जो सब कुछ खा गये, एयरपोर्ट खा गये, रेल खा गये, देश को खा गये फिर भी भरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अब कहते हैं कि इस किसान को भी जड़-मूल से खाना चाहते हैं इसलिए यह बिल लाया गया है और इस बिल में लाकर के होगा क्या, सभापति महोदय, जैसे मेरे कई साथियों ने बताया कि जियो आया

(श्री बलजीत यादव)

कि फ्री में आपको नेट दिया जाएगा। फ्री में आप बात करिए और जो एयरटेल जैसी दूसरी स्थापित कंपनियां थीं, उन सब को भी खा गया और आकर पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया और फिर कह दिया कि अब पैसे देने पड़ेंगे। लोगों को मजबूर कर दिया। यही होगा कि मंडियों को बर्बाद कर दिया जाए क्योंकि मंडी में कम्पीटिशन होता है। मंडी में जब फसल लेकर किसान जाता है तो वहां पर और भी व्यापारी होते हैं, बोली लगती है। एक व्यापारी बोली लगाता है, दूसरा भी लगाता है, तीसरा भी लगाता है तो प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा से उसको ठीक से रेट मिल जाती है तो जब यह सब हो जाएगा तो मंडियां खतम हो जाएंगी, सब चीज खतम हो जाएगी और फिर यह जो बड़े लोग हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, किसान के पास इतना पैसा नहीं है, छोटे आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि भंडारण कर सके, वह वेयरहाउस बना सके, वह कोल्ड स्टोरेज बना सके और अडानी, अंबानी आयेंगे और सब कुछ खरीद लेंगे। वेयरहाउस बड़े-बड़े बना देंगे और कहेंगे मंडी से ज्यादा पैसे में खरीद रहे हैं और जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब भंडारण कर लेंगे पूरे देश का अनाज सब कुछ कर लेंगे, फिर कहेंगे अब मुंह मांगी रेट पर इसको मार्केट में बेचेंगे और आपको लेना पड़ेगा, जनता को लेना पड़ेगा और वह प्रोफिट कमाएंगे इसलिए इस भंडारण की शर्त को हटाया गया है।

मैं कहना चाहता हूं कि मेरे राजस्थान की जनता ने, आपने मांगा केन्द्र के लिए हमारे को 25 की 25 सीट तो मेरे राजस्थान की भोली-भाली मेहनतकश जनता ने 25 की 25 सीट जिता करके आपको दे दी, ऐसे-ऐसे लोगों को जिता दिया एमपी में, जो जीतने के बाद जनता को गांव में जाकर जीत का धन्यवाद देने तक आज तक नहीं आये। गांव के अंदर जनता ढूंढ रही है उनको लेकिन उनको रिकार्ड मतों से जिता कर भेज दिया इस आशा में कि शायद हमारे लिए कुछ होगा। उन्हें बड़े-बड़े सपने दिखाये गये थे लेकिन आज वह जनता ठगा सा महसूस कर रही है। आप लोग यह कहते हैं कोई विरोध नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। यह इनोसेंट मेहनतकश परेशान लोग हैं, 2 जून की रोटी कमाने के लिए दिन-रात भागदौड़ कर रहे हैं, छोटे-छोटे किसान हैं 2 बीघा 4 बीघा वाले। वे चिंता में हैं बेटे की फीस कैसे भरूं, बिजली का बिल आ गया बिल कैसे भरूं, वह संघर्ष में जुटा हुआ है कि मेरी इज्जत को कैसे बचा लूं। आप उससे सड़क पर आकर कहते हो कि जंग लड़कर बता। आप पावरफुल लोग हैं, वह बेचारा आपसे नहीं लड़ सकता, जंग नहीं लड़

(श्री बलजीत यादव)

सकता लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपसे जंग नहीं लड़ सकता है तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। नहीं कटने दी जाएगी उसकी गर्दन और आपको वहम हो सकता है। वहम हुआ था नंद वंश को भी कि कोई यह चाणक्य जो आया है यह मेरे सिंहासन को नहीं हिला सकता। यह चंद्रगुप्त है, यह मेरे सिंहासन को नहीं हिला सकता लेकिन उनको धूल चटा कर मिट्टी में मिलाया। इस बात का इतिहास गवाह है इसलिए किसी भी व्यक्ति को यह अहंकार नहीं होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कभी शरीफ आदमी को कम करके नहीं आंकना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है कि शरीफ आदमी, मेहनतकश आदमी, ईमानदार आदमी जिस दिन वह जग गया और जिस दिन उसने ठान लिया लड़ने के लिए तो फिर यह जो ढोंग करके बनने वाले लोग हैं, उनकी औकात नहीं है कि उनके सामने क्षण भर भी वह मुकाबला कर ले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं सभापति महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में जितना बाजरा पैदा होता है उसका 41.3 परसेंट बाजरा राजस्थान स्टेट अकेला पैदा करता है लेकिन मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि कोई भी यहां विधान सभा में भी इस बात की चर्चा नहीं करता कि जो मुख्य फसल है हमारी राजस्थान की, उसको एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदा जा रहा है और अब लोगों ने कहा कि चिट्ठी नहीं लिखी, वह नहीं लिखी। सिर्फ एक बार 2016 में जब खराब हो गया था तो दबाव पड़ा तो एक बार बाजरा खरीदा गया नहीं तो पहले भी बाजरा नहीं खरीदा गया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खतम कर रहा हूं, सभापति महोदय, 2 मिनट लूंगा। पहले भी नहीं खरीदा गया इसलिए कोई कभी इस बात की किसी एमपी को मैंने आवाज उठाते लोक सभा में नहीं देखा कि वहां पर वह कहते कि राजस्थान में बाजरे की फसल है उसको एमएसपी पर खरीदा जाए। एमएसपी पर उस बाजरे की रेट 2,125 रुपये रेट है और, सभापति महोदय, बाजरा मार्केट में 1,200 रुपये क्विंटल बिक रहा है। मतलब लगभग डबल रेट में अगर वह बिकता तो किसान को कितना फायदा होता। किसी ने उसकी चिंता नहीं की और इतने घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। कोई नीरव मोदी लेकर भाग रहा है, कोई विजय माल्या लेकर भाग रहा है। हजारों करोड़ रुपये लेकर भाग गये। लाखों करोड़ रुपये उनके माफ कर दिए जाते हैं लेकिन किसान की कोई सुध नहीं है। अच्छा होता केन्द्र सरकार कहती कि यह किसान है, बहुत मजबूर है इसकी स्थिति को सुधारना है तो जो भी कृषि के उपकरण हैं उनके ऊपर जीएसटी खतम की जाएगी और जो किसान है उसका बिजली का बिल आधा चाहे केन्द्र

(श्री बलजीत यादव)

सरकार देगी और आधा राज्य सरकार देगी। अपन फ्री बिजली किसान को देंगे तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती लेकिन किसान का कोई सुधार करना नहीं चाहता। हर कोई किसान को चुपचाप बहका करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है और अगर ऐसा नहीं होता तो अडानी, अंबानी की सम्पत्ति कई गुना नहीं बढ़ती। यहां जितने भी मेरे साथी बैठे हैं एक भी साथी बता दे कि आपके आस-पड़ोस, आपके मित्र, रिश्तेदारों में किसकी सम्पत्ति साल के अंदर बढ़ी है? कोई भी बता दे। हर आदमी की सम्पत्ति गिरी है, हर आदमी बर्बाद हुआ है फिर अडानी, अंबानी में कौन सी चीज है कि उनकी सम्पत्ति कई गुना बढ़ती जा रही है? ऐसा कौन सा वे कहां से पैदा हो गये कि सब कुछ उनका बढ़ता जा रहा है लेकिन मैं समझा हूं कि सरकारें नीतियां ऐसी बनाती हैं कि उनको मालामाल कर दिया जाता है और गरीब आदमी, मेहनतकश आदमी के खून को चूस लिया जाता है।

सभापति महोदय, जब नोटबंदी हुई थी तो गरीब जनता को, मेहनतकश जनता को सपना दिखाया गया था कि नोटबंदी होने के बाद अमीर और गरीब के बीच की खाई पाट दी जाएगी। अमीर और गरीब बिलकुल बराबर हो जाएंगे, लेकिन उस नोटबंदी को बंद हुए इतना समय हो गया, उसके बाद उस गरीब की तो बावड़ी नहीं, वह गरीब तो और गरीब होता चला गया और बर्बाद होते चला गया और अडानी और अंबानी की सम्पत्तियां कई गुना बढ़ती चली गईं। इसलिए अब जनता के समझ में आ गया है कि वह नोटबंदी किसलिए की गई थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं, मैं तो विपक्ष से भी प्रार्थना करता हूं, प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश की इमोशनल जनता ने आपको अपेक्षा से कई गुना ज्यादा समर्थन दिया है, आप उसकी भावनाओं से नहीं खेलें और जो यह आपने कानून बनाया है, यह गलत बनाया है और आपको लग रहा है कि जनता समझेगी नहीं, मेरे विपक्ष के साथियों को लग रहा है कि जनता समझेगी नहीं। आप ग़लतफ़हमी में हैं, यह जनता सब चीजों को समझेगी और इस आने वाले खतरे को आप देख लीजिए, नहीं देखा तो आगे जो जनता के साथ होगा, आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी कि यह काला कानून बन रहा था लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इसलिए हो सकता है मेरा बोलना, मेरा प्रयास, चाहे आंदोलन करना पड़ा तो मैं वह भी करूंगा, मेरा प्रयास हो सकता है सागर में बूंद के जैसा ही हो लेकिन मैं फिर भी करूंगा। मैं उस चिड़िया की तरह करना

(श्री बलजीत यादव)

चाहता हूं कि जंगल में एक बार आग लग गई तो एक चिड़िया चोंच में पानी भर-भरकर लाकर आग को बुझाने के लिये आग पर डाल रही थी। दूसरे जानवरों ने पूछा आग इतनी भयानक है और एक चिड़िया जरा सा पानी लाकर इस आग को कैसे बुझा देगी।

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): तो उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं हो सकता है मेरे करने से यह आग नहीं बुझे लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि आग लगी तो किस किसने आग बुझाने का प्रयास किया, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं जो भी सदस्य इसका विरोध करेगा, इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा कि वह किसान के पाले में खड़ा था, व्यापारियों के पाले में नहीं खड़ा था और निश्चित रूप से मानकर चलिए कि देश की जनता जागेगी और यह अडानी, अंबानी के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी, यह मैं कहना चाहता हूं। किसान के बेटे को नौकरी नहीं दे सकते। किसान की फसल खरीद नहीं रहे हैं, उसको रेट नहीं दे सकते हैं और फिर भी उसको बर्बाद करने में लगे हैं।

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): कितनी ही भर्तियां पैंडिंग पड़ी हैं, उनको नहीं कर रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार से भी मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार नहीं खरीद रही है तो आप खरीदें लेकिन बाजरे की फसल को एमएसपी रेट पर खरीद शुरू करें। सभापति महोदय, जब सारी फसल बिक जाती है तब एमएसपी पर खरीद चालू होती है। क्या यह सरकार को पता नहीं है, क्या सरकार में बैठे सारे के सारे लोग मंदबुद्धि हैं कि यह फसल इस टाइम पर आती है, डेट निश्चित कर दी, आप फसल लाइए, बेचिए, हम खरीदेंगे लेकिन सारी फसल बिक जाती है तो ढकोसला करने के लिए उसको खरीदा जाता है।

श्री सभापति: माननीय श्री मदन प्रजापत। प्लीज आप कनक्लूड कीजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): और वह भी एक लिमिट में खरीदा जाता है। इसलिए किसान के साथ इतना ज्यादा अन्याय मत करो, इतना ज्यादा अत्याचार मत करो कि आपको नरक में भी जगह न मिले, ऐसा कृत्य मत करो, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज पूरे दिन अन्नदाता और किसान के बिल के पक्ष में और विरोध में जो बातें हुई आज किसान विरोधी केन्द्र सरकार ने जो किसानों के साथ कुठाराघात किया है, धोखा किया है, उस किसान विरोधी बिल की मैं घोर निंदा करता हूं, विरोध करता हूं और राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने किसान की पीड़ा को समझते हुए जो संशोधन विधेयक आज पेश किये जिस पर जो आज चर्चा हो रही है, मैं इनका समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं सुन रहा था, सबसे पहले मैं बहन अनिता जी की गणित की तारीफ करता हूं। 70 साल, 70 साल बोल रही थीं, उसमें अटल जी ने भी शासन किया है, औरों ने भी किया है, क्या मोदी जी के शासन को भी कांग्रेस में मान रहे हैं। शायद उनका गणित तारीफ के लायक है। माननीय सभापति महोदय, भाइयों और बहनों किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, मुझे समझ में नहीं आता, क्या थाली बजाने से और ताली बजाने से किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाएगी इस तरह से जो विधेयक पेश किये जा रहे हैं, मेरा खुला आरोप है, यह अंबानी, अडानी को फायदा देने के लिये ऐसे कानून बनाये जा रहे हैं, यह किसान विरोधी हैं। मैं भगवान से कामना करता हूं इनको सद्बुद्धि दे। आज बात आ रही है कि किसान को मालिक बनाया जाएगा। जब देश आजाद हुआ कांग्रेस के शासन में नेहरू जी से लेकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किसान को जमीन का मालिक बनाने का काम किया। किसान को जमीन का मालिक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वह कांग्रेस ने किया है। आज मैं उन महान व्यक्तियों को याद करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल, गुजरात के दो महान व्यक्तियों ने आजादी दिलाई और अंग्रेजों को भगाया। आज व्यापारियों और पूंजीपतियों के इशारों पर केन्द्र सरकार कठपुतली बनकर नाच रही है। रेल उनके हाथ में है, हवाई जहाज उनके हाथ में है, बंदरगाह उनके हाथ में है। मैं पूछना चाहता हूं जब एफडीआई लाई गई तब घोर हल्ला मचाया गया, घोर विरोध किया कि देश को बेचा जा रहा है। आज वर्तमान में क्या हालत है? आज मनमोहन सिंह जी की जो बार-बार तारीफ कर रहे थे, उन्होंने किसानों के समर्थन में यह कहा था, हम तो कह रहे थे मनमोहन सिंह जी ने अच्छा शासन किया। आज बार-बार यह भी बात आ रही है 60 साल क्या किया? 60 साल में जो कांग्रेस ने शासन किया, 60 साल में किसान और आम जनता अंगुलियां ऊंची कर रहे हैं कि है भगवान,

(श्री मदन प्रजापत)

इनसे छुटकारा कब मिले। आज एक बात और भी आ रही थी। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राठौड़ साहब कह रहे थे कि आपको क्या अधिकार है, आपको क्या अधिकार है। राजस्थान में राजस्थान की विधान सभा को अधिकार नहीं तो क्या दिल्ली में बैठी स्मृति ईरानी को अधिकार है? राजस्थान की जनता के हित में फैसले लेने का अधिकार है तो वह राजस्थान की विधान सभा को है। माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक शर्मा जी कह रहे थे आपके हाथ में क्या है? राज्यपाल जी के साइन होंगे, राष्ट्रपति जी के पास जायेगा।

(17.28 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

हम भी जानते हैं यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति ने कहा कि जो मैंने कह दिया वह सही है, यह जरूरी नहीं है। हम भी जानते हैं कि यह प्रक्रिया के तहत जाएगा। आप पहले कैसे कह सकते हो कि यह कानून का रूप लेगा या नहीं लेगा? इससे हमें शक जाहिर होता है। क्या आपके हाथ में है? क्या लोकतंत्र, कानून आपकी जेब में है या राज्यपाल जी आपके इशारे पर साइन कर रहे हैं? यह हमारा खुला आरोप है, आप विधान सभा में पहले यह कैसे कह सकते हैं कि यह कानूनी रूप लेगा या नहीं लेगा। यह हमारा खुला आरोप है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को हनन करने का काम किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंबानी और अडानी की कठपुतली बनकर, वह माल जो कहीं भी बेच सकता है, आज किसान 50 किलोमीटर दूर जाने से डरता है। कहां जाएंगे, बिकेगा, नहीं बिकेगा और आज यह कह रहे हैं कि बाहर बेच सकते हैं, अंदर बेच सकते हैं। मंडी का जो भी टैक्स लगेगा तो मंडी खतम हो जाएगी और बाहर दूसरे दिन जैसे 4जी, 5जी और रिलायंस ने पहले नशे की लत की तरह युवा पीढ़ी को आदी किया, मोबाइल फोन हाथ में दे दिया, आपको फ्री में बैलेंस दिया जाएगा और फिर धीरे-धीरे इस नेट पर रिलायंस ने जो कब्जा जमाया है, इसी तरह हमारा आरोप है रिलायंस के रिटेल आउटलेट पर, रिटेल किराना और खाद्य सामग्री पर कब्जा जमाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और आ रही थी कि यह दिल्ली के नेताओं को खुश करने के लिए किया जा रहा है। जब गांधी जी, नेहरू जी

(श्री मदन प्रजापत)

का नाम आता है तो आपके पेट में दर्द होता है। कभी शान्ती धारीवाल जी का नाम आता है तो आपके गुदगुदी और दर्द होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं क्या आप मोदी जी को खुश करने के लिए जानते हुए भी आज जो अनजान बन रहे हैं, किसान के हित में क्या है, किसान के हित में कौनसा कानून है, उसके उपरांत भी, यह नई बात क्या है, अपने हाई कमान की बात अनुशासन में दुनिया और हर पार्टी मानती है, यह कौनसी नई बात हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अच्छे दिन का सपना दिखाया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, दो लोगों को छोड़कर बाकी को रोटी खाने तक नहीं दूंगा, वर्तमान में देश में यह हालात हो रहे हैं। मात्र अंबानी, अडानी के अलावा देश की तमाम व्यवस्था खराब हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंडअप।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज संशोधन विधेयक लाये हैं, उसके लिए मैं कांग्रेस सरकार का और माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने किसानों की पीड़ा को समझा और मैं समर्थन करता हूं और केन्द्र के काले कानून की घोर निंदा करता हूं, विरोध करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रात: काल से तीनों विधेयकों पर चर्चा हो रही है, इसमें ऐसा किसी ने नहीं बताया कि ये बिल लाये तो हैं, लेकिन इसको लागू कैसे करेंगे? लागू करना इनके हाथ में नहीं है। भारत में संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे में इनका कहीं विश्वास नहीं है। संघीय ढांचे में स्पष्टता है कि केन्द्र सरकार ने जो विधेयक पारित किये, उसके विरुद्ध यदि कोई विधान सभा विधेयक लाती है तो उसमें राज्यपाल से स्वीकृति चाहिए, राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। राष्ट्रपति जी ने जब विधेयकों पर साइन किये, 27 सितम्बर को, उसी के खिलाफ वाले विधेयकों पर कैसे साइन करेंगे? यह केवल एक सस्ती लोकप्रियता, केवल मोदी का विरोध करना है, इसके लिए बिल लाये हैं और साथ ही, शायद इनका विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है। इन बिलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गये हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने देते, उसकी प्रतीक्षा करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे। हम तो

(श्री वासुदेव देवनानी)

केवल मोदी का अंध विरोध करेंगे और कह रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान कहां आंदोलन कर रहे हैं? जब आपके नेता पंजाब गये, ट्रैक्टर पर बैठकर रैली निकाली तो उस ट्रैक्टर में सोफा लगाया गया था। ट्रैक्टर में क्या कभी सोफा लगता है? सोफा लगाकर आपने किसान विरोधी रैली निकाली। आप उन नेताओं के इशारे पर आज बिल लाए हो, जिनको यही नहीं पता कि आखिर हरी मिर्च पैदा होती है या लाल मिर्च पैदा होती है। किसानों को कह दिया कि लाल मिर्च पैदा करो। किसानों को कह दिया आलू पेड़ पर उगते है। ऐसे आपके नेता हैं। आलू से सोना निकलता है। इस प्रकार की जो बातें करते हैं, उन नेताओं के इशारे पर यदि आप यह विधेयक लाए हो तो निश्चित रूप से आपके ये विधेयक केवल जनता को भ्रमित करेंगे, इससे किसानों का किसी भी प्रकार का कोई हित होने वाला नहीं है। किसानों के हित में जब मोदी जी ने प्रयत्न शुरू किये और उससे शायद आपको पेट में दर्द होने लगा।

मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि किसान के कृषि बजट में आपके समय से 35.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपके समय 16.38 करोड़ किसान सॉयल हैल्थ कार्ड बने। माइक्रो इर्रिगेशन में 39.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि यंत्रीकरण का बजट 1248 परसेंट बढ़ा है। आप बताइये कि आपने क्या कभी बजट बढ़ाया? बीमित किसानों की संख्या जो आपके समय 6.66 करोड़ थी, वह बढ़कर 13.26 करोड़ हो गयी अर्थात् दोगुनी हो गयी। आपको किसानों का भला करने के लिए किसने रोका था? मोदी जी आये, इन्होंने किसान सम्मान निधि लागू की, जिसके आधार पर 10.2 करोड़ किसानों को 94 हजार करोड़ रुपये की राशि उनके खातों में जमा की। किसान पेंशन योजना लागू की। आप इतने दिनों तक किसानों के आधार पर केवल वोट लेते रहे और किसानों के बारे में कहते रहे, लेकिन किसान, जिसको अन्न दाता कहते हैं, उसकी चिंता करना आपके स्वभाव में नहीं है। 70 साल तक, अधिकतर राज तो आपने किया है। इस राज के दौरान आपने क्या किया? इसका कोई जवाब नहीं। कृषि को आपने कभी भी अर्थ प्रधान बनने नहीं दिया। किसान गरीब का गरीब रहे, यह आपका पूरी तरह षड्यंत्र था, आपको वोट मिलते रहे, आप राज करते रहो, लेकिन जब से मोदी जी आये हैं, तब से आप सबको कष्ट होने लगा है, ये मोदी जी तो जम जाएंगे। मोदी जी तो जमे हुए हैं, आपको दस-बीस साल तक तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और ये कानून तो जो मोदी जी ने बनाये हैं, वही लागू होंगे। किसानों की आय दोगुनी होगी और आप केवल देखते रह जाएंगे और

(श्री वासुदेव देवनानी)

इस प्रकार का नाटक करते रहेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है।

आपको कष्ट क्या है कि बिचौलियों से किसानों को बचाया जा रहा है। बिचौलियों का समर्थन क्यों कर रहे हो? अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आया। अगर बिचौलियों को बंद करके किसान के लिए एक बाजार खोल देते हैं, एक देश, एक बाजार, उसमें कष्ट है, इसलिए आपका एक देश में विश्वास ही नहीं है। आप तो केवल इस देश के टुकड़े करने में तुले हुए हो। पहले देश के टुकड़े किये, उसके बाद आपने कश्मीर के टुकड़े किये, उसके बाद आपने जयपुर नगर निगम के टुकड़े किये, ये टुकड़े करना आपका स्वभाव रहा है। आपने कभी भी किसानों का हित नहीं सोचा, बाजार केवल आपने मंडी तक सीमित रखा। उसमें कहीं पारदर्शिता नहीं, खरीददार सीमित कर दिया, मंडी तक सीमित रखा, स्थानीय माफियाओं के आधार पर छोड़ दिया, लेकिन कभी भी आपने नहीं सोचा कि किसान कहीं भी जाकर अपनी उपज इच्छानुसार बेच सकता है। आप तो अपनी इच्छानुसार काम कर सकते हो। व्यापारी कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकता है, लेकिन किसान को यह छूट नहीं देंगे। क्यों? ताकि किसान आपके हाथ में दबा रहे। यह कभी भी नहीं हो सकता। निवेश आएगा तो वहां पर स्टोरेज बनेंगे, परिवहन की व्यवस्था होगी, एग्रो इंडस्ट्रीज की सुविधा होगी, मार्केट अनुसार किसान खेती कर पाएंगे। लेकिन आप यह नहीं चाहते कि यहां कोई आये। टमाटर सस्ते आयें तो बिक जाएं, सेव दस रुपये में तो बिचौलिये खरीदते हैं, यहां पर आकर 25 रुपये में आते हैं, मार्केट में जो उपभोक्ता है, उसको 100 रुपये में मिलता है। इस प्रकार की आपने जो स्थिति डवलप की, उसमें आपको यह पसंद नहीं आया।

एमएसपी की बात करते हैं, जब प्रधान मंत्री जी ने लोक सभा और संसद में कह दिया कि एमएसपी रहेगी। आपके समय की बात है, आपको ध्यान होगी, एमएसपी में कितनी वृद्धि 2014 में मोदी जी के आने के बाद हुई है। गेहूं 41 परसेंट, धान 43 परसेंट, मसूर 73 परसेंट, उड़द 40 परसेंट, मूंग 60 परसेंट, सरसों 52 परसेंट, चना 65 परसेंट, मूंगफली 32 परसेंट, इतनी सारी एमएसपी में वृद्धि की है, तब भी आपको संतुष्टि नहीं होती है। आप कभी किसानों का भला नहीं सोचते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये जो बिल आये हैं, ये किसानों के हित में

(श्री वासुदेव देवनानी)

केन्द्र सरकार ने पारित किये हैं। आप जो बिल लाये हो, केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए लाये हो, यह केवल पंजाब और राजस्थान कर रहे हैं, बाकी किसी राज्य में कहीं कोई दिखा नहीं, सब जगह सराहना है। राजस्थान में भी पांच हजार से अधिक किसान चौपालें हमने आयोजित की हैं और सब जगह किसानों का समर्थन मिला है। यह केवल मोदी जी के लिए अराजकता का वातावरण खड़ा करना, देश की आर्थिक स्थिति को खराब करना, यह भी एक षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं वाइंडअप कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि मैं इन तीनों बिलों, जोकि राज्य सरकार ने रखे हैं, उनका विरोध करता हूं। केन्द्र के बिलों का समर्थन करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि जरा, अपनी अंतरात्मा से हां या ना कहना, आपकी अंदर की आत्मा कह रही है कि यह बिल सही है। चूंकि राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे, सोनिया गांधी नाराज हो जाएंगी, केवल इस आधार पर आप यह बिल लाये हैं और समर्थन कर रहे हैं। जरा, अन्तरात्मा को जगाएंगे तो आप भी मोदी जी के बिलों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संशोधन विधेयक, 2020 का समर्थन करती हूं। जो भी हम यहां बोल रहे हैं, राजस्थान के एक किसान की आवाज के रूप में बोल रहे हैं जिसे अन्नदाता कहा जाता है, जो जग का पालन-पोषण करने वाला है। ईश्वर के बाद अगर इस धरती पर कोई पालन-पोषण करने वाला है तो वह किसान है और भारत देश, कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान रहा है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि प्रधान देश को, किसान को अधीन बनाने का काम किया जा रहा है। देश के सम्माननीय प्रधान मंत्री जी ने ऐसा कानून बनाया, जो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को लाभ देने का काम करेगा और इसका उदाहरण है कि जब कानून बनने वाला था, उससे पहले ही अडानी और अंबानी ने जमीनें खरीदकर कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस बनाने का काम शुरू कर दिया

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

था। यह किस तरह का कानून है? किसान को बर्बाद करने का और उद्योगपतियों को आबाद करने का कानून है। देश के प्रधान मंत्री जी जब भाषण देते हैं तो किसानों को अपने शब्दों के झूले में झुलाते हैं और झूले में झुलाकर कहते हैं कि किसान भाइयों आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किससे दोगुनी हो जाएगी? ये तो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं, किसान न तो अपनी मर्जी से फसल अपने खेत में उगा सकता है, न उसका मूल्य निर्धारित होगा, जो फसल खेत में लगानी है, वह भी कंपनी निर्धारित करेगी और उसका मूल्य भी कंपनी निर्धारित करेगी।

अगर किसान को कोई शिकायत है तो वह अपनी बात भी नहीं रख सकता। इस तरीके का यह काला कानून बनाया जा रहा है। अभी जैसे चर्चाएं चल रही हैं, इतने बड़े दिल के प्रधान मंत्री है, तो क्यों नहीं जैसे भारत सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ किया था, पूरे भारत देश का। क्यों नहीं, देश के प्रधान मंत्री जी पूरे भारत देश के किसानों का कर्जा माफ करते? ऐसे आपातकालीन कोविड में तो कम से कम माफ करते तो क्यों नहीं देश की जनता उनको धन्यवाद देती। लेकिन नहीं, किसान के हित की बात नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ भाषण के झूले की बात करनी है। इसके अलावा किसान के हित की बात नहीं करनी है। अगर कानून में करना ही था तो एक शब्द जोड़ते कि पूरे मेरे भारत देश के सम्पूर्ण किसानों को बिजली के कनेक्शन फ्री दिये जाएंगे। क्या एक भी बिजली की चर्चा है? क्या एक भी किसान के बच्चों को किसी चीज में फायदा देने की चर्चा है बिल में? क्या किसी एक में भी किसान के कर्जे की चर्चा है या किसान के खेत की भलाई की चर्चा है? नहीं, कोई मतलब नहीं है इससे। मेरे देश के उद्योगपतियों को किस तरह से उद्योगपति बनाया जाए, ये काम किया है। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री सम्माननीय जवाहर लाल नेहरू जी ने भूमि सुधार कानून बनाया था जिससे भारत के किसानों को मालिकाना हक मिला था। उससे किसान ऊपर उठा था, उससे किसान स्वयं सेठ हुआ था, मालिक हुआ था। विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन किया था जिससे एक गरीब व्यक्ति को अपना मालिकाना हक मिला। क्या ऐसा कानून बनाते हुए देश के प्रधान मंत्री को शर्म आ रही थी? लेकिन नहीं, जगह ही नहीं है देश के किसान के लिए। कृषि मंडियां हो, कोई समर्थन मूल्य निर्धारित हो, मंडी यार्ड बनाना हो, निजी मंडी क्रय-विक्रय समितियां जिससे किसान की अगर खेत में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

काम करते वक्त मृत्यु हो जाए तो उसे मुआवजा मिलता है। लेकिन नहीं, इस तरीके का नहीं। किसान अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी-ब्याह के लिए एडवांस लेता है। मोदी जी से पूछा जाए कि भारत देश का पल्लेदार कहां जाएगा? वह भी एक किसान है लेकिन उनके दिल में कहीं जगह नहीं है। रोजगार के लिए युवा कहां जाएगा। रोजगार की बात की थी, वह भी नहीं। किसान की दुगनी आय की बात की थी, वह भी नहीं। काला धन लाने की बात की थी, वह भी नहीं। महंगाई को जड़ से खतम करने की बात की थी, वह भी नहीं। किया तो क्या किया? किसान के ऊपर काला कानून लादा, नोटबंदी की, खुद की पार्टी के सांसद भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन नहीं। ऐसे देश के नेताओं की आवाज कह रहे हैं, राहुल जी के आदेश पर। जनता के किसान, खेत और खलिहान, गांव और ढाणी के बैठे किसान की आवाज है ये। ये आवाज आप जैसे नेताओं की नहीं है जो सिर्फ भारत के नेता बैठे रहते हैं, दिल्ली में। एक फरमान जारी करते हैं अंधेरे में, अंधेरे का कानून बनाते है देश के प्रधान मंत्री महोदय। बड़ी शर्म की बात है और उसके लिए कहते हैं कि ऐसे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड-अप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वाइंड-अप कीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में हो, चाहे राज्य में हो कोई भी असामाजिक अगर काम हुआ है तो उसका उत्तरदायित्व बीजेपी सरकार का है। आज चाहे गुर्जर बैठे हैं, वह भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही ऐसा हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने तो जो भी दिया एक परसेंट दिया, पांच परसेंट दिया, सब कुछ भला किया। आपने ऐसी स्थिति पैदा की, उसकी जिम्मेदार बीजेपी पार्टी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हिम्मत है तो नवीं सूची में डलवा दो आप। यहां भाषण देते हैं। धन्यवाद साहब।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जितने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भाषण माननीय सदस्यों ने दिये, मैं यह नहीं समझ पाया कि कौनसी लाइन में आप जिस बात का विरोध कर रहे हैं, वह इस बिल में जो केन्द्र ने पेश किया, उसमें लिखा हुआ है। कृपा करके आपमें से कोई भी उस लाइन पर मार्क कर दें कि इस लाइन से यह अर्थ निकल रहा है जिसमें अंबानी और अडानी आ रहा है। मैं नहीं समझ पाया, मतलब हमारे दिल और दिमाग पर केवल जो पब्लिकली भाषणों में आता है, उसी को यहां आधार बनाकर दिया है।

मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि केवल और केवल एक हिन्दुस्तान में किसान है जो बाजार में नीलाम होता है 70 साल की आजादी के बाद। बटन बनाने वाला अपने बटन की कीमत तय करता है, पेन बनाने वाला पेन की कीमत करता है, साबुन बनाने वाला साबुन की कीमत तय करता है, जूते बनाने वाला जूते की कीमत तय करता है। हर आदमी हिन्दुस्तान में अपने द्वारा बनाये हुए सामान की कीमत तय करता है लेकिन भगवान के लिए जिसको अन्नदाता कहकर सम्मानित करते हैं, वह अन्नदाता 70 साल के बाद भी आपके, मेरे, सबके इस लोकतंत्र में रहने के बाद 15-16 सरकारें बनाने के बाद भी बाजार में नीलाम हो रहा था या नहीं हो रहा था?

देश के प्रधान मंत्री को पहली बार इस बात के लिए, कारण क्या है कि जब नीलामी का वहां ढेर लगा है तो ढेर में जो बोली बोलती है, वही है। वह घर से सोचकर जाता है क्या कि मैं घर वापस लौटूंगा तो मुझे इस ट्रक का या मेरी इस गाड़ी का जो सामान उतरेगा उसकी कीमत कितनी होगी? मैं सोचता हूं कि केवल इसको हिलाने से नहीं चलेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं ये जो कानून बनाया है, वह कोई मोदी जी को एक दिन में सपना नहीं आया कि उन्होंने आते ही कानून बना दिया। दुर्भाग्य हमारा और देश का कि देश के नेताओं ने जब से लेकर के इसके बारे में सोचना शुरू किया, तब से लेकर के आज दिन इसकी जो दुर्गति आप लोगों के कारण से बनी रही, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि 18 नवम्बर, 2004 को स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था, वह कार्यकाल किसका था? मनमोहन सिंह जी का था या नहीं था? 2006 के अक्टूबर में उन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी, उस समय राज किसका था? मनमोहन सिंह जी का था या नहीं था? उसे लागू करना या नहीं लागू करना, ये किसका काम था? 2004 से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकर 2014 तक सरकार में रहने के बाद, मेरे हिसाब से मैं इस सदन में जब से मैम्बर हूं, चाहे सदन में पक्ष में रहा या विपक्ष में रहा, जो भी बोला वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। अब आपने इस बिल को पढ़ा है, जो केन्द्र ने दिया है? उसमें ये ही सब बातें हैं या नहीं? आपको याद है या नहीं है तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं। पहला, आपने देखा होगा ये जो आपका एमएसपी के उपार्जन का फायदा तत्काल मिल सके, वर्तमान में भी पंजा, मतलब जो सामान वह मंडी में बेचकर आता है, उसका उसे तुरंत पैसा मिल जाए। इसके बारे में व्यवस्था करने का उनका सुझाव था और उनका ये कहना है। आज भी आप पता कर लेना जो पंजाब में आपने बिल पास किया है, वहां आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा हुआ पैसा सरकार ने उस किसान के खाते में देने का अभी तक प्रोविजन नहीं रखा है। पहले सरकार के खाते में आता है फिर उसके बाद में जाता है। पंजाब में किसानों के खाते में सीधा नहीं जाता।

अनाज और व्यावसायिक फसलों पर अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली को रिव्यू किया जाना चाहिए। यही रिव्यू किया। यही प्रस्ताव है। इसके बाद तीसरा है उनका अनिवार्य मंडी टैक्स - भगवान के लिए बिल को पढ़ो। मैंने पहले दिन भी जो कमेंट किया था, मंत्री जी चाहे आप हो, आप तीन मंत्री बोले हैं, मैं ईमानदारी से, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं परंतु किसी ने भी इसको पढ़ने की कोशिश नहीं की कि जिन बातों को लेकर के इस बिल की रचना की है, वह आपके शासनकाल में 2004 से लेकर प्रारम्भ हुई जो अब तक चल रही है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। अनिवार्य मंडी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि मंडियों में उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल पर सर्विस चार्ज लिया जाना चाहिए, यह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी। एक राष्ट्र, राष्ट्रीय बाजार होना चाहिए। ये इन बिलों में है या नहीं है, तीनों जो केन्द्र ने पेश किये।

संविदा खेती के माध्यम से मार्केट लिंकेज स्थापित किये जाने चाहिए, यह संविदा खेती का उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में है या नहीं? मैं सोचता हूं कि किसानों के हित के लिए जिस शरद जोशी ने जिन्दगी भर तक आंदोलन किया और श्वेतकारी संगठन के माध्यम से उसने इस बात को बराबर रखने का प्रयास किया। उसका जो भाव है वह मैं आपको पढ़ रहा हूं। किसान व्यापारियों के एकाधिकार पर निर्भर है एवं एपीएमसी एक्ट मतलब मंडी एक्ट, इसका मुख्य कारण है। हम अपने किसानों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर प्रतिस्पर्धा के लिए कर रहे हैं जबकि यह मंडी सिस्टम की जंजीरों में बंधा हुआ है। यह उसकी रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट को ध्यान में रखकर यह कानून अभी बनाया।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो, शरद जोशी जी ...(व्यवधान) इजाजत मांग रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज ...(व्यवधान) एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य ने यील्ड नहीं किया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कुछ बात ...(व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): इजाजत मांग रहा हूं। शरद जोशी को कोट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ना, प्लीज। Please understand it. कटारिया जी। जब माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं यील्ड नहीं किया है तो हम गलत परम्परा नहीं डालें। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, 09 अप्रैल, 2005 को दिल्ली में एग्रीकल्चर मीट हुई उसमें स्वयं देश के प्रधान मंत्री उपस्थित थे। उनका भाषण रिकार्ड पर है, वह मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। कृषि उत्पादों के लिए पूरे देश को एक कॉमन तथा सिंगल मार्केट बनाना है। एक सिंगल मार्केट बनाना है। एक राष्ट्र एक मार्केट की बात, जो इस बिल में है, वह मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में वहां उद्धृत किया था। अगर गलत हो तो जवाब के समय बता देना।

उसके बाद आपने देखा होगा कि नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2006 में बना, इसकी सिफ़ारिशें देखिए। कृषि उत्पादकों को, सभी अप्रत्यक्ष करों को हटाया जाए क्योंकि कृषि उत्पादकों पर टैक्स न केवल उपभोक्ताओं के लिए कीमत बढ़ाते हैं बल्कि किसानों को मिलने वाले मूल्यों को भी कम करते हैं। कृषि उत्पादकों पर टैक्स हटाने से अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि उत्पादकों के प्रति प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्राइवेट मंडियां खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। आजादी के समय मंडियां आवश्यक थीं लेकिन मंडियों की कार्य प्रणाली पारदर्शी नहीं है। अंतरिम व्यापार संबंधी सभी बाधाओं को हटाना चाहिए। यह सारी रिकमन्डेशन 2006 में नेशनल कमीशन बना, उसकी है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संविदा खेती, भारतीय खेती के लिए महत्वपूर्ण है जिसे प्राथमिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक होगा। उसके बाद यह यूपीए का, आपकी सरकार के समय यूपीए सरकार ने 2007 में मॉडल एपीएमसी नियम तैयार किए थे एवं उन्हें राज्यों में लागू करने के लिए कहा, जिसमें निजी मंडियों की स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन, संविदा खेती, एक स्थान पर एक मंडी शुल्क, एकीकृत व्यापार लाइसेंस, ई-मार्केट शामिल है। संविदा खेती हेतु कांग्रेस शासन काल में इन राज्यों में एपीएमसी अधिनियम है मार्केटिंग वाला, के अंतर्गत प्रावधान किये गये। मेरी बात का जवाब देना। हरियाणा में यह 2007 में लागू किया या नहीं किया? कनार्टक में 2003 में लागू हुआ कि नहीं हुआ? महाराष्ट्र में 2006 में लागू हुआ कि नहीं हुआ? मध्यप्रदेश में 2003 में लागू हुआ कि नहीं हुआ? हिन्दुस्तान में जिन राज्यों में आपकी सरकार थी, ऐसे 19 राज्यों में आपने कांट्रेक्ट फार्मिंग शुरू कर दी थी।

पंजाब विधान सभा का घोषणा पत्र है, पंजाब के मुख्य मंत्री जी ने अभी इस कानून के खिलाफ, उन्होंने पास किया, आप जैसे करने जा रहे हो, वैसे उन्होंने भी कर लिया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में पंजाब विधान सभा चुनाव 2017 कांग्रेस के घोषणा पत्र में, इसमें मैं सब नहीं पढ़ रहा हूं, मंडी एक्ट को अपडेट किया जाएगा ताकि किसानों को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मार्केट की उपलब्धता मिल सके, और भी रिकमन्डेशन है।

उसके बाद आपका, कांग्रेस का घोषणा पत्र। इस कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी लोक सभा के पहले था। इस घोषणा पत्र में पेज नम्बर 17 पर लिखा है, क्रम संख्या 11 और 21 पर है, उसको मैं पढ़ता हूं। क्रम संख्या 11 में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अन्तरराज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। यह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है।

पैरा 21 में लिखा है, कमोडिटी एक्ट पर चर्चा हुई। हमारे मित्रों ने विरोध भी किया। बिन्दु क्रमांक 21 पर लिखा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बदलकर आज की ज़रूरतों के संदर्भ में लिया जाएगा। विशेष आपात परिस्थितियों में इसे लागू रखा जा सकेगा, जो इसमें केन्द्र के कानून में लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से उसकी लाइन को पढ़कर, उसके अंदर आप लाइनिंग लगाकर बताओ कि हम इस चीज का विरोध, इस कारण से, इन शब्दों से कर रहे हैं, समझ में आ सकता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपके इसी में लिखा है, मंडी समिति के अधिनियम में संशोधन ताकि कृषि उपज के निर्यात और अन्तरराज्यीय व्यापार पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया जा सके। आवश्यक वस्तु अधिनियम, यह आपका ही घोषणा पत्र है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, ई.सी. एक्ट को खतम करेंगे। यह आपका ही घोषणा पत्र है न, 2019 का ही है न? चुनाव के दिनों में वोट प्राप्त करने के लिए अलग तरह का चश्मा चढ़ाते हैं और बाद में उतारकर बातें करना शुरू कर देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा कि देश के प्रधान मंत्री ने अचानक कर दिया, अचानक नहीं किया। एक लंबे अध्ययन के बाद, सब लोगों की राय के बाद, उन्होंने इस कानून को बनाकर, किसान को एक इंसान के नाते पैरों पर खड़ा करने का काम किया है।

15 जून, 2019 को नीति आयोग की पांचवीं गवर्निंग काउंसिल की कृषि संबंधी सुधार के कार्यों के बारे में चर्चा में एक निर्णय किया और एक कमेटी का गठन किया। समिति के सदस्य हैं, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, कर्नाटक के मुख्य मंत्री, हरियाणा, अरूणाचल के मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कमलनाथ, बाद में पंजाब के मुख्य मंत्री को भी उसमें सम्मिलित किया। कृषि मंत्री उसमें सम्मिलित हैं। सदस्य नीति आयोग उसमें सम्मिलित है। इन सब लोगों की कमेटी बनी, उस कमेटी ने जो सुझाव दिये, मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, आपने कहा कि अचानक रात को कोई सपना आया और उन्होंने अडानी और अंबानी लिख दिया। क्या इनके अलावा हिन्दुस्तान में कोई व्यापारी नहीं है? बिल में नाम लिखा हुआ था अडानी और अंबानी का? हमारे नेता ने बोल दिया, हमने भी बोल दिया। भले आदमी कम से कम वह बोलो, जो कुछ हो। इसमें सुझाव दिया। मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको हर चीज के, अपने तथ्य दे रहा हूं, आपको जो जवाब देना है वह दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। इस समिति का सुझाव था, एपीएमसी एक्ट का मॉडल अपनाना चाहिए। मंडी यार्ड की सीमा के भीतर एपीएमसी की शक्तियों को सीमित करना चाहिए। कृषि के लिए संविदा खेती और सेवा संविदा पर प्रावधान करने के लिए विधान बनाए। इसमें भी लिखा है संविदा खेती अधिनियम की सेवाओं को शामिल किया। ई.सी. एक्ट में केवल असाधारण परिस्थिति में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए प्रावधान रखना चाहिए। यह कब बना, 2019 में। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री कमलनाथ जी हैं, पंजाब के अमरिंदर सिंह जी उसमें मंत्री हैं, उन सबकी उपस्थिति में बना। मैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसलिए कहता हूं, यह जो कानून बना है, इन सब बैक ग्राण्उड को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में प्रारम्भ से लेकर जिन-जिन सरकार ने, जब-जब भी इसमें कुछ हुआ, इन सब सुधारों को करने के लिए, क्या इसलिए यह तीनों एक्ट लेकर केन्द्र में आए हैं। आपने इसमें बदलाव क्या किया, लगभग वही है। कृषि का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश, यह केन्द्र का है। आपने क्या किया, इसमें राजस्थान संशोधन विधेयक कर दिया। वह ही है न? उसकी मंशा तो वही है। उस मंशा में आपने कुछ बदलाव किया, मैं आपको आगे बताऊंगा। अध्यादेश में लागू हो जाने, किसानों के लिए एक सुगम और मुक्त माहौल तैयार हो सकेगा, जिससे उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी होगी, यह इसमें है कि आप चाहो जो खरीदो, चाहो जहां बेचो। अध्यादेश में राज्य के भीतर और बाहर, दोनों ही जगह पर ऐसे बाजारों को, बाहर की कृषि उत्पादों का उन्मुक्त व्यापार सुगत हो जाएगा, जो राज्यों के कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम के तहत अधिसूचित है। यह सारे बिन्दु इन्होंने इसमें से डाले हैं। आपका यह दूसरा है, वह भी लगभग आपने राजस्थान संशोधन करके इसमें आश्वासन और मूल्य संवर्धन के बारे में है, उस एक्ट में भी आपने केवल संशोधन में इसको राजस्थान संशोधन विधेयक के नाम से रखकर दिया, उसमें भी कांट्रेक्ट खेती का है।

(18.00 बजे)

फिर आपका यह जो तीसरा है, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, उसमें भी आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, यह आप इनकी तरफ से लेकर आये हैं।

अब एक सवाल खड़ा किया कि यह केन्द्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। मैं सोचता हूं कि हम सब कानून को थोड़ा-बहुत तो जानते हैं। तीन प्रकार से, जो स्टेट बना सकता है, वह स्टेट बनाये, जो केन्द्र बना सकता है, वह केन्द्र बनाये और जो समवर्ती सूची में है, जिसमें केन्द्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। वह भी कानून है।

अब यह जो संघ बनाता है, केन्द्र बनाता है, इसकी प्रविष्टि 42, अन्तरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, मुझे यह बता दें कि मैं अपना माल गुजरात ले जाना चाहता हूं, यह कानून आप राजस्थान वाले बना सकते हैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या कि आप हैदराबाद ले जाकर बेच देना, इसका अधिकार है? इसका अधिकार, जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में व्यापार करेंगे तो वह केन्द्र के परव्यू में आता है और इसलिये बात करते हैं।

आपने देखा कि यह जो राज्य सूची है, उसमें प्रविष्टि 14, कृषि, इसमें कोई दो राय नहीं कि कृषि केवल राज्य का विषय है और कृषि पर जिस प्रकार का भी आपको कानून बनाना है, आपके अधिकार में है। उसमें आपने प्रविष्टि 14 में है, 28 में है, 26 में है, इन सबमें आपको अधिकार है।

यह जो समवर्ती सूची का तीसरा भाग है, इसमें आपको प्रविष्टि 33, इसमें आपको खाद्य पदार्थों या जिनके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेल है, पशुओं के चारे और उनके अन्तर्गत खली और अन्य चारे हैं, इसका आपको, केन्द्र की समवर्ती सूची में है। कच्ची कपास, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई हो और बिनौला, यह उसके परव्यू में है। कच्चे जूट का व्यापार और वाणिज्य, यह उनके परव्यू में है समवर्ती सूची में।

इसी तरह से 33 (क) में बाट और माप से सम्बन्धित कानून बनाना केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में है। केन्द्र ने उन्हीं अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र के पास सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 42 पर अन्तरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य को रेगुलेट करने का अधिकार है।

आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 301, इसमें आपने व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाध है। वर्ष 1961 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, आसाम की एक टी कम्पनी बनाम स्टेट आफ आसाम के बीच में हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 301 की व्याख्या करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 301 में वस्तु का न केवल इंटरस्टेट व्यापार शामिल है, बल्कि वस्तुओं का इंट्रा स्टेट भी व्यापार इसमें सम्मिलित होता है, जो 301 में कवर होता है। उसी के तहत यह कानून बनाया। अत: केन्द्र सरकार द्वारा कृषि की उपज को लेकर इंटर स्टेट तथा इंट्रा स्टेट व्यापार के सभी बिन्दुओं को हटाने के लिये कृषि सुधार कानून पूर्णतया संवैधानिक केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में है। फिर भी आपने पंजाब में जिस प्रकार का कानून पास किया, कृपा करके, आपने गेहूं और चावल ही क्यों किया?

यह आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपको तीन साल की सज़ा होगी। अगर आप किसानों के हितैषी हो तो 22 चीजें जो आपने आइटम बना रखा है, जिसमें समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, अगर बहादुर हो तो राजस्थान में अपने यहां जितने, जितनी केन्द्र सरकार खरीदती है, वह तो खरीदती है, आप भी तो, कृषि के सारे अधिकार आपके पास हैं न, तो 50 साल तक आप लोग कानून नहीं बना सकते थे। आप यह समर्थन मूल्य बनाने के लिये केन्द्र के पास क्यों जाते हो? जो कृषि आपका विषय है, तो फिर आप केन्द्र का इंतजार क्यों करते हो कि वह आपको खरीदने का आदेश दे, उसके बाद आप खरीदो। क्यों? कुछ तो आप भी तो वज़न उठा लो न, अपने-अपने हिसाब से, ताकि थोड़ा-बहुत तो कुछ कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, इस कानून में ये परिवर्तन क्या करने जा रहे हैं, एक तो ये धारा 6 में परिवर्तन कर रहे हैं। धारा 6 में क्या, कृषि उपज के व्यापार के लिये बाजार फीस और लेवी में छूट होगी। केन्द्र का कानून यह कहता है कि मंडी के अलावा आप कहीं भी, जहां भी कोई सामान बेचोगे, खरीदोगे, आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मंडी को उन्होंने टच नहीं किया है कि मंडी में भी यह छूट लेनी पड़ेगी। आप बिना बात की बात में उलझ रहे हो कि आपने मंडी को डिफंक्ट कर दिया, मंडी को डिफंक्ट कर दिया। मंडी को कहां डिफंक्ट किया। मंडी के खिलाफ उन्होंने मंडी का एक शब्द भी नहीं लिखा।

आप क्या कर रहे हो कृषि उपज के व्यापार के लिये व्यापारी और कॉरपोरेट समूह को राज्य सरकार द्वारा तय फीस, उप कर व प्रभार देना होगा, जो कृषक कल्याण निधि में जमा होंगे। यह आपने बनाने का प्रयास किया। इसका मतलब मंडी के बाहर भी जो व्यापार होगा, उस व्यापार को लगा कर आपने केन्द्र के कानून को डिफंक्ट करने का प्रयास किया है, जो आपके परव्यू में नहीं आता है। आप गलत रास्ते से जा रहे हो। गलत रास्ते से जाने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। केवल अपने नेताओं को यह जरूर दिखा सकोगे कि हमने आपकी बात की पैरवी कर दी। बाकी कानून में आपको यह अधिकार नहीं है।

फिर आप धारा 8 में बदल रहे हो। धारा 8 में केन्द्र ने क्या बदला, सुलभ और समझौतों को अन्तिम रूप देगा, 30 दिन के समझौते में समाधान नहीं होने पर उप खण्ड अधिकारी विवाद का निस्तारण करेगा और कलेक्टर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

30 दिन के अन्दर अपील का निर्णय करेगा। यह निर्णय दोनों पक्षकारों के लिये बाध्यकारी होगा।

आप क्या बदल रहे हो, राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों के तहत विवादों के समाधान की व्यवस्था। इसका मतलब सिविल कोर्ट के माध्यम से आप निपटाओगे, जो सिविल कोर्ट पहले तो पूरा बूढ़े हो जाते हैं न, तब तक भी खेती के फैसले नहीं हो पाते, उस सिविल कोर्ट को आप देने का अधिकार कर रहे हो।

आप इसी तरह से धारा 15 में बदलाव कर रहे हो। न्यायालय में दखल का अधिकार नहीं, केन्द्र ने कहा कि इसमें कोर्ट किसी प्रकार का दखल नहीं देगा। जो भी एस.डी.ओ. और एस.डी.ओ. के ऊपर अपीलेंट अथोरिटी है, वह करेगी या जो समझौता समिति बनेगी नीचे, जिसमें किसान के भी आदमी होंगे, और खरीदने वाला, उसके भी लोग रहेंगे, वे बैठकर अगर समझौता कर लेते हैं तो उसको मान लेंगे।

आप क्या कह रहे हो, सिविल न्यायालय में विवाद तय करने का अधिकार देंगे। तो पहले से तो वहां दफ्तर में इतनी फाइलें लगी हुई हैं, और डालना चाहें, इसके लिये कानून लेकर आये हैं!

फिर आप धारा 19 में कानून लागू करने के तीन साल के भीतर कठिनाई पर केन्द्र को राजपत्र के जरिये संशोधन का अधिकार होगा। उसकी जगह आप क्या कर रहे हो, कानून लागू करने की कठिनाई होने पर राज्य को राजपत्र के जरिये संशोधन करने का अधिकार होगा। यह आप इसमें से बदल रहे हो।

राज्य में आप ये नये प्रावधान और डाल रहे हो। वह 16 (क) में डाल रहे हो। राज्य की कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत बनाये गये नियम 5, जून, 2020 के पहले की तरह लागू, इसका मतलब केन्द्र के बने हुए कागज को रद्दी की टोकरी में फेंक दो। यही मतलब हुआ न। सीधा का सीधा यही मतलब हुआ कि 5 जून के पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति को आप बहाल कर रहे हो। भगवान के लिये कम से कम कानून को ठीक तरह से समझकर, केवल और केवल, इसी तरह से 16 (ख), कृषकों का उत्पीड़न करने पर फर्म के भागीदार या कम्पनी के निदेशक को 3 से लेकर के 7 वर्ष तक की सज़ा और पांच लाख रुपये जुर्माना समय पर माल नहीं उठाने पर, समय पर भुगतान नहीं करने पर उत्पीड़न माना जायेगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब आप सोच लें कि यह जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर इसको माल खरीदना है, जैसा आप कानून में ला रहे हो, तो अगर वह नहीं खरीदेगा, वह खरीदेगा ही नहीं तो सज़ा किसको दोगे। माल वहीं पड़ा रहेगा न, किसान के पास ही। कैसे व्यापार होगा, कैसे उसकी चीज बिकेगी। ऐसे-ऐसे प्रोविजन हैं।

16 (ग) में आप ला रहे हो कि राज्य सरकार को निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। मर्जी हो वह फरमान जारी कर दो। हमारे से आप खुला ठप्पा लगवा दो, और फिर बाद में आप जो चाहो, बना डालो, अधिकार होगा।

फिर 18 (क) में राज्य सरकार को नियम बदलने का अधिकार होगा। हमारे से तो अंधेरे में ठप्पी लगवा रहे हो, और बाद में जो चाहो सो करोगे, कर पाओगे क्या। इससे क्या होगा कि आप सीधे के सीधे केन्द्र और आपके बीच में टकराव लाने के लिये आपने यह रास्ता अख्तियार किया है, जिस रास्ते में आप सफल नहीं होंगे। इसके कारण से आप एक तरह से, इसका प्रभाव क्या होगा, यह सर्वविदित तथ्य है कि किसानों के हित को न देखते हुए केवल मंडी शुल्क वसूल करने वाले कड़े विनियमों के प्रति उपज के परिवहन, पारदर्शिता, वांछित बिचौलियों वाली लम्बी आपूर्ति श्रृंखला और सबसे महत्वपूर्ण बात भ्रष्टाचार की समस्या से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी। इससे किसानों की उपज का दाम नहीं मिलेगा।

आप यह क्यों ला रहे हो, यह जितने भाषण दिये हैं न, जोर-जोर से, ये सब मंडी-मंडी-मंडी। यह मंडी किसने खतम की? मंडी तो आज भी सर्वाइव कर रही है, कल भी सर्वाइव करेगी। इस कानून की लाइन में पढ़ करके निशान मार्क कर देना कि मंडी को इस कानून ने यहां प्रभावित किया। प्रभावित हो रहा है तो हमारे स्वयं के कारण से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने मंडी शुल्क इतना रख लिया। यानी मंडी शुल्क हिन्दुस्तान में 2 परसेंट से लेकर 8.5 परसेंट है। अब यह 8.5 परसेंट किससे वसूल होता है? कोई व्यापारी देता है? आप और हम सबने इतने साल की जिंदगी निकाली है, यह उस किसान से ही वसूल होता है। उससे वसूल होने वाले पैसे को आप इसे कह रहे हो। यह भी सर्वविदित है कि बाजार शुल्क, कमीशन शुल्क और अन्य नियत शुल्क अप्रत्यक्ष रूप से किसानों से वसूल किये जाते हैं। इस प्रकार किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मंडी शुल्क के अपवंचन रोकने के लिए बहाने,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्थान मंडी तक सीमित करके खरीददारी को लाइसेंसधारी होने तक सीमित करके किसानों को विकल्प मतलब, एक तरह से आपका जो कानून था वह केवल और केवल मंडी में ही व्यापार होगा, इसके लिए था। इन्होंने मंडी से बाहर व्यापार को निकाला। अब आप सब यह तर्क दे रहे हो कि इतने लोग बेकार हो जाएंगे, कितने लाइसेंसी हैं यहां मंडी में? आप सारी मंडियों का हिसाब लगाओगे तो कहीं पर पांच सौ होगा, कहीं पर तीन सौ होगा और कहीं पर दो सौ होगा तो क्या उस एरिये में, उस जिले में व्यापारी इतने ही रहते हैं क्या? आपका व्यापार करने के लिए आपको अनिवार्यतया मंडी में आना पड़ेगा और जो मंडी के बाहर व्यापार करेगा उसके ऊपर कभी भी कोई भी वहां उतारेगा या नहीं उतारेगा, जो नहीं उतरता है वह तो चलता रहता है, कोई दिक्कत पर जब ध्यान में आ जाता है और कोई इसका एक तरह से कानूनी प्रावधान करता है तो वह रोक सकता है आपको किसी भी तरह से।

अब आप लोगों के मन में यह लगता है, हम में से कोई भी खड़ा होकर कह देता है कि प्रधान मंत्री ने यह कर दिया, यह कर दिया। मैं ईमानदारी से यह कह रहा हूं, मुझे भी यहां पर 40 साल, इस विधान सभा में 1977 से आया हूं लेकिन मैंने कई बार देखा और कई बार मैं बोला हूं मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना कर रहा हूं कि यह देश के प्रधान मंत्री ने किसान के जीवन को बदलने के लिए जिस प्रकार का कमिटमैंट किया है, वह आज तक कभी देखने को नहीं मिला है।

मैं केवल भाषण से नहीं कह रहा हूं, मैं यह तथ्यों से कह रहा हूं। आप लोगों ने यू.पी.ए.-वन, उसका कार्यकाल था वर्ष 2004 से 2009 तक, उस समय पूरे पांच साल तक किसान का जो बजट में खर्चा था वह 29504 करोड़ रुपया था, पूरे पांच साल का। उसके बाद सैकण्ड कार्यकाल जो आपका फिर हुआ वर्ष 2009 से 2014, उसमें 87549 करोड़ रुपये का आपका बजट पेश हुआ और एनडी.ए. का जो पहला कार्यकाल था पांच साल का, उसमें 1 लाख 64 हजार 195 करोड़ रुपये और उससे भी आगे बढ़िये, आंख को खोलकर चलो, केवल वोटर्स की खेती के पीछे भागोगे न तो आपका और मेरा सौदा तो पट जाएगा पर उस गरीब की लंगोटी इन तीस सालों में नहीं हटी है न, वह लंगोटी नहीं हटेगी, इसकी चिंता कर लेना।

यह पहला प्रधान मंत्री है जो मैं आपको दावे के साथ यह कह रहा हूं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि वर्ष 2019-20 के सालाना बजट में किसान के लिए 1 लाख 30 हजार 485 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। 1 लाख 30 हजार 485 करोड़ रुपया और यह जो दूसरा साल है यानी, दूसरा साल वर्ष 2020-21 का, इस समय बजट जो रखा है वह 1 लाख 34 हजार 399 करोड़ रुपया, अगर उसके मन में किसान के प्रति हमदर्दी नहीं होती, उसके जीवन को देखकर उसमें सुधार करने की यह मंशा नहीं होती तो क्या यह बजट रखता? इस व्यक्ति ने यह प्रयास किया है। हम लोग उसकी छीछालेदर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यह सोचता हूं कि आपने यह जो कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर में, अभी जो आपने पैकेज घोषित किया 20 लाख करोड़ रुपये का, उसमें एक लाख करोड़ रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा या नहीं रखा और वह आज की तारीख में खर्च होना शुरू हुआ या नहीं हुआ?

यह जो किसान सम्मान निधि है, पहले आप और हम कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, दुकानें इसी से चलाते रहे इतने दिनों तक लेकिन इस आदमी ने जिस ढंग से यानी, सीधा किसान के खाते में पैसे पहुंचाकर इन बीच के बेईमानों को निकालने का अगर किसी ने प्रण किया है तो उसका नाम है नरेन्द्र मोदी। पहले यह सारा पैसा जो आपके या मेरे जमाने में भी बंटता था न, आधे-आधे लोगों की जेबों में जाता था या नहीं जाता था?

पांच सौ रुपये की वह विधवा पेंशन ठीक तरह से बंट नहीं पाती थी। इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से जन-धन खाते खुलवाकर यानी, जन-धन खाते खुलवाकर दस करोड़ किसानों के खाते में अब तक 93 हजार करोड़ रुपया, 93 हजार करोड़ रुपया डाला है, एक दो रुपया नहीं डाला है। आपने देखा होगा, अभी आपने देखा इस कोविड के समय में, जब संकट आ गया था तो किसान एक मात्र ऐसा व्यक्ति रहा जो इस देश की आमदनी को, जी.डी.पी. को बढ़ाने में बना रहा और जी.डी.पी. को जिंदा रखने का काम अगर हिन्दुस्तान में किसी ने किया है न तो वह किसान ने किया है लेकिन प्रधान मंत्रीजी ने भी इस कोविड के अंतर्गत भी यानी, 9 करोड़ किसानों को 38 हजार करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में और डाला।

अभी आपने देखा होगा कि प्रधान मंत्री की घोषणा में यह जो एफ.पी.ओ. बना रहे है यानी फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन, दस हजार बनाने की घोषणा ही नहीं की है, उस आदमी ने 6850 करोड़ रुपया इसका सेंक्शन करके इसका काम प्रारम्भ कर दिया है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप और मैंने कई सालों तक इस फसल बीमा, फसल बीमा, फसल बीमा, भाषण दे-देकर थक गये थे। यह भला हो अटल बिहारी वाजपेयी का कि पहली बार, आप बड़ी-बड़ी डींगें हांक रहे हो, 54 साल तक राज किया है, आप अपनी लिस्ट उठाकर बताओ कि हमने यह किया, यह किया, जिससे पता तो लगे कि यहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? केवल बातें कह देने से ही चलेगा क्या? आपने 54 साल तक राज किया और आज कमी निकाल रहे हैं कि यह नहीं है। यह नहीं है तो दोषी कौन हो, आप हो या मैं हूं? छह साल का यह प्रधान मंत्री, यह दोषी है या 54 साल तक सरकार चलाने वाले दोषी हैं? दस हजार एफ.पी.ओ. बनाने का काम किया है।

फसल बीमा, केवल चार साल में, मैं आंकड़े के साथ में बोल रहा हूं केवल ऐसे ही गप्प नहीं मार रहा हूं, आंकड़े के साथ कह रहा हूं। फसल बीमा योजना के तहत जो किसान ने पैसा जमा कराया वह 17500 करोड़ रुपया जमा है और उसकी एवज में किसान को मिला कितना है? किसान को मिला है 77 हजार करोड़ रुपया फसल बीमा का। फसल बीमा योजना को, आप सबने भी यहां पर मांग की, कई भाषण हुए हैं कि इसको स्वैच्छिक कर दिया जाए, अनिवार्य नहीं रखा जाए तो वह फैसला भी प्रधान मंत्रीजी ने कर दिया कि यह बीमा भी स्वैच्छिक है अगर आप चाहो तो करो और नहीं चाहो तो मत करो। यानी, यह पहला प्रधान मंत्री है, जिसने किसान रेल चलाई है और उसके कारण से यह जो जितनी भी सब्जियां हैं, यह जो फल हैं, जो नुकसान होने की चीज है उसको आप तुरंत ले जा सको, उसके लिए दो ट्रेन्स अभी प्रारम्भ हो गयीं, अभी तो प्लेन भी चालू हो रहा है।

संस्थागत ऋण, जिसके लिए आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं न कि इतने सालों तक राज करने वाली पार्टी किसानों को ऋण देने की जो अंतिम सीमा आपने छोड़ी है वह 8 लाख करोड़ रुपया छोड़ी है और इस देश के प्रधान मंत्री ने इसको बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया किसान को कर्जा दे रहा है। कितने पर? 4 परसेंट पर। कितने पर? 4 परसेंट पर। फिर भी आपको समझ में नहीं आता? कुछ नहीं कर रहे हैं हम? हम तो बर्बाद करने पर ही लगे हुए हैं। पता नहीं आपको यह क्यों लग रहा है?

सॉइल हैल्थ कार्ड, इस सॉइल हैल्थ कार्ड के आधार पर उन्होंने हिंदुस्तान में आज दस हजार, इसकी आपको वह जो लैबोरेटरीज हैं, वह तैयार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की हैं और अब तक 15 करोड़ किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करवा दिया है। कुछ भी काम नहीं किया?

इसी तरह से आपने देखा होगा कि इस कोविड के समय में वैश्विक महामारी के दौरान गेहूं की जो खरीद हुई है वह केन्द्र पहले जितने थे, उससे डेढ़ गुना ज्यादा केन्द्र खरीदने के बनाये हैं। इसी तरह से दलहन और तिलहन के जो केन्द्र स्थापित हैं वह पहले से तीन गुना ज्यादा केन्द्रों पर खरीद हुई है। बावजूद इस वैश्विक महामारी के 390 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। विगत वर्ष से यह लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। इससे 75 हजार करोड़ रुपया किसानों के खातों में डाला है। लॉकडाउन के दौरान कृषि गतिविधियों को पूरी तरह से रियायत किया गया है।

यह मैंने आपको जो बताया था फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन जो बना रहे हैं, उसमें प्रत्येक जो मैदानी एरिया है, 300 उसके मैम्बर होंगे, उनके लिए, उनके दफ्तर के लिए, उनके बाकी सामान के लिए, आदमी के लिए, हरेक को 18-18 लाख रुपये देकर खड़ा कर रहे हैं ताकि वह किसानों के अंदर उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें।

यह जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि, यह आप तो नहीं कर सकते थे, इस व्यक्ति ने जिस प्रकार का प्रयत्न किया है न जो अच्छा किया हो, उसको आपको मानना चाहिए। अब तक 9.75 करोड़ लाभान्वित किसानों को 74 हजार करोड़ रुपया इसका डाला है।

किसान क्रेडिट कार्ड, अब यह भी बहुत जरूरी था। 54 साल तक आप नहीं कर सके, यह बहुत कठिन काम था? किसान क्रेडिट कार्ड को प्रारम्भ करने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को है पहली बार, इसके कारण से किसान अपनी जमीन पर कर्जा लेकर भी अपने खेत को आगे बढ़ा सके और आज की तारीख में 99 लाख 92 हजार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड इस देश में बने हुए हैं और अभी यह जो भारत सरकार ने एक नया आदेश निकाला कि जिनका भी किसान क्रेडिट कार्ड है, वह संख्या लगभग 2 करोड़ है, उन सबको भी यह किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, तो इससे आप अंदाजा लगा लो। आपने बड़ी बातें कीं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदते नहीं। आपने क्या कर दिया, 43-44 साल में खरीदकर ढेर लगा दिया था क्या? आप ऐसी बातें करने में माहिर हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इस देश के प्रधान मंत्री ने, यह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा कि जितना खर्चा होता है, उसका डेढ़ गुना कम से कम उसकी सपोर्ट प्राइस हो। यह पहली बार किसी व्यक्ति ने आज दिन तक 2018 में इसको लागू करने का प्रयत्न किया और उसके कारण से आज मैं आपको आंकड़े के साथ बताता हूं, जब आपकी सरकार थी 2013-14 में, तो 2013-14 में गेहूं का आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, वह 1400 था। आज की तारीख में जो सपोर्ट प्राइस है, वह 1975 रुपया है। इसमें 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। जौ की रेट 1100 रुपया थी, जब आपने सरकार छोड़ी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज 1600 है, 45 प्रतिशत ज्यादा है। इसी तरह से चना जो 3100 का था, आज की तारीख में 5100 है। मसूर यह भी 2950 था, आज 5100 रुपया प्रति क्विंटल है। इसी तरह से आपका मस्टर्ड ऑयल है, यह 3050 था, उसकी जगह आज 4,650 है यानी 52 प्रतिशत ज्यादा है। इसी तरह से मूंगफली जो 4 हजार में थी, आज की तारीख में वह 6 हजार से अधिक है।

मैं सोचता हूं इस प्रकार से, अब इसको यहां भी मैं बता रहा हूं आपको कि वास्तव में उसका खर्चा कितना हुआ, उसका भी आंकड़ा है। यह जो गेहूं के उत्पादन में खर्चा माना गया, वह 960 रुपये माना गया, जबकि वास्तव में जो पैसा मिल रहा है आज की तारीख में 1975 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब 106 प्रतिशत, खर्चे से अधिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस व्यक्ति ने की है। इसको मानना चाहिए। इसके बाद आपने देखा होगा जौ में जो खर्चा आता है वह 971 रुपया आता है, आज उसका 1600 का भाव है। इसका मतलब 65 प्रतिशत अधिक। डेढ़ गुना से भी ज्यादा है। मैं सोचता हूं चने का जो खर्चा आता है वह 2866 रुपया आता है, आज 5100 है, लगभग 78 प्रतिशत अधिक पैसा मिलता है। इसी तरह से मसूर का खर्चा 2864 मानते हैं, उसकी जगह 5100 मिल रहा है, यह भी 78 प्रतिशत अधिक है। आपने देखा होगा, अपना यह जो मस्टर्ड ऑयल है इसमें पहले से आज 93 प्रतिशत, जितना इसका खर्चा होता है, 2415 रुपया इसका खर्चा मानते हैं। इसका मतलब एक तरह से स्वामीनाथन आयोग की इस बात को जमीन पर लाने का प्रयत्न किया है और आपके इससे अधिक बढ़ाया है।

यही नहीं, आपने देखा होगा जो खरीद हुई है, मैं केवल इसलिए कि आप आलोचना के लिये, जो चाहो आप करो, आप अपने बहुमत के आधार पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस कानून को भेजकर अगर राजस्थान की भद्द बिगाड़ना चाहते हो तो बिगाड़ो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने देखा होगा यूपीए के समय में जो धान की खरीद हुई चावल की, वह 2 लाख 88 हजार 770 करोड़ रुपये की हुई और अभी 2014 से 2019 के बीच में 4 लाख 34 हजार 788 करोड़ रुपये की हुई। गेहूं की खरीद जो आपके पांच साल के राज में हुई थी वह 1 लाख 68 हजार करोड़ की हुई और इस समय इस सरकार का जो पिछला कार्यकाल 2014 से 2019 था, उसमें 2 लाख 27 हजार करोड़ रुपये की खरीद हुई है। इसी तरह से आपने तिलहन का देखा होगा। तिलहन में आपके समय में 50 लाख टन हुई थी, अबकी बार जो हुआ है, वह 56 लाख टन, दलहन जिसके बारे में सबसे ज्यादा शार्टेज थी और बाजार में महंगाई के कारण से लोग बहुत परेशान थे, 5.04 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी आपके टाइम पर, जिसको इस व्यक्ति ने 100 लाख टन मीट्रिक दलहन को खरीदकर बाजार में जिस प्रकार की शार्टेज थी, उसको पूरा करने का प्रयास किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोध का कारण क्या है, वह मैं आपको बताता हूं। आपका विरोध का कारण है सरकार रो रही है अपने पैसे को। कैसे? क्योंकि मंडी से जो आमदनी होती है, वह सरकार की आमदनी का सोर्स है और इसके कारण से आपने राजस्थान में 2.6 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक का मंडी शुल्क लगा रखा है। अब मंडी शुल्क आपका 5 प्रतिशत है और आज गेहूं का जो समर्थन मूल्य है आप इसको 2 हजार मान लो, 2 हजार का मतलब हो गया 5 प्रतिशत का आपका 100 रुपया एक बोरी पर एक्स्ट्रा लगेगा। अब उसको दोनों छूट है कि वह बाहर भी बेच सकता है और अंदर भी बेच सकता है तो किसके टांट में खाज खा रही है जो वह अंदर आएगा। कौन आएगा अंदर? आपको विचार करना चाहिए और मंडियों को स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर है और मंडी को समाप्त करने के लिये इस कानून में कहीं प्रावधान नहीं है। आपको अपना थोड़ा-सा पैसा छोड़ना चाहिए और इस टैक्स को घटाकर केवल मंडी मेन्टीनेंस के नाम से, जो कुछ भी आप टैक्स लगाना चाहते हो, वह लगाओ ताकि आपके वहां का खर्चा भी निकले और इस मंडी में भी क्या चक्कर है, गुजरात की मंडी में कम पैसा लगता है, आप पंजाब में जाओगे तो साढ़े आठ प्रतिशत लगेगा, मध्य प्रदेश में साढ़े तीन प्रतिशत लगेगा, हमारे यहां पांच प्रतिशत लगेगा तो हमारा व्यापार तो जाएगा ही जाएगा। अगर आपको कुछ करना है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और मंडियों को जिंदा रखना है तो सबके बराबर लाने का प्रयास करो तब तो आपकी मंडियां जीवित रहेंगी। यह किसने कहा कि मंडी में माल नहीं बेचना है। जिसके मन में आये मंडी में बेचो, जिसकी मर्जी आये बाहर बेचो, उसमें कहां दिक्कत है।

फिर दूसरा क्या कारण है कि मंडी में जो व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि पहले वही लाइसेंसी थे और वह लाइसेंसी होने के कारण से जितना भी व्यापार था, वह उनके पास ही आता था और उसके कारण से उनको बहुत आमदनी होती थी। अब क्या हुआ कि पेन कार्ड जिसके पास है, वो भी खरीद सकता है। अब यह खरीदने के लिये झाड़ोल में वही अडानी-अंबानी आएंगे न, क्या बातें करते हो। वहां का व्यापारी क्या झुनझुना बजाएगा? पहले कहते हो वह कैसे जाएगा, कैसे आएगा? उदयपुर की मंडी में आने के लिये 50 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्या पैदल सिर पर रखकर लाएगा? केवल और केवल तर्क देकर समझाने का प्रयास करते हो। मंडी में काम करने वाले हम्माल बेरोजगार हो जाएंगे। एक बार तो सीधा का सीधा, क्योंकि मंडी में माल कम जाएगा, लेकिन बाहर भी तो कोई बोरी उठाएगा न। वह किसान ही उठाकर रख देगा। जहां छोटे-छोटे गांवों में भी मंडियों की रचना होगी, वहां भी तो काम होगा तो वह कोई बेकार होने वाला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक और बड़ा तर्क दिया कि 86 प्रतिशत लोग छोटी होल्डिंग वाले लोग हैं। यह छोटी होल्डिंग, जिसके पास आधा बीघा है, मैं भी उस ट्राइबल एरिये में घूमता हूं, जिसके पास एक बीघा है, वह तो अपनी मक्की डालकर मजदूरी पर चला जाता है, क्योंकि वह जानता है इससे अपना जीवन तो चलेगा नहीं। लेकिन इस कान्ट्रेक्ट फार्मिंग के कारण से आपका यह जो फार्मर आर्गनाइजेशन जो बन रहा है, यह अगर क्लब करके और उनको लेकर जितने भी आधुनिक साधन हैं, उनका प्रयोग करके अच्छा फर्टिलाइज देगा, अच्छा बीज देगा। फिर आपने कहा कान्ट्रेक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग की सौगन्ध कौन दिला रहा है कि तुम देओ। पहली बार तो किसान को एक आजादी मिली है कि वह चाहे तो बेचे और न चाहे तो न बेचे और कान्ट्रेक्ट लिखित में होगा। लिखित में जो कान्ट्रेक्ट होगा, उसमें यह शब्द कहां लिखा है कि जमीन बिक जाएगी। आपमें से कोई बहादुर पढ़ा हुआ हो तो अंडरलाइन करके आज भाषण का जवाब देओ तब लिख देना कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यहां लिखा हुआ है कि किसान की जमीन वह लोग छीन लेंगे। कोई कान्ट्रेक्ट में नहीं है वह। उसको बाहर निकालकर कान्ट्रेक्ट होगा फसल का।

आज आपने देखा होगा लहसुन का भाव 80-90 रुपया किलो होता है तो सारे किसान लहसुन बो देते हैं। मेरे प्रतापगढ़ में और जैसे ही पैदावार होती है वह लहसुन 8 रुपये किलो में आ जाती है। इस कान्ट्रेक्ट फार्मिंग में कम से कम जब किसान अपनी बात का समझौता करेगा तो इतना तो करेगा कि बाजार मूल्य से नीचे तो नहीं करेगा न। तो वह प्रोटेक्ट हुआ या बर्बाद हुआ? मैं सोचता हूं ऐसा तो हो नहीं सकता। केवल और केवल आपको खेत में बोल दिया अंबानी और अडानी, सबको न याद होगा। और लोग भी हैं टाटा भी होगा, बिरला भी होगा, डालमिया भी होगा, नाम नहीं याद है। अच्छे नहीं लगते वो। कौनसा कानून है, मुझे यह बता दो अभी तक आपकी सरकार इतने सालों तक चली, आप बता दो ऐसा कौनसा कानून है जो किसान के हित की रक्षा कर सकता है। आप उस कानून को पढ़ देना। ऐसा कोई कानून हो जो किसान हित की रक्षा करता हो, उस कानून को आप पढ़ना। सौभाग्य से आपको पहली बार लग रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के टकराव से कभी भी आप इस लोकतंत्र को नहीं चला पाओगे। केवल यह खुश हो जाना कि मैंने यह कर दिया, मेरे बहुमत से यह कर दिया, इसके कारण से मत रहो। इसके कारण से लाभ क्या होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद धीरे-धीरे प्रारम्भ होगी, आगे बढ़ेगी। कोई भी घाटा खा करके नहीं बेचेगा। मंडी यार्ड और उसके सम्बन्ध में राज्य एपीएमसी, मतलब मंडी की शक्तियां कम नहीं करता है, कहां लिखा है कि ये कानून इसमें मंडी खतम कर रहा है? मंडी खतम कर रहे हो, आप अपने स्वार्थ के कारण से और विशेष करके पंजाब, जिसका 8 हजार करोड़ रुपये मंडी शुल्क आता है, वे इसको रो रहे हैं, किसान की मजबूती और उसकी बहबूदी के लिए नहीं रो रहे हैं। इससे किसान की आय नहीं बढ़ेगी? इसके कारण से किसान इतना तो आजाद हुआ कि वे भी अपनी फसल की मेहनत का दाम तय करके जिससे कान्ट्रेक्ट करना चाहे करें।

आप कह रहे हो युवा वर्ग को काम नहीं मिलेगा, अगर वास्तव में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा एम्प्लायमेंट देने की ताकत किसी में है तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हिन्दुस्तान की एग्रीकल्चर में है लेकिन हमने इसको खड़ी नहीं होने दिया। ईमानदारी से मैं कह सकता हूं एक बीघा में अगर आपका ताइवान का पपीता लगाकर किसी ने खेती की न तो वो साल का 50 हजार रुपया डेफिनेट कमा सकता है, यह मेरी गारंटी है, कह रहा हूं। क्यों उनको उसी धान और मक्की में ठोंस रखा है? उनको निकलने दो न। धोली मूसली पैदा करने के लिए उनको आप सपोर्ट करो न, धोली मूसली के कारण से उनको प्रति बीघा पर एक लाख रुपये की इन्कम होगी। उस खेती से आपको निकालना है तो इससे किसान का भी भला होगा, नौजवान को काम मिलेगा।

पहले तो गेहूं आयेगा उदयपुर की मंडी में और उदयपुर की मंडी में गेहूं का भाव जो बढ़ेगा उसके बाद वापस झाड़ोल जाएगा, झाड़ोल पर आप और मैं, जो वहां नौकरी करते हैं, वहां खरीदने जाएंगे तो जो बेचने वाला है वो हमको सब मुनाफा जोड़कर नहीं देगा न, तो उपभोक्ताओं का भी नुकसान होगा। इसके कारण से उपभोक्ताओं का एक तरह से उसकी कीमत पर कंट्रोल होगा। फिर यह जो वाद है, जिस प्रकार के झगड़े-टंटे होते हैं वह जल्दी से निपटेगा।

मैं सोचता हूं कि इस कानून में, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि यह जो एक कानून है कि असेंशियल कमोडिटी एक्ट यह 1955 का है न, आपकी इन सब रिपोर्ट में है कि यह जो आपका असेंशियल कमोडिटी एक्ट है इस पर विचार करना चाहिए। आपका यह सुझाव भी आया था कि, भई, उस समय हमारे यहां हर चीज की शोर्टेज थी और इसके कारण से हमको करना पड़ा, अगर कोई इमरजेंसी आ गई, शोर्टेज हो गई तो आपको यह अधिकार तो अभी भी प्राप्त है न, आप उसको कर सकते हो। आप इन तीनों कानूनों को लाकर एक तरह से केन्द्र के कानून को रद्दी की टोकरी में डालने की मंशा से लाये हो इसलिए बोलो कि यह है कि नहीं है? इस प्रकार से आप कोई कानून बना करके केन्द्र के साथ ठीक प्रकार से बर्ताव बनाकर चलोगे क्या?

मैं सोचता हूं कि अगर राजस्थान के किसान का कहीं अहित हो रहा है तो उस अहित के लिए आप करो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने बूते पर करो न। इतने साल तक सरकारें चलाते हो गये, आप और हम बूढ़े हो गये, तो आप अपने द्वारा भी तो कुछ करो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेगी तो कौन, केन्द्र। फसल बीमा करेगी तो कौन, केन्द्र। फलां करेगी तो कौन, केन्द्र।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्यों, वहां क्या रखकर भूल आये थे क्या? बड़ी आश्चर्यजनक बातें करते हो। केवल जोर-जोर से भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हैं जैसे हम कोई किसी के दलाल हैं क्या? (व्यवधान) हैं? बिचौलिया बिचौलिया, कौन है बिचौलिया? कोई बिचौलिया नहीं है। जो व्यापार करता है, कोई बिचौलिया नहीं है। कौन बिचौलिया है? सब अपना काम करते हैं, अपना धंधा करते हैं। (व्यवधान) यह जो शब्द आप प्रयोग करते हो, भगवान के लिए मत करो इस प्रकार के। इस प्रकार के शब्दों से हम कभी भी लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगे। उस रास्ते से चलो, जहां कहीं कमी हो उसको जरूर इंगित करो, उस लाइन को इंगित करो कि इस लाइन में यह है, यह किसान के खिलाफ है, यह राजस्थान के खिलाफ है, यह राजस्थान की मंडी के खिलाफ है। उसको अण्डर लाइन करके बोलो, तब तो हम मानेंगे। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के बनाये हुए इन तीन कानूनों को जो लागू किये गये हैं, उनके विरोध में पूरा देश उस तरीके से आन्दोलित है जिस तरीके से 2014 में आपने लैण्ड एक्विजिशन एक्ट बनाया था और झक मारकर फिर उसको विथड्रा करना पड़ा था और यह मैं दावे से कहता हूं कि आपको इन तीनों कानूनों को विथड्रा करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, देश का किसान मिट्टी और अपनी जमीन को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इन कानूनों के जरिये प्रधान मंत्री जी ने और भा.ज.पा. की सरकार ने किसान की मौत का सामान दे दिया है। (व्यवधान)

बात सुनो, बात सुनो। मैं आपके किसी के भी, आपके भी और आपके भी, बल्कि जो भी बोले उनमें से मैं कतई बोला नहीं हूं। आपको वाहवाही देनी है तो रात को अपन मिलेंगे जहां दे लेना। ये किसान की मौत का सामान लेकर के आये हैं और ये उसका कफन लेकर के आये हैं। (व्यवधान) अब कटारिया साहब कहां चले गये, कफन लेने गये कि कहां गये? निश्चित तौर पर यह कानून किसान को उसकी कब्र तक और श्मशान तक पहुंचा कर रहेगा। आप सुधार की बात करते हैं कि ये रिफोर्म है, ये रिफोर्म नहीं है, ये

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

किसान को आने वाला बुखार है। ये उसको वो बुखार है, कोविड से भी आदमी जितना परेशान नहीं हुआ उतना परेशान इससे होगा। कोरोना के दौरान, जैसा अभी कृषि मंत्री जी ने कहा था कि कोरोना के दौरान सारे व्यवसायों की जी.डी.पी. गिर गई लेकिन एक किसान था जिसने इस देश की जी.डी.पी. को 3.4 परसेंट बढ़ा करके दी। आज उस किसान की आप यह हालत करना चाहते हैं, उसको इस तरीके से बांधना चाहते हैं पूंजीपतियों के दरवाजे पर?

प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्म दिन पर बधाइयां स्वीकार करते हुए किसानों को जो तोहफा दिया है वह मौत का सामान था और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगली 17 सितम्बर को जब प्रधान मंत्री जी का जन्म दिन मनाया जाएगा, वो जन्म दिन किसानों के मरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): किसान को मारना चाहते हो? ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर आदमी हो, बैठे-बैठे बोलने की आदत ... (व्यवधान) सुधरो, आप पार्टी के महामंत्री हो और यहां सदन में सीनियर लीडर हो और बैठे-बैठे बोलकर क्या परम्परा बनाना चाहते हो? बिलकुल गलत परम्परा है, माननीय दिलावर जी। मैं आपको फिर इसलिए कह रहा हूं, आपको व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, यह गलत परम्परा है। (व्यवधान) फिर आप सुन नहीं रहे हैं क्या? फिर नेम करना पड़ेगा आपको। कोई प्रोब्लम है कुछ आपको?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब लोक सभा में इन कानूनों की बहस चल रही थी तो केन्द्रीय कृषि मंत्री जी ने ये शब्द कहे थे कि किसान अपना उत्पाद बेचने के लिए जो मंडी की जंजीरों से बंधा हुआ था, हमने उसको आजाद कर दिया। हमने उसको मंडी से आजाद कर दिया। वास्तविकता यह है कि इस कानून के लागू होने पर वो किसान पूंजीपतियों के दरवाजे से बंध गया। अब उसको पूंजीपतियों के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देनी पड़ेगी।

सरकार कह रही है कि किसान को अपना माल कहीं पर भी बेचने की आजादी दे दी। कब आजादी नहीं थी, बताइये मुझे आप। क्या ये ईसबग़ोल, ये

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सौंफ, ये जीरा ये सब गुजरात जाकर के नहीं बिकता था? हमारे यहां से सारी फसल मंदसौर, नीमच, पिपलिया यह सब जाकर के नहीं बिकती थी? कहां नहीं बिकती थी? कब मना था? (व्यवधान) कहते हैं कि, साहब, हमने किसान को आजाद कर दिया।

कृषि उपज मंडियों को आपने सीधे-सीधे कॉरपोरेट घराने को देकर के किसान को उनकी मर्सी पर छोड़ दिया है, सीधे-सीधे। हिन्दुस्तान 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, अध्यक्ष महोदय, और अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को लूट कर खाया लेकिन मैं एक चीज में उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि वो पहले आदमी थे जिन्होंने किसान की उपज का दाम सही मिले, इस बारे में सोचा था।

1945 में कृषि विपणन नाम से एक समिति बनाई और उसकी बैठक की। कृषि विपणन समितियों की स्थापना पर उन्होंने जोर दिया। उसी के आधार पर 1961 में यह कृषि उपज मंडियां बनी थीं। इन कृषि उपज मंडियों का मुख्य उद्देश्य यह रखा गया था कि कृषि उपज की खरीद-फरोख्त को नियमित बनाया जाएगा। किसान की फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए यह मंडियां स्थापित की जाएंगी। यह मंडियां इसलिए स्थापित की गई थीं।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि मंडियों को हमने बंद थोड़े ही किया है। याद है आपको, देखा, जयपुर में एक डी-मार्ट खुला है। उसके सामने की जितनी भी छोटी-छोटी दुकानें थी न, वह सब बंद हो गईं। जब इन मंडियों के सामने अंबानी दुकान लगाकर बैठेगा, अडाणी दुकान लगाकर बैठेगा तो क्या यह मंडियां चल पाएंगी? इस कानून से सबसे बड़ी बर्बादी का रास्ता खुल गया है। जैसा कि आप कहते हैं कि 86 परसेंट किसान लघु सीमांत श्रेणी के हैं, जिनकी बाजार में बिकने वाली फसल की मात्रा बहुत छोटी होती है। बहुत थोड़ी होती है। कृषि उपज मंडी में बोली के माध्यम से जो भी उनकी फसल का उचित मूल्य है, उनको मिला करता था। मंडियों की आय खतम हो गई।

यहां बिहारीलाल जी थे या कौन माननीय सदस्य थे दूसरे, जिन्होंने कहा कि मंडियों ने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या किया मंडियों ने? मंडी शुल्क के बाबत जो आपने बोला कि मंडियों के शुल्क लेने से कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 2018-19 में आपकी सरकार थी। उसमें मंडियों के द्वारा 496.67 करोड़ का खर्चा हुआ। 2019-20 में 336

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

करोड़ रुपये का बजट रखा गया। 2020-21 में 225 करोड़ का खर्च किया गया। मंडियों के द्वारा निर्माण कार्य किए गए, भवन निर्माण हुए, सड़क निर्माण हुई। अन्य कई काम भी इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए मंडियों के द्वारा किए गए थे।

अध्यक्ष महोदय, मंडियों की आय खतम करने के लिए जिस तरीके का षड्यंत्र किया गया और जिस तरीके से प्लानिंग की गई है कि मंडियों की आय खतम हो जाए तो ये मंडियां अपने आप खतम हो जाएंगी। यह सारा षड्यंत्र जो आप कहते हैं न कि कमेटी बनी थी, उसके द्वारा ही यह षड्यंत्र किया गया था। आपने कहा कि मंत्रियों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें कमलनाथ भी थे और पंजाब के मुख्य मंत्री भी थे। किसी भी समिति में वोट नहीं पड़ा करते हैं। दूसरी बात यह है कि केन्द्र जो समितियां बनाता है, उसमें हम लोगों को, हम लोगों का मतलब विपक्ष के लोगों को, उनकी सुन तो लेते हैं, लेकिन फैसला अपनी मर्जी से करते हैं। यह फैसला भी उन्होंने अपनी मर्जी से किया। 2014 में कंज्यूमर कमेटी बन गई।

कृषकों के लिए चल रही लाभकारी योजनाएं, यह कहां से चल रही हैं? आपके वक्त में भी आपने लाभ दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं। व्यवस्थाओं का सारा रखरखाव इन मंडियों से चलता है। राजस्थान में कृषकों के लिए चल रही लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं जैसे कृषक कल्याण कोष, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, महात्मा ज्योतिराव फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, किसान कलेवा। यह आपने चालू किया किसान कलेवा। हमारी जो योजना थी उसका नाम बदलकर किसान कलेवा कर दिया। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं क्योंकि नाम बदलने में तो आप एक्सपर्ट हो। आप ही के द्वारा 2018-19 में राजीव गांधी कृषक साथी योजना में 989 लोगों को फायदा पहुंचाया। उनकी मृत्यु होने पर आपने 2-2 लाख रुपये दिए। आपने दिए। कहां से दिए? मंडी से दिए। 2019-20 में 2921 लोगों को लाभ दिया गया। 2020-21 में 604 लोगों को लाभान्वित किया गया। 942 लाख इनको दिए गए। यह मंडी के द्वारा दिए गए।

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि इन कानूनों से होगा क्या? यह जो कानून केन्द्र सरकार के द्वारा बनाए गए, वह किसान अन्नदाता ही नहीं, खेतिहर मजदूर, मंडियों में कार्यरत हम्माल, पल्लेदार, तुलारा, छोटा व्यापारी,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कमीशन एजेंट, लोडर, ट्रांसपोर्टर, मुनीम, सफाई कर्मचारी यह सब बेरोजगार हो जाएंगे। यह कहना बहुत आसान है कि हम मंडी को खतम नहीं कर रहे हैं। यह मंडी खतम करने का पहला स्टेप है। यह concurrent list थी। हमारे यहां constitutional expert बैठे हुए हैं। वह constitution को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि उसका सत्यानाश ही कर देते हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कौनसे हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उप नेता हमारे। मैं आपके बारे में कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेट लिस्ट है, उसके प्रावधानों में एनडी 14 को संविधान के आर्टिकल 246 (3) के साथ पढ़ लो। मिलकर के साथ पढ़ लो। दोनों को अलग-अलग पढ़ोगे तो दोनों के अलग-अलग नतीजे निकलेंगे। दोनों को साथ पढ़ लें। उससे साफ जाहिर है कि इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जयंत वर्मा बनाम भारत सरकार के मामले में स्पष्ट किया गया। उन्होंने फैसले में लिखा कि कृषि विषय राज्य सरकार का अनन्य विषय है, इसलिए राज्य सरकार संविधान के आर्टिकल 254 (2) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषकों को, कृषि श्रमिकों को और कृषि कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन कर कानून बनाने में सक्षम है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

कृषि उत्पाद और विपणन पर राज्य कानून बना सकें तो कांट्रेक्ट फार्मिंग पर केन्द्र सरकार का कानून बनाना वैधानिक कैसे कहलाएगा। जब राज्य सरकार बना सकती है तो केन्द्र सरकार कैसे बना सकती है? कांट्रेक्ट फार्मिंग कानून में आपने कहा कि किसान की उपज की कीमत पहले से निर्धारित की जाएगी और उसका फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कीमत कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? किसान पर दबाव बनाकर पूंजीपति कीमत निर्धारित करवाएंगे और अपनी मनचाही कीमत पर उसको बेचने के लिए पाबंद करेंगे। मंडी में बोली लगाकर ज्यादा बोली देने वालों को किसान फसल बेचता था। वह सब बंद हो जाएगा। वह करेगा क्या? एक बार कांट्रेक्ट कर लेगा और दाम तय कर लेगा। उसके बाद जब फसल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आएगी तो फसल खरीदते वक्त कहेगा कि कमजोर फसल है। दागी है। मैं अब इतनी कीमत नहीं दे सकता। इससे झगड़ा होगा। हर जगह झगड़ा होगा। अभी जो आप संविदा की बात करते हो, अभी जो संविदा होती है, वह लोकल होती है। उसमें झगड़े का फैसला पंचायत कर देती है। जिसको ज्वारा भी कहते हैं, जिसको दूसरी भाषाओं में कुछ और भी कहते हैं। उसमें ज्यादा झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन जब यह बड़ी-बड़ी पूंजीपति पार्टियां आ जाएंगी तो फिर झगड़े होंगे। बड़ी-बड़ी पार्टियां आ जाएंगी तो निश्चित रूप से यह होगा। और यह हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं अभी आगे। अगर वाकई किसानों के हितैषी हो आप तो ठीक है, आप खूब वकालत कर लो, कटारिया साहब, खूब कर लो आप, मन में तो जानते हो अच्छी तरीके से कि किसान को मसलने के लिए किया है। लेकिन चूंकि राजनीतिक दबाव के वजह से आपको बोलना पड़ रहा है। लेकिन यह मान लेना, यह मान लेना कि आगे आपके लिए भी कोई रास्ता नहीं है, वहां जगह खाली नहीं है आपके लिए, जैसे हमारे यहां भी जगह खाली नहीं है। जहां हैं वही रहेंगे। इसलिए कभी-कभी सत्य भी बोलो, मन की बात भी बोलो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जैसे आप कभी-कभी सत्य बोलते हो वैसे बोलना है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अगर वाकई किसानों के हितैषी हैं तो पहले यह बताओ आप कि सभी जिंसों की एमएसपी नोटिफाई करते और कानून में यह प्रावधान करते, आपने 22 की एमएसपी घोषित की, खरीद तो सिर्फ 7 ही रहे हो, 22 की कर दी सिर्फ कागजों में और खरीद हो रही है सिर्फ 7 की, तो आप सभी जिंसों की तो एमएसपी नोटिफाई करते और कानून में यह प्रावधान करते कि कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति, कोई भी पूंजीपति किसानों से कान्ट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर एग्रीमेंट करेगा तो दाल की, चाहे चावल की, चाहे गेहूं की चाहे फलां-फलां किसी भी उत्पाद की, जो एमएसपी होगी, उस एमएसपी से कम कीमत पर करार नहीं किया जाएगा। हमें कोई एतराज नहीं था यदि आप उस एक्ट में यह कर देते तो हम उस पर अपनी सहमति देते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप कर दो, एग्रीकल्चर आपका विषय है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पाबंद करना पड़ेगा, मतलब उसकी लाचारी होनी चाहिए, मतलब उस पर पाबंदी होनी चाहिए। आपने पाबंदी नहीं की। आपने तो जो तीन एक्ट बनाए उनमें एमएसपी का नाम तक नहीं लिखा, तो क्यों नहीं आपकी नीयत पर शक करें, क्यों नहीं आप पर आरोप लगाये जाएं कि आप एमएसपी को खतम करना चाहते हो, क्यों नहीं लगाएं? लिखते 'एमएसपी', कहीं पर तो लिखते तीन कानून में। (व्यवधान) एक शब्द भी आपने 'एमएसपी' का नहीं लिखा। यह बताना चाहिए था कि खरीद की मात्रा, कम से कम यह बता देते कि खरीद की मात्रा इतनी होगी, 25 परसेंट लेते हो आप, 25 परसेंट भी पूरे कहां लेते हो आप? लेते कहां हो 75 परसेंट तो उसको दूसरों को बेचना पड़ता है एमएसपी से, 25 परसेंट तो ऐलान करते हो कि 25 परसेंट हम खरीद करेंगे, करते नहीं हो। दूसरी बात आप कहते हो कि सरकार कर ले। किस राज्य सरकार ने कर लिया आज तक हिन्दुस्तान में? बता दो मुझे एक भी राज्य सरकार? राज्य सरकारें आपने भी चलाई हैं और हमने भी चलाई हैं। कभी एमएसपी पर किसी राज्य सरकार को खरीदते हुए देखा आपने? इस तरीके की बात करते हो कि एमएसपी पर राज्य सरकार खरीद ले। अगर केन्द्र सरकार नहीं खरीदे तो, हर चीज के लिए केन्द्र की तरफ देखते हो, यह करो, वह करो, वह करो, यह करो, देखा न फसल बीमा की तरफ, गुजरात में फसल बीमा लगाया था, विथड्रा करना पड़ गया। (व्यवधान) विथड्रा करना पड़ गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बताना चाहिए था कि खरीद की मात्रा इतनी होगी, एमएसपी फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और हवाई अड्डों की भांति, हवाई अड्डों की भांति कृषि उपज मंडियों का भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। कम से कम यह तो बता देते क्योंकि आपकी तो हर चीज पर, आपकी नीयत पर शक हर जगह कर रही है पब्लिक। हर चीज पर शक है आप पर कि कोई न कोई षड्यंत्र करके आप किसी न किसी तरीके से आप कहते हैं न कि अडाणी और अम्बानी, देश के हर नागरिक का एक सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने लेकिन हमारे प्रधान मंत्रीजी का एक सपना है कि विश्व के सबसे अमीर आदमियों की जब लिस्ट बने तो ऊपर ही ऊपर मुकेश अम्बानी का नाम हो, एक सपना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह नाम लेना, नई परम्परा चालू कर रहे हैं ये। ये किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(व्यवधान) फिर जब हम नाम लेते हैं तो दिक्कत होती है इनको। (व्यवधान) किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इन्होंने यील्ड कर दिया? (व्यवधान) प्लीज, आप संसदीय मंत्री रहे हैं, सीनियर हैं। इन्होंने यील्ड ही नहीं किया और अपन बोल रहे हैं। पता नहीं क्या परम्परा डालना चाहते हैं यहां आप? इन्होंने यील्ड ही नहीं किया, लैट हिम स्पीक।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कम से कम उम्र को तो देखो, 78 साल का हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, एक मंत्री और बोलेंगे माननीय मंत्रीजी, आपके एक मंत्री और बोलेंगे अभी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू किया है मैंने। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घण्टे और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे और बढ़ाया जाता है।

माननीय मंत्रीजी, अभी दो बिल और पास करने हैं, दो बिल और पास करने हैं। संसदीय कार्य मंत्री आप ही हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो बिल और पास करने हैं।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री आप ही हैं। दो बिल और पास करने हैं इसके लिए आपके मंत्री और बोलेंगे।

विधेयक पर विचार

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020; कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 तथा आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जी हां। जी हां। (व्यवधान)

राजस्थान में कृषि उपज मंडी का नियम, 1963 में सबसे पहले प्रावधान रखा गया था, 1963 में। संविदा की खेती में एमएसपी से कम दर पर एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा, यह उस वक्त भी प्रोविजन था और मैं पूर्व मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2008 में आपने भी यह प्रावधान किया कि संविदा की खेती को किसी भी तरीके से एमएसपी से कम दाम पर नहीं बेचा जाएगा।

कांट्रेक्ट फार्मिंग राजस्थान में भी वर्ष 2008 से, एपीएमसी एक्ट 1961 में प्रावधान किया है, आपकी सरकार ने प्रावधान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं और आज आप कहते हो कि क्यों? यही विवाद है सबसे बड़ा।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): कटारियाजी आज विरोध कर रहे हैं इसका।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कटारिया साहब विरोध कर रहे थे। पुरानी याद नहीं रहती है।

प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी साहब, जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक बार नहीं, एक हजार बार यह बात कही थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर देना चाहिए। अनिवार्य कर देना चाहिए, इस बात को उठाने वाला अगर कोई मुख्य मंत्री था तो वह नरेन्द्र मोदी था उस वक्त। आज इसकी बात खतम, एमएसपी का जिक्र नहीं, तीन कानून बना दिए और 'एमएसपी' शब्द नहीं लिखा? (व्यवधान)

आज यहां बात उठी कि ज्वार की और मक्का की भी एमएसपी घोषित होनी चाहिए। पढ़ो-लिखो भैया, आपने, केन्द्र सरकार ने जो 22 जिंसों

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

की एमएसपी घोषित की उसमें ज्वार भी है, मक्का भी है, वह नहीं खरीदें तो बात अलग है, वह नहीं खरीदें तो उसकी बात अलग है। राजस्थान में तो 7 जिंसें अलाउ कर रखी हैं, उन 7 जिंसों के नाम पढ़ देता हूं आपको, कौन-कौनसी अलाउड हैं।

(19.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार अगर वाकई किसानों की सच्ची हितैषी थी तो उसे यह भी प्रावधान करना चाहिए था कि एमएसपी सालाना पांच प्रतिशत तक बढ़ेगी और किसानों की फसल एमएसपी से कम भावों में बेचना या खरीदना कानूनन अपराध होगा। सौ प्रतिशत माल खरीद की गारंटी होगी। हमने अब कानून में यह प्रावधान किया है कि एमएसपी से कम दर पर फसल बेचने के लिए एग्रीमेंट करने का किसान पर यदि कोई दबाव बनाएगा तो उसे हैरेसमेंट माना जाएगा और हर हैरेसमेंट के लिए तीन से लेकर सात साल तक की सज़ा का कानूनी प्रावधान किया है। क्या गलत किया है? किसान के हितैषी हम हुए या आप हुए?

केन्द्र का इन कानूनों को लाने के पीछे जो षड्यंत्र है, वह साफ-साफ दिख रहा है। आदरणीय मैडम, मैडम, मैं आपका... ...(व्यवधान) सरकार ने शांताकुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू की।

श्री अध्यक्ष: आप मैडम का ध्यान आकर्षित कर रहे थे या किसका कर रहे थे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जी साहब?

श्री अध्यक्ष: आप मैडम का ध्यान आकर्षित कर रहे थे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इन कानूनों के पीछे अगर कोई षड्यंत्र है तो यह साफ-साफ दिख रहा है कि सरकार शांताकुमार कमेटी की रिपोर्ट लागू करना चाहती है। शांताकुमार जी की रिपोर्ट जो है, वह सीधी-सीधी यह है कि एफसीआई के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सालाना एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान होता है और एफसीआई को अभी तक चार लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका। अगर इस नुकसान से बचना है तो इस एमएसपी को खतम कर दो।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

साफ-साफ षड्यंत्र इस बात का है कि आगे आने वाले वक्त में धीरे-धीरे करके इस एमएसपी का गला काट दिया जाए। किसानों के पेट पर लात मारकर आप इस षड्यंत्र को अमलीजामा पहनाना चाहते हैं। मैं विपक्ष के साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि अगर समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद नहीं हुई, यह समाप्त हो गयी तो यह बताएं कि राशन की दुकानों पर गरीब उपभोक्ताओं को मिलने वाला राशन क्या अपने आप खतम नहीं होगा? कहां से आएगा राशन? कहां से आएगा गेहूं और चावल?

मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अम्बानी ने हर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अम्बानी की उपस्थिति नहीं हो। एक अकेला एग्रीकल्चर का क्षेत्र ऐसा था जिसमें वह प्रवेश नहीं कर पाया था। रिटेल के बड़े-बड़े स्टोर खोल लिये, वह एक अलग बात है, लेकिन यह सारा का सारा प्लान अम्बानी के रिलायंस ग्रुप को कृषि के क्षेत्र में एन्ट्री करवाने का है। इन लोगों का जो सपना है, वह मैंने बताया आपको। यह सपना पूरा करने के लिए ही प्रधान मंत्री किसी तरह से रिलायंस को एग्रीकल्चर सैक्टर में डालना चाहते हैं।

मैडम, आप सुनिये इसे, आपके वक्त की बात है। शायद आपकी जानकारी में न हो, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। 2014-15 में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 2560 रुपये था और सरसों का 3100 रुपये था, परंतु आपकी सरकार के आने के बाद वहां पर अडाणी ने कांटा ही नहीं लगने दिया। यह कोटा की बात कर रहा हूं मैं आपसे। राजस्थान की सबसे बड़ी मण्डी कोटा में है। जब कांटा ही नहीं लगा तो यह 3100 रुपये की बजाय आपका सरसों 2500-2600 रुपये में बिका और वह सारा का सारा अडाणी ने खरीदकर अपनी बूंदी की दो मिलों में काम में लगा दिया।

मैडम, एमएसपी पर एफसीआई की खरीद का कांटा न लगने का आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये आपके जो कार्यकर्ता होते हैं न, ये उनके द्वारा किये गये काम हैं। (व्यवधान) 2500 रुपये में खरीद लिये गये। इन कार्यकर्ताओं ने 2500 रुपये में खरीद लिया और खरीदकर के अम्बानी की ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन): अडाणी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अडाणी की मील पर पहुंचा दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अम्बानी नहीं, अडाणी बोल रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस कानून से आपने किसान को और बांध दिया और पूंजीपतियों के कहे अनुसार उसकी मर्जी के माफिक उसे क्वालिटी और देगा। इस क्वालिटी की तो फसल आनी चाहिए और यह बीज बो दे तू। वह बीज बो देगा। फसल आ जाएगी। फसल आने के बाद में कहेगा कि साहब, यह तो ठीक नहीं है। मान लीजिए पास में नहर गुजर रही है, नहर ओवरफ्लो हो गयी या नहर की दीवार टूट गयी और पानी भर गया चारों तरफ और वह फसल मामूली-सी 19-20 खराब हो गयी तो उसी को बहाना बनाकर के कान्ट्रेक्ट में जो दाम लिखा हुआ है, वह दाम नहीं देगा। झगड़े होंगे। हजारों की तादाद में झगड़े होंगे अगर पूंजीपति आया, लेकिन अगर लोकल आदमी होता तो उससे वहां के लोग आपस में फैसला करवा देते, पर उस पूंजीपति से फैसला करवाने कौन जाएगा? अम्बानी के पास कौन जाएगा, अडाणी के पास कौन जाएगा? आपने बता दिया कि मुकदमेबाजी बढ़ेगी तो कोई बात नहीं। एसडीएम बैठा हुआ है, कलेक्टर बैठा हुआ है, फैसला कर देगा। कर सकते हैं? एसडीएम के पास मरने की फुर्सत नहीं। कलेक्टर के पास इतना काम कि मरने की फुर्सत नहीं। उनको यह काम और सौंपेंगे आप? राजस्व है, प्रशासन है, कानून-व्यवस्था है, अन्य विकास की योजनाओं की क्रियान्विति में लगे ये लोग कहां यह सब करेंगे।

ये दो-दो, तीन-तीन एकड़ के किसान कैसे लड़ पाएंगे? क्या अम्बानी से लड़ पाएंगे, टाटा से लड़ पाएंगे, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा से लड़ पाएंगे, गोयनका से लड़ पाएंगे? अब बिचौलिये कहां गये, कटारिया साहब चले गये। (व्यवधान) बिचौलिया नहीं कहें तो क्या कहें साहब इन्हें? आदमी को तो आदमी ही कहेंगे न, मुनीम को तो मुनीम ही कहेंगे, सेठ को सेठ ही कहेंगे और जो बिचौलिया होगा, उसे बिचौलिया ही कहेंगे।

(19.08 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

क्या कहें इन्हें? ये बिचौलिया जिन्हें आप बता रहे हैं, ये सब लाइसेंस होल्डर्स हैं और इनकी संख्या करीब 86 हजार है। राजस्थान भर में 86 हजार लोगों को मण्डियों के लाइसेंस जारी हैं। जिस रोज इनके लाइसेंस खतम हो जाएंगे तो आप यह समझ लें कि एक लाइसेंसधारी के यहां कम से कम पांच

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

से लेकर दस आदमी तक काम करते हैं, कितने आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, सोचा कभी?

अम्बानी जियो कम्पनी लेकर आये थे। जियो कम्पनी ने छह-आठ महीने तक सभी को मोबाइल फ्री कर दिया। आदत बिगाड़ दी। लोगों के पास मोबाइल फ्री हो गये। आराम से चार महीने तक कोई बिल नहीं आने लगा और आखिर में दाम ऐसे बढ़ाए। सबके पास जियो का मोबाइल आ ही चुका था, 4जी, 5जी, पता नहीं कौन-कौन सी 'जी' थीं, वे सब आ गयीं सारी। इस तरीके से प्लान किया जाता है। किसी भी चीज को खतम करने के लिए किस तरह से घुसा जाता है, उसने फ्री में मोबाइल दिये। कोई बिल नहीं दिया। आज भी यही होगा कि ये पूंजीपति वहां गांवों में जाएंगे, किसान से बात करेंगे, उसको अच्छे दाम देंगे। एक साल देंगे, दो साल देंगे और दो साल देने के बाद में फिर उसको अंगूठा दिखाएंगे, यही होगा। लूटकर खाएंगे ये लोग और मजबूरन किसान इनके हत्थे पड़ेगा। कटारिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो भी लाइसेंसधारी हैं, जो फसल खरीदते हैं उनको तो हम कहीं पर भी पकड़ सकते हैं पर अब आपने कर दिया कि कोई भी पेन कार्ड होल्डर खरीद सकता है तो उसको पकड़ने कहां जाएंगे हम? क्या उसको पकड़ने हम गुजरात जाएंगे अगर गड़बड़ी हो गई तो? आप बताओ, कैसे क्या करेंगे? है जवाब इसका आपके पास? याद है आपको, राजस्थान में तीन वर्ष पहले सूफे कम्पनी द्वारा किसानों से 1800 रुपये क्विंटल की दर के हिसाब से कांट्रेक्ट किया गया था, परन्तु फसल तैयार होने पर कम्पनी द्वारा मना कर दिया गया कि आपकी फसल ठीक नहीं है, दागी है, खराब है, मैं नहीं लेता। मजबूरन किसान को 1500 रुपये प्रति क्विंटल में अपनी फसल बेचनी पड़ी। एक क्विंटल पर उसको 300 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। यह सूफे कम्पनी तीन साल पहले ही आई थी। असल में देखा जाए तो यह किसान की फसल को नहीं, किसान की जमीन को और उसकी जिन्दगी को खरीदने वाला कानून बनाया है केन्द्र सरकार ने। छोटी-छोटी जोतों पर पूंजीपतियों और धन्नासेठों का अधिपत्य होगा और किसान अपनी जमीन का मालिक न होकर खुद मजदूर हो जाएगा, खेत का मजदूर हो जाएगा।

आप एक बात का मुझे जवाब दे दो। अभी किसान की फसल अगर खराब होती है तो सरकार मुआवजा देती है। फिर कांट्रेक्ट होने के बाद अगर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

फसल खराब हो गई तो क्या कांट्रेक्टर उसको मुआवजा दे देगा? बताओ, दो जवाब। आपातकाल के लिए हमेशा किसान की एक आदत होती है चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो कि 90-95 परसेंट उपज तो वह बेच देता है लेकिन 5 से 10 परसेंट उपज बचाकर रखता है। छोटा जो किसान होता है वह तो ज्यादा बचाकर रखता है क्योंकि वह यह समझता है कि आपातकाल में कोई ऐसी स्थिति आ जाए, हारी-बीमारी हो जाए तो बाद में अच्छे दामों पर बिक जाएगी और फसल को बेचकर मैं अपना काम चला लूंगा लेकिन कांट्रेक्ट में अगर वह फंस गया तो फिर तो 100 परसेंट उसको देनी पड़ेगी, कुछ नहीं रख सकता, एक दाना भी नहीं रख सकता किसान। इसके अलावा कृषि जिन्सों की कमी बताकर ये कम्पनियां बाजार पर अपना नियंत्रण कर लेंगी। कृषि उत्पादों की मनमानी कीमत वसूल करेगी और कुल मिलाकर खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। यह होता आया है और होता रहेगा।

सभापति महोदय, विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में विश्व बैंक की यह मान्यता थी कि भारत में देहाती जमीन अकुशल हाथों में है उसे वहां से निकालकर शहरों में बैठे हुए कुशल हाथों में ले जाने की जरूरत है। यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है और विश्व बैंक की रिपोर्ट को ही हूबहू मोदी साहब कानून के जरिये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट है यह।

किसानों की आय दुगुनी करेंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे और यह जुमला सुनते-सुनते लोगों के कान पक गये और मेरे तो कान ही बहरे हो गये साहब और मुझे डाक्टर ने मशीन लगाने के लिए कह दिया कि मशीन लगाओ। आप कहते हैं कि किसान की थाली सस्ती हो गई, गरीब की थाली सस्ती हो गई तो उस थाली में जो प्रोड्यूस होता है वह किसका होता है? थाली सस्ती हो गई तो थाली के अन्दर जो प्रोड्यूस है वह है किसका? किसान का है और जब किसान का है तो फिर उसकी आय दुगुनी कैसे हो गई? कैसे हो गई दुगुनी? अगर दाल 100 रुपये किलो थी और सस्ती होकर वह 50 रुपये किलो हो गई और 50 रुपये किलो की दाल उसकी थाली में पहुंच गई तो किसान तो मारा गया न। किसान की आय दुगुनी कहां हुई?

बार-बार हर चीज में चाहे वह कोई भी चीज हो कि वन नेशन - वन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मार्केट, वन नेशन-वन मार्केट। जीएसटी का जिस तरीके से बैंडबाजे के साथ वहां जलसा किया था और आज उस जीएसटी को सब लोग रो रहे हैं, माथा पकड़कर रो रहे हैं कि यह सब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वन नेशन -वन मार्केट की बात करने वालों ने दो मार्केट बना दिये न। वन नेशन-वन मार्केट और बना क्या दिये? दो मार्केट। एक तो मण्डी के अन्दर और एक मण्डी के बाहर, दो मार्केट हो गये। अगर यही हालात रहे तो थोड़े दिनों में मण्डियों की हालत खराब हो ही जाएगी और नतीजा क्या निकलेगा? एचपीसीएल, एयर इण्डिया, उदयपुर का लक्ष्मीविलास होटल, उसी तरीके से ये मण्डियां भी बिकेंगी। औने-पौने दामों में ये मण्डियां खरीद ली जाएंगी।

सभापति महोदय, किसानों के हित संरक्षण के लिए, मण्डी व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने के लिए और लाखों लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए ये जो तीन कानून आये हैं उन पर मैं निवेदन करना चाहता हूं। इन कानूनों में जो प्रावधान किये गये हैं, सन् 1960 की बात है, 1960 के दशक में जब देश में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और सरकार को महसूस हुआ कि किसान नये किस्म की खेती तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसको सही दाम नहीं मिलेंगे। जो करता आया है वह करता रहेगा लेकिन जो नये किस्म की खेती सरकार करवाना चाहती है जिससे कि उसको सही दाम मिल जाएं, वह दाम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वह नई खेती नहीं करेगा। इसीलिए सरकार ने बुवाई के पहले सरकारी दामों की घोषणा करना शुरू कर दिया था, यह एमएसपी तब से चालू हुई। उस वक्त प्रधान मंत्री कांग्रेस के हुआ करते थे। आप 54 साल का हिसाब पूछ रहे हो न कि 54 साल में आपने क्या किया, ये हमारे 54 साल के काम हैं। सरकार ने बुवाई से पहले सरकारी दाम की घोषणा करना शुरू कर दिया और इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाने लगा। साधारणतया किसान इसको सरकारी रेट मानता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब सरकारी रेट। यह सच है और सरकार भी इस बात को मानती है, उस वक्त भी मानती थी। यह सच है कि किसान की फसल का यह वाजिब दाम नहीं है, यह वाजिब दाम नहीं है एमएसपी, यह मिनिमम दाम है जबकि देना चाहिए था उसको मैक्सिमम दाम जो मोदी जी 2022 में देने जा रहे हैं अब। देंगे क्या? ये मिनिमम दाम हैं, न्यूनतम दाम, किसान को मेहनत का जितना कम से कम मेहनताना मिलना

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

चाहिए, उसका यह सूचकांक है। आज से 15 साल पहले, आपने स्वामीनाथन को खूब कहा, आपने इधर-उधर की रिपोर्टें तो पढ़ दीं। ये पचासों कमीशन आपके टाइम पर भी बन गये और हमारे टाइम पर भी बन गये, इन कमीशनों की रिपोर्ट आप क्या समझते हो कि साल दो साल में कोई सरकार मान लेती है क्या? आप हमसे पूछते हो कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है 2006 में आ गई थी, आपने क्या किया, आपने क्यों पटक कर रखा है, 2014 तक आपकी सरकार थी। आप यह कहते हो, आप यह बता दो कि कौनसा ऐसा कमीशन है, देश में बनाया हुआ, कौनसा ऐसा कमीशन है, एक कमीशन का नाम बता दो आप, जिसकी रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार ने या राज्य सरकार ने हूबहू मान लिया हो, लागू कर दिया हो। एक का बता दो, टुकड़े-टुकड़े में लागू होता है। आप कोशिश कर रहे हो, करो, बहुत अच्छा है, सफल रहो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यह बताओ कि जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट का, वह यह था कि एमएसपी की सही गिनती का फार्मूला बनाया जाए और उन्होंने फार्मूला यह बनाया था कि किसी किसान की सम्पूर्ण लागत पर, पचास प्रतिशत बचत जोड़कर, एमएसपी तय होनी चाहिए। यानी कि गेहूं की लागत अगर 1600 रुपये आती है प्रति क्विंटल तो उसकी एमएसपी फिर 2400 रुपया क्विंटल होनी चाहिए, उस पर काम किया क्या? कमीशन की जो रिपोर्ट आती है, वो तो ऐरे-गेरे, इधर-उधर, ये और वो, ऐसे करके पचासों पाइन्टों पर आती है लेकिन जो सबसे प्रमुख काम था, सबसे प्रमुख बिन्दु था रिपोर्ट का, वह यह था, इस पर क्या काम किया आपने? हमने नहीं किया, नहीं किया भैया, आप तो करो, अजी आंकड़े दे दिये, कहां दे दिये, एक ही आंकड़ा नहीं है। फिर वहीं बात आ गई, आप फिर वही बात कह रहे हो और यह भी लाचारी है। ये लाचारी आपकी भी थी, हमारी भी थी कि गेहूं हमें खरीदना है, धान हमें खरीदना है, खरीदना इसलिए है कि राशन की दुकान पर गेहूं और चावल देना है, ये तो लाचारी है, लाचारी की वजह से आप सात जिंस खरीदते हो, वरना वो भी नहीं खरीदोगे, वो भी धीरे-धीरे बंद कर रहे हो आप। शांताकुमार समिति का आपको आज मैंने बता ही दिया, उसने कहा कि सिर्फ 6 परसेंट लोगों को एमएसपी का पैसा मिल रहा है, बाकी 95 परसेंट किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलता।

सभापति महोदय, मैं ये दोनों विधेयक आये हैं, तीन पर आप कुछ बोलोगे, तीसरे के बारे में कुछ आप भी जिक्र करेंगे, सर। उसमें मोटे तौर पर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

यह प्रावधान किया गया है कि एमएसपी से कम कीमत पर किया गया एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति या कम्पनी या फर्म एग्रीमेंट करते समय किसान को एमएसपी से कम कीमत पर अपनी उपज बेचने पर मजबूर करता है या दबाव बनाता है तो उसे किसान का हैरेसमेंट माना जाएगा और उसके लिए उसको अधिकतम तीन से लेकर सात साल तक की सज़ा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा, क्या गलत है इसमें? मैं पूछना चाहता हूं क्या गलत है, ये बताओ आप। खामख्वाह विरोध कर रहे हो हमारा।

मंडी व्यवस्था और उसकी आय को बरकरार रखने के लिए, मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज खरीदने बेचने पर शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है, स्टाक लिमिट तय करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रहेगी। आपने कह दिया आपके एक्ट में केन्द्र सरकार के एक्ट में युद्ध, अकाल, अतिवृष्टि, आपदा, इस तरीके की चार-पांच चीजें होंगी तो जाकर के हम स्टाक लिमिट पर पाबंदी लगाएंगे। आप एक बात बताइये देश भर में कहीं बाढ़ नहीं आई या देश भर में कहीं अकाल नहीं पड़ा और राजस्थान में अकाल पड़ गया, राजस्थान की सरकार लिख रही है केन्द्र के पास कि साहब स्टाक लिमिट करवाने दो, स्टाक लिमिट करवाने दो, वह जवाब नहीं दे रही तो क्या करेंगे? क्या ये अधिकार हमारे पास नहीं रहना चाहिए? राज्य सरकार में आप भी रहे हो, हम भी रहे हैं, आगे भी हो सकता है आप आ जाओ या हम फिर कभी आ जाएं तो ये तो सोचो ईमानदारी से कि ये अधिकार अगर राज्य सरकार के पास नहीं रहा तो क्या करेगी राज्य सरकार? हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी। विवाद का फैसला, एसडीएम, कलेक्टर के बजाय यथावत मण्डी समिति, डायरेक्टर मार्केटिंग करेंगे, हमने यह प्रावधान किया है। सिविल कोर्ट का जूरिस्डिक्शन यथावत रखा है। फार्मिंग एग्रीमेंट के तहत स्पोन्सर, एग्रीमेंट खतम करने के बाद किसान के खेत से मैन पावर नहीं हटाता है। अगर कान्ट्रेक्टर जिससे आपने पार्टनरशिप की है या जो आपका क्या कहते हैं उसको स्पोन्सर, अगर उसने आपके खेत से अपने आदमी नहीं हटाये। तो उसमें जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। जैसा उसमें भी है कि तीन दिन के अंदर-अंदर वह अपनी मैन पावर हटा ले वर्ना उस पर जुर्माना होगा, ये हमने भी किया है। व्यापारी द्वारा कृषि उत्पाद की डिलिवरी लेने से मना करने या फसल लेने के बाद तीन दिन में भुगतान नहीं करता तो उसे किसान का

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हैरेसमेंट माना जाएगा और उसके लिए भी सात साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये सब चीजें हमने नये एक्ट में लिखी हैं। सभापति महोदय, मैं तो यही प्रस्ताव करता हूं कि जनमत जानने के लिए जो भी माननीय सदस्य बोले हैं, उनको अस्वीकार करते हुए इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री बी.डी. कल्ला, प्रभारी मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आम जनता को सही कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों, इसके लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम आया और उसमें खास तौर से खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति वाणिज्यिक और व्यापारिक इन चीजों को विनियमित करने के लिए और उनको प्रतिषेध करने के लिए यह प्रावधान डाला गया और उसमें धारा 3 में यह प्रावधान रखा गया कि कोई भी व्यक्ति यदि जमाखोरी या मुनाफाखोरी करता है तो केन्द्र सरकार उसकी स्टाक लिमिट निर्धारित कर सकती है और उसको पाबंद कर सकती है कि आप इस क्वांटिटी से ज्यादा कोई भी वस्तु जो है अपने यहां स्टाक में नहीं रख सकते।

बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है, यह बात सही है कि महात्मा गांधी जी के उस सिद्धान्त पर बना था कि आम आदमी की कीमतों में वस्तु की कीमतों में जो आवश्यक है, उसमें अनाप-शनाप बढ़ोतरी न हो, कालाबाजारी को रोका जाए, जमाखोरी को रोका जाए, इस उद्देश्य के आधार पर यह कानून बना था और इस कानून में आगे जाकर के भारत सरकार में भी 5 जून, 2020 को एक अध्यादेश लेकर आए और उसके बाद सितम्बर, 2020 में पार्लियामेंट में और राज्य सभा में यह कानून बना और 27 सितम्बर, 2020 को नोटिफाई हो गया। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया है कि इस आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, 2020 में धारा 3 में उपधारा 1 (क) को जोड़ा है। इसके अंतर्गत 6 वस्तुएं खास तौर से आलू, प्याज, अनाज, दाल, खाद्य तेल और तिलहन, इन 6 वस्तुओं की कीमतों में यदि अप्रत्याशित वृद्धि हो, इनकी कीमतों में अथवा अकाल, युद्ध और गंभीर प्राकृतिक आपदा, ऐसे वक्त में केन्द्र सरकार इन वस्तुओं के स्टाक को लिमिट करने के बारे में एक तरह से नोटिफिकेशन जारी करके, उसकी स्टाक सीमा को निर्धारित कर सकती है। उसमें भी दो शर्तें और लगाई उन्होंने, आलू और प्याज की कीमतों

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

में सौ प्रतिशत तक वृद्धि हो तब जाकर वे इस संबंध में कानून मतलब नोटिफिकेशन जारी करेंगे, स्टाक की सीमा निर्धारित करेंगे और दाल, दलहन और खाद्य तेल और तिलहन इन चारों की 50% कीमतें जब वृद्धि होगी तब जाकर स्टाक लिमिट को वह निर्धारित करेंगे। अभी विपक्ष के नेता महोदय और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और कई विपक्षी माननीय सदस्यों ने कहा कि इस कानून के बनने से किसानों को या आम आदमी को लाभ होगा। आप मुझे बताइए कि 100% कीमतें जब बढ़ेंगी तब जाकर केन्द्र सरकार की आंखें खुलेंगी और तब जाकर स्टाक लिमिट निर्धारित करेंगे। आज मान लीजिये दाल की कीमत 100 रुपये है और 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो गई तब जाकर यह स्टाक लिमिट निर्धारित करेंगे।

यह बताइए आम उपभोक्ताओं को कितना भारी नुकसान होगा जबकि जिस समय कानून बना था उस समय कीमतों के ऊपर प्राइस एस्केलेशन, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए यह कानून बना था और खास तौर से 10-20 परसेंट कीमतें भी यदि बढ़ती थीं तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार हरकत में आ जाती थी और आकर स्टाक लिमिट निर्धारित करती थी और उसकी पालना होती थी और हमारे यहां जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने का केवल मात्र एक उपाय था लेकिन अब इस धारा-3 में उप धारा-1 (क) को जोड़ने से मुनाफाखोर, जमाखोर इनकी सीमाएं स्टाक बढ़ा दी गई हैं कोई एक लाख करोड़ टन अनाज इकट्ठा करना चाहे तो कर सकता है, कोई रोक नहीं है उस पर। जब तक सौ परसेंट आलू और प्याज की कीमतें बढ़ेंगी तब जाकर वह विचार करेंगे इसके ऊपर और उसमें भी पिछले एक साल के खुदरा मूल्य को ध्यान में रखते हुए और अथवा 5 साल का आन एंड एवरेज खुदरा मूल्य है उसका औसत लेकर जो भी कम हो, उसके आधार पर स्टाक सीमा निर्धारित की जाएगी। दलहन, अनाज, खाद्य तेल और तिलहन इन 4 चीजों पर 50% तक जब वृद्धि हो जाएगी तब स्टाक लिमिट निर्धारित की जाएगी वह भी उसके आधार पर लेकिन इसमें भी उन्होंने एक छूट दी है। इसके साथ-साथ स्टाक लिमिट के संबंध में खाद्य पदार्थों के प्रोसेसर, उत्पादकों वैल्यू चैन पार्टिसिपेंट्स अर्थात् खेत से अंतिम खपत तक कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाले व्यापारियों को उत्पादन क्षमता तक निर्यातकों को उनकी निर्यात मांग की मात्रा तक स्टाक लिमिट में छूट प्रदान की गई है, उसमें कोई स्टाक लिमिट

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

निर्धारित नहीं कर पायेंगे। स्टाक लिमिट तय करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि 12 महीने का एवरेज अथवा 5 वर्षीय औसत खुदरा मूल्य के आधार पर न्यूनतम दर जो भी हो, उसके आधार पर यह किये जायेंगे। व्यापारियों को इसमें निजी लाभ की छूट दे दी गई है क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि पूरा का पूरा आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहां के जो कारपोरेट घराने हैं उनकी कैपेसिटी इतनी हो गई है कि पूरे देश का अनाज एक व्यक्ति खरीद सकता है, दो-तीन घराने मिलकर के खरीद सकते हैं।

सभापति महोदय, यहां मैं मार्केट मार्फोलाजी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। हमारे देश में तीन तरह का मार्केट है मोनोपोली मार्केट जिसमें एक ही व्यक्ति बेचने वाला है और बाकी लोग खरीदने वाले हैं। दूसरा मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कांपीटिशन उसमें चार-पांच औद्योगिक घराने मिलकर मोनोपोली की तरह व्यवहार करते हैं, वस्तु के आकार प्रकार में परिवर्तन और विज्ञापन के माध्यम से वस्तु को बेचते हैं लेकिन कीमतें वह मोनोपोली की तरह वसूल करते हैं और तीसरा मार्केट है परफैक्ट कांपीटिशन का मार्केट। इस परफैक्ट कांपीटिशन के मार्केट में बेचने वाले भी बहुत हैं और खरीदने वाले भी अनेक हैं तो अभी वर्तमान में इस देश में कृषि उपज मंडी के माध्यम से जो काम हो रहे थे या अभी जो खाद्य व्यापार चल रहा था और असेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो पूर्व में था इस अमेंडमेंट से पहले, उसमें परफैक्ट कांपीटिशन का मार्केट था। खाद्य पदार्थ में एक परसेंट से लेकर 5 परसेंट मुनाफे के ऊपर व्यापार होता था लेकिन अब इस एक्ट में जो परिवर्तन किया गया है, धारा जो 1(a) जोड़ी गई है मूलधारा 3 (के) बाद में, इससे आदमी अपने स्टाक को अनलिमिटेड बढ़ायेगा और बढ़ा करके वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करेगा और कृत्रिम अभाव पैदा करके किसान से कम कीमत में खरीदेगा और बहुत ऊंची कीमत के ऊपर उपभोक्ताओं को वह चीजें मुहैया होंगी। इससे मोनोपोली जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया था, हमारा देश परफैक्ट कांपीटिशन से मोनोपोली बाजार की ओर जा रहा है जिसमें एक आदमी बेचने वाला या तीन-चार आदमी मिलकर बेचेंगे और सारे देश का शोषण करेंगे, सारे देश को एक तरीके से लूटेंगे। इस कारण से राज्य सरकार ने यह उचित समझा।

हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और विपक्ष के नेता महोदय और कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि केन्द्र सरकार कोई कानून बनाती है तो उसके बारे में कोई कानून बनाने का आपको अधिकार नहीं है। मैं इस

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

संबंध में आपको बताना चाहूंगा, खासतौर से इसी एक्ट में इसी असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संविधान के आर्टिकल-254(2) के अनुसार राज्य विधान सभा द्वारा समवर्ती सूची के किसी भी विषय में बनाये गये कानून में कोई ऐसा प्रावधान है जो संसद द्वारा पहले बनाये गये कानून या उस विषय के संबंध में किसी मौजूदा कानून के प्रावधानों के खिलाफ है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति जी की अनुमति के साथ उस राज्य में लागू किया जाता है। इससे पहले भी अधिनियम की धारा-7 ए, इसी अधिनियम की धारा-7ए का राज्य संशोधन राजस्थान अधिनियम, 1960, 1960 का 32 के द्वारा लागू किया है जिसमें राजस्थान में अधिनियम के तहत अपराध में काम करने में ली गई सम्पत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है। इसी एक्ट में हमने पहले 1960 में अमेंडमेंट किया था और उसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी।

इसी प्रकार बिहार में धारा-3, 6 और 6 सी में 1978 में बिहार अधिनियम संख्या-9 के अनुसार परिवर्तन किया गया है।

उत्तर प्रदेश में धारा-3 और धारा-6 बी (बी) में 1975 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-18 यह संशोधन हुआ है। उत्तर प्रदेश में धारा-3 और 11 में 1974 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-9 यह संशोधन हुआ है और राष्ट्रपति जी ने अपनी सहमति दी है तो यह कहना कि यह हमारा अधिकार नहीं है, मैं समझता हूं कि आप इसमें सुधार कर लें। कानून हमने बनाये हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम में 1960 में संशोधन किया, राष्ट्रपति जी ने उसको मंजूर किया और इसमें भी खास तौर से हमने क्या किया है कि जो धारा-3 का जो दूसरा प्रोविजो है उसके बाद में एक परंतुक जोड़ा है। उस परंतुक के अनुसार उन्हीं 6 वस्तुओं पर आलू, प्याज, अनाज, दाल, खाद्य तेल और तिलहन, इन 6 वस्तुओं के बारे में खास तौर से प्राकृतिक आपदा, कीमतों में वृद्धि-उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित कीमतों में वृद्धि, हमने कहा कि कीमतों में वृद्धि और उसके बाद है अन्य किसी भी परिस्थिति के आधार पर, किसी भी कारण से कीमतों में वृद्धि हो सकती है। युद्ध को हमने नहीं लिया है क्योंकि युद्ध डिक्लेअर करना केन्द्र सरकार का काम है तो इन प्रोविजो के आधार पर यह कानून तो केन्द्र का है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

और हमारे पास कोई शक्ति नहीं होगी तो हम इसको कैसे प्रतिषेध करेंगे, कैसे इसका विनियमन करेंगे इसलिए इस प्रोविजो को जोड़कर हमने यह कोशिश की है कि राज्य सरकार कोई भी व्यक्ति यदि जमाखोरी, मुनाफाखोरी करता है और कीमतों में कोई जरूरी नहीं है कि 100% तक वृद्धि को देखा जाए। यदि 20- 25 परसेंट वृद्धि भी कर दी है तो राज्य सरकार उसको प्रतिषेध कर सकती है, स्टाक लिमिट निर्धारित कर सकती है, राज्य सरकार उसकी स्टाक लिमिट को तय कर सकती है। अनाज, दाल, खाद्य तेल और तिलहन इसमें भी 50% तक वृद्धि का इंतजार (वैट) करना आवश्यक नहीं है। जब उचित समझे सरकार कि कीमतों में वृद्धि हो रही है, किसी भी कारण से वृद्धि हो रही है, उसको प्रतिषेध करने के लिए राज्य सरकार ने अधिकार लिया है कि वह इसको विनियमित करे, वह इसको प्रतिषेध करे ताकि कीमतों में अनावश्यक वृद्धि नहीं हो और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार राज्य में कीमतों को नियंत्रित रख सके।

इसके साथ-साथ हमने जो विशेष रूप से प्रावधान किये हैं उसमें कीमत बढ़ोतरी, कीमत बढ़ोतरी पर हमने कोई पैमाना नहीं रखा, इन्होंने पैमाना रखा है कि 100 परसेंट बढ़ेगी तब विचार करेंगे। 50 प्रतिशत तक अनाज, दाल, खाद्य तेल और तिलहन की कीमतों में वृद्धि होगी तब विचार करेंगे। हमने इनको हटाकर चार कारण दिये हैं, प्राकृतिक आपदा, कीमतों में वृद्धि और इसी प्रकार अकाल और प्राकृतिक आपदा, यह चार परिस्थितियों में कभी भी राज्य सरकार इस प्रोविजन के आधार पर स्टाक लिमिट कर सकती है, कीमतों पर नियंत्रण कर सकती है, जमाखोरी, मुनाफाखोरी को रोक सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो प्रोविजन किये हैं, उसमें खास बात यह है कि यह जो एक्ट है, यह 5 जून, 2020 से नहीं लगेगा। हमारा एक्ट पारित होगा, नोटिफाई होगा, उसके बाद यह कानून राजस्थान में लागू होगा।

इसके अलावा संविधान में विशेष रूप से जो कानून बनाने का अधिकार दिया है, उसमें निश्चित रूप से संविधान की तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में प्रविष्टि नंबर 27 और समवर्ती सूची में 37 नंबर, इन प्रविष्टियों में यह जो विषय है वह निश्चित रूप से राज्य का विषय भी है। राज्य इस संबंध में कानून बना सकता है। आप बार-बार कह रहे थे कि आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कानून बनाने का अधिकार है जो हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि संविधान

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

की इन प्रविष्टियों के अंतर्गत हम राज्य में कानून बनाने का अधिकार रखते हैं और उसी के अंतर्गत हमने धारा 3 (ए) में जो दो प्रोविजनों के बाद नया प्रोविजन जोड़कर जो प्रावधान लेकर आये हैं, यह राज्य के हित में है, राज्य के उपभोक्ताओं के हित में है। जमाखोरों व मुनाफाखोरों के खिलाफ है। ये लोग बोल रहे थे कि आप किसान का विरोध कर रहे हो। आप आम आदमी को कहां ले जा रहे हो। एक साल में 100 परसेंट कीमतों में वृद्धि करके और फिर उसके बाद में आप स्टाक लिमिट लगाना चाहेंगे, आप किसको फायदा देना चाहते हो? हमारे पूर्व वक्ताओं ने और माननीय मंत्रियों ने ठीक कहा कि औद्योगिक घरानों को सपोर्ट करने के लिये यह बिल लाया गया है। निश्चित रूप से जो केन्द्रीय कानून बना है उसमें सुधार की आवश्यकता है और जो सुधार राजस्थान सरकार ने किये हैं वह मौजूं हैं, वह तार्किक हैं, संविधान सम्मत हैं और राज्यों में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए, जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर अंकुश लगाने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए बहुत जरूरी हैं, नहीं तो आने वाले वक्त में आप लोग सपोर्ट करेंगे, ढूंढ़ते रह जाओगे, न किसान आपके साथ रहेगा, न कंज्यूमर आपके साथ रहेगा, न मजदूर आपके साथ रहेगा, न गरीब आपके साथ रहेगा और अगले चुनावों में यह सारे के सारे लोग एकजुट होकर लोक सभा के चुनाव में आम आदमी आपको धराशाही कर देगा, यह मेरा चैलेंज है।

(19.43 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो उपयोगी सुझाव दिये हैं, उनके लिये तो धन्यवाद देता हूं और जनमत जानने के लिए जिन 14 माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव यहां पर रखा है, उसको अस्वीकार करने के लिये मैं आपसे आग्रह करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। तीनों बिलों पर चर्चा कर ली है तो जनमत मांगने वाला प्रोसीजर करेंगे लेकिन 'deemed to be withdrawn' माना जायेगा।

बहिर्गमन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में ऐसे संविधान के विरुद्ध में इन बिलों का पारण हो रहा है जिसका अधिकार इस सदन को नहीं है। केन्द्र सरकार के किसान कल्याणकारी बिलों को रोकने के लिये यह कुकृत्य हो रहा है और आज सदन में यह जो कुकृत्य हो रहा है, हम इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साक्षी नहीं बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम बहिर्गमन करते हैं, हम विरोध करते हैं और यह लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ेंगे। हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, इनका कर्तव्य है, पूरा करने दो। आप बैठें।

प्रश्न यह है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 10 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पास करने का मंत्री जी प्रस्ताव रखें।

विधेयक का पारण

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

प्रश्न यह है कि कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 10 कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 10 स्वीकार किये गए।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

मंत्रीजी विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखें।

विधेयक का पारण

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 7 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री जी श्री बी.डी. कल्ला जी पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

माननीय सदस्य, मैंने पहले कहा था कि गुर्जर आंदोलन के संबंध में सरकार वक्तव्य देगी। सरकार वक्तव्य दे।

शासकीय वक्तव्य

गुर्जर समाज का आंदोलन

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के सभी सदस्यों को यह जानकारी है कि 1 नवम्बर से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा भरतपुर जिले के पीलूपुरा गांव में आंदोलन किया जा रहा है। यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता ही है कि जब-जब राजस्थान में हमारी सरकार रही है और जब-जब आंदोलन हुए, हमने उन आंदोलनों में किसी तरह की गोली नहीं चलायी, लाठी नहीं चलायी और हमेशा कोशिश की कि शांतिपूर्वक समस्या का समाधान किया जाए, संघर्ष समिति के सदस्यों से बातचीत की जाए और शांतिपूर्वक तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और आंदोलन को समाप्त करवाया जाए। हमारी सरकार ने ही 13 फरवरी, 2019 को कानून बनाकर, क्योंकि लंबे समय से इस वर्ग की यही मांग रही है कि अति पिछड़ा वर्ग का जो 5 प्रतिशत आरक्षण तय है, वह दिया जाए। यह हमारी सरकार थी, 13 फरवरी, 2019 को कानून बनाकर अति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत प्रावधान लागू होते ही राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय भी लिया गया कि 13 फरवरी, 2019 को जिस दिन अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का कानून लागू हुआ, जितनी भी भर्तियां प्रक्रियाधीन थीं, उन पूरी भर्तियों में भी 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ इस वर्ग को दिया जाएगा। वर्तमान सरकार द्वारा 2020 तक मात्र 22 महीने की अवधि के अंदर अभी तक अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 24091 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। इसके अलावा वर्तमान में जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, जिनमें अभी नियुक्तियां दी जाना बाकी है, इन प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर हमारी सरकार ने 1356 पद आरक्षित किये हैं, जो इन भर्तियों के पूरा होने के बाद उनको मिलेंगे। इससे पहले भी 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान 1 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 2013 तक, जब तक हमारी सरकार का कार्यकाल रहा, विशेष पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत 1771 नौकरियां दी गयी थीं। इस प्रकार हमारे शासनकाल में अब तक 4262 नौकरियां दी जा चुकी हैं तथा 5 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर .1356 पदों को इसमें जोड़ दिया जाए, जो प्रक्रियाधीन

(श्री रघु शर्मा)

है तो यह संख्या 5618 हो जाएगी। विगत बीजेपी के कार्यकाल में भी 2014 से 2018 के बीच में विशेष पिछड़ा वर्ग को 2588 नौकरियां दी गयी थीं।

अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हम बैकग्राउंड में जाते हैं। एसबीसी के आरक्षण के लिए 2008 में हमारी सरकार ने एक्ट पारित किया और हमारी ही सरकार के टाइम पर 31 जुलाई, 2009 को यह एक्ट लागू भी हो गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 04.11.2010 को इसको स्टे कर दिया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने 06.05.2010 को आदेश जारी करते हुए एसबीसी के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण देने के आदेश जारी किये तथा 4 प्रतिशत पद सुरक्षित रखने का निर्णय किया है, जो न्यायालय 2008 के अधिनियम को वैध घोषित होने की परिस्थिति में इस वर्ग को उपलब्ध कराये जाने थे, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने इसको वैध घोषित नहीं किया, इसलिए ये सारी की सारी प्रक्रिया रिवर्स हो गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30.11.2012 को फिर आदेश जारी करके हमारी ही सरकार ने एसबीसी की पांच जातियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रतिशत आरक्षण के 30.11.2012 के आदेश को पुन: 04.03.2013 को स्टे कर दिया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारी आयी। 16.10.2015 को एसबीसी अधिनियम, 2015 को लागू करते हुए इन लोगों ने भी 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2016 को 2015 के अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा 22.12.2016 को उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक एसएलपी दायर की गयी है, जो अभी विचाराधीन है। इस एसएलपी में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.05.2017 को एक आदेश जारी कर उक्त अधिनियम के तहत और कोई लाभ नहीं दिया जाए, इस बात की रोक लगा दी गयी है। राजस्थान में दिनांक 20.12.2017 को अति पिछड़ा वर्ग के लिए राजस्थान एमबीसी अधिनियम, 2017 लागू किया गया, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की गयी।

अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार बनी है, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और राज्य सरकार के बीच 15 फरवरी, 2019 को समझौता हुआ। उसकी समीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में गठित कैबिनेट सब-कमेटी का

(श्री रघु शर्मा)

28.09.2020 को पुनर्गठन किया। उसमें माननीय बी.डी. कल्ला साहब, मैं स्वयं और हमारे खेल मंत्री माननीय अशोक चांदना को शामिल किया गया। समिति की पहली बैठक भी 2 अक्टूबर, 2020 को सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में हमने की। इसमें हम लोगों के अलावा सरकार के मुख्य सचिव, गृह विभाग के, कार्मिक विभाग के, विधि विभाग के, वित्त विभाग के, चिकित्सा विभाग के सारे प्रमुख शासन सचिव उपस्थित थे, डीजीपी (पुलिस), शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव भी उपस्थित हुए। बैठक में गुर्जर समाज की जो पूर्व में शेष रही मांगें थीं, उन मांगों की भी समीक्षा की गयी।

समिति की दिनांक 12.10.2020 को पुन: बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा सरकार के तमाम अधिकारी, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उन सब लोगों ने भाग लिया। बैठक में पुन: शेष बिंदुओं पर भी विचार करके उनकी भी समीक्षा की गयी। उसके बाद जैसे ही हमें खबर मिली कि 17 अक्टूबर को गुर्जर आरक्षण समिति अपनी मांगों को लेकर अड्डा में महा पंचायत करने वाली है, सरकार ने पूरी तत्परता दिखायी और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता की। हमारे अधिकारी गये, उन्होंने उनसे वार्ता की और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए उनको आश्वस्त किया। उसके बाद इस पर आंदोलनकारियों ने सरकार को 1 नवम्बर की तिथि दी कि आप जो भी फैसला 1 नवम्बर तक करके दीजिए। सरकार ने गंभीरता से प्रयास कर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता की तथा कलेक्टर, करौली के माध्यम से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी को राज्य सरकार की तरफ से फिर वार्ता के लिए एक आमंत्रण पत्र दिया, जिसको उन्होंने लेने से मना कर दिया। उसके बाद दिनांक 29.10.2020 को अपराहन 4 बजे सचिवालय में कांफ्रेंस हाल में कैबिनेट सब-कमेटी गुर्जर आरक्षण समिति के प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा बुलाने के बावजूद भी भाग नहीं लिया गया और यह बैठक स्थगित हो गयी।

(20.00 बजे)

29 तारीख को ही फिर मेरे निवास पर माननीय कल्ला साहब अस्वस्थ थे, माननीय खेल राज्य मंत्री और हमारे जो अधिकारीगण हैं, उनकी

(श्री रघु शर्मा)

बैठक की गई और तीन बिंदुओं पर क्योंकि मैंने उस दिन जब जिला कलेक्टर मिलने गये कर्नल किरोडी सिंह बैंसला जी से तो उन्होंने कहा कि मुझे रघु शर्मा जी से बात करनी है, आप बात करा दीजिए। मैंने उनसे फोन पर बात की। उन्होंने कहा आपको जो फैसला लेना है आप ले लीजिए और हमको अवगत करा दीजिए।

हमने फिर तीन प्रमुख बिंदुओं पर फैसला किया उस दिन। एक था, तीन जो घायल लोग थे, जो आंदोलन जब पहले हुआ, उस वक्त घायल हुए थे लेकिन उनकी उस वक्त मृत्यु नहीं हुई। काफी लंबी अवधि के उपरांत उनकी मृत्यु हुई। कैलाश गुर्जर, मानसिंह गुर्जर, बद्री गुर्जर। इनके परिजनों को 5-5 लाख रुपये देने का हमने निर्णय किया। इसके अलावा जो 1252 अभ्यर्थी हैं, जिनका परिवीक्षा काल पूर्ण हो चुका है और ये इनके स्थायीकरण की मांग कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, हालांकि जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, उसमें साफ मना किया गया है क्योंकि जब आगे हमने संघर्ष समिति से बात की, उसमें मैंने उनको कोर्ट का आदेश दिखाया था। उस आदेश में साफ लिखा हुआ है कि आप उनको परिलाभ तो दे सकते हैं लेकिन आप स्थायीकरण नहीं कर सकते। फिर भी हमने 1252 अभ्यर्थियों को रेगुलर पे-स्केल देने का निर्णय लिया जो पूर्व में निर्णय नहीं था।

इसके अलावा राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अति पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण से संबंधित प्रावधान को नौवीं सूची में डालने के लिए भारत सरकार को लिखने की बात थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी 22/02/2019 को हमारी सरकार ने भारत सरकार को लिखा इस बारे में। फिर दोबारा 21/10/2020 को हमारी सरकार ने भारत सरकार को फिर लिखा। चूंकि आंदोलनकारियों की मांग थी तो हमने फिर तय किया कि ये तीन बिंदु जिन पर फैसला किया हमने, उसी दिन हमने कहा कि तत्काल एक बार फिर भारत सरकार को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने के लिए राज्य सरकार तत्काल पत्र लिखेगी। इसके बाद दिनांक 31/10/2020 को जो पीलूपुरा गांव है, इसके आसपास की 80 पंचायतों के जो प्रमुख लोग थे, वे लोग यहां जयपुर आएं और उन्होंने कहा हम सरकार के साथ वार्ता करेंगे। हमने खेल मंत्री चांदना जी के निवास पर रात को एक बजे तक उनसे लंबी वार्ता की। उसके बाद यह तय हुआ क्योंकि उस बैठक में हम दोनों मंत्री ही मौजूद थे। हमारे अधिकारीगण सारे मौजूद नहीं थे तो उन लोगों ने यह मांग की कि कल आप

(श्री रघु शर्मा)

वार्ता कर लीजिए। सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में कर लीजिए। सारे अधिकारियों की मौजूदगी में कर लीजिए और एक-एक बिंदु पर हम आपसे मांग भी करेंगे और सरकार का पक्ष जानने की कोशिश भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 31/10/2020 को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के 41 सदस्यों के साथ कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक का आयोजन हमने दोबारा किया और उसमें संघर्ष समिति द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे जिनको ये मानते हैं कि जिनका समाधान नहीं हो पाया, उन बिंदुओं पर बिंदुवार जो निर्णय हुआ, वह मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। नंबर एक बिंदु था उनका गुर्जर आरक्षण के दौरान घायल हुए तीन व्यक्तियों जिनकी बाद में मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपये और उनके परिवार में से एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। फैसला ये किया गया कि 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उनको दी जायेगी और उनके परिवार के एक-एक सदस्य को नगर परिषद्/नगर निगम में नौकरी दी जायेगी। इस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की।

दूसरा पाइंट था उनका अति पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2019 के लागू होने के समय प्रक्रियाधीन समस्त भर्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण देते हुए अब तक जो फैक्चुअल पोजिशन है, अति पिछड़ा वर्ग के 2297 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है तथा इसके अलावा अभी तक जो भर्तियां पूर्ण नहीं हुईं, शेष भर्तियों में उनमें भी 5 प्रतिशत के अनुसार जितने भी पद आरक्षित हैं, उन पर चयन के पश्चात् अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जायेगी। ये हमने उनसे सहमति की और उस पर वे एग्री भी हुए। इसके अलावा तीसरा पाइंट था एमबीसी वर्ग के 1252 जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष परिलाभ दिये जाएंगे। इस पर भी सहमति बनी। फिर वर्ष 2011 में हुए समझौते में केस वापसी के संबंध में आपसी समन्वय और केस वापसी की प्रगति के लिए पूर्व में जारी किये गये आदेश के तहत बैठक आयोजित की जाएगी। इस पर भी उन्होंने सहमति व्यक्त की।

इसके बाद पांचवां था उनका देवनारायण योजना के तहत निर्माणाधीन पांच आवासीय विद्यालयों एवं अन्य पांच आवासीय विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी। इन पांच आवासीय

(श्री रघु शर्मा)

विद्यालयों में से पीपर्रा आवासीय विद्यालय की टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। मॉनिटरिंग हेतु गठित समिति नियमित रूप से कार्यों की मॉनिटरिंग भी करेगी और ट्रांसपेरेंट मैनर में इस काम को पूरा करने को सुनिश्चित भी करेगी और तीन महीने में अपनी प्रगति रिपोर्ट भी देगी। छठा पाइंट, देवनारायण योजना की प्रगति के संबंध में कैबिनेट सब-कमेटी के साथ अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। सातवां पाइंट, अति पिछड़ा वर्ग में शामिल लबाना जाति के अलावा अन्य लोगों के लबाना जाति के जारी हुए जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। जांच के उपरांत अगर यह पाया गया कि यह गलत बने हैं तो उनको निरस्त किया जाएगा, यह भी सहमति बनी है।

खेल स्टेडियम, पीपर्रा या मोरोली में संघर्ष समिति के लोगों ने मांग की थी कि इन दोनों में से एक जगह हमारे यहां खेल स्टेडियम बना दिया जाए। हमने उस पर भी सहमति व्यक्त की कि यहां खेल स्टेडियम हम बना देंगे। दोनों गांवों में से जहां भी संघर्ष समिति के लोग चाहेंगे, वहां खेल स्टेडियम बना दिया जाएगा। इसके अलावा कारवाड़ी और रूदावल में दो देवनारायण आवासीय छात्रावास बनाने की उनकी मांग थी, जिसको हमने मंजूर कर लिया। इसके बाद बैठक में राइका समाज के प्रतिनिधियों द्वारा घुमंतू जातियों के बारे में दिये गये सुझाव, हमने कहा इसका अध्ययन कराया जाएगा। इस पर सहमति बन गई।

इसके बाद ग्यारहवां पाइंट था-राज्य सरकार कार्मिक विभाग द्वारा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण से संबंधित प्रावधान को, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह तीन मांग हमने जब मंजूर की थी, उसको रिपीट किया है। हमने फिर उनको वादा किया है कि दो बार हम राज्य सरकार की तरफ से भारत सरकार को लिख चुके हैं। आपकी मांग है, तत्काल राज्य सरकार तीसरी बार भी नौवीं अनुसूची में डालने के लिए भारत सरकार को लिख देगी।

बारहवां पाइंट था 16/08/2018 के मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में, हमने कहा मुख्य मंत्री जी से वार्ता करेंगे और वार्ता करने के बाद आपको बता देंगे।

तेरहवां पाइंट था गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संबंध में 05/01/2011 को हुए समझौते के बिंदु संख्या 3 (ख) के संबंध में विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए

(श्री रघु शर्मा)

समिति द्वारा पदों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी का निर्णय। जो एसएलपी दायर की गई थी 2017 में, वह अभी पैंडिंग है। उसका निर्णय होने के बाद माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, उसके प्रकाश में विधिक प्रावधानों के अनुसार हम आगे की कार्यवाही करने पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, चौदहवां पाइंट यह था कि रीट 2018 के संबंध में एमबीसी हेतु 940 पद 5 प्रतिशत के आधार पर बनते थे। ये ही मुद्दा लेकर वे लोग बात कर रहे हैं। कभी चार हजार की संख्या बताते हैं, कभी और संख्या बताते हैं लेकिन रीट में 940 पद 5 प्रतिशत के आधार पर बनते थे जिसमें से 568 पर नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष 372 पदों के बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त; प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा; प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, इनकी समिति बनाकर हमने 31 तारीख को उनको कहा था कि सात दिन में समिति की जो भी रिपोर्ट आएगी, उस पर हम समुचित निर्णय लेंगे। इस समझौते के ऊपर 80 गांव के, पीलूपुरा के आस-पास के जितने जनप्रतिनिधि थे, मैं अधिकांश लोगों को जानता भी हूं, मोजिज लोग थे, निर्वाचित जन प्रतिनिधि थे, हमारी सहमति बनी, सहमति पर दस्तखत हुए उसके बाद हमने मीडिया को संबोधित किया।

अध्यक्ष महोदय, इनकी प्रमुख मांग जो शुरुआत में थी वह तो 5 परसेंट आरक्षण की थी। आरक्षण तो हमने 2019 में ही दे दिया। आरक्षण मिलने भी लग गया। मैंने आपको सारी बात बता दी कि आरक्षण का लाभ मिलने लग गया। उसके बावजूद भी इनको लगता है कि हमारी कोई समस्या बाकी रह गई है तो उसका हल रेल की पटरी, सड़क पर तो निकलने वाला नहीं है, वह तो बातचीत से ही निकलेगा। आपके माध्यम से मैं आज सदन में उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आप आइये, सरकार के दरवाजे खुले हैं, बातचीत से समाधान निकलता है। हमने 80 गांव के पंचायत के पंचों से बात करके 14 बिन्दुओं पर सहमति बनाई है। अगर फिर भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी, उनके पुत्र विजय सिंह बैंसला जी को लगता है कि कोई बात अधूरी रह गई है, तो सरकार के दरवाजे खुले हैं। बात करने के लिए कौन मना कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में यह नहीं हो सकता कि जिले का कलेक्टर वार्ता के लिए आपको निमंत्रण देने जाए, आप वार्ता के लिए मना कर दें। वह

(श्री रघु शर्मा)

कह रहे हैं हम चस्पा करके जाएंगे आपके घर के बाहर, वह कह रहे हैं चस्पा करने की भी जरूरत नहीं है। कल हमारे खेल राज्य मंत्री जी ने फोन पर बात की। बुला लिया, वह चले गए, पीलुकापुरा जाने वाले थे, रास्ते में पहुंचने के बाद संदेश दे रहे हैं कि आज हम बात नहीं करेंगे, उनको वापस लौटना पड़ा। इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिए निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश साम्प्रदायिक सौहार्द्र का प्रदेश है। यहां 36 कौम के लोग रहते हैं। अगर हम रेल की पटरी रोकेंगे, सड़क रोकेंगे, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे, परेशानी तो सबको होती है। यह अधिकार लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन करने वाले को नहीं दिया जा सकता है, इसलिए लोकतंत्र की खातिर मैं उनसे फिर अपील करना चाहता हूं कि आप जब चाहें सरकार वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन मेहरबानी करके अपनी मांग की खातिर, राजस्थान का अमन चैन, राजस्थान की शांति, कानून व्यवस्था का खयाल मत छोड़ दीजिए, यह भी जरूरी पहलू है।

सरकार के द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा है, मैं आपके द्वारा फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कोई बिन्दु उनके मन में रह गया हो, जिन 14 बिन्दुओं पर सहमति बनी है, उसके बाद भी उनको लगता है तो वार्ता के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। वह आएं, बात करें लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था बचाकर रखो। सड़क, रेलवे ट्रैक को जाम करने की प्रवृत्ति बंद करो। इस प्रदेश में 36 कौम के लोग रहते हैं, उन पर मेहरबानी करो, यह मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं। संघर्ष समिति के जो भी लोग कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और विजय बैंसला के नेतृत्व में आज पीलुकापुरा में, चाहे वह कितनी भी संख्या में हों, मैं संख्या में नहीं जाना चाहता, हम लोकतंत्र में जीवित हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है, कोई भी वर्ग जिसके मन में यह बात पैदा होती है कि हमारी कोई समस्या रह गई है, सरकार की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन हल तो वार्ता से ही निकलेगा। मैं उनको पुन: आमंत्रित करना चाहता हूं। वह आएं टेबल पर बैठें, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। सरकार पूरी पोजिटिविटी के साथ यह भरोसा दिलाना चाहती है कि उनके मन में जो शंका है, हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि ऐसा कोई इश्यू नहीं है जिस पर डिस्कस करें। हम सब सामूहिक, सामूहिक रूप से सदन उन सबसे अपील करता है कि वह वार्ता पर आएं और सरकार के साथ बैठकर चर्चा करें। मैं समझता हूं कि ज्यादा चर्चा करके कोई लाभ नहीं होगा। मेरा आप सबकी तरफ से, संघर्ष समिति के जो वहां कर्नल साहब के नेतृत्व में बैठे हुए हैं, उन सब साथियों से निवेदन है, उनकी समस्या के लिए सरकार के पास आएं और चर्चा करें। हम अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकले। सरकार से भी अपील करते हैं कि उसमें पहल करके इस समस्या का निदान करने के लिए आपको जो कुछ भी कम्युनिकेशन करना चाहिए, वह कम्युनिकेशन करना चाहिए। यह विचार नहीं किया जाना चाहिए कि कौनसा संघर्ष समिति का साथी था, नहीं था। राजस्थान में अमन रहे, शांति रहे, उनकी समस्या का निदान निकले। इस समस्या से सारे राजनीतिक पार्टी के लोग अवगत हैं। मैं अपील करता हूं कि वह हम सबकी भावना को समझेंगे और मेरी भावना से भी आप सब सहमत होंगे। इसमें डिबेट नहीं करें। इस भावना के अनुसार आप सबकी तरफ से, सदन की तरफ से, मैं उनसे अपील करता हूं कि वह सरकार के पास आएं और वार्ता करें और समस्या का समाधान निकालने का काम करें। चर्चा समाप्त की जाए।

माननीय शान्ती धारीवाल जी, महामारी के संबंध में विधेयक।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: खटाणा साहब, प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें, अंकित नहीं होगा। गलत परम्परा नहीं। बैठें, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) सुनते नहीं हैं आप, प्लीज बैठें। I'll name you. Mr. Indraj, I'll name you. प्लीज बैठे। गलत परम्परा डाल रहे हैं। प्लीज। माननीय धारीवाल साहब।

विधेयक पर विचार

राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख। मैं समझता हूं कि जिसमें भी संशोधन है, कम से कम समय में बोलें। सबसे पहले ज्ञानचंद जी पारख को इसलिए दिया है कि समय पर अपनी पूरी बात रख सकें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पहले ही दिन से पता था कि कोरोना वायरस का कोई उपचार नहीं है, बचाव ही एकमात्र उपचार है तो हमें वह सारे प्रावधान, जिससे यह बीमारी फैलने से रुक सकती है, प्यार से या सख्ती से, लागू करवा देने चाहिए थे। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने पहले ही दिन से, चाहे मास्क हो या दो गज की दूरी हो या सैनेटाइजेशन हो, उसके लिए लगातार अपील चालू कर दी थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): उसका परिणाम भी आया, भारत में जहां चिकित्सा सुविधाओं का अभाव मानते थे, वहां इस संक्रमण का जितना अनुमान किया था उसकी तुलना में बहुत कम फैला। यह सारी दूरदर्शिता माननीय प्रधान मंत्री जी की है। उनकी सूझ-बूझ, उनके सुझाव, उनके द्वारा बार-बार की गई अपील देश की जनता ने मानी। यह शायद पहला अवसर होगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी की अपील को, किसी भी पार्टी का, कोई भी वर्ग, कोई भी दल, कहीं भी शासन कर रहा है, उसने भी अपने राज्य में लागू किया।

यह सही है कि यह संक्रमण वापस नया रूप ले रहा है। यूरोप की स्थिति देखें तो पिछले 15 दिनों में तेजी से फैलना चालू किया है। अमेरिका में तो कल पहली बार रिकार्ड टूटा है, एक दिन में एक लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। उसके पहले का रिकार्ड भारत का था एक दिन में 97 हजार का। आने वाले कल में हमको सुरक्षा के उपाय बढ़ाने होंगे। सबको पता है कि यह संक्रमण क्लोज कांटेक्ट से बहुत जल्दी फैलता है। उपचार भी बहुत आसान है, पर कहीं न कहीं हमारी लापरवाही रही कि हमने बचाव को नजर अंदाज कर दिया। उसी का परिणाम है, दिल्ली में संक्रमित मरीजों का प्रतिदिन का आंकड़ा एक हजार से नीचे चला गया था, लेकिन पिछले आठ दिनों से वापस 5 हजार से ज्यादा मरीजों की संख्या चिह्नित हो रही है। हम राजस्थान

(श्री ज्ञानचंद पारख)

वाले भाग्यशाली हैं कि हमारे यहां इतना नहीं फैला। लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले कल में फैलेगा नहीं। हम सबको मिलकर इसमें राजनीति से ऊपर उठकर वे सारे उपचार करने होंगे जो मानव जीवन को बचाने के लिये बहुत आवश्यक हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शुरुआती दौर में कितना भय था। अमरीका के राष्ट्रपति का पहला स्टेटमेंट, जब मार्च महीने में यह कोरोना वायरस चालू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि यदि हमने अमरीका में मौतों का सिलसिला दो लाख तक रोक दिया तो यह हमारे मेडिकल क्षेत्र की बहुत बड़ी विजय होगी, पर वहां भी आंकड़ा 2 लाख 36 हजार को क्रॉस कर गया और 9 लाख अब भी एक्टिव केस हैं। अमरीका जो मेडिकल क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता है न, तो उसकी उपलब्धि भी पूरी नहीं हो पाई।

हमारे यहां अनुमान क्या था कि अगर यह संक्रमण इसी तेजी से फैला न तो देश की एक से लेकर पांच परसेंट तक की आबादी के मानव जीवन के ऊपर खतरा हो सकता है, पर भारत कितना भाग्यशाली रहा, अभी हमारे यहां मानव जीवन के खतरे की बात तो बहुत दूर, अभी संक्रमित मरीजों की संख्या भी एक प्रतिशत से कम है, हम एक परसेंट भी नहीं पहुंचे हैं। मात्र 82 लाख लोग अभी तक संक्रमित हुए और मौतें भी जो हुईं न, वह एक लाख 23 हजार। हमारा राज्य तो बहुत बेहतर स्थिति में है। अभी तक हमारे संक्रमित केस हुए 15255 और आज तक हमने मौतों को रोक दिया 1917 पर। आगे यह सिलसिला कायम रहा तो हम हिन्दुस्तान में अव्वल में रहेंगे। इसके लिये हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। चाहे कोई भी उपचार हो, चाहे कोई बचाव हो। इसमें राजनीति नहीं है। इसमें सामूहिक तौर पर जनता को जो संदेश करना है, जनता को जो हमको कहना है और उसके लिये कोई और कठोर प्रावधान भी करने हैं तो सब मिलकर करें, लेकिन मानव जीवन को हम सुरक्षित रखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब एक खतरा और बढ़ गया है, वह खतरा है, पोस्ट कोविड के मरीजों का। जितना खतरा कोविड के मरीजों को लेकर है न, उससे भी बड़ा गम्भीर खतरा पैदा हो गया, पोस्ट कोविड के जो मरीज हैं। जिनको पहले एक बार यह संक्रमण हो चुका है, वह एक बार उस संक्रमण से मुक्त भी हो गये, लेकिन संक्रमण के कारण उनके शरीर में अन्य

(श्री ज्ञानचंद पारख)

पार्ट्स को जो नुकसान हुआ न, उसकी वजह से आज की तारीख में वे पूर्णतया स्वस्थ नहीं हैं।

यूरोपियन कंट्रीज की भी ताजा स्टडी यही है कि पोस्ट कोविड के जो मरीज हैं, वे भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और उनकी भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। जिसके एक बार यह कोरोना संक्रमित हो गया, सिम्पटोमैटिक वाला और उसको इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, H2O2 उसको लगा, उसका आक्सीजन लेवल कम हुआ या उसको जो इस इलाज के इंजेक्शंस हैं, रेमडेसिविर वगैरह लगे, तो उस इंजेक्शन के बाद में उसके कुछ न कुछ प्राब्लम नई पैदा हुई है, जिसमें लंग्स में जो फाइब्रोसिस है, वह अधिकांश पोस्ट कोविड के मरीजों के हैं। चाहे इस इंजेक्शन के लगने के बाद में उसके किडनी पर असर हुआ या लीवर पर असर हुआ या उसका खून का गाढ़ापन, खून में थक्के होना, यह भी अनेकों मौतों का कारण बन रहा है।

(20.24 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सरकार ने आदेश तो कर दिये कि प्रत्येक जिले के अस्पताल में पोस्ट कोविड वार्ड बनेगा, पर शुरुआत अभी हुई नहीं। प्रत्येक जिले के अस्पताल में पोस्ट कोविड आउटडोर के भी आपने आदेश कर दिये, पर उसकी भी शुरुआत नहीं हुई। आपने आदेश यह भी कर दिया कि पोस्ट कोविड आई.सी.यू. होगा, पर अभी भी उसकी शुरुआत नहीं हुई। आपने डेकेयर सेंटर का भी प्रावधान कर दिया। सरकार से आग्रह रहेगा कि इस महामारी को अगर प्रभावी रूप से रोकना है और लोगों का जीवन बचाना है तो जो-जो आदेश सरकार ने निकाले हैं, उन आदेशों की पालना जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि पोस्ट कोविड वालों के मरने का सिलसिला भी अब काफी बड़ी संख्या में बढ़ गया है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने माकूल व्यवस्था की, इसमें मैं कोई यह नहीं कहता कि सरकार ने कमी रखी। मैं खुद गवाह हूं, मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं। कोई इंजेक्शन की कमी रखी नहीं, जो आवश्यक दवाइयां थीं उनकी भी कमी नहीं रखी, लेकिन पोस्ट कोविड में जो काम आने वाली दवाइयां हैं न, उनकी व्यवस्था आज की तारीख में सरकारी अस्पतालों में बिलकुल नहीं है। अगर किसी के लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया तो सरकार की ओर से दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी के खून में थक्का हो गया, क्लोट हो गया तो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

उसकी व्यवस्था भी सरकार में कहीं भी नहीं है। चाहे उसके लीवर, किडनी पर कोई न कोई और दबाव बना तो उसकी भी अभी तक सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं की गई है।

माननीय सभापति महोदय, अभी हम देखते हैं न ज्यादातर मरीज वे हैं जो RT-PCR की रिपोर्ट में तो नेगेटिव आ रहे हैं और वे सिम्प्टोमैटिक हैं। उनके फीवर है, उनके सांस की प्राब्लम भी है। बाद में जब HRCT करवाते हैं न तो HRCT में जो लंग्स की स्थिति आती है न कि जो स्कोर आता है कोविड का, वह 6 से लेकर 20 तक, 25 तक है। उसको RT-PCR नेगेटिव बता रहा है। हम RT-PCR की रिपोर्ट के आधार पर ही मरीज का ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत बड़ा धोखा खा जायेंगे। उसके जो सिम्प्टम्स हैं, लगता है कि उसका आक्सीजन लेवल कम है, 94 से, 96 से कम है, तत्काल भर्ती करके उसको वही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी जो कोविड के लिये हमने पहले से ही गाइड लाइन में तय कर रखी है। डाक्टरों को यह निर्देश भी देने पड़ेंगे कि RT-PCR के आधार पर ही इलाज नहीं हो। उसके जो सिम्प्टम्स हैं, उसमें लगता है कि इसको कोरोना है, इसका आक्सीजन लेवल कम है, उसके लंग्स में इंफेक्शन है, सी.टी. स्कोर ज्यादा आ रहा है, तो वही गाइडलाइन, जो अमरीका अपना रहा है कि आज की तारीख में सिम्प्टोमैटिक में रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने जरूरी हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन ने वाकई में सबकी जान बचाई है। डब्ल्यू.एच.ओ. ने एक बार रिपोर्ट दे दी कि रेमडेसिविर के बाद भी मौतों का सिलसिला कम नहीं हुआ है पर अमरीका ने तीसरे ही दिन इसका बहुत बड़ा विरोध किया और अमरीका ने पूरा का पूरा अपना आंकड़ा कि यह रेमडेसिविर ही एकमात्र ऐसा इंजेक्शन है, जिसके माध्यम से हमने मौतों को रोका है। सरकार ने पूरी व्यवस्था कराई। इसमें कतई हम आरोप नहीं लगाते। सरकार ने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करवाई है, पर यह RT-PCR के चक्कर में हमारे डाक्टर गफलत में रह जाते हैं कि इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, इसके इंजेक्शन लगाऊं कि नहीं लगाऊं। हमको यह हिदायत देनी पड़ेगी, यह निर्देश देने पड़ेंगे कि अगर सिम्प्टम्स हैं तो उसके वे सारे इंजेक्शन जो कोविड में लगने चाहिए, वे उसको लगाने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब हालत यह भी होती है कि कोई मरीज

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती है। उसका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान जांच करवाई। जांच में RT-PCR नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मानकर डाक्टर उसका डिस्चार्ज टिकट बना देते हैं जबकि उसके इंजेक्शन का कोर्स पूरा नहीं हुआ तो हम यह भी हिदायत जारी करें कि जब तक उसके इंजेक्शन का कोर्स पूरा नहीं होता, जो पांच दिन उसके लगने हैं, जब तक वे इंजेक्शन उसके पूरे नहीं लगें और वह पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो जाये, तो उसके बाद ही उसको छुट्टी दें। RT-PCR की रिपोर्ट के आधार पर नेगेटिव मानकर उसको घर भेज दिया तो उस मरीज के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने अपने अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हैं, उनके लिये दवाइयों की माकूल व्यवस्था कर रखी है। कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि आवश्यक दवाई की कमी हो। चाहे 40 हजार का इंजेक्शन है, तो भी पर्याप्त मात्रा में मिला और चाहे यह रेमडेसिविर है तो भी पर्याप्त मात्रा में है। चाहे Lmwx या जो भी टिप्राटेरो लगता है, वह सारे के सारे मिल रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई भी है लेकिन जो सी.टी. में स्कोर 6 से कम है, जिसको माइल्ड मानते हैं और आक्सीजन लेवल 94-95 आ रहा है, जो बोर्डर लाइन पर हैं, जिनका घर पर भी इलाज किया जा सकता है तो आई.सी.एम.आर. ने फैबीफ्लू नाम की जो दवा है उसको अभी एप्रूव किया पर सरकार ने, अपने जो भी अस्पताल हैं, उनके द्वारा सप्लाई की यह व्यवस्था नहीं की गयी, बाहर यह दवाई बहुत महंगी मिलती है। चाहे वह भर्ती मरीज है न, विस्कोसिटी में यह remdesivir लगेगा नहीं, उसकी उसको जरूरत नहीं है लेकिन फैबीफ्लू की जरूरत है तो आप जब इतने महंगे-महंगे इंजेक्शन में भी कोई कोताही नहीं बरत रहे हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा रहे हो तो आई.सी.एम.आर. ने जो गाइड लाइन जारी की है उसके आधार पर अगर फैबीफ्लू को प्रामाणिक दवा माना है और मरीज के जीवन को बचाने में कोविड से मुक्ति दिलाने में वह सहायक है तो हमको सरकारी स्तर पर वह दवा भी उपलब्ध करवानी चाहिए, यह मेरा सरकार से आग्रह रहेगा।

अब आपके जो क्वारंटाइन सेंटर हैं न यह, जिनके सिम्प्टम नहीं हैं, जिनको इलाज की आवश्यकता भी नहीं है। मात्र उसको एक जगह पर 14 दिन रखना है। जितने भी आपके क्वारंटाइन सेंटर हैं, जो अस्पताल में नहीं, अस्पताल के बाहर आपने निर्धारित कर रखे हैं, हर क्वारंटाइन सेंटर में मात्र तीन, चार या पांच मरीज हैं और लंबे समय से हैं क्योंकि आजकल कोई भी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

व्यक्ति बंधन में बंधना नहीं चाहता। अगर उसको कोई लक्षण नहीं है, उसको लगता है कि मैं ठीक हूं, मात्र मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है और उसके कारण 14 दिन उसको क्वारंटाइन कर दिया तो वह रहेगा नहीं और आपका कम से कम 25, 30 या 40 का स्टाफ वहां पर बेवजह लगा हुआ है। अगर मान लीजिए आपको क्वारंटाइन सेंटर रखना जरूरी है उन मरीजों के लिए जिनके घर में रहने के लिए अतिरिक्त कमरा नहीं है तो अस्पताल में बहुत सारे वार्ड पड़े हैं, वहीं पर कोई एकाध वार्ड उसके लिए आप आरक्षित कर दो क्योंकि किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में चार, पांच, सात से ज्यादा मरीज आपको नहीं मिलेंगे। प्रदेश के किसी भी जिले के अस्पताल में आप देख लो और स्टाफ लगा हुआ है आपका लंबा-चौड़ा वहां पर और आपने उस समय तो आनन-फानन में जो समाज सेवी संस्थाएं थीं या जो सामाजिक संगठन हैं या जो जातीय भवन हैं, उनसे कुछ अवधि के लिए समाज के भवन मांग लिये कि कोरोना बीमारी में हमको मरीजों के लिए यह स्थान चाहिए पर आज सात महीने हो गये, वह समाज के भवन सरकार खाली नहीं कर रही है और न ही सरकार उसका किराया दे रही है और न ही उनके बिजली का बिल दे रही है, न पानी का बिल दे रही है और न सफाई की कोई व्यवस्था है। या तो आप वह खाली कर दो क्योंकि आपकी चार-पांच से ज्यादा वहां पर मरीजों की संख्या नहीं है और आपने जितनी अवधि तक रखा है, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो उस अवधि का किराया उस समाज को आप जरूर दो, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, हमने व्यवस्था अच्छी की है पर कुछ कमियां हैं अगर हम और बेहतरीन व्यवस्था कर दें तो कम से कम राजस्थान में तो हम इस बीमारी से बहुत आसानी से निपट सकते हैं और जैसा पूरे विश्व में अभी यह दूसरा दौर चल रहा है न तो यहां पर भी यह अनुमान है कि ज्यों ज्यों सर्दी बढ़ेगी, सर्दी के साथ-साथ इसके मरीजों की संख्या वापस बढ़ेगी, जैसे आपके दिल्ली में बढ़ी, जैसे आपके अमरीका में बढ़ी तो संख्या आपकी बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी तो आपको अभी से जैसे आपने मास्क अनिवार्य किया है तो और भी कोई पाबंदियां लगानी हैं तो उसके बारे में भी डिस्कस करके हमको कुछ न कुछ ऐसे प्रावधान कड़ाई से लागू करवाने चाहिए ताकि यह सर्दी का जो काल है और जब तक टीका नहीं आये हम हमारी जनता को सुरक्षित रख सकें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति महोदय, यह जो पोस्ट कोविड की बात मैंने अभी आपसे की थी, इस पोस्ट कोविड में, आप भी डाक्टर हैं आपको पता होगा, जो इंजेक्शन हम लगाते हैं उससे पहले कुछ जांचें करवानी अनिवार्य होती हैं। सरकार ने यह काम अच्छा किया कि सरकार को पता लगा कि आर.टी.पी.सी.आर. प्रामाणिक जांच नहीं है, एच.आर.सी.टी. जरूरी है तो जितने भी एच.आर.सी.टी. के निजी केन्द्र थे, आपने पाबंद किया और आप 4500 रुपये की रेट 1750 रुपये के करीब लेकर आ गये। आपने उन सबको पाबंद कर दिया कि 1750 रुपये तक आप उसकी जांच कर दोगे तो उसी प्रकार से और जांचें हैं, दो मिनट में मैं मेरी बात को खतम करूंगा, उसी प्रकार से जो और जांचें हैं, जो खून की है तो उनमें भी जिस प्रकार से एच.आर.सी.टी. में आपने जांचों में रेट्स कम की है, उसी प्रकार से जो निजी लैब है, उन निजी लैब को भी आप अन्य जांचों के लिए भी एक दर निर्धारित करवा दो क्योंकि उसमें जो मरीज है न, क्योंकि यह जांचें बारबार होंगी, एच.आर.सी.टी. बार-बार होगी। यह आर.एफ.टी., एल.एफ.टी. एक बार नहीं, बार-बार होगी। एस.जी.पी.टी., एस.पी.यू.टी.यू.एम., यह जांचें भी आपकी बार-बार होंगी। यह शुगर की जांचें भी बार-बार होंगी तो यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक यह मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक यह जांचें बार-बार होंगी। एच.आर.सी.टी. की भांति आप बाकी जांचें जो कोविड के पेशेंट के लिए अनिवार्य है, उन सभी जांचों की भी एक रेट आप निर्धारित करवा देंगे तो बहुत बड़ी राहत यहां के मरीजों को मिल जाएगी और निजी अस्पताल भी जो हैं न जो मनमानी रेट वसूल कर रहे हैं, उस पर भी आप थोड़ी नजर रखें। आपने एक रेट तय कर ली है, एच.आर.सी.टी. वाले आपकी बात मान रहे हैं, पर निजी अस्पताल अभी तक आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं तो जो-जो निजी अस्पताल आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं और मनमानी रेट ले रहे हैं तो एक दो खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे तो शायद सरकारी अस्पताल में जो संख्या आ रही है, उस संख्या में कमी आ जाएगी। कम दर होगी तो कोई व्यक्ति बाहर जाकर भी अपना इलाज करवा लेगा और आपने यह आदेश कर रखे हैं, केवल उनकी पालना करवानी है।

माननीय सभापति महोदय, कई सारे ऐसे मैटर हैं जिनमें हम सरकार के माध्यम से प्रयास करें तो राजस्थान में मानव जीवन को बचाने में हम काफी बड़ा काम कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना के मामले

(श्री ज्ञानचंद पारख)

में पक्ष और विपक्ष सारा एकमत है, इसमें सारा एकमत है, इसमें किसी का कोई विवाद नहीं है। आप जो भी अच्छे प्रावधान लाओगे, कोई आपके प्रावधानों का विरोध करने वाला नहीं है। हम सारे मिलकर राजस्थान के मानव जीवन को कितना सुरक्षित रख सकें, इसके लिए जितना सरकार कर सके, सरकार से यह आग्रह रहेगा।

चूंकि, यह बिल जो है उसमें प्रावधान अपर्याप्त है। जितने प्रावधान सरकार को करने चाहिए, मात्र एक मास्क वाला प्रावधान करके सरकार ने इतिश्री कर ली, इससे यह कोरोना रुकने वाला नहीं है और न ही कोई मानव जीवन इससे बचने वाला है। चूंकि, यह अपर्याप्त है इसलिए मैं इस बिल को एक महीने के लिए जनमत जानने के लिए ताकि जनता का भी सुझाव आ जाए कि इसमें और कौन-कौनसे प्रावधान होने चाहिए, जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए आग्रह करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि 16 वक्ता हैं और मैं यह आग्रह करूंगा कि इसको थोड़ा कन्सल्टेंट तरीके से बोलने का कष्ट करें। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 के अंदर धारा-4 के अंदर सरकार एक संशोधन लेकर आयी है। धारा-4 के उप धारा (2) के खंड (d) में (dd) और जोड़ रही है और इसके माध्यम से लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या जमाव में ऐसे व्यक्ति के आवागमन को प्रतिषिद्‌ध करना जिसका अपना मुंह और नाक फेस मास्क या फेस कवर से समुचित रूप से ढंका हुआ नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यह एक प्रोग्रेसिव लॉ है और निश्चित तौर पर इसकी जरूरत भी है क्योंकि आज राजस्थान के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1 लाख 98 हजार के लगभग संख्या हो गयी है। आज दो हजार के लगभग मौतें हो गयी हैं और 16 हजार एक्टिव केस है। निश्चित तौर पर जो विशेषज्ञ कहते हैं कि अब देश के अन्दर कम्युनिटी स्प्रैड की ओर हम बढ़ रहे हैं और डब्ल्यू.एच.ओ. जब यह कहता है कि कोरोना की दूसरी लहर आने की प्रबल संभावनाएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी द न्यू इंग्लैंड जर्नल आफ मेडिसिन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जो एक बड़ा अख़बार है उसमें एक आर्टिकल आया था, जिसमें यह लिखा था कि अगर कोई मास्क का उपयोग करें तो 90 परसेंट वायरस से बच सकता है और निश्चित तौर पर जब मास्क लगाते हैं तो तीन फायदे हैं। आप खुद बचेंगे, सामने वाला बचेगा और खुद को एक तरह से वैक्सीन की तरह आप उपयोग करेंगे और charity begins from home, माननीय सभापति महोदय, हमारे जैसे बहुत से लोग, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम जब कोरोना पॉजिटिव हुए, चाहे मैं हुआ हूं या चाहे यातायात मंत्रीजी हुए हैं, चाहे सामने बैठे दूसरे लोग हुए हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है। कहीं न कहीं कोई चूक हमसे निश्चित तौर पर हुई होगी जिसके कारण से हम कोरोना पॉजिटिव हुए और मैं यह निवेदन करूं कि 09 अक्टूबर को जो जन जागरण अभियान सरकार ने चलाया, 'नो मास्क नो एंट्री' यह जन जागरण अभियान सफल नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की अपील होनी चाहिए थी, जिस प्रकार इस प्रकार के कार्यक्रम में सब लोगों को जोड़कर चलना चाहिए था, हरेक कार्यक्रम का अगर हम राजनीतिकरण करेंगे, कांग्रेसीकरण करेंगे, सत्ताकरण करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मंत्री महोदय, आप जो कानून लेकर आये हैं, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, पर आप निश्चित तौर पर विचार करें कि आपने बड़े जोर-शोर से जिला कलेक्टरों के माध्यम से, दूसरे लोगों के माध्यम से जन-जागरण अभियान कराने की औपचारिकता पूरी की, कृपया ऐसी औपचारिकता मत करिए, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। एक वह समय था जब प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने अपील की थी लोगों से गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिये और एक साथ देश के अंदर एक करोड़ तीन लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी। इसीलिए जब अपील करने वाला नेता नहीं हो तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की महामारी में सबको साथ लेकर चलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक दूसरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देश के अंदर कोरोना की जांचें 44 प्रतिशत बढ़ी हैं। यह बातें मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं। राजस्थान के अंदर पिछले दो महीनों के अंदर होने वाले संक्रमण को छिपाने के लिये जांचें 25 प्रतिशत कम की हैं। अक्टूबर के अंदर 20 हजार 427 जांचें औसत प्रतिदिन हुई हैं, इनको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रति मिलियन जांचों की जब बात करें हम तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान का पूरे मुल्क में पन्द्रहवां नम्बर है। माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि ड्रापलेट से फैलने वाले इस संक्रमण के लिये निश्चित तौर पर हम मास्क कवर की आवश्यकता का कानून लेकर आये हैं और जिस प्रकार का उद्देश्य और कारणों के कथन में इन्होंने कहा है कि लाखों लोगों का जीवन इससे बच सकता है। यह प्रोग्रेसिव अच्छा कानून है, हम इस काम में मदद करेंगे। हमने पहले दिन ही कहा था इस प्रकार की महामारी में राजनीतिक चश्मा नहीं, हम सब लोग समान रूप में अगर इस बात में लगेंगे तो निश्चित तौर पर कामयाब भी होंगे। मैं इसके लिये आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप कानून लेकर आये हैं पर मजबूरी आपकी रही कि आपने जन-जागरण अभियान चलाया, उसके साथ जनता जुड़ी नहीं। अब कानून के जरिये आप इसको लागू करना चाहते हो, निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिये था, कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये थी, पर अब पड़ रही है तो हम इसका सहयोग करेंगे।

श्री सभापति: माननीय श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, कोरोना संक्रमण की इस महामारी के दौर में राजस्थान सरकार जो यह महामारी अधिनियम में संशोधन लेकर आयी है कि सामाजिक समारोह, लोकस्थान, राजनीतिक समारोह, आम समारोह, जमाव के स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत जैसा मुझसे पहले आदरणीय ज्ञानचन्द जी ने कहा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर मंत्रीजी इंटरेस्टेड नहीं हैं तो अपने घर चले जाएं। सामने बैठे-बैठे बाल विकास मंत्री कमेंट्स कर रहे हैं। यह क्या तरीका है? आज एक प्रोग्रेसिव बिल आ रहा है..(व्यवधान) अगर आप कोरोना के लिये मास्क की आवश्यकता नहीं समझते तो मत मानो। यह क्या तरीका हुआ?

श्री सभापति: माननीय मेरा आग्रह है, यह माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन स्वयं हैल्थ मिनिस्टर रहे हैं तो ये सक्षम हैं, इस बात को सोचते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूर्व मुख्य मंत्री और नेता, प्रतिपक्ष दोनों चले गये।

श्री सभापति: माननीय तशरीफ रखें। बिहारीलाल जी, आप बोलिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, कोरोना महामारी के दौर में इस महामारी से लड़ने के लिये पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी है और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिये चाहे केन्द्र हो या राज्य की सरकार हो, प्रतिबद्धता से लगी हुई है। हमारे डाक्टर्स वारियर के रूप में काम कर हैं और इस कोरोना महामारी की जब दूसरी लहर की बात की जा रही है कि सर्दियों के मौसम में संक्रमण बढ़ेगा और जहां भी गेदरिंग होगी, जहां भी सामाजिक सरोकार के काम होंगे या राजनीतिक विषय होंगे, जो भी अभी चुनाव चल रहे हैं नगर निगम के चुनाव हुए पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है, लेकिन सरकार ने जिन सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की ड्यूटी लगायी है कि इस तरह की गेदरिंग में आप पूरा ध्यान रखेंगे, फिर भी अधिकारियों की तरफ से कहीं भी इस बारे में गंभीरता नहीं है।

एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह सरकार के सिस्टम भी, जिला प्रशासन भी, अस्पताल प्रशासन की भी एक सोच बन गयी है कि हम कोरोना के जो संक्रमित केसेज हैं, उनकी संख्या को घटाकर बताने का, उस तरह से अगर हम ग्राफ को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कम्युनिटी स्प्रैड की तरफ हम स्वयं ले जा रहे हैं। आज का मेरे बीकानेर का उदाहरण देखिये, 502 पॉजिटिव केसेज हैं, लेकिन 222 ही बताये गये हैं। यह आज का आंकड़ा है। इस तरह से कई दिनों से, कई सप्ताह से चल रहा है, जबकि हमें चाहिये कि इस संक्रमण की जहां गंभीर संभावना बनी हुई है, सर्दियों में संक्रमण जहां बढ़ना है तो इस स्थिति को रोकने के लिये हमें जांचों की संख्या भी बढ़ानी चाहिये और इस गंभीरता को, हम इस तरीके से अगर ग्राफ को नीचे लाना चाहते हैं तो हम अपने आपको भी धोखे में रख रहे हैं और पूरे समाज को धोखे में रख रहे हैं। महामारी की चपेट में हम खुद जनता को धकेल रहे हैं, जो हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जांचों की संख्या बढ़ायें और उचित उपचार दें। मेरे यहां बहुत बड़ा अस्पताल है पी.बी.एम., नोर्थ इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी सांसे फूल रही हैं, आक्सीजन सिलेण्डर नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को सुधारने में पूरा तंत्र, माननीय मंत्रीजी, पूरी सरकार और हमारे अधिकारी तत्परता से लगे हैं। मैं इसमें लगे हुए सभी को सैल्यूट करता हूं, मेरे डाक्टर्स को, मेरे नर्सिंग स्टाफ को, वह वारियर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह से अगर ग्राफ घटाने का काम करेंगे तो वह बहुत ही गलत तरीका होगा, इसमें सुधार की गुंजाइश है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित), माननीय श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित), माननीय श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने की अनुमति दी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो सरकार यह जो विधेयक लेकर आयी, मैं इसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से इस महामारी से बचने के लिये मास्क लगाने की बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। सरकार ने जन जागरण अभियान भी चलाया। नि:शुल्क मास्क भी वितरित किये हैं। उन सबकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। साथ ही साथ मैं सरकार से यह निवेदन भी करता हूं कि ग्रामीण इलाकों में खास तौर से लोग इस डर में जी रहे हैं कि अगर कोरोना के बारे में पता चल गया या कोई भी हम जांच कराएंगे तो न होंगे तो भी हमें पॉजिटिव बता दिया जाएगा और हमें कहीं ले-जाकर ऐसी जगह पटक दिया जाएगा, जहां कोई भी सुविधा मिलेगी नहीं। ऐसा एक भ्रम फैला हुआ है उसको दूर किया जाए और ग्रामीण लोगों में मैंने देखा कि जो भी डैथ हुई है कोरोना की वजह से, कोविड-19 में मैंने यह देखा है कि 95 पर्सेंट केसेज में डैथ वही हुई है जिसने इस कोरोना को सीरियस नहीं लिया। खास तौर से अधिक उम्र के लोग, जिनको कोरोना के लक्षण आये, खांसी, जुकाम या बुखार और उनको यह गलतफहमी है या भ्रम हो रखा है कि कोई इलाज नहीं है कोरोना का, आप एक रूम में पैक हो जाइए, क्वारंटाइन हो जाइए और वहीं पर काढ़ा पीते रहिये। आप ठीक हो जाएंगे। एंटी-बॉडी बन जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं बनेगी तो इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने इसको गहराई से देखा है। मेरे परिचित भी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी, जिनकी डैथ हुई, मैंने उनको अच्छे से देखा। शुरुआत में अगर लक्षण आएं और शुरूआत में उसको एंटी-बायोटिक दी जाए या सपोर्ट दिया जाए। आक्सीमीटर से उसके आक्सीजन लेवल को चैक किया जाये और जो निमोनिया के कारण लंग्स को ज्यादा नुकसान न हो, उससे पहले अगर उसको थोड़ा-सा सपोर्ट मिले तो बच सकता है। मामूली सी चीज होती है कि लंग्स में पानी भर जाता है और झोलाछाप डाक्टर गांव के या डर के मारे किसी से भी इससे खुश्की आती है, उसको लगता है कि मेरे शरीर में पानी की कमी हो गयी है और वह ड्रिप चढ़वाता है और पानी ज्यादा से ज्यादा पीता है, इससे उलटे उसको नुकसान होता है। उसको यूरिन आता नहीं है, किडनी काम करना बंद कर देती है। उस स्थिति में टायलेट लगने की एक छोटी-सी टेबलेट देने की जरूरत है या

(श्री बलजीत यादव)

इंजेक्शन लगता है वह इंजेक्शन लगा दो। इससे उसको टायलेट ज्यादा आएगा और उसके पेट के अंदर पानी भरने का खतरा कम रहेगा और उसको थोड़ी-सी एंटीबायोटिक वगैरह दी जाए या उसको आक्सीजन की कमी हो तो समय पर उसको आक्सीजन दी जाए, तो मैं समझता हूं कि उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ जानकारी के अभाव में नहीं हो पा रहा है।

मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसी भी जागृति जनता में लाये और पोस्टर या मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी पार्टियों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि कोरोना का कोई पेशेंट हो गया तो उसको ऐसा देखा जाता है जैसे उसके पास ही नहीं जाओ, उसके नजदीक ही नहीं जाओ और पता नहीं क्या हो जाएगा, उससे हर कोई दूर हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि सेफ्टी रख करके, जैसे एड्स के मरीज भी होते थे, हम फैलाते थे कि भई हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप जाते ही मर जाओगे, आप उसका ट्रीटमेंट कराओ तो परिवार के लोग दूर हो जाते हैं और उस बुजुर्ग को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि डर करके नहीं सावधानी रखते हुए उसको ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे उसकी जान बचाई जाए।

इसके साथ-साथ ही मैं सरकार से इसमें इतना सा कहना चाहूंगा, आपने कहा कि मास्क का प्रयोग करें और भीड़ इकट्ठी न करें। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है और जब इनजस्टिस होता है तो डैमोक्रेसी में आदमी का राइट है कि या तो आप उसकी बात सुनें और अगर नहीं सुनेंगे तो वह प्रदर्शन करेगा। वह सबको लाकर अपने सिर गिना करके अपनी ताकत बताना चाहेगा। इसलिए अपन उनको रोक रहे हैं कि धारा 144 है, आपकी जान पर आ जाएगी, आप मास्क लगाकर रखिये लेकिन उसकी प्राब्लम को नहीं सुनेंगे और उसकी जान पर आ गई तो उसको मजबूरन आना पड़ेगा। इसलिए बहुत सी भर्तियों में, सभापति महोदय, मैंने देखा है चाहे कोई भी सरकारें रही हों, मेरी समझ में नहीं आता, पहले उसको सपना दिखाया जाता है कि हम इतनी भर्ती करेंगे और जब वह एग्जाम दे देता है, सारी चीज हो जाती है तो उन भर्तियों के पद कम कर दिये जाते हैं। ऐसे 2013 में बहुत सी भर्तियों में, एएनएम, जीएनएम में पद कम कर दिये गये। मैं चाहता हूं उनको पूरा किया जाए नये पद सृजित करके। कनिष्ठ लिपिक भर्ती, 2013 पंचायती राज में इस भर्ती को पूरा किया जाए। रीट भर्ती

(श्री बलजीत यादव)

तुरन्त कराई जाए। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक, 2016 के पद घटा दिये गये थे, पद सृजित करके उनको पूरा किया जाए। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा, 2013 के कई बार, पांच बार रिजल्ट घोषित कर दिया, कभी अन्दर ले लेते हैं कभी बाहर कर देते हैं। इसमें उस अभ्यर्थी का क्या दोष है, खामी आपके सिस्टम की है। इसलिए अगर गलती से भी हो गये, एक बार नौकरी दे दी तो उसको दी जाए, और कोई रह गये तो नये पद सृजित करके उनको भी लिया जाए। इसलिए यह लोग आपके कानून को मान रहे हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे राजस्थान के लोग शांतिप्रिय लोग हैं, कानून का सम्मान करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कमजोर हैं, वे अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। इसलिए सरकार उसको मजबूर नहीं करे और उसकी जो भी मांगें हैं उनको तुरन्त पूरा करे क्योंकि बार-बार ज्ञापन देकर, चार आदमी पांच आदमी सभी आते हैं, हमसे भी पत्र लिखवाते हैं, बहुत से एम.एल.एज. ने भी, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बी.जे.पी. के हों, सबने पत्र लिखा है, इसलिए जो भी भर्तियों में विसंगतियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर करते हुए उनको उनका हक दें। सभापति महोदय, यही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री सुमित गोदारा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

माननीय श्री सुमित गोदारा (अनुपस्थित)। माननीय फूल सिंह मीणा (अनुपस्थित)। माननीय जोगेश्वर गर्ग (अनुपस्थित)। माननीय रामलाल शर्मा

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)। माननीय श्री अविनाश (अनुपस्थित)। माननीय श्री छगनसिंह (अनुपस्थित)। माननीय श्री जोराराम कुमावत (अनुपस्थित)। माननीय श्री शंकर सिंह रावत (अनुपस्थित)। माननीय श्री संयम लोढ़ा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार मास्क पहनना अनिवार्य करने को लेकर यह कानून लेकर आयी है। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के लोगों को यह मास्क पहनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चाइना में 10 जनवरी को पहला कोविड का पेशेंट सामने आया था और उसके बाद जो सतर्कता बरती जानी चाहिए थी, वह नहीं बरती गई।

श्री राहुल गांधी ने बहुत शुरुआत में ध्यान आकृष्ट किया था, देश को सावधान किया था, देश के लोगों को सावधान किया था लेकिन गम्भीर लापरवाही रही। 17 जनवरी को इन्टरनेशनल हवाई यात्रियों के लिए पहली गाइडलाइन जारी हुई लेकिन, माननीय सभापति महोदय, अन्तरराष्ट्रीय यात्रा रोकी नहीं गई। 4 फरवरी को सिर्फ पांच देशों से अन्तरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक लगायी गयी, बाकी दुनिया भर में अन्तरराष्ट्रीय यात्रा जारी रही और उसी का नतीजा हुआ कि जब राजस्थान के सर्वोच्च सदन की बैठक 14-15 मार्च को स्थगित कर दी गई तब तक भी देश की संसद चल रही थी और दुनिया में 2 लाख 98 हजार पेशेंट जब सामने आ गये, तब तक अन्तरराष्ट्रीय यात्राओं को रोका नहीं गया। 10 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक 15 लाख यात्री विदेशों से भारत में आये जिनकी कोई कोरोना जांच नहीं हुई, कोई कोविड टैस्ट नहीं हुआ, एयरपोर्ट पर सिर्फ तापमान जांच करके उनको हिन्दुस्तान के गांवों में जाने दिया गया और उसी का नतीजा भुगत रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी लोक सभा का सत्र हुआ, भारत सरकार से यह पूछा गया कि कोरोना के दौरान पैदल चलते हुए कितने लोग मरे, तो भारत सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि कितने लोग मरे। जिन्हें कोरोना वारियर का दर्जा दिया गया, माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार से पूछा गया कि कोरोना के कारण कितने डाक्टर मरे, तो भारत सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी कि कितने लोग मरे हैं। शुरुआत में

(श्री संयम लोढ़ा)

भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया कि जिस नागरिक की कोरोना से मौत होगी उसे चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सात दिन के भीतर ही उस आदेश को वापस ले लिया और उसी का नतीजा है कि देश में एक लाख से ज्यादा लोग जो कोरोना से मरे, उनको भारत सरकार की ओर से किसी तरह का मुआवजा प्राप्त नहीं हो सका।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आवश्यकता इस बात की थी कि लोगों को सजग और जागरूक किया जाता। यही राजस्थान था कि जब पहला सैम्पल लिया गया तो राजस्थान जांच करने की स्थिति में नहीं था, उसे पुणे भेजा गया लेकिन आज राजस्थान के हर मेडिकल कालेज में, हर प्राइवेट कालेज में और यहां तक कि सात जिला चिकित्सालयों में भी कोविड टैस्ट की सुविधा प्रदान की गई है लेकिन यह समझना पड़ेगा कि क्या खाली मास्क की अपील करने से या खाली मास्क का कानून बनाने से लोग सजग हो सकेंगे? आप देखिये, आप बिहार का उदाहरण लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए। अभी जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में जो निगम के चुनाव हुए उनका उदाहरण लीजिए कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, किस तरीके से लोग सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिविल लाइंस फाटक पर एक प्रदर्शन किया गया और हजारों की तादाद में लोग वहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हो गये। मैं यह नहीं कहता कि कोई पार्टी का आदमी पॉजिटिव है लेकिन आप अपने जीवन से खिलवाड़ करते हैं, आप अपने जीवन से खेलते हैं।

अब यह जिला परिषद् पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, जब तक चुनाव आयोग, जिला प्रशासन सख्ती के साथ में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करवायेगा और राजस्थान सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किये हैं कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में 250 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, शादी में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, सामाजिक कार्यक्रम में इतने लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक इसका सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा, यह कानून बनाना, यह करना सब निरर्थक हो जाएगा।

(श्री संयम लोढ़ा)

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जिन्होंने देश के अन्दर सबसे बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे पहले लॉकडाउन करने वाले वे व्यक्ति थे जिन्होंने इस जिम्मेदारी को समझा कि लोगों को किस बात की जरूरत है और आज भी जब हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि गांवों में तो लोगों ने लगाना ही छोड़ दिया, वे अपनी जेब में मास्क जरूर रखते हैं कि सिटी में जाएंगे तो वे पैसे भरवा देंगे, तो वे सिटी में लगा लेते हैं। तो उस वक्त इस सोच के साथ सरकार सामने आयी है कि इसको कानून में शामिल किया जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसकी पालना के प्रति सख्ती आयेगी और चूंकि एक अच्छा कदम है, मास्क लगाने का प्रचार करना, लोगों को बाध्य करना, इसलिए मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं उसे वापस लेता हूं। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

(21.00 बजे)

श्री सभापति: माननीय श्रीमती संतोष (अनुपस्थित)। माननीय लीडर आफ अपोजिशन गुलाब चन्द जी कटारिया (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, समूचे विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय यही है कि कोरोना से बचाव की कोई दवा तो निकलने वाली है नहीं और वैक्सीन कब आएगी, कब नहीं आएगी, कोई पता भी नहीं, तब तक इससे बचाव के लिए एक ही तरीका है कि फेस पर मास्क लगाना आवश्यक है। अच्छी तरह से मुंह और नाक ढंककर के लोग अपने घरों से निकलें। जहां पर भी जाना हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना काम करने के लिए निकलें। कहीं पर भी जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और मास्क लगाएं। यह सबकी अवधारणा है।

जैसा अभी उप नेता महोदय ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी आपसे अपील करता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने यह कहा इस बात पर कि नरेन्द्र मोदी जी की अपील पर तो पूरे देश ने नाज किया। खूब थाली बज गई, खूब दीये जल गए, बस ताबीज ही बांधना बाकी था। वह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

भी बंधवा देते। इसको राजनीति से मत जोड़िए। सरकार की तरफ से जो भी प्रयत्न किए गए हैं, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा प्रयत्न कोई कर नहीं सकता था। जो सरकार के पास सीमित साधन थे, वह सारे के सारे साधन झोंककर के इस बीमारी का इंतजाम किया है। आप गुजरात देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, महाराष्ट्र देख लो, कर्नाटक देख लो, हरियाणा देख लो, दिल्ली देख लो, सब जगह मरीज इसी तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार दूसरे प्रदेशों में मिली है वह आपको राजस्थान में नहीं मिलेगी।

इसमें कोई दोराय नहीं कि यह बीमारी ही इसी तरह की है कि इसमें कोई पता भी नहीं कि यह कितनी करवटें लेगी। दूसरी लहर चलेगी, तीसरी लहर चलेगी, चौथी लहर चलेगी, कोई पता नहीं है। यह शुरू से ही डाक्टरों की ओपिनियन थी। मुख्य मंत्री जी ने डाक्टर त्रेहान से बातचीत की, डाक्टर सरीन से बात की, डाक्टर रेड्डी से बात की। उन सबकी भी ओपिनियन यही बनती थी कि मास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके कारण से ही यह कानून लाया गया है। अब सवाल यह है कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए। यह वाकई में सही बात है कि एक जन आंदोलन अवेयर होगा और जनता जुड़ेगी तभी जाकर के यह काम चलेगा। एक अकेली सरकार के, सरकार के अधिकारियों के या किन्हीं नेताओं के भरोसे हम यह सोचें कि इससे बीमारी पर काबू कर लिया जाएगा तो यह उससे काबू नहीं होगा, जब तक कि इससे आम जनता नहीं जुड़े। यह माहौल बनाना आपका और हमारा, सबका काम है। इसमें आप यह मत समझिए कि आपकी आवाज में तो दम नहीं था और हमारी आवाज में दम था तो हमने तीर मार लिया। क्या तीर मार लिया आपने? क्या कर लिया? यह सब बातें आपके सामने हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव किया गया है, उसे अस्वीकार किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया गया।

सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़, डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, सदन सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 पर चर्चा कर रहा है। 1908 को बने सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 60 में राज्य सरकार संशोधन लेकर के आई है। उप धारा 1 के परन्तुक के खण्ड 'ख' में अभिव्यक्ति है, कृषक के पश्चात् विद्‌यमान अभिव्यक्ति दूध देने वाले से पहले, उसकी 5 एकड़ तक की कृषि भूमि जोड़ रही है। सरकार इस संशोधन के माध्यम से सीपीसी की धारा 60 के अंदर यह प्रावधान कर रही है कि किसान की भूमि जो किसी भी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन के लिए किसी भी वाद में कुर्क की जा सकती थी, विक्रय की जा सकती थी। जो पूर्व में प्रावधान था, उस विक्रय से 5 एकड़ तक की भूमि मुक्त हो जाए। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान और मंत्री जी का ध्यान, मंत्री जी मेरी बात सुन लें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था। मैं मंत्री जी, आपका ध्यानाकर्षित भी करना चाहूंगा कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 का है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 37 की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। धारा 37 यह कहती है कि न्यायालय के आदेश से अपनी जोत की जब्ती, कुर्की और नीलामी से बचाव, उसमें लिखा है, धारा 37 के अनुसार किसी भी काश्तकार की भूमि किसी भी सिविल न्यायालय के आदेश द्‌वारा जब्त, कुर्क व नीलाम नहीं की जा सकती। मंत्री महोदय, आप मुझे बताओ कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 37 के अंदर जब यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी न्यायालय की डिक्री के आधार पर किसान की किसी भी जोत को नीलाम नहीं किया जा सकता, तो आप यह संशोधन क्यों लेकर आए?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप मुझे यह बताएं, जब आप उत्तर दें तो क्या आप टीनेंसी एक्ट के सैक्शन 37 को रिपील करने के लिए दुबारा कोई संशोधन लेकर आएंगे? माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान, मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान एग्रीकल्चर क्रेडिट आपरेशन रिमूवल एण्ड डिफिकल्टी एक्ट, 1974, जिसको राडा कहते हैं उसकी ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। राडा के नियम 12 के अंदर, रूल 12 के अंदर न्यायालय आदेश द्वारा कुर्की एवं विक्रय के वर्जन का निराकरण, इसमें लिखा है, न्यायालय ऋण एवं ब्याज की सम्पूर्ण वसूली के लिए अपने खर्चों को सम्मिलित करते हुए भूमि आदि को कुर्क या नीलाम आदि की कार्यवाही कर सकने में सक्षम है। इसके नियम 13 में लिखा है, एक विहित प्राधिकारी के माध्यम से एक बैंक को देय वसूली विहित अधिकारी वसूली उस भूमि से करेगा जो बैंक को बंधक के रूप में रखी गई है। मैं समझता हूं कि यह जो दो एक्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं एक मैंने राजस्थान टीनेंसी एक्ट के सैक्शन 37 की बात की और एक मैंने राडा एक्ट की बात की है। राडा एक्ट के अंदर माननीय सभापति महोदय, 1974 का एक्ट है और यह एक्ट यह कहता है, बैंक उसकी भूमि को नीलाम कर लेगा और आप यह कह रहे हो कि हम सीपीसी में अमेंडमेंट लेकर आ गए।

माननीय सभापति महोदय, अब बैंकिंग रूल्स एवं रैगुलेशंस बने हुए हैं हिन्दुस्तान के अंदर। बैंकिग लॉ एण्ड रैगुलेशन, 1949, स्टेट बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1955, सब्सिडियरी बैंक अधिनियम, 1959, राजस्थान कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट 1965, इन सारों के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि मोर्गेज के रूप में किसान अपनी जमीन रखे। किसान अपनी जमीन रखेगा, कोई भी अपनी जमीन रखेगा, अगर वह लोन लेकर डिफाल्टर हो जाता है तो यह आपके बैंकिंग लॉ एण्ड रैगुलेशन एक्ट कह रहे हैं, अलग-अलग बैंकों के एक्ट यह कह रहे हैं, उस किसान की जमीन नीलाम होगी। आपको अधिकार नहीं है, आप बैंकिंग लॉ एण्ड रैगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट कर नहीं सकते। जो काम हो नहीं सकता, राजस्थान के किसानों को गुमराह करने के लिए कि तुम्हारी जमीन नीलाम नहीं होगी हमने प्रावधान कर दिया। ऐसा खोटा कानून आप लॉ मिनिस्टर के रूप में क्यों लेकर आए? आपको उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए जिनको यह तक नहीं पता कि राजस्थान टीनेंसी एक्ट का सैक्शन 37 क्या कहता है, राडा एक्ट का सैक्शन 12 और 13 क्या कहता है, उसके बाद भी आप यह एक्ट लेकर आ गये?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, जो आपने इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा, निश्चित तौर पर आपने लिखा, 2015-16 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 85.6 परसेंट किसान की भूमि 5 एकड़ से कम है, हमने मान लिया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का किसान सबसे ज्यादा सहकारी बैंक और दूसरी बैंकों से केसीसी से जुड़ा हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड जिसके जनक देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, उसके साथ आज राजस्थान के 21 लाख 18 हजार किसान जुड़े हुए हैं। ये सारे किसान वे हैं जिन्होंने केसीसी बनाई, केसीसी में जमीन मोर्गेज करते हैं वे अब आपने ऐलान कर दिया कि पांच एकड़ जमीन तक नीलाम नहीं होगी, सब लोग अगर डिफाल्ट करेंगे तो क्या हालत होगी उन बैंकों की? मतलब जो काम आप कर नहीं सकते, मैं समझता हूं कि माननीय सभापति महोदय, आज मैं किसान हूं, मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना है या मेरे बच्चों को हायर एजुकेशन में भेजना है तो मैं एजुकेशन लोन लेने के लिए बैंक जाऊंगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोलेटरल मोर्गेज चाहिए और कोलेटरल मोर्गेज में मैंने जमीन रखी, 85 प्रतिशत लोगों के जमीन पांच एकड़ तक है, 85 परसेंट लोग जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है, जब वे अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन के लिए जाएंगे बैंक कह देगा कि लोन नहीं। आपकी जमीन कोलेटरल में इसलिए मंजूर नहीं करूंगा क्योंकि नीलाम कर नहीं सकता, शान्ती धारीवालजी वहां लॉ मिनिस्टर है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह दे, जोर-जोर से बोलते हैं और उनकी बात पार भी हो जाती है इसलिए आपकी जमीन का कानून बन गया। मैं समझता हूं कि क्या गुमराह करने के लिए आप ऐसा लेकर आए हैं? आज किसान को कृषि उपकरणों के लिए लोन लेना पड़ता है। किसान को अपने बच्चों को व्यापार के लिए लोन लेना पड़ता है, आप कहां ले जाना चाहते हैं? इस कानून के लेकर आप क्या करना चाहते हैं, यह समझ के परे है। मैंने कोई बात हवा में नहीं कही, मैं राडा एक्ट आपको दे सकता हूं, मैं टीनेंसी एक्ट आपको दे सकता हूं। केसीसी के सारे प्रोसीजर को आप देख लो। आज एजुकेशन लोन लेने के लिए किसान जो फार्म भरता उसको देख लो। बैंकिंग रूल्स एण्ड रैगुलेशन के एक्ट को कैसे आप बदल सकते हो, किस बैंक से आपने बात की? आप एक्ट लेकर आ गए, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं, पर आप मुझे बताओ कि पांच एकड़ से ज्यादा जमीन तो सिर्फ 15 परसेंट लोगों की ही है। कम वाले जितने लोग हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अगर बैंक उनको लोन नहीं देगा, क्या पैनेल्टी करेंगे आप? 85.6 परसेंट किसान इस परिधि में आता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो आप एक पेचीदगी का कानून राजस्थान के किसान को बर्बाद करने के लिए से, लोन से वंचित करने के लिहाज से, केसीसी से वंचित करने के लिहाज से, किसान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, बढ़ा नहीं सके और सीपीसी में अमेंडमेंट लेकर आए हो, टीनेंसी एक्ट कुछ बोल रहा है, राडा एक्ट कुछ बोल रहा है, बैंकिंग रूल्स एण्ड रैगुलेशन पर आप का कंट्रोल नहीं, आपका यह क्यों लेकर आए? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हरेक चीज को प्रेस्टीज इश्यू मत बनाओ, आप विद्वान हो, हमारे मित्र हैं, इसको आज जनमत जानने के लिए परिचालित कर दो, वापस अपन जुड़ेंगे उसके बाद आपकी बात मान लेंगे, उसके बाद इस पर हो। बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)। माननीय श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 में किसान की पांच एकड़ तक की जमीन कुर्क करने से रोकने के लिए राज्य सरकार जो विधेयक लेकर आई है, इस विधेयक में जैसे मेरे पूर्व से वक्ता बोल रहे थे, राजस्थान में आलरेडी टीनेंसी एक्ट की धारा 37 में कृषि, पहले से ही जमीन की कुर्की रोकने की छूट है। मैं इसमें सुझाव देना चाहूंगा कि जो तीनों कानून आए हैं उनको रोकने के लिए जो संशोधन विधेयक हम लेकर आए हैं, इसमें राज्य सरकार यह लिखना भूल गई कि पांच एकड़ तक के किसान की फसल को कुर्क नहीं किया जाएगा। न सिर्फ जमीन को, बल्कि उसकी फसल को भी कुर्क नहीं किया जाएगा, नहीं तो कल को कांट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसान शर्तें पूरी नहीं कर पाता और डिक्री उसके खिलाफ हो जाती है तो उसकी खड़ी खेती को या उसके निकाले हुए अनाज को कुर्क करने का पावर न हो इसलिए शामिल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा निवेदन है कि हमने एक चीज देखी, जैसे राडा एक्ट में किसान से वसूली करते हैं तो दो प्रतिशत वसूली शुल्क एसडीएम के दफ्तर में जमा करानी होती है लेकिन बैंक और एसडीएम का दफ्तर मिलीभगत करते हैं, किसान को सिर्फ एक नोटिस देने के बाद जब

(श्री बलवान पूनियां)

किसान केसीसी के पैसे भर देता है तो उसमें करते क्या हैं कि दो प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत रुपये काटे जाते हैं जो किसान का शोषण है, जबकि होना यह चाहिए कि आपके एक नोटिस से, एसडीएम के एक नोटिस से, तहसील के एक नोटिस से किसान अगर पैसे देने आ गया तो सिर्फ उसके दो प्रतिशत लगने चाहिए, जबकि राडा एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जाता है और पांच प्रतिशत पैसे लिए जाते हैं।

जहां किसानों के संगठन हैं, जहां किसान एकजुट है, जहां किसानों में एकजुटता है वहां तो किसान बच जाता है, बाकी इनके इस एक्ट से कोई नहीं बच पाता है। चूंकि वह पांच प्रतिशत पैसे आते हैं, राजस्व का जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें पटवारी से लेकर, गिरदावर, तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर तक सबका उसमें हिस्सा तय होता है। इसलिए इस एक्ट को गम्भीरता से वे लागू करने का प्रयास करते हैं जबकि बैंक के नोटिस से भी किसान कई बार पैसे देने आ जाता है तो बैंक उस समय तो नहीं लेता है पैसा, लेकिन तहसील में नोटिस जाते ही पांच प्रतिशत लेता है जिस पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि मैं समझता हूं जो डर है कांट्रैक्ट फार्मिंग का और कृषि उपज व्यापार का जो कानून बनाया है, उसका इसलिए डर है किसान में, आज भी राडा एक्ट को लागू करने के लिए किसान से वसूली के लिए उसकी कैसी इज्जत उतारी जाती है, आप समझ नहीं पाओगे। उसके रिश्तेदार के यहां, उसके मां, बाप, बुआ, फूफा के यहां, उसके घर के आगे पर्चे चस्पा किए जाते हैं कि आपमें पैसे मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि केन्द्र यह कानून तो लेकर आ गया कि किसान की पांच एकड़ जमीन है वह भी नीलाम हो जाएगी, कुर्क हो जाएगी लेकिन हिन्दुस्तान में 16 लाख करोड़ रुपये बड़े पूंजीपति के एनपीए किए गए हैं, मैं तो मांग करता हूं इस पवित्र सदन के माध्यम से कि हिन्दुस्तान के किसान के पांच एकड़ तक की जमीन के सारे कर्जे माफ कर दिए जाएं। जब बड़े पूंजीपति का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का क्यों नहीं हो सकता? इसमें सबसे बड़ी बात यह देखने वाली है कि उसके घर के आगे ढोल नहीं बजना चाहिए, पर्चे नहीं चिपकना चाहिए। किसान की इज्जत और बड़े पूंजीपति की इज्जत में कोई फर्क थोड़े ही है? देश का हर नागरिक जो संविधान से बंधा है उन सबकी इज्जत समान है।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का मेरा प्रस्ताव वापस लेता हूं इन सुझावों के साथ जो मैंने पूर्व में दिये, यह राज्य सरकार माने। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, सीपीसी, 1908 की धारा 60 में संशोधन इस बिल के माध्यम से सरकार लेकर आयी है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा कि टीनेन्सी एक्ट का सैक्शन 37 नीलामी नहीं होगी, यह कहता है। राडा एक्ट नीलामी करने का कहता है। बैंकिंग रूल्स-रैगुलेशंस अलग तरह की बातें कहते हैं। इतने कान्ट्राडिक्टरी आपस में कानून होने के बाद यह संशोधन सरकार लेकर आयी है। क्या मंशा है? 86 प्रतिशत लोग पांच एकड़ से नीचे हैं। जो एक शंका आयी कि केन्द्र के कान्ट्रेक्ट फार्मिंग के उसमें जमीनें चली जाएंगी, ऐसा उसमें कहीं प्रावधान नहीं है, लेकिन यह संशोधन सरकार किस उद्देश्य से लेकर आयी है, जबकि पहले के जो कानून हैं, टीनेन्सी एक्ट का हो, चाहे राडा एक्ट का हो, चाहे बैंकिंग रूल्स और रैगुलेशंस हों, वे आपस में कान्ट्राडिक्टरी हैं, इसलिए हमारा आग्रह है कि इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित)। माननीय श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, ये जो एक्ट लेकर आये हैं, यह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लेकर आये हैं। जब इन्हें जानकारी है कि अन्य ऐसे प्रावधान हैं, जिनके कारण से जमीन को बेचने से रोका नहीं जा सकता तो फिर ये प्रावधान लेकर क्यों आये हैं? यह भी जानकारी इन्हें होनी चाहिए कि इन अधिनियम को कानून बनाने के बाद क्या जमीन को रोक सकते हैं और रोकेंगे तो क्या बैंक्स लोन दे देंगी? यदि बैंक्स लोन नहीं देंगी तो किसान खेती कैसे कर पाएगा? मैं समझता हूं कि यह किसानों के साथ अत्याचार करने वाला कानून है। या फिर यह किया जाए कि जमीन किसी भी कीमत पर न बिके तो इसके लिए वह लोन न दे तब भी यदि दूसरी बार उसे जरूरत पड़ती है तो लोन दिया जाए, ऐसा प्रावधान भी अन्य कानूनों में किया जाए ताकि वे कानून निष्क्रिय हो जाएं और फिर यह लागू हो जाए, तब तो सार्थक है, नहीं तो इसकी कोई सार्थकता नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं किसान यदि बैंकों से लोन नहीं ले पाएगा और यदि बैंक लोन नहीं देंगे तो अपनी जमीन को आवश्यकता पड़ने पर बेचेगा। गरीब लोगों

(श्री मदन दिलावर)

की जमीनें सस्ते भाव में, औने-पौने दामों में बिकेंगी और वे भूमिहीन हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि यह सरकार भूमिहीन करने का षड्यंत्र करने जा रही है। इससे किसान की भूमि बिक जाएगी, क्योंकि बैंक तो लोन देगा नहीं। उसे जरूरत है लोन की तो कहां से पैसा लाएगा? या तो साहूकारों से पैसा लाएगा या अपनी जमीन को बेचेगा। यदि इन्हें करना ही है तो एक प्रावधान और किया जा सकता है इसमें कि ऐसे लोग जो व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, स्मैक का उपयोग करते हैं, उनकी तो जमीनें बिकने का प्रावधान कर दें और शेष जो लोग इनका उपयोग नहीं करते, उनकी जमीनें न बिकें तो मैं समझता हूं कि व्यसन कम हो जाएगा, शराब पीना, स्मैक पीना, गांजा-भांग पीना कम हो जाएगा। इससे कई परिवार टूटने से बच जाएंगे और कई लोग मरने से भी बच जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि ये नहीं मानते, हठधर्मिता करते हैं तो यह संशोधन इसमें जरूर करें कि व्यसन करने वालों की जमीनों को हम नहीं रोकेंगे और जो व्यसन नहीं करता है, उनकी जमीनों को सरकार या बैंक कुर्क कर सकती है, नीलामी कर सकती है। यह संशोधन इसमें किया जाना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसे तीन महीने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)। माननीय श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित)। माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, इस कोड आफ सिविल प्रोसीजर एक्ट में जो अमेंडमेंट सरकार लेकर आयी है, कल जब मैंने बिल को पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि सरकार की भावना बहुत अच्छी है और किसानों के प्रति सरकार बहुत दयालु हो रही है और मुझे अच्छा लगा, पर जब इस पर गहराई से विचार किया तो कुछ बातें मेरे ध्यान में आयीं, मेरा इतिहास मुझे याद आया। राजनीति में आने से पहले मैं बैंक में मैनेजर था और मैंने अपने हाथ से हजारों किसानों को लोन बांटे हैं। लोन जब बांटने के लिए मैनेजर बैठता है तो वह सबसे पहले यह सोचता है कि वसूली कैसे होगी। वह भरने की क्षमता रखता है अथवा नहीं। यदि किसी कारण से डिफाल्टर हो गया तो वह पैसा बैंक का कैसे वसूल होगा, बैंक का पैसा डूबे नहीं, इसकी व्यवस्था वह करता है। उसके लिए सरकार ने प्रोवीजन कर रखे हैं, एक्ट बना रखे हैं जमीन मोर्गेज करने के, रहन करने के। रहन करने का प्रोसीजर है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उसमें लम्बी-चौड़ी कार्यवाही होती है। रहन करने का प्रोसीजर आपने रिमूव नहीं किया, खतम नहीं किया। बैंक जब लोन देगा तो जमीन रहन तो रखेगा। रहन रखेगा, पर कुर्क नहीं कर सकता और डिफाल्टर हो गया तो पैसा कैसे वसूल होगा? तो बैंकिंग सिस्टम भी इससे कोलैप्स होगा, एक बात। जब बैंकिंग सिस्टम पर आघात होता लगेगा तो कोई भी बैंक का मैनेजर इस छोटे काश्तकार को लोन देना बंद करेगा।

(21.26 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

पांच एकड़ से कम जमीन है, इसकी कुर्की तो हम कर नहीं सकते और इसलिए इसे लोन नहीं देना तो वह काश्तकार कहां जाएगा? यह एक व्यावहारिक समस्या आपके सामने खड़ी होने वाली है। इन छोटे काश्तकारों को कहीं से लोन नहीं मिले और वे बिलकुल लाचार हो जाएं अपनी समस्या के समय, खेती में बुवाई करनी है उस समय भी और यदि अन्य भी कुछ आवश्यकता है तो वह अपनी जमीन के आधार पर किसी तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो, यह इसका साइड-इफैक्ट आने वाला है। इस पर सरकार ने विचार नहीं किया, इसलिए यह किसानों के हित की बात करता हुआ बिल किसानों का नुकसान करने वाला साबित होगा, यह बिलकुल स्पष्ट है। फिर भी सरकार लायी है और इतने विद्वान मंत्री लाये हैं तो विचार तो किया होगा।

मुझे लग रहा है कि इस बिल के लाने के पीछे किसानों के हित नहीं हैं। ये जो सामने पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं उनमें किसानों को बेवकूफ बनाना है, लुभाकर उनका वोट लेना है, मात्र इसलिए यह बिल लाया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मंच का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं होने दिया जाए। इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। बैंकिंग एक्सपर्ट्स की भी राय ली जाए। रेवेन्यू एक्सपर्ट्स की भी राय ली जाए। राडा एक्ट में क्या प्रोविजन है, उसके बारे में भी सोचा जाए। बैंकिंग एक्ट के प्रोविजन्स के बारे में भी सोचा जाए। एक वृहत् विचार बनाने के बाद इस बिल पर सरकार पुनर्विचार करे। तब तक के

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लिए इसे जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मुझे उम्मीद है सदन इस निवेदन को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश (अनुपस्थित)। श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित)। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक लेकर आयी है। मुल्क की आजादी से पहले भी प्रजा आंदोलन और किसान आंदोलन के माध्यम से किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु अनेक संषर्ष किये गये। मुल्क आजाद हुआ तो भूमि सुधार के अनेक प्रगतिशील कानून लाकर किसानों के कल्याण में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने काम किया। लोग पहले हजारों बीघा जमीन स्वयं लेकर बैठे हुए थे। उसकी सीमा तय की गयी। अतिरिक्त भूमि का गरीबों में, किसान वर्ग के लोगों में आबंटन किया गया और जिन भूमियों पर काश्तकार कृषि करता था, उस खेती करने वाले व्यक्ति को उसकी भूमि के अधिकार दिये गये और जो किसान एक मजदूर बनकर दूसरों की जमीन पर काम करता आया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस पर जमीन के मालिकाना हक दिये।

भूमि सुधार कानून देश के अनेक राज्यों में अलग-अलग तरह से लागू हुए, राजस्थान में भी हुए। हालांकि मैं समझता हूं इसमें पश्चिम बंगाल सबसे बेहतरीन तरीके से लागू करने में सफल हुआ, लेकिन इन सबके बावजूद किसानों के सामने लगातार समस्याएं आती रही हैं और यह सबसे बड़ी समस्या के निराकरण की दिशा में अशोक गहलोत जी की मौजूदा सरकार ने कदम उठाया है। जब किसान की खेती की जमीन कुर्क होती थी तो उसकी क्या हालत होती थी, वह मारा-मारा फिरता था। वह जब पैसा चुका नहीं पाता था तो जमीन जाने का खतरा होता था, परिवार सो नहीं पाता था, तनाव में आ जाता था, ब्लड प्रेशर हो जाता था और लोग आत्महत्याएं करते थे। इन सारी चीजों को समझते हुए सरकार जो यह कानून लेकर आई है, मैं समझता हूं कि इससे किसान के सम्मान की रक्षा हो सकेगी, लघु एवं सीमांत काश्तकार को तनाव से मुक्त किया जा सकेगा। मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव, सरकार को धन्यवाद देते हुए कि यह अशोक गहलोत सरकार का एक क्रांतिकारी प्रयास है, वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सन्तोष। श्री गुलाब चन्द कटारिया। प्रभारी मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए, मेरा निवेदन यह है कि इसमें निश्चित तौर पर यह बात सही है कि काश्तकार एक ही एजेंसी से नहीं, कई एजेन्सियों से लोन लेता है। बैंक से भी लेता है, वह सहकारी समिति से भी लेता है और और भी कई जगह से वह लोन लेने की कोशिश करता है। जो उप नेता महोदय ने बात उठाई कि बैंकिंग लॉ होते हैं, बैंकिंग लॉ तो सैंट्रल लॉ हैं। आप यों मान लीजिये कि हमने तो हमारा एक्ट बना लिया। आपने टीनेंसी एक्ट की बात की तो टीनेंसी एक्ट को हम अमेंड करेंगे। यह पहला अमेंडमेंट सीपीसी में आज रखा गया है तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि हम टीनेंसी एक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें भी करेंगे। सवाल यह है कि राजस्थान सरकार के परव्यू में जो चीजें आती हैं कि किसी तरीके से इसकी पांच एकड़ जमीनें बचे, उसके लिए जहां-जहां पर भी परिवर्तन करने की, जहां-जहां पर भी संशोधन, अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां-वहां करेंगे। यह पहला अमेंडमेंट है जो सीपीसी में है। रहा सवाल टीनेंसी एक्ट का, तो टीनेंसी एक्ट में भी जो वसूली होती है, यह तो अभी है कि उसने रहन कब से कर रखा है, जिस साहूकार से ऋण लिया है और उसको कब्जे में दे दी तो पांच साल में आटोमेटिकली वह छूट जाएगी। लेकिन अगर पांच साल से पहले ही साहूकार अदालत में दावा कर देता है, सिविल न्यायालय में वह चला जाता है तो सिविल न्यायालय उसको किसी भी हालत में रिलीफ नहीं देगा। पांच एकड़ तक की जमीन पर वह काश्तकार ही काबिज रहेगा। यह तो पहला स्टेप है कि सीपीसी में एक प्रोसीजरली यह सैक्शन 60 के (1) में जो परन्तुक (ख) जोड़ा जा रहा है वह इसीलिए जोड़ा जा रहा है। इसलिए इसमें शक करने की कोई आवश्यकता नहीं है और पोलिटिकली आप इसके लिए यह कहो कि यह इसलिए लाया जा रहा है कि पंचायती राज के चुनाव हैं तो यह कोई आज एक्ट थोड़े ही है, आज तो यहां पर डिस्कशन हो रहा है, अभी तो गवर्नर के पास जाएगा, दस्तखत होंगे तो इस तरह की बातें उठाना बेकार, वाहियात बातें हैं और इससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि यह जो जनमत जानने की जो बात कही गई है उसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्तीकुमार धारीवाल प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,

भारत भाग्य विधाता

पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा,

द्राविड़-उत्कल-बंगा

विन्ध्य-हिमाचल, यमुना-गंगा

उच्छल जलधि तरंगा

तव शुभ नामे जागे

तव शुभ आशिष मांगे

गाहे तव जय गाथा

जन-गण-मंगलदायक जय हे

भारत भाग्य विधाता

जय हे, जय हे, जय हे,

जय-जय-जय-जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.36 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)